ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

मासिक समसामयिकी

अगस्त 2023

- एथिक्स सम्बन्धी आलेख
- अभ्यास प्रश्न
- महत्वपूर्ण आंकड़े

IF YOU ARE LOOKING FOR A JOB.
Please see the back cover.

- परिप्रेक्ष्य आलेख
- समाचारों में स्थान
- मार्गदर्शक चित्रण

∞ विषय सूची ∞

1. राजव्यवस्था और शासन ____ 5

1.1 मध्यस्थता विधेयक 2023 ____ 5

1.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 ____ 7

1.3 बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 ____ 9

1.4 एक साथ चुनाव ____ 10

1.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ____ 12

1.6 भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या ____ 13

1.7 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 ____ 16

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

1.8 जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 ____ 18

1.9 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 ____ 18

1.11 अंतर-सेवा संगठन विधेयक ____ 19

1.10 अविश्वास प्रस्ताव ____ 19

1.12 विशेषाधिकार प्रस्ताव ____ 19

1.13 वाहन स्क्रैपिंग नीति ____ 20

1.14 पूर्वोत्तर परिषद ____ 21

1.15 प्रवर समिति ____ 21

1.16 बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण ____ 21

डेटा पॉइन्ट

1.17 विधायिका के सदस्यों के लिए योग्यता ____ 22

संक्षिप्त समाचार ____ 23

2. परिप्रेक्ष्य आलेख ____ 24

2.1 आपराधिक कानूनों में सुधार ____ 24

3. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ____ 28

3.1 नेबरहुड फर्स्ट नीति ____ 28

3.2 भारत-चीन संबंध ____ 30

3.3 भारत की सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति) ____ 32

3.4 ब्रिक्स का विस्तार ____ 34

3.5 पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) ____ 37

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

3.6 भारत-ग्रीस संबंध ____ 37

3.7 आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता ____ 38

3.8 भारत और उत्तरी समुद्री मार्ग ____ 38

संक्षिप्त समाचार ____ 39-40

4. अर्थव्यवस्था ____ 41

4.1 भारत में NPA ____ 41

4.2 IMF कोटा की समीक्षा ____ 43

4.3 वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ____ 46

4.4 परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण ____ 48

4.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म-वित्त) क्षेत्र की भूमिका ____ 50

4.6 भारतीय रेलवे को बेहतर वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता है ____ 52

4.7 पशुपालन: सफलता और बाधाएँ ____ 55

4.9 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ____ 58

4.10 महामारी के बाद भारत में रोजगार परिदृश्य 61

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

4.11 T+1 व्यापार निपटान ____ 63

4.12 अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) ____ 63

4.13 नेशनल वेयरहाउसिंग रिसीट्स ____ 63

4.14 जूट बैग पैकेजिंग ____ 64

4.15 भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) 64
4.16 औद्योगिक गलियारा 64
4.17 राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) 65
4.18 यूरिया का फोर्टिफिकेशन 65
4.19 भारत में कंप्यूटर-लैपटॉप पर प्रतिबंध 65
4.20 भारतनेट परियोजना 66
4.21 WTO की 2023 विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR) 66
संक्षिप्त समाचार 67-69
डेटा पॉइन्ट
4.22 भारत का सार्वजनिक (सरकारी) ऋण 69
4.23 भारत में विप्रेषण (रेमिटेंस) 69
4.24 लोकनीति-CSDS का नवीनतम सर्वेक्षण 69
4.25 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 69
4.26 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) 70
सूचकांक/रिपोर्ट
4.27 राष्ट्रीय कोयला सूचकांक 70
4.28 FAO का संपूर्ण चावल मूल्य सूचकांक (ऑल राइस प्राइस इंडेक्स) 70
5. पर्यावरण और भूगोल 71
5.1अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 71
5.2 जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 72
5.3 वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 74
5.4 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटना 76
5.5 भारत में चीता के पुनर्वास के परिणाम 77
5.6 मैंग्रोव संरक्षण 80
प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज
5.7 एशिया में जलवायु की स्थिति 2022: डब्ल्यूएमओ 82
5.8 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 83
5.9 हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) 83
5.10 ग्रेट निकोबार परियोजना 84
5.11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप 84
5.12 भूमध्य सागर में अत्यधिक तापमान 85
5.13 उत्तरी सागर में ड्रिलिंग (खनन) 85
5.14 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 86
5.15 भारत के स्थानिक पक्षी: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 86
5.16 जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) 86
5.17 दीपोर बील 87
5.18 बागजान तेल रिसाव 87
समाचार में प्रजातियाँ: 88-89
संक्षिप्त समाचार 89-90
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 91
6.1 चंद्रयान-3 मिशन 91
6.2 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र 93
6.3 रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) 96
6.4 अतिचालकता (सुपरकंडक्टिविटी) 97
प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज
6.5 इंडिया AI और मेटा इंडिया समझौता ज्ञापन 99
6.6 जीन-संपादित सरसों 99
6.7 तम्बाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर्ट 100
6.8 आधार नामांकन उपकरणों में NavIC का एकीकरण 100
6.9 सुअर की किडनी का मानव में प्रत्यारोपण 101
6.10 कोविड पर ICMR का अध्ययन 101
संक्षिप्त समाचार 101-103
7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 104
7.1 भारत के सीमा विवाद 104
प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज
7.2 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) 106
संक्षिप्त समाचार 106-107
8. समाज और सामाजिक न्याय 107
8.1 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा 107

8.2 विकलांग व्यक्तियों (PWD)/ दिव्यांगजनों की जनसंख्या का गलत अनुमान ____ 109
8.3 सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की स्थिति ____ 112
8.4 जल जीवन मिशन ____ 114
प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज
8.5 स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) ____ 116
8.6 सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0 ____ 117
8.7 पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ____ 117
8.8 डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक पहल (GIDH) ____ 117
8.9 पोषक तत्वों की कमी ____ 118
8.10 पहाड़ी और पद्दारी समुदाय: प्रस्तावित ST दर्जा ____ 120
8.11 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति" रिपोर्ट ____ 120
8.12 प्रधान मंत्री PVTG विकास मिशन ____ 121
8.13 कफ सिरप पर WHO का अलर्ट ____ 121
संक्षिप्त समाचार ____ 112
9. कला एवं संस्कृति ____ 123
9.1 केरल में महापाषाण स्थल ____ 123
9.2 नटराज मूर्ति ____ 123
संक्षिप्त समाचार ____ 124
10. नीतिशास्त्र (ETHICS) ____ 124
10.1 नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित दिशा-निर्देश ____ 124
11. खबरों में व्यक्तित्व ____ 127
12. खबरों में स्थान ____ 129
13. खबरों में योजनाएँ ____ 131

TEST YOUR SELF ____ 134
राजव्यवस्था एवं शासन ____ 134
अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ____ 134
अर्थव्यवस्था ____ 135
पर्यावरण एवं भूगोल ____ 135
विज्ञान और प्रौद्योगिकी ____ 136
समाज और सामाजिक न्याय ____ 137

1. राजव्यवस्था और शासन

1.1 मध्यस्थता विधेयक 2023

संदर्भ:

- हाल ही में संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया है।

मध्यस्थता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- **मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा:** विधेयक में व्यक्तियों को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए सिविल या व्यावसायिक विवादों को निपटाने हेतु प्रेरित करने का प्रावधान किया है।
- **समय अवधि:** कोई पक्ष दो मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जिसे पक्षकारों द्वारा 180 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद:** विधेयक **भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना** का प्रावधान करता है।
  - इसके कार्यों में **मध्यस्थों को पंजीकृत करना और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं तथा मध्यस्थता संस्थानों का निर्धारण करना** शामिल होगा।
- **गवर्नेंस:** विधेयक का उद्देश्य **मध्यस्थता के दो रूपों** को नियंत्रित करना है - स्वैच्छिक मध्यस्थता और अनिवार्य मध्यस्थता।
  - **स्वैच्छिक मध्यस्थता** वह है जहां लिखित मध्यस्थता समझौते के तहत पक्षकार मध्यस्थता चाहते हैं। ऐसा समझौता या तो अनुबंध के हिस्से के रूप में हो सकता है या स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है।
  - **अनिवार्य मध्यस्थता** वह है, जहां विवादों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, पक्षकारों पर अदालत/ न्यायाधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता करने का कानूनी दायित्व होता है।
- **बहिष्करण के क्षेत्र:** मध्यस्थता से बाहर रखे गए क्षेत्रों में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, आपराधिक कृत्य, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए आरक्षित पर्यावरणीय मामले और प्रतिस्पर्धा, दूरसंचार, प्रतिभूतियों और बिजली कानून तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले शामिल हैं।
  - इस पूरी प्रक्रिया में एकमात्र मुद्दा यह है कि डिफ़ॉल्ट रूप से, केंद्र या राज्य सरकार को मध्यस्थता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब तक कि विवाद व्यावसायिक प्रकृति का न हो।
- **न्यायालय की भूमिका:** विधेयक के प्रावधान किसी भी न्यायालय को पक्षकारों के बीच सिविल कार्यवाही से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले समझौता योग्य या वैवाहिक अपराधों से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से नहीं रोकेंगे।
  - **समझौता योग्य अपराध वे होते हैं जिनमें समझौता किया जा सकता है,** यानी शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए सहमत हो सकता है। उदाहरण के लिए: चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, हमला, छेड़छाड़, धोखाधड़ी, व्यभिचार।
- **सामुदायिक मध्यस्थता की अवधारणा:** ऐसा किसी भी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सद्भाव और सुव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवादों की मध्यस्थता और निपटान संबंधित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा किया जा सकता है।

मध्यस्थता क्या है?

- मध्यस्थता एक **स्वैच्छिक प्रक्रिया** है जिसमें विवाद में शामिल पक्ष एक स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से विवादों को निपटाने का प्रयास करते हैं।
- एक मध्यस्थ पक्षकारों पर समाधान नहीं थोपता बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें वे अपने विवाद को सुलझा सकते हैं।
- मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की पसंद पर निर्भर करती है, और प्रक्रिया के कोई सख्त या बाध्यकारी नियम नहीं हैं।

- मुकदमेबाजी या पंचाट (Arbitration) के विपरीत, जिसमें किसी विवाद का निर्णय शामिल होता है, मध्यस्थता में पक्षकारों की सहमति से समझौता शामिल होता है।
- भारत में, **मध्यस्थता को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 द्वारा वैध** बनाया गया है।
- यह **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का एक रूप** है।

मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन:
- यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से जुड़े निपटान समझौतों के सीमा पार प्रवर्तन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- 2019 में, भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया, लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है।

विधेयक का महत्व:

- **मध्यस्थता के केंद्र के रूप में भारत:** यह कानून यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि पक्षकारों के बीच व्यावसायिक (और अन्य) विवादों को सुलझाने में संस्थागत मध्यस्थता मुख्यधारा बन जाएगी, जिससे भारत एक विवाद अनुकूल अधिकार क्षेत्र के रूप में वैश्विक मानचित्र पर उभर जाएगा।
  - **उदाहरण के लिए:** ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद है, और सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे एक मजबूत मध्यस्थता प्रणाली अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है।
- **लंबित मामलों की संख्या:** कानून और न्याय मंत्री के अनुसार, जिला अधीनस्थ अदालतों में 4.43 लाख मामले, उच्च न्यायालयों में 60.63 लाख मामले और उच्चतम न्यायालय में लगभग 70,000 मामले लंबित हैं।
  - मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में भागीदारी को अनिवार्य करने से अदालतों में लंबित मामलों और धीमी निपटान दर को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **लागत प्रभावी:** मध्यस्थता एक लागत प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया है जो अदालत के बाहर निपटान को सक्षम करके अदालतों पर बोझ को कम करने में भी मदद करती है।
  - **उदाहरण के लिए:** हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, एक विवाद की ADR-आधारित मध्यस्थता की लागत 25,000 डॉलर थी, जबकि बाहरी वकील के माध्यम से मध्यस्थता की लागत अनुमानित 700,000 डॉलर और अदालत में तीन से पांच साल की अवधि में 2.5 मिलियन डॉलर तक होती है।
- **अधिक नियंत्रण:** मध्यस्थता से समाधान पर पक्षकारों का नियंत्रण बढ़ जाता है। प्रत्येक पक्ष सीधे तौर पर अपने समझौते पर बातचीत करने में शामिल है और उस पर कोई समझौता थोपा नहीं जा सकता।
- **गोपनीय:** अदालती कार्यवाही के संभावित प्रचार के विपरीत, मध्यस्थता में कही गई हर बात पक्षकारों के लिए पूरी तरह से गोपनीय होती है (जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा सहमति न हो)।
- **तेज़ परिणाम:** क्योंकि किसी विवाद में मध्यस्थता का उपयोग जल्दी किया जा सकता है, इसलिए आमतौर पर अदालतों के माध्यम से समझौता करने की तुलना में जल्दी समझौता किया जा सकता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया में अधिकतम 60 दिन लग सकते हैं, कभी-कभी कई मामले न्यायिक अदालतों के विपरीत एक या दो सत्रों में हल हो जाते हैं, जहां न्यायालयों में आम तौर पर सिविल मामलों का निपटान तीन साल के भीतर होने की उम्मीद होती है।

भारत में मध्यस्थता की चुनौतियाँ:

- **संहिताकरण का अभाव:** 2020 में, एमआर कृष्ण मूर्ति बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मध्यस्थता के लिए एक समान कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता की ओर संकेत किया।
- **सामाजिक कलंक:** कुछ मामलों में, पक्ष सार्वजनिक धारणा से जुड़ी चिंताओं के कारण मध्यस्थता का विकल्प चुनने में संकोच कर सकते हैं, इस डर से कि इसे कमजोरी या समझौते के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
- **कानूनी पेशेवरों का विरोध:** पारंपरिक कानूनी पेशेवर मध्यस्थता को अपनाने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इसे **उनके पेशे या आय के लिए खतरा** माना जा सकता है।
- **ढांचागत चिंताएँ और गुणवत्ता नियंत्रण:** मध्यस्थता पर बढ़ा हुआ जोर सीधे तौर पर उन मध्यस्थता केंद्रों पर कार्यभार बढ़ाएगा जिनमें प्रशासनिक क्षमता की कमी है।
- **संस्थागत समर्थन:** जबकि भारत ने विधायी सुधारों के माध्यम से मध्यस्थता को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं, मध्यस्थता केंद्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना सहित जमीनी स्तर पर मध्यस्थता का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है।
- **स्थापित विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञता और पाठ्यक्रम की कमी:** लॉ स्कूल पाठ्यक्रम के भीतर मध्यस्थता शिक्षा की कमी प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- **पेशेवर मध्यस्थों की कमी:** भारत में प्रशिक्षित और अनुभवी मध्यस्थों का पूल अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है, जिससे सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार के विवादों के लिए मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

आगे की राह:

- **संस्थागत समर्थन:** स्थानीय समुदायों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर अच्छी तरह से सुसज्जित और सुलभ मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने से लोगों को मध्यस्थता सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जा सकती है।
- **अधिक मध्यस्थता और पंचाट केंद्र खोलना:** सरकार को मध्यस्थता केंद्र खोलने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
  - o **उदाहरण के लिए:** हाल ही में, उत्तर प्रदेश को 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन या CEMA' के रूप में पहला पंचाट और मध्यस्थता केंद्र प्राप्त हुआ।
- **प्रशिक्षण और प्रमाणन:** मध्यस्थों, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि **मध्यस्थता तकनीकों, नैतिक विचारों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता** में कुशल पेशेवरों का एक समूह तैयार है।
- **कानूनी पाठ्यक्रम के साथ एकीकरण:** लॉ स्कूल पाठ्यक्रम के भीतर मध्यस्थता शिक्षा को शामिल करने से भविष्य के कानूनी पेशेवरों को विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता को प्राथमिक या पूरक विधि के रूप में विचार करने के लिए तैयार किया जा सकता है।
- **कानूनी सुधार:** मध्यस्थता को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों और विनियमों को लगातार अद्यतन करना, साथ ही मध्यस्थता निपटान की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
- **ऑनलाइन मध्यस्थता:** ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफार्मों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से प्रक्रिया खासकर दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकती है और यह व्यक्तिगत सत्रों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर सकती है।

Q. मध्यस्थता विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें। भारत में विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता के सफल कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

1.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

संदर्भ:

संसदीय स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत **वेतन असमानता को दूर करने का आह्वान** किया है।

मनरेगा के बारे में:

- मनरेगा को 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम** के रूप में अधिनियमित किया गया था।
- **उद्देश्य:** लोक निर्माण कार्य-संबंधी अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक **किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी** देना।

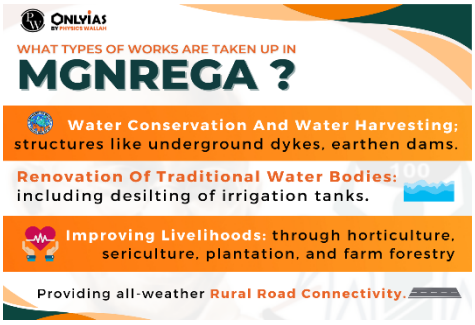

प्रमुख विशेषताऐं:

- **काम करने का कानूनी अधिकार:** अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसमें **कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** हैं।
- **वेतन प्रावधान:** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में **कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान** किया जाना चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती (यह 60 रुपये प्रति दिन से कम नहीं होनी चाहिए)।
- **काम की समयबद्ध गारंटी और बेरोजगारी भत्ता:** मांगे जाने के **15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए** और ऐसा न करने पर '**बेरोजगारी भत्ता**' दिया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** ग्राम सभाओं को किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा करनी चाहिए और कम से कम 50% कार्यों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।
  - o पंचायती राज संस्थाएँ मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
- **कार्य स्थल पर सुविधाएं:** सभी कार्य स्थलों पर क्रेच, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
- **वित्तपोषण:** वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
  - o केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्ध-कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** समुदाय को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए **ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा** आयोजित की जाती है।
- **लोकपाल की नियुक्ति:** अधिनियम के तहत, प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल होना चाहिए जो शिकायतें प्राप्त करेगा, पूछताछ करेगा और निर्णय पारित करेगा।

मनरेगा की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **मनरेगा के तहत कुल 11.37 करोड़ परिवारों ने रोजगार** प्राप्त किया और कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार उत्पन्न हुआ (15 दिसंबर, 2022 तक)।
- वर्ष 2020 में, पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, इसने रिकॉर्ड 11 करोड़ श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की।
- अध्ययनों ने अनुभवजन्य साक्ष्य दिए हैं कि मनरेगा के तहत अर्जित मजदूरी ने लॉकडाउन के कारण होने वाली आय हानि के 20% से 80% के बीच की भरपाई करने में मदद की।
- 2020-21 में लगभग 8.55 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग की। इसके बाद 2021-22 में 8.05 करोड़ लोगों ने काम की माँग की, जबकि महामारी से पहले के वर्ष 2019-20 में कुल 6.16 करोड़ परिवारों ने काम मांगा था।

चुनौतियाँ:

- **फर्जी जॉब कार्ड्स का निर्माण:** फर्जी जॉब कार्ड्स का प्रचलन, फर्जी नामों को शामिल करना, गायब प्रविष्टियाँ और जॉब कार्ड्स में प्रविष्टियाँ करने में देरी से संबंधित कई मुद्दे मौजूद हैं।
- **मुद्रास्फीति के अनुरूप मजदूरी में वृद्धि:** मनरेगा के तहत नाममात्र की मजदूरी लाभार्थियों को हतोत्साहित करती है और उन्हें या तो अधिक पारिश्रमिक वाले काम की तलाश करने या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश करती है।
  - यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि जहां 2020-21 में 755 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, वहीं केवल 72 लाख परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार पूरा किया।
- **केंद्र द्वारा भुगतान में देरी:** केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 14 दिसंबर, 2022 तक 18 राज्यों के मनरेगा मजदूरी का ₹4,700 करोड़ केंद्र पर बकाया था।
- **बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना:** जब मांग पर काम नहीं दिया जाता है तो अधिकांश राज्य बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं करते हैं।
- **केंद्रीय बजट में कम हिस्सेदारी:** सरकार ने केंद्रीय बजट में योजना के लिए आवंटन को 30% कम कर दिया, वित्त वर्ष 2023 में कुल परिव्यय के 2.14% से वित्त वर्ष 24 में 1.33% कर दिया।
- **लालफीताशाही:** इस बात के कई सबूत हैं कि आधार आधारित भुगतान से न तो भ्रष्टाचार कम हुआ है और न ही वेतन भुगतान में देरी का समाधान किया गया है, जबकि कार्यान्वयन के दौरान **अधिकारियों और श्रमिकों के लिए बाधाएँ** पैदा हुई हैं।
- **पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका:** बहुत कम स्वायत्तता के कारण, ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को **प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं** हैं।
- **बड़ी संख्या में अधूरे कार्य:** कार्यों के पूरा होने में देरी हुई है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत काम की गुणवत्ता और परिसंपत्ति निर्माण का भी मुद्दा है।

आगे की राह:

- **बजटीय आवंटन बढ़ाएँ:** 2022 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने और व्यक्ति-दिवस बढ़ाने की सिफारिश की थी।
- **पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:** PRI के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण नियमित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मनरेगा के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी में आसानी होगी।
- **पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना:** ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, मांग पर काम प्रदान करने और मजदूरी भुगतान को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त संसाधन, शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान में कोई देरी न हो।
- **जॉब कार्ड्स का विनियमन:** जॉब कार्ड्स में रोजगार संबंधी जानकारी दर्ज न करना और निर्वाचित PRI प्रतिनिधियों तथा मनरेगा पदाधिकारियों के पास अवैध रूप से जॉब कार्ड रखना जैसे अपराधों को अधिनियम के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।
- **धन का उपयोग:** ग्रामीण विकास विभाग को धन के खराब उपयोग के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और उसमें सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, 2010-11 में, 27.31% धनराशि अप्रयुक्त रह गई।
- **संदर्भ विशिष्ट परियोजनाएं और अभिसरण:** चूंकि राज्य सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए उनकी विकास संबंधी विभिन्न आवश्यकताएं हैं।
  - इसलिए, राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत उनके संदर्भ से संबंधित कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- समान मजदूरी दर: विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत **अधिसूचित मजदूरी दरें 193 रुपये से 318 रुपये तक** हैं। **पूरे देश में वेतन एक समान** होना चाहिए।

Q. मनरेगा के कार्यान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करें, और कार्यक्रम के भविष्य में सुधार के लिए क्या रणनीतियाँ और सुधार सुझाए गए हैं?

1.3 बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022

संदर्भ:

हाल ही में, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक की आवश्यकता:

- संवैधानिक (97वां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप: बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन संवैधानिक (97वां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप होना आवश्यक है।
- खामियों को दूर करना: इसका उद्देश्य मौजूदा कानून में खामियों को दूर करना और निम्नलिखित सहकारी सिद्धांतों के अनुसार बहु राज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करना है:
- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता: सदस्यों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण; सदस्यों की आर्थिक भागीदारी; स्वायत्तता और स्वतंत्रता; शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग; और समुदाय के लिए चिंता.
- व्यवसाय करने में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस): विधेयक पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएगा और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करेगा।

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक के मुख्य प्रावधान:

प्रावधान	बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002	बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
बोर्ड सदस्यों का चुनाव	• अधिनियम के तहत, एक बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के चुनाव उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाते हैं।	• यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्डों के चुनाव कराने और निगरानी करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करता है। • प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य शामिल होंगे।
सहकारी समितियों का एकीकरण	• अधिनियम बहु-राज्य सहकारी समितियों के एकीकरण और विभाजन का प्रावधान करता है। यह एक सामान्य बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के साथ एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है।	• विधेयक राज्य सहकारी समितियों को कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के साथ संबंधित राज्य कानूनों के अधीन मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय करने की अनुमति देता है।

रुग्ण/निष्क्रिय सहकारी समितियों के लिए निधि:	—	• विधेयक रुग्ण पड़ी बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की स्थापना करता है। • बहु-राज्य सहकारी समितियाँ जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ में हैं, वे निधि का वित्तपोषण करेंगी।
सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध	• अधिनियम में प्रावधान है कि कुछ सरकारी प्राधिकारियों द्वारा बहु-राज्य सहकारी सोसायटी में रखे गए शेयरों को सोसायटी के उपनियमों के आधार पर भुनाया जा सकता है।	• विधेयक यह प्रावधान करने के लिए संशोधन करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रखे गए किसी भी शेयर को उनकी पूर्व मंजूरी के बिना भुनाया नहीं जा सकता है।
शिकायतों का निवारण	–	• केंद्र सरकार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले एक या अधिक सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगी।

आगे की राह:

- स्थानीय कारक: स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
- उन्मूलन या विलय: कमजोर और अकुशल सहकारी समितियों को या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या मजबूत और कुशल सहकारी समितियों में विलय कर दिया जाना चाहिए।
- वित्तीय और तकनीकी सहायता: सरकार सहकारी समितियों को आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करने के लिए अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है।
- वित्तीय संसाधनों तक अधिक पहुंच: सहकारी समितियों को बढ़ने और विस्तार करने में मदद करने के लिए ऋण और अनुदान जैसे वित्तीय संसाधनों तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सकती है।

Q. सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 उन्हें कैसे संबोधित करना चाहता है?

1.4 एक साथ चुनाव

संदर्भ:

कानून और न्याय मंत्री ने हाल ही में सरकार को सूचित किया कि एक साथ चुनाव से सरकारी कोष और राजनीतिक दलों के खर्च में व्यापक बचत होने की संभावना है, हालांकि इसके कार्यान्वयन में कई बाधाएं हैं।

एक साथ चुनाव/ एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है?

- एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव** कराने से है, जिससे चुनाव चक्र को समन्वित किया जा सके और चुनावों की आवृत्ति कम हो सके।
- इसमें **पांच साल के अंतराल में सभी राज्यों और लोकसभा में चुनाव कराना शामिल होगा**, जिससे मतदाताओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक ही दिन, एक साथ या चरणबद्ध तरीके से वोट डालने की अनुमति मिलेगी।
  - ऐसा करके, इसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति को संबोधित करना है जहां अलग-अलग स्थितियों के कारण और समय से पहले विघटन के कारण पूरे वर्ष चुनाव होते हैं।
- **एक साथ चुनावों की पृष्ठभूमि:** भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए आम चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ आयोजित किये गये थे।

एक साथ चुनाव चक्र में बाधा के कारण:

- समकालिक चुनावों का चक्र मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रभुत्व और उस दौरान क्षेत्रीय दलों के सीमित प्रभाव के कारण बाधित हुआ था।

एक साथ चुनाव के लाभ:

- **व्यय में कमी:** इससे बार-बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था मशीनरी की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों में काफी बचत होगी।
- **आदर्श आचार संहिता का मुद्दा:** एक साथ चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को कम कर सकते हैं जो कभी-कभी सरकार को परियोजनाओं या नीति योजनाओं की घोषणा करने से रोकती है।
- **बेहतर शासन:** एक साथ चुनाव से निर्वाचित सरकारों और सत्तारूढ़ दलों को विभिन्न क्षेत्रों में बार-बार होने वाली चुनाव तैयारियों की ओर अपना ध्यान भटकाने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा।

- **लोक सेवाओं में व्यवधान:** सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने से सार्वजनिक सेवाओं में बाधा आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी अभियानों के सुचारू कामकाज और जनता तक सेवाओं की डिलीवरी में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **काले धन पर अंकुश:** बार-बार होने वाले चुनावों को काले धन के सफेद धन में बदलने की संभावना से जोड़ा गया है, जिससे एक समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने से ऐसी संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **एकता को बढ़ावा देना:** एक साथ होने वाले चुनाव क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के बजाय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं, जो **देश के भीतर एकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण** है।
- **विधि आयोग की सिफ़ारिशें:** आयोग के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने से देश को लगातार चुनावी मोड में रहने से रोका जा सकता है और मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकती है।

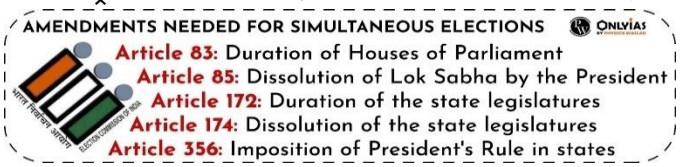

एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा उठाई गई बाधाएँ:

- **संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव:** एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन लाने की आवश्यकता होगी।
  - उदाहरण के लिए, **अनुच्छेद 85 (लोकसभा का विघटन), 356 (संवैधानिक मशीनरी की विफलता),** आदि।
- **EVM पर खर्च:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर खर्च दोगुना होने से एक साथ चुनावों से होने वाली संभावित बचत व्यर्थ जा सकती है।
- **आदर्श आचार संहिता (MCC):** यह तर्क दिया जाता है कि यह केवल सत्तारूढ़ दलों को चुनावी लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करने से रोकता है, न कि नीति-निर्माण को पंगु बना देता है जैसा कि कुछ विरोधियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।
- **संघीय ढांचे के विरुद्ध:** एक साथ चुनावों के आयोजन में देश को संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय के बजाय एकात्मक राज्य की ओर ले जाने की प्रवृत्ति है।
- **स्थानीय मुद्दों का लुप्त होना:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के मिश्रण से स्थानीय मुद्दे लुप्त हो जाएंगे, प्राथमिकताएं विकृत हो जाएंगी और क्षेत्रीय दलों की तुलना में राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिलेगा।
- **संभार तंत्र संबंधी चुनौतियाँ:** पाँच साल में एक बार एक साथ चुनाव आयोजित करने में संभार तंत्र संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता होगी।
- **चुनावी-तिथियों की चुनौतियाँ:** मौसम, कृषि चक्र, परीक्षा कार्यक्रम, धार्मिक त्योहार और सार्वजनिक छुट्टियों सहित भारत की भौगोलिक और प्रशासनिक विविधता के कारण टाइम स्लॉट निर्धारित करना एक चुनौती हो सकती है।
- **मध्यावधि विघटन को नियंत्रित करना:** पर्याप्त कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी जो सदनों के मध्यावधि विघटन को रोकने और एक साथ चुनाव चक्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- **मतदान व्यवहार में बदलाव:** साक्ष्य से पता चलता है कि जब मतदाताओं को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए एक साथ, एक ही मतदान केंद्र पर और एक ही जगह पर वोट डालने की आवश्यकता होती है, तो मतदाता अक्सर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए एक ही दल को वोट देते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भारत के लिए उपयुक्त नहीं:** जनसंख्या और क्षेत्रफल में भारी अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों (स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका) की तुलना भारत से करना उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- **व्यवहार्यता:** यदि गठबंधन की केंद्र सरकार गिर जाती है तो सभी राज्य सरकारों में चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर चिंताएं पैदा होती हैं।
- **व्यापक सहमति:** सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करनी होगी।

आगे की राह:

- **चुनावों का चक्र:** एक ऐसा चक्र बनाना जहां विधानसभाएं जिनका कार्यकाल लोकसभा चुनावों से पहले या बाद में छह महीने से एक वर्ष के भीतर समाप्त होता है, उन्हें लोकसभा के चुनावों के साथ आयोजित किया जा सकता है।
- **राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाना:** राजनीतिक दलों के भीतर बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के ढांचे के तहत लाने की सिफारिश की गई है।

- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** एक नियामक के रूप में चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करना और सभी स्तरों पर चुनाव खर्च की निगरानी के लिए इसकी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में योगदान देगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र:** इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र जैसे आईटी-सक्षम उपकरणों का उपयोग मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद कर सकता है, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की सटीकता और त्रुटिहीनता में सुधार हो सकता है।
- **चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण (स्टेट फंडिंग):** राजनीति में धन बल के प्रभाव को कम करने और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में चुनावों के लिए **राज्य वित्त पोषण के विचार का विश्लेषण** प्रस्तावित है।

1.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया है।

अन्य जानकारी:

एक बार जब यह कानून बन जाएगा, तो यह **निर्वाचित सरकार, उपराज्यपाल (LG) और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करेगा।**

- यह विधेयक दिल्ली के नौकरशाहों को अधिक अधिकार भी देता है।

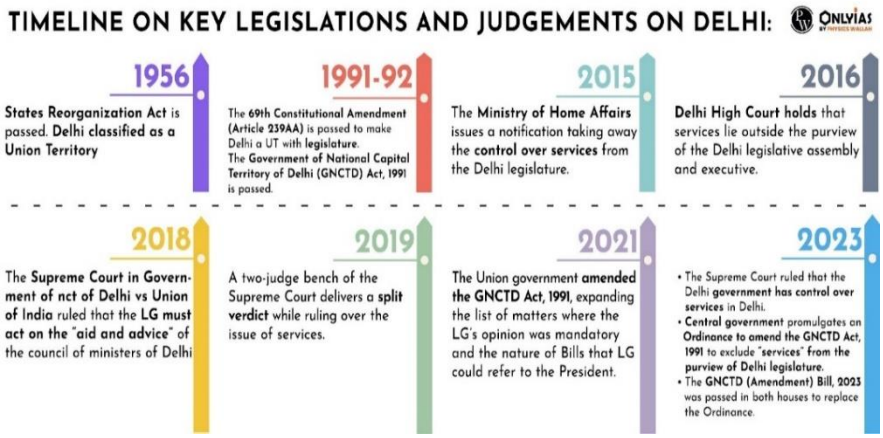

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- **राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA):** विधेयक अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) और दानिक्स के समूह A अधिकारियों के लिए स्थानांतरण, सतर्कता, अनुशासन और अभियोजन जैसे विशिष्ट सेवा-संबंधित पहलुओं पर दिल्ली के उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए **NCCSA** की स्थापन करता है।
- **उपराज्यपाल की शक्तियाँ:**
  - विधेयक LG को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है।
  - यदि LG और प्राधिकारियों के बीच असहमति उत्पन्न होती है, तो LG का निर्णय ही अंतिम अधिकार होगा।
- **सचिवों के कर्तव्य:**
  - यह विभाग के सचिवों को किसी भी मामले को LG, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने के लिए अधिकृत करता है जो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ विवाद में ला सकता है।

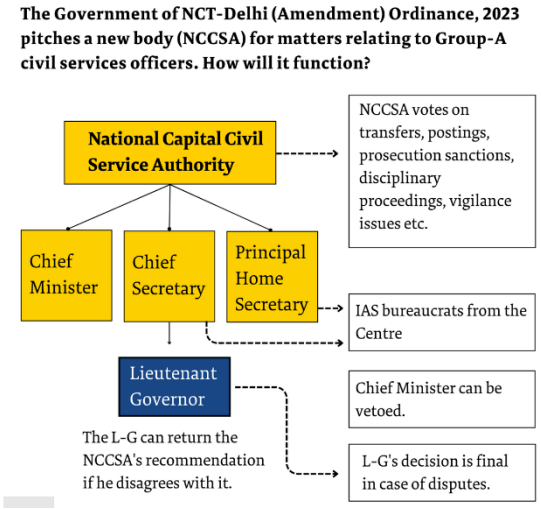

भारत में केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन:

- संविधान का भाग VIII (अनुच्छेद 239 से 241) केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
  - केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है।
    - ✓ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में, प्रशासक के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून और नियम बनाने की क्षमता भी शामिल है।
    - ✓ अन्य केंद्रशासित प्रदेशों, जैसे लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली में, प्रशासक की शक्तियाँ निर्वाचित सरकार को सलाह देने तक सीमित हैं।

दिल्ली और पुडुचेरी के लिए विशेष प्रावधान:

- केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (1963 में), और दिल्ली (1992 में) को एक विधान सभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद प्रदान की जाती है।
  - पुडुचेरी की विधान सभा संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बना सकती है।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास भी ये शक्तियाँ हैं। हालाँकि, सूची II में कुछ प्रविष्टियाँ, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, दिल्ली की विधान सभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत नहीं हैं।

विधेयक को लेकर चिंताएं:

- **तिहरी श्रृंखला की जवाबदेही संबंधी चिंताएं :** प्राधिकरण को अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अधिकार प्रदान करने से जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला टूट सकती है जो सिविल सेवाओं, मंत्रियों, विधायिका और नागरिकों को जोड़ती है।
  - यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, जो बुनियादी संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है।
- **LG का विवेकाधिकार:** LG को कई मामलों में पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है, जिसमें विधान सभा कब बुलाई जाएगी, यह भी शामिल है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री आवश्यक सरकारी कार्य के लिए जरूरी सत्र बुलाने में असमर्थ हो सकते हैं।
- **मंत्रिस्तरीय भागीदारी को दरकिनार करना:** विभाग के सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना कुछ मामलों को सीधे LG, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास लाएंगे।
  - यह **कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के खिलाफ** जा सकता है, क्योंकि संबंधित मंत्री अपने इनपुट नहीं दे सकते।

संविधान के अनुच्छेद 239AA के बारे में:

- इसे 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
- इसने **एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा** प्रदान किया।
- विधान सभा के पास **पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में NCT के लिए कानून बनाने की शक्ति** होगी।

निष्कर्ष:

- स्थिति को सुलझाने की प्रक्रिया में, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण दिखाना महत्वपूर्ण है। इसमें लोकतांत्रिक शासन को महत्व देना, शक्तियों का विभाजन और निर्वाचित अधिकारियों के प्राधिकार शामिल हैं। संवैधानिक ढांचे का पालन एक न्यायसंगत और स्पष्ट समाधान के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करेगा।

Q. क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान को सुलझा सकता है? टिप्पणी कीजिए। (2018)

1.6 भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या

संदर्भ:

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर **संसद की स्थायी समिति की 133वीं रिपोर्ट लंबित मामलों को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति की अनिवार्यता** को रेखांकित करती है।

अन्य जानकारी:

- समिति **न्यायिक अवकाश की ऐतिहासिक उत्पत्ति को औपनिवेशिक विरासत** के रूप में मान्यता देती है।
- अदालत ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश के रूप में हर साल दो लंबे अवकाश लेती है, लेकिन तकनीकी रूप से इन अवधियों के दौरान पूरी तरह से बंद नहीं होती है।
- यह स्पष्ट है कि ऐसी छुट्टियों के दौरान अदालती कार्यवाही के सामूहिक निलंबन से संबंधित वादियों को काफी असुविधा होती है।

JUSTICE DELAYED States with highest no. of cases pending for 10 years or more

State/UT	10-20 Years	20-30 Years	Above 30 Years	Above 10 Years
Uttar Pradesh	11,71,384	2,26,482	41,210	14,39,076
Maharashtra	2,56,595	58,404	23,483	3,38,482
West Bengal	4,04,399	52,108	14,345	4,70,852
Bihar	4,79,936	76,860	11,713	5,68,509
Odisha	1,85,791	33,822	4,248	2,23,861
INDIA	**28,70,776**	**4,89,255**	**1,00,267**	**34,60,298**

Source: National Judicial Data Grid

भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति:

- **बैकलॉग में लगातार वृद्धि:** 2010 और 2020 के बीच, सभी अदालतों में लंबित मामलों में 2.8% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।
- **निचली न्यायपालिका में बैकलॉग:** मामलों का सबसे गंभीर बैकलॉग न्यायपालिका के निचले स्तरों में पाया जाता है जहां अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं।
- **उच्च न्यायालय में लंबित मामले:** जुलाई 2022 तक उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित थे।
- **विभिन्न क्षेत्रीय बैकलॉग:** विभिन्न राज्यों में लंबित मामलों की संख्या बहुत भिन्न होती है।
  - बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अनसुलझे मामलों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है।
  - बिहार में 50 लाख से अधिक लंबित मामले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक मामले हैं।
- **ट्रिब्यूनल बैकलॉग का चित्रण:** 2020 के अंत तक, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में 21,259 मामले बैकलॉग थे।

भारतीय न्यायपालिका में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने का कारण:

- **न्यायाधीशों की कमी:** भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी बैकलॉग में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है।
  - 1 सितंबर, 2021 तक, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से एक पद रिक्त था।
  - उच्च न्यायालयों में, न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से 42% रिक्त थे (1,098 में से 465)।
  - 20 फरवरी, 2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 21% पद रिक्त थे।
  - भारत में **प्रति दस लाख लोगों पर लगभग** 21 **न्यायाधीश** हैं। इसके विपरीत, चीन में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 159 न्यायाधीश हैं।
- **न्यायालय की छुट्टियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए वर्ष में 193 कार्य दिवस होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय लगभग 210 दिन और निचली अदालतें 245 दिन कार्य करती हैं।
  - अदालतों में बहुत अधिक छुट्टियों के कारण मामलों में अनुचित विलंब होता है।
- **सरकारी मुकदमेबाजी:** 2018 में, भारत के विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार व्यवस्था में सबसे बड़ी वादी (पक्षकार) है।
- 3 जनवरी,2023 तक, LIMBS परियोजना (लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम) से पता चलता है कि **सरकार से जुड़े** 6,20,000 **मामले अदालत प्रणाली के समक्ष लंबित** हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** भारत भर में **कई अदालतों में बड़ी संख्या में दायर मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों का अभाव** है। बुनियादी ढांचे में इस कमी के कारण मामले के समाधान में देरी होती है।
- **मामलों की जटिलता:** कुछ मामले जटिल होते हैं और इनके संपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण **समय और संसाधनों की आवश्यकता** होती है। जटिल मामलों को निपटाने में अधिक समय लगता है, जो समग्र बैकलॉग में योगदान देता है।
  - ऐसे मामलों के उदाहरण जिन्हें "**जटिल मुकदमेबाजी**" माना जा सकता है, उनमें **पर्यावरणीय मुकदमेबाजी**, **कानूनी कदाचार**, **चिकित्सा कदाचार** आदि शामिल हो सकते हैं।
- **प्रक्रियात्मक देरी:** प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण देरी होती है, जैसे **गवाहों का पता लगाने या आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयाँ**। ये प्रक्रियात्मक बाधाएँ फैसले तक पहुँचने में लगने वाले समय को बढ़ा देती हैं।
- **न्यायालय के आदेशों का कम कार्यान्वयन:** जब न्यायालय के आदेशों को लागू नहीं किया जाता है, तो **इससे मामले के समाधान में अतिरिक्त देरी** होती है। अदालती फैसलों का अनुपालन न करने से न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **नए तंत्र और मुकदमेबाजी:** जनहित याचिका (PIL) जैसे अभिनव तंत्र ने अदालतों के समक्ष लाए जाने वाले मामलों के दायरे का विस्तार किया है। जबकि जनहित याचिका सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए मूल्यवान है पर यह मामलों की संख्या में भी योगदान देती है।
  - PIL एक कानूनी उपाय है जो व्यक्तियों या समूहों को जनता या समाज के व्यापक हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए अदालतों से संपर्क करने की अनुमति देता है।

संसदीय समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें:

- **सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें:** समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में न्यायिक पीठें स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि लोगों को न्याय के लिए दूर न जाना पड़े।
  - समिति ने **सुप्रीम कोर्ट से देश में चार या पांच स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 को लागू करने** की सिफारिश की।
- **सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य:** सरकारी कोष से वित्तपोषित निकायों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को **सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य करने की प्रवृत्ति का उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन** किया जाना चाहिए।
- **न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु:** चूंकि चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण आयु बढ़ गई है इसलिए **न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की आवश्यकता** है।
- **अधिक विविधता:** उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वांछित स्तर से काफी नीचे है और देश की सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
  - **भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नागरिकों के बीच न्यायपालिका के विश्वास, विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को और मजबूत करेगा।**
- **अवकाश प्रणाली में बदलाव:** सभी न्यायाधीशों के एक साथ छुट्टी पर रहने के बजाय, न्यायाधीशों को अलग-अलग समय पर छुट्टी लेने का सुझाव दिया। इस तरह, अदालतें अधिक दिनों तक खुली रह सकती हैं।
- **संपत्ति की घोषणा करना:** समिति ने कहा कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

भारत में न्याय वितरण प्रणाली पर न्यायिक विलंब का प्रभाव:

- **न्याय में देरी:** मामलों के लंबन से मामलों को सुलझाने में काफी देरी हो सकती है, जिससे व्यक्तियों को फैसला प्राप्त करने में लगने वाला समय बढ़ सकता है।
  - 2019 में प्रकाशित **भारतीय न्यायपालिका की स्थिति** रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि **जिला अदालत स्तर पर औसतन एक मामला पांच साल** या उससे अधिक समय तक लंबित रहता है। यदि **हारने वाला पक्ष ऊपर अपील के लिए जाता है**, **तो औसत समय** 13 **वर्ष तक जा सकता है।**

- **न्याय की गुणवत्ता से समझौता:** मुकदमों के भारी दबाव के कारण, न्यायाधीशों के पास प्रत्येक मामले का गहन मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इससे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो अच्छी तरह से सूचित नहीं होंगे या मूल मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल हो सकते हैं।
- **न्यायालय प्रणाली पर दबाव:** एक महत्वपूर्ण बैकलॉग पूरी अदालत प्रणाली पर दबाव डाल सकता है, जिससे न्यायाधीशों के लिए मामलों को तुरंत और कुशलता से संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह **अधिभार मामलों के समय पर निपटान को बाधित कर सकता** है।
- **जनता के विश्वास में कमी आना :** न्याय में देरी कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को समाप्त कर सकती है। समय पर और निष्पक्ष न्याय देने की अदालतों की क्षमता पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है।
- **वादियों पर वित्तीय दबाव:** लंबी कानूनी कार्यवाही वादियों पर वित्तीय बोझ डाल सकती है। उन्हें चल रही **कानूनी लड़ाई से जुड़ी लागत वहन करनी पड़ती** है, जो आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है।
- **विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि:** भारतीय अदालतों में लंबित मामलों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप **जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि** हुई है।
    - o विचाराधीन कैदी किसी अदालत में मुकदमे का सामना करने वाला कैदी होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी जेल सांख्यिकी-2020 के अनुसार, **देश भर की लगभग 1,300 जेलों में कुल कैदियों में से 76% विचाराधीन कैदी हैं।**

लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए प्रयास:

- **ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट:** ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, 2007 से देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है।

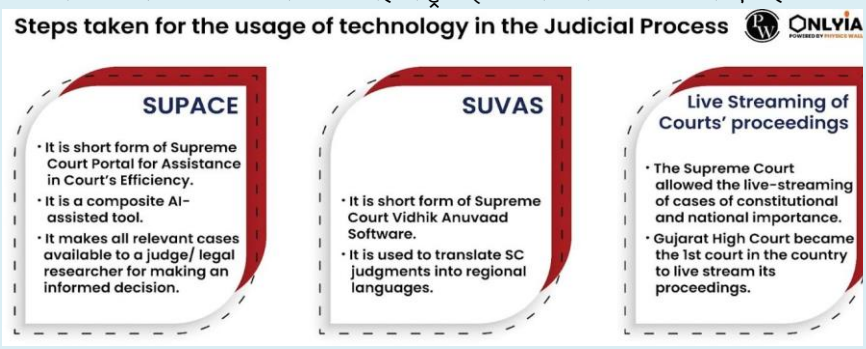

- यह देश में जिला और अधीनस्थ अदालतों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण द्वारा वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।
- **वर्चुअल कोर्ट:** वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही का संचालन, पहुंच में सुधार और मामलों में तेजी लाना।
- **ई-फाइलिंग:** ई-फाइलिंग मामलों को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जिससे **भौतिक उपस्थिति और कागजी कार्रवाई कम हो जाती है।** यह मामले की प्रक्रिया में तेजी लाता है और प्रशासनिक विलंब को कम करता है।
- **ई-भुगतान:** अदालती फीस और जुर्माने के लिए ऑनलाइन भुगतान, नकद लेनदेन और कागजी कार्रवाई को कम करना।
- **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** न्याय प्रणाली के घटकों के बीच डेटा का आदान-प्रदान, तेजी से मामले के समाधान में सहायता।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** मामलों के त्वरित निपटारे के लिए समर्पित अदालतें, बैकलॉग में कमी को प्राथमिकता देना।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR):** लोक अदालत, ग्राम न्यायालय और ऑनलाइन विवाद समाधान जैसे तरीके तेजी से विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

- **न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि:** मामलों के बैकलॉग को कम करने का एक तरीका भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है। इससे अधिक मामलों की सुनवाई और निर्णय तेजी से हो सकेंगे।
    - o भारतीय विधि आयोग (1987) ने न्यायाधीशों की संख्या **प्रति दस लाख लोगों पर** 50 **तक बढ़ाने की सिफारिश की**।
    - o इसे सुप्रीम कोर्ट (2001) और गृह मामलों की स्थायी समिति (2002) ने दोहराया था।
- **न्यायिक कार्यभार प्रबंधन:** विशिष्ट अदालतों और न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ को रोकने के लिए न्यायाधीशों और अदालतों के बीच मामलों को अधिक समान रूप से वितरित करने के लिए रणनीतियों को लागू की जाए।
    - o मामलों को ट्रैक करने, संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने और सुनवाई में तेजी लाने के लिए आधुनिक केस प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाए।
- **न्यायालय की छुट्टियाँ कम करना:** बार-बार बढ़ाई जाने वाली छुट्टियाँ अच्छा विकल्प नहीं हैं, **विशेष रूप से लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायिक कार्यवाही की धीमी गति** को देखते हुए।
    - o एक सामान्य वादी के लिए, **छुट्टियों का मतलब मामलों को सूचीबद्ध करने में अनावश्यक विलंब है।**

न्यायालय की छुट्टियों के बारे में विभिन्न सिफ़ारिशें:

- **2000:** न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने लंबे समय तक लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया कि हर साल सुप्रीम कोर्ट 206 दिन और उच्च न्यायालय 231 दिन काम करें।
- **2009:** विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि लंबित मामलों से निपटने में मदद के लिए न्यायपालिका के सभी स्तरों पर अदालती छुट्टियों में 10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिए।
- **2014:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए नियमों को अधिसूचित किया, इसमें कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि पहले की 10-सप्ताह की अवधि से सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी।
- **अनुभवी न्यायाधीशों का कुशल उपयोग:** न्याय प्रणाली में अनुभवी न्यायाधीशों के योगदान को अधिकतम करने के लिए उन्हें 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी वेतन और अनुलाभ जारी रखने चाहिए।
- **विशिष्ट अदालतें:** विशिष्ट प्रकार के मामलों (जैसे, **वाणिज्यिक**, **पारिवारिक**, **पर्यावरण**) को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करें।
- **पुरातन कानूनों को हटाना:** पुराने कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें निरस्त करना चाहिए जो बैकलॉग बढ़ाने में योगदान करते हैं और अधिक प्रासंगिक तथा वर्तमान कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **वर्चुअल सुनवाई का विस्तार:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपात स्थिति और व्यवधान के दौरान भी मामलों की सुनवाई आगे बढ़ सकें, अदालत की वर्चुअल-सुनवाई का और विस्तार किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को मजबूत करना: मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए **मध्यस्थता, सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तरीकों के उपयोग** को बढ़ावा देना।

1.7 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023

संदर्भ:

- **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति पर अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को पलटने के लिए** राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया है।

चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया:

- संविधान का अनुच्छेद 324 (5) मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को मनमाने ढंग से हटाने से बचाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही CEC को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है।
- हालाँकि, यह संवैधानिक प्रावधान अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में मौन है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि CEC की सिफारिश के अलावा उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- यह **चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यों का संचालन) अधिनियम**, 1991 **को प्रतिस्थापित करना चाहता है**, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता या खोज समिति से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं हैं।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- **CEC और EC का चयन:** सुप्रीम कोर्ट की पांच- न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक उच्च-शक्ति समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (ECs) का चयन करना होगा।
- **ECs को फंडिंग का मुद्दा:** कोर्ट ने इस मुद्दे को सरकार पर छोड़ दिया। इसने एक स्थायी सचिवालय की व्यवस्था करने और यह प्रावधान करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया कि व्यय भारत की संचित निधि पर लगाया जाए।
- **ECs को हटाने का मुद्दा:** इस मुद्दे पर कि क्या चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया CEC के समान ही होनी चाहिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह समान नहीं हो सकता है।

विधेयक की आवश्यकता क्यों है:

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए: चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली की मांग लगभग 50 वर्ष पुरानी है। इसकी बार-बार अनुशंसा की गई है:

- न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति 1975;
- दिनेश गोस्वामी समिति, मई 1990;
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, जनवरी 2007
- भारतीय विधि आयोग ने मार्च 2015 की अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कहा था।

कानूनी निर्वात की समस्या को हल करने के लिए: चूंकि CEC और EC की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा निर्धारित संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था। यह विधेयक इस शून्य की समस्या को समाप्त करने और चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है।

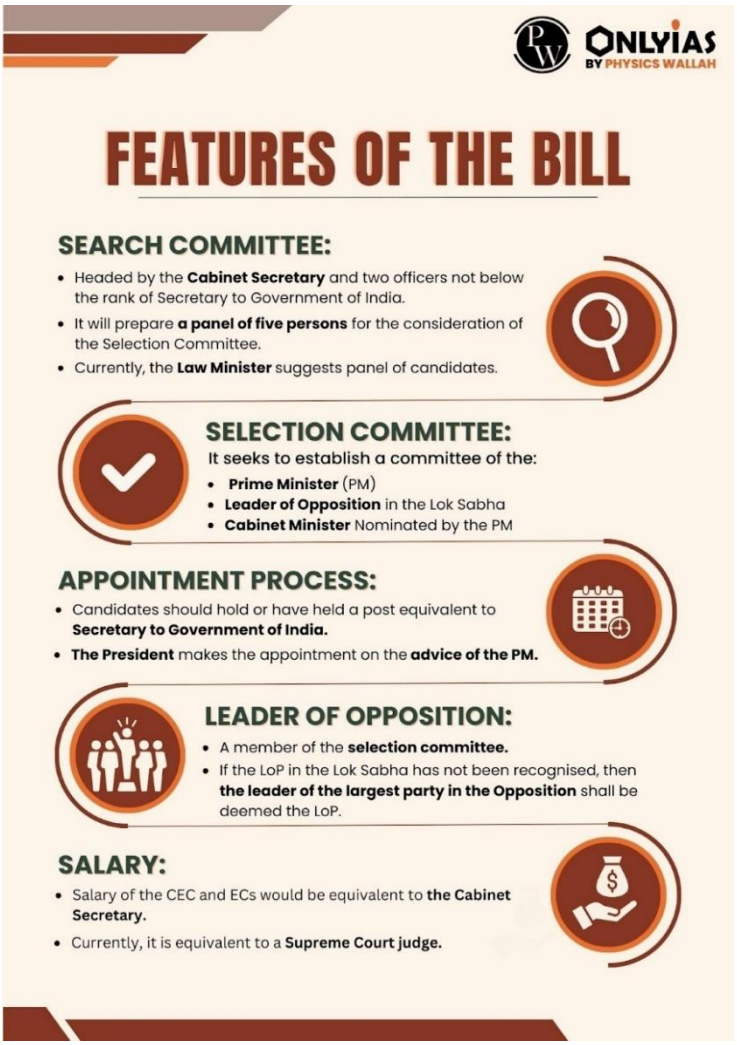

विधेयक को लेकर चिंताएँ:

- **चयन समिति की स्वतंत्रता का प्रश्न:** विधेयक में चयन समिति की संरचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या प्रक्रिया अब स्वतंत्र है या अभी भी कार्यपालिका के पक्ष में धांधली की जा रही है।
- **सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विचलन:** इस विधेयक के आने से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया जाएगा।
- **चुनाव आयुक्तों को सुरक्षा:** फैसले ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया है जैसे कि चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने में वही सुरक्षा प्रदान करना जो मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान द्वारा प्रदान की गई है।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में चुनौतियाँ:

- **गैर-पारदर्शी चयन प्रक्रिया:** CEC और EC के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार के विवेक पर आधारित है।
- **संरचना में खामियाँ:** संविधान EC के सदस्यों के लिए विशिष्ट योग्यताओं के साथ-साथ कार्यकाल की सुरक्षा भी प्रदान नहीं करता है। EC सदस्यों के कार्यकाल और सेवानिवृत्ति के बाद के प्रतिबंधों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
  - उदाहरण के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एक दिन बाद चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की हाल ही में मनमाने ढंग से नियुक्ति की गई।
- **शक्तियों का अस्पष्ट दायरा:** आदर्श आचार संहिता (MCC) स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के अधिकार की सीमा को रेखांकित नहीं करती है। इस प्रकार, चुनाव आयोग की प्रवर्तन शक्तियों और निर्णयों की प्रकृति और दायरे को लेकर भ्रम है।
- **MCC के लिए कानूनी समर्थन का अभाव:** हालाँकि MCC राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कानूनी समर्थन का अभाव है। इसके पास कानूनी अधिकार नहीं है और यह केवल चुनाव आयोग के नैतिक और संवैधानिक प्रभाव पर निर्भर करता है।
- **प्रवर्तन चुनौतियाँ:** चुनाव आयोग के पास चुनावी कदाचार में शामिल उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। इसकी शक्ति कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने तक सीमित है।
- **राजनीतिक पूर्वाग्रह**: ऐसे दावे किए गए हैं कि चुनावी संगठन ने सत्तारूढ़ दल द्वारा कथित उल्लंघनों को संबोधित करने की उपेक्षा की है।
  - उदाहरण के लिए, विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर अपने अभियान में सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण कार्रवाइयों का श्रेय लेने और राजनीतिक लाभ के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण पर पीएम के टीवी प्रसारण का उपयोग करके चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जवाब में, ईसीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की।
- **विनियामक शक्तियों का अभाव:** चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक शक्तियों का अभाव है। इसके पास पार्टी के अन्दर लोकतंत्र लागू करने या पार्टी फंड को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग के पास पार्टियों के भीतर की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

अनुच्छेद 324(2):
चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, उतनी संख्या में होंगे, जितनी राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं तथा **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।**

- **चुनाव मशीनरी के मुद्दे**: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के खराब होने, हैक होने और वोटों को रिकॉर्ड करने में विफल रहने के दावे ECI में आम जनता के विश्वास को कम करते हैं।

चुनाव आयोगों को नियुक्त करने में विभिन्न देशों की मौजूद सर्वोत्तम प्रथाएँ:

- **दक्षिण अफ्रीका:** चुनाव आयुक्तों को पार्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के बीच एक नेशनल असेंबली द्वारा असाइनमेंट के बाद, नेशनल असेंबली के सुझावों पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें कम से कम आठ आवेदकों की सूची होती है।
- **कनाडा:** मुख्य चुनाव अधिकारी को हाउस ऑफ कॉमन्स के लक्ष्य के अनुसार दस साल के असीमित कार्यकाल के लिए नामित किया जाता है, और प्रशासन से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, वह सीधे संसद को रिपोर्ट करता है।
- **अमेरिका:** छह संघीय चुनाव आयुक्तों को सीनेट की सलाह और सहमति से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यायोजित किया जाता है।

आगे की राह:

- **स्वतंत्र कार्यप्रणाली:** ECI को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से अलग रखा जाना चाहिए। किसी भी अंग को ECI के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जनता के विश्वास में कमी आती है।
- **नियामक स्वायत्तता:** ECI के पास सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक नीति दिशानिर्देशों के भीतर नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए। इन नियमों को अधिसूचना से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, जो मौजूदा पद्धति की जगह लेती है जहां सरकार सीधे इन संस्थाओं के लिए नियम बनाती है।
- **राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ उपाय:** ECI को राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्हें तुरंत उस राजनीतिक दल के प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मशीनरी:** वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का उपयोग और वोट टोटलाइज़र मशीनों का उपयोग मतदाताओं को राजनीतिक संस्थाओं द्वारा संभावित उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से काम करता है।
- **बहुदलीय समितियों की स्थापना:** अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि के साथ, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली बहुदलीय समितियों की स्थापना करके ईवीएम की खराबी और संभावित छेड़छाड़ से संबंधित चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।
- **CEC और EC के बीच समानता:** CEC और EC के लिए समान चुनाव और निष्कासन प्रक्रियाएं होनी चाहिए, और उन्हें समान शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जब तक कि विशेष रूप से कानून द्वारा निर्धारित न किया गया हो।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

1.8 जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ:

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 संसद में लोकसभा से पारित हो गया है।

विधेयक के बारे में:

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित उपाय:

- किए गए अपराध के अनुरूप जुर्माने और जुर्माने का व्यावहारिक संशोधन।
- निर्णायक अधिकारियों की स्थापना.
- अपीलीय प्राधिकारियों की स्थापना.
- जुर्माने और अर्थदंड की मात्रा में समय-समय पर वृद्धि।

संशोधन विधेयक के लाभ:

- आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना: यह आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में योगदान देगा कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर के बिना काम करें।
- अपराध और सजा में संतुलन: यह किए गए अपराध/उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- उपयुक्त प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र का परिचय: यह न्याय प्रणाली के दबाव, लंबित मामले और न्याय वितरण में अक्षमता को कम करने के लिए प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र का प्रस्ताव करता है।
- छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराधमुक्त करना: नागरिकों और कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से उन्हें छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए कारावास के डर के बिना काम करने में मदद मिलेगी।

1.9 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ:

लोकसभा ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है जो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का मार्ग प्रशस्त करता है।

विधेयक के बारे में:

- विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी आपूर्ति में मदद करने और अन्य डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए **मृत्यु और जन्म के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस** बनाना है।
- यह आपदाओं या महामारी के मामले में मृत्यु के आसान पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने और जन्म पंजीकरण के मामले में **सूचनादाताओं और माता-पिता की आधार संख्या** एकत्र करने के लिए **विशेष "उप-पंजीयक" की नियुक्ति का प्रस्ताव** करता है।
- **विधेयक में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट या आधार के लिए आवेदन, मतदाता नामांकन और विवाह के पंजीकरण** आदि के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

महत्व:

- इससे देश में जन्मतिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता से बचा जा सकेगा।

1.10 अविश्वास प्रस्ताव

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में:

- अविश्वास प्रस्ताव एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें विधायिका सरकार में विश्वास की कमी व्यक्त करती है।
- संवैधानिक आदेश: संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- व्याख्या: इसका अर्थ है कि मंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं, जब तक उन्हें लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है।
- दूसरे शब्दों में, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों/ मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है।
- **शर्तें:**
  - प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
  - इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
  - निर्धारित तिथि प्रस्ताव स्वीकार होने के दिन से 10 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
  - अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा पिछले प्रस्ताव को खारिज करने के छह महीने बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- **प्रभाव:**
- यह विधेयक पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राज्य और राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा।

1.11 अंतर-सेवा संगठन विधेयक

संदर्भ:

हाल ही में, राज्यसभा ने **अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक**, 2023 पारित किया।

विधेयक के मुख्य बिंदु

- **लक्ष्य:** अंतर-सेवा संगठनों (ISO) के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को ऐसे प्रतिष्ठानों में सेवारत अन्य बलों के कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करना।
- **उद्देश्य:** यह तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा और एकीकृत संरचना को मजबूत करेगा।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है।
  - जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जिनमें वे मंत्री भी शामिल हैं जो राज्यसभा से हैं।
  - तथ्य: पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था।

1.12 विशेषाधिकार प्रस्ताव

संदर्भ:

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दो विपक्षी सांसदों के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में:

- संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कुछ अधिकारों का संयोजन है। इनके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते।
  - **पात्रता:** संसदीय विशेषाधिकार उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें संसद या इसकी किसी समिति की चर्चा में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। उदाहरण के लिए: भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) और केंद्रीय मंत्री।
- यदि ऐसा विश्वास है कि इस तरह के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- **निर्णायक प्राधिकारी:** किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच का पहला स्तर लोकसभा अध्यक्ष/ राज्यसभा के सभापति होते हैं।

- o इसलिए, अध्यक्ष/ सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे **संसद की विशेषाधिकार समिति** को भेज सकते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात्, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और संसद सदस्यों (सांसदों) के लिए इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
- **विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम:** विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लेख लोकसभा नियम पुस्तिका के नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के नियम 187 में किया गया है।

विशेषाधिकार समिति:

- **अधिदेश/ कार्य:** सदन या उसकी किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े प्रत्येक प्रश्न की जांच करना, जो सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे संदर्भित किया गया हो।
- **लोकसभा:** इसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्य होते हैं।
- **राज्यसभा:** इसमें 10 सदस्य होते हैं और इसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में उप-सभापति विशेषाधिकार समिति का प्रमुख होता है।

1.13 वाहन स्क्रैपिंग नीति

संदर्भ:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक **इकोसिस्टम बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति** पेश की है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में:

- इसकी घोषणा **पहली बार** 2021-22 **के केंद्रीय बजट में** की गई थी।
- **उद्देश्य:** वायु प्रदूषण में कमी, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, सड़क और वाहन सुरक्षा में सुधार, बेहतर ईंधन दक्षता और ऑटो, स्टील एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देने जैसे कई लक्ष्यों को प्राप्त करना।

वाहन स्क्रैपिंग नीति की आवश्यकता:

- **पुराने वाहनों की बड़ी संख्या:** भारत में बड़ी संख्या में पुराने वाहन उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 साल से अधिक पुराने हैं और 34 लाख 15 साल से अधिक पुराने हैं।
  - o इसके अतिरिक्त, **लगभग 17 लाख मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहन वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।**
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** पुराने वाहन अक्सर कम ईंधन-कुशल होते हैं और उच्च स्तर के प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं, जो **वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट** में योगदान करते हैं।
- इन वाहनों को हटाने से **कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने** में मदद मिलेगी।

स्रोत: बिजनेस टुडे

वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रावधान:

- **पुराने वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट:**
  - o पुराने वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले **फिटनेस टेस्ट** कराना होगा।
  - o स्वचालित फिटनेस केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार **उत्सर्जन**, **ब्रेकिंग सिस्टम**, **सुरक्षा घटकों आदि का मूल्यांकन** करते हुए फिटनेस परीक्षण करेंगे।
  - o **फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को नष्ट/स्क्रैप कर दिया जाएगा।**
  - o 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी व्यावसायिक वाहन और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे।
- **मोटर वाहन कर में रियायत:**
  - o गैर-ट्रांसपोर्ट वाहन 25% तक रियायत प्राप्त कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट वाहन **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट** के बदले खरीदे जाने पर 15% तक रियायत प्राप्त कर सकते हैं।
  - o इस प्रावधान का कार्यान्वयन राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  - o अब तक 15 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट** के आधार पर मोटर वाहन कर में रियायतों की घोषणा की है।
- **वाहन छूट:**
  - o वाहन निर्माता नया वाहन खरीदते समय '**स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट**' पेश करने वाले ग्राहकों को 5% की छूट प्रदान करेंगे।

- इसके अतिरिक्त, **स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट** के साथ नया वाहन खरीदने वालों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

- **पुराने वाहनों के लिए हतोत्साहन:**
  - जो वाहन अपने पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि से 15 **वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, उन्हें पुन: पंजीकरण शुल्क में वृद्धि का सामना** करना पड़ेगा।

1.14 पूर्वोत्तर परिषद

संदर्भ:

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, **असम में पूर्वोत्तर परिषद** (NEC) द्वारा 470.75 करोड़ रुपये की कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पूर्वोत्तर परिषद (NEC) के बारे में:

- NEC **उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास** के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें आठ राज्य शामिल हैं:
  - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
- **उत्पत्ति:** NEC का गठन **क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में** किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय: यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।

परिषद के कार्य:

- **सलाहकारी निकाय:** यह निम्नलिखित में किसी भी मामले के संबंध में चर्चा और सिफारिशें कर सकता है
  - अंतरराज्यीय परिवहन के संबंध में।
  - बिजली या बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में।
  - आर्थिक और सामाजिक योजना के संबंध में।
- **सुनिश्चित करता है**: उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का संतुलित विकास।
- **समीक्षा:**
  - समय-समय पर परियोजनाओं एवं योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा।
  - सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा।

1.15 प्रवर समिति

संदर्भ:

हाल ही में, चार संसद सदस्यों ने कहा कि **दिल्ली सेवा विधेयक के लिए सदन की प्रस्तावित प्रवर समिति में उनका नाम उनकी सहमति के बिना शामिल किया गया था।**

संसद में समितियों के प्रकार:

- भारत की संसद में कई प्रकार की समितियाँ हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं:
  - **12 स्थायी समितियाँ:** वे प्रकृति में स्थायी हैं, उनके सदस्यों को समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
  - **तदर्थ या अस्थायी समितियाँ:** इन्हें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे कि किसी विशेष विधेयक की जांच करना, और उद्देश्य पूरा हो जाने पर इन्हें भंग कर दिया जाता है।
  - **प्रवर समिति:** यह एक प्रकार की तदर्थ समिति है।
- **प्रवर समितियों के लिए नियम:** राज्य सभा के नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 125 के तहत, कोई भी सदस्य एक संशोधन पेश कर सकता है कि किसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए।
  - किसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव या तो विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा या किसी अन्य सांसद द्वारा पेश किया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली सेवा विधेयक के मामले में हुआ था, जहां प्रस्ताव सांसद चड्ढा द्वारा पेश किया गया था।
- **प्रवर समितियों की सदस्यता:** इन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसद सदस्य (सांसद) शामिल होते हैं।
  - जैसा भी मामला हो, सदस्यों को **लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा चुना जाता है।**
  - चयन प्रक्रिया में आम तौर पर **निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने** के लिए संसद में विभिन्न **राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं के साथ परामर्श** शामिल होता है।
  - सदस्यों का **प्रवर समिति की विषय वस्तु में उनकी विशेषज्ञता और रुचि के आधार पर किया जाता है।**
  - किसी **प्रवर** समिति में सदस्यों की संख्या मौजूदा मुद्दे की प्रकृति और दायरे के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
  - समिति विशेषज्ञों और हितधारकों से जानकारी और राय इकट्ठा करने के लिए बैठकें और सुनवाई आयोजित करती है।
  - इसके बाद समिति आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट संसद को सौंपती है।

1.16 बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के चल रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के बारे में:

- **उद्देश्य:** घरों की संख्या, प्रत्येक घर में लोगों की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी जाति जैसे जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करना।

- यह एक सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान राज्य सरकारों को जनगणना-आंकड़े एकत्रीकरण करने का अधिकार नहीं देता है।

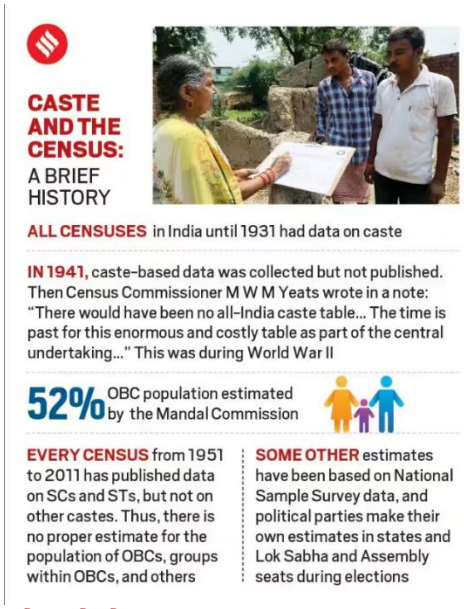

जनगणना के बारे में:

- भारत की दशकीय जनगणना आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति , मातृभाषा, शिक्षा स्तर, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और प्रजनन क्षमता जैसे जनसांख्यिकीय डेटा को मापती है।
- इस प्रकार, SC या ST और विभिन्न धार्मिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या पर डेटा आसानी से उपलब्ध है।
- हालाँकि, 1931 के बाद से, भारत में किसी भी जनगणना ने देश में OBC की संख्या को नहीं मापा है।

जाति जनगणना और आरक्षण:

- मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अपनी सिफारिश की।
- आयोग ने एक्सट्रपलेशन डेटा का उपयोग किया और निर्धारित किया कि भारत की कुल आबादी का 52 प्रतिशत, एसटी, एससी और OBC से संबंधित था।
- जबकि सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 में आयोजित की गई थी, लेकिन इसका परिणाम केंद्र सरकार द्वारा कभी प्रकाशित नहीं किया गया था।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के बारे में:

- यह एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया जाता है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय और राज्य सरकारें शामिल होती हैं।
- **उद्देश्य:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक और जाति स्थिति पर डेटा एकत्र करना।
- **महत्व:** यह सरकार के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक लक्षित करने का उपकरण है।
- **जनगणना में सामाजिक-आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक:**
  - भूमि, आवास और वाहन जैसी संपत्ति का स्वामित्व
  - घर का प्रकार (पक्का, अर्ध-पक्का, या कच्चा)
  - बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच
  - घर के सदस्यों का व्यवसाय और शिक्षा स्तर
  - घर के सदस्यों का आय स्तर

डेटा पॉइन्ट

1.17 विधायिका के सदस्यों के लिए योग्यता

संदर्भ

हाल ही में, **एडटेक प्लेटफॉर्म पर शिक्षक का एक वीडियो वायरल होने के कारण उसे बर्खास्त कर** दिया गया था जिसमें **उन्होंने छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों को वोट देने की अपील** की थी।

लोकसभा में सांसदों की शैक्षिक पृष्ठभूमि:

- **ग्रेजुएट्स :** मौजूदा सांसदों में से 72% है।
  - ग्रेजुएट्स में वे लोग भी शामिल हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
- **कम से कम पाँचवीं कक्षा तक की पढाई पूरी की है:** वर्तमान सांसदों में से लगभग 23.5%।
  - **कम से कम 5वीं कक्षा पास में** 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा शामिल है लेकिन कॉलेज नहीं।
- 4% सांसदों की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी उपलब्ध नहीं है.
- इसका मतलब यह है कि मौजूदा लोकसभा में **केवल 0.5% से भी कम लोग निरक्षर** या सिर्फ साक्षर के रूप में **दर्ज हैं।**

17वीं लोकसभा और आपराधिक आरोप वाले सांसद:

- **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में **67 सांसद** और **चार केंद्रीय मंत्री** ऐसे हैं, जिन्होंने अपने विरूद्ध आपराधिक आरोप घोषित किए हैं।
  - उन पर **अपहरण, डकैती और मौत या गंभीर चोट पहुंचाने** के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं।
- जिन सांसदों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, उनके खिलाफ औसतन आपराधिक मामले **7 साल से लंबित** हैं।
  - **24 लोकसभा सांसदों के विरुद्ध कुल 43 आपराधिक मामले** 10 साल या उससे अधिक समय से लंबित हैं।

संक्षिप्त समाचार

लिंग आधारित रूढ़िवादिता पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक	• सुप्रीम कोर्ट ने उन शब्दों की एक शब्दावली तैयार की है जिनसे न्यायाधीशों और वकीलों को बचना चाहिए। • **उद्देश्य:** लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करना जो निर्णयों को भी महत्वहीन कर सकती है। • हालाँकि, इस हैंडबुक का पालन करना अनिवार्य नहीं है। • इसमें शामिल शब्द और वाक्यांश o **अस्वीकृत शब्द :** फूहड़, वेश्या, गिरी हुई औरत, आदि। **प्रतिस्थापित:** हाउसवाइफ की जगह होममेकर, वेश्या की जगह यौनकर्मी, और छेड़छाड़ (ईव टीज़िंग) की जगह सड़क पर यौन उत्पीड़न आदि।
केरलम: केरल का प्रस्तावित नाम	• केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से **राज्य का नाम बदलकर "केरलम"** करने का आग्रह किया। • राज्य का नाम बदलने के लिए पहले राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आना होगा। • किसी राज्य का नाम बदलने के लिए **संविधान के अनुच्छेद** 3 **और** 4 **के तहत संसदीय मंजूरी की आवश्यकता** होती है, और राष्ट्रपति को अपने विचारों के लिए इसे संबंधित राज्य विधायिका के पास भेजना होता है। • रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद गृह मंत्रालय अपनी सहमति देता है।
सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आपराधिक कार्यवाही	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि **व्यक्तियों को अपमानजनक और अश्लील कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करने का परिणाम भुगतना होगा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए केवल माफी पर्याप्त नहीं होगी।** **अन्य जानकारी:** • एस.वी. शेखर मामले में **सुप्रीम कोर्ट ने महिला पत्रकारों के बारे में अभद्र टिप्पणी वाली एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए एक अभिनेता के खिलाफ मुकदमा खारिज करने से इनकार** कर दिया। • अभिनेता ने शुरुआत में महिला पत्रकारों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी वाली एक पोस्ट साझा की थी, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया और माफी मांगी और कहा कि उन्होंने इसे अनजाने में साझा किया था।

2. परिप्रेक्ष्य आलेख

2.1 आपराधिक कानूनों में सुधार

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने IPC 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और CrPc 1898 में परिवर्तन करने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए।

समाचार से संबंधित और अधिक जानकारी:

भारत में आपराधिक कानून मुख्य रूप से निम्न द्वारा शासित होता है:

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:** आपराधिक कृत्यों और उनके दंडों को परिभाषित करता है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** आपराधिक मामलों के प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** अदालत में साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों को नियंत्रित करता है।

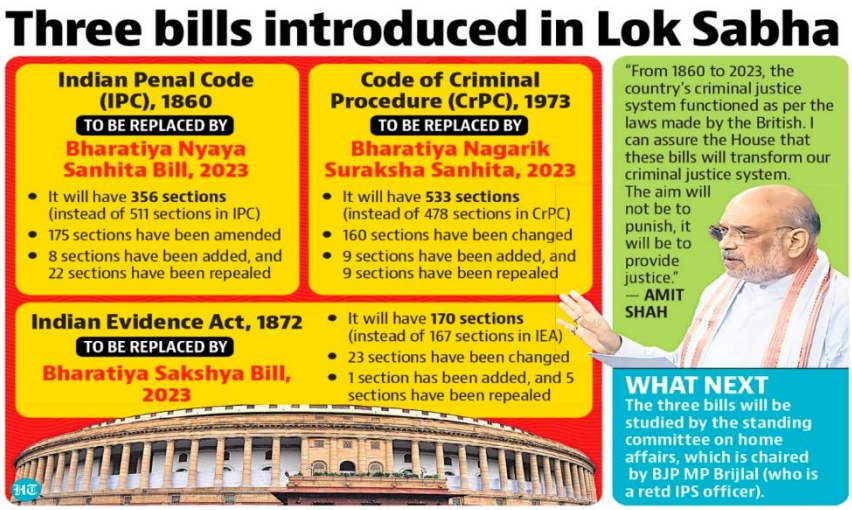

पेश किये गये विधेयक इस प्रकार हैं:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), विधेयक 2023:** इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करना है, जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया था।
  - **प्रावधानों को निरस्त करना:** विधेयक IPC के मौजूदा 22 प्रावधानों को निरस्त करके उसकी जगह लेने का प्रयास करता है।
  - **मौजूदा प्रावधानों में बदलाव:** विधेयक में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव
- **नवीन धाराओं का परिचय:**
  - धारा 109: संगठित अपराध
  - धारा 110: छोटे संगठित अपराध:
  - धारा 111: आतंकवादी कृत्य होने पर अपराध
  - धारा 150: संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य
  - धारा 302 : छीनना
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** यह विधेयक **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)** में परिवर्तन का प्रयास करता है, जो मूल रूप से 1898 में लागू हुआ था।
- इसमें **160 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और 9 नए प्रावधान पेश किए गए** हैं।
  - इसमें कुल **533 धाराएं** हैं।
- **भारतीय साक्ष्य (BS) विधेयक, 2023:** इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना है।
  - इसमें **23 प्रावधानों** में बदलाव का प्रस्ताव है और **एक नया प्रावधान** पेश किया गया।
  - इसमें **कुल 170 धाराएं** हैं।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का इतिहास:

- **ब्रिटिश शासन और संहिताकरण:** आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, और वही रूपरेखा काफी हद तक आज भी कायम है।
- **लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले** ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आपराधिक कानूनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उन्हें अक्सर भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है।

आपराधिक कानून सुधार समिति:

- **4 मई, 2020:** भारत में गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2020 को भारत की कानूनी प्रणाली की नींव बनाने वाले आपराधिक कानून के तीन प्रमुख संहिताओं की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक समिति की स्थापना की।
  - o **अध्यक्षता:** प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली के पूर्व कुलपति
  - o **कार्य:** भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव का आकलन और सुझाव देना।
- **27 फरवरी, 2022:** समिति ने आपराधिक कानून संशोधन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

विधेयक की आवश्यकता क्यों है:

- केसों की पेंडेंसी और देरी: IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं ने **अदालतों में पर्याप्त लंबित मामलों या बैकलॉग और न्याय वितरण में देरी में योगदान** दिया है।
  - o 31 दिसंबर, 2022 तक, जिला और अधीनस्थ अदालतों में कुल 4.32 करोड़ से अधिक लंबित मामले आंके गए थे।
- **कम सजा दर:** प्रचलित कानूनी ढांचे में सजा दर कम है, जो आपराधिक कार्यवाही की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
  - o NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर, IPC अपराधों के लिए कुल सजा दर 57% थी।
- **अत्यधिक भीड़भाड़ वाली जेलें और विचाराधीन कैदी:** वर्तमान व्यवस्था के कारण जेलें अत्यधिक भीड़भाड़ वाली हो गई हैं और बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
  - o NCRB द्वारा जारी 2019 के जेल आंकड़ों पर एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत की विभिन्न जेलों में 4,78,600 कैदी बंद थे,** जबकि उनकी क्षमता **4,03,700 कैदियों** की थी।
- नए तरह के अपराधों का विकास: प्रस्तावित विधेयक नए अपराधों को शामिल करके महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं जो IPC में अनुपस्थित थे,जैसे- **संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य, संगठित अपराध, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और धोखेबाज साधनों या शादी के झूठे वादों पर आधारित यौन शोषण** जैसी समस्याएं। .

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023: प्रस्तावित परिवर्तनों और संकलनों की मुख्य विशेषताएं

- **धारा 124ए के रूप में राजद्रोह को निरस्त करना:** नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है जैसा कि IPC की धारा 124ए में उल्लिखित था।
  - o **शामिल किया गया नवीन प्रावधान- धारा 150:** जबकि "देशद्रोह" शब्द हटा दिया गया है, अपराध को **भारतीय न्याय संहिता विधेयक** के **भाग VII** में एक नए नाम के तहत पेश किया गया है, जिसका शीर्षक **'राज्य के विरुद्ध अपराध'** है।
  - o यह धारा, जिसे धारा 150 के रूप में दर्शाया गया है, स्पष्ट रूप से **"भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों"** को अपराध मानती है।
  - o **विस्तारित परिभाषा और इसमें शामिल तत्व:** इनमें जानबूझकर **अलगाव को भड़काना या उकसाने का प्रयास करना, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ,** या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - o **सजा में बदलाव: IPC की धारा 124ए** के तहत प्रावधानित **3 साल की कैद** की तुलना में धारा-150 में अधिकतम सजा को बढ़ाकर **7 साल की कैद** कर दी गई है।
- सामूहिक बलात्कार और नाबालिगों से बलात्कार के लिए सज़ा: विधेयक में प्रस्ताव है कि सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए **20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा** होगी।
  - o इसके अतिरिक्त, **नाबालिग से बलात्कार** के लिए **मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है,** जो नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़े रुख का संकेत देता है।
- **मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड:** पहली बार, मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए दंड के रूप में मृत्युदंड की शुरुआत की गई है।
  - o **अपराध (धारा 101)** को जाति, संप्रदाय, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, या किसी अन्य आधार जैसे कारकों के आधार पर **पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा** की गई हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। .
- **झूठे बहाने बनाकर यौन संबंध बनाने का अपराधीकरण:** विधेयक कपटपूर्ण तरीकों, शादी के झूठे वादे करके या पहचान छुपाकर बनाए गए यौन संबंध को अपराध मानता है।
  - o इस अपराध के लिए अधिकतम सजा **10 वर्ष का कारावास** प्रस्तावित है।
  - o **कपटपूर्ण तरीके:** इसमें रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर किसी से शादी करना शामिल है।
- **व्यभिचार के अपराध को हटाना: सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले (जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ) के अनुरूप**, व्यभिचार को अपराध मानने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है, जिसमें **IPC की धारा 497** को असंवैधानिक माना गया था।

- **अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए दंड का बहिष्कार: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में** सुप्रीम कोर्ट द्वारा IPC की **धारा 377** की कठोरता को कम करने के फैसले के अनुसार, विधेयक में 'पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों' के लिए कोई सजा का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।
- **वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखना**: वैवाहिक रिश्ते के भीतर गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों के लिए अपवाद की अनुमति देने वाले प्रावधान को बरकरार रखा गया है, भले ही यह चल रहे कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है।
  - **IPC की धारा 375:** यह बलात्कार को परिभाषित करती है और सहमति की सात अवधारणाओं को सूचीबद्ध करती है, जो अगर विकृत होती हैं, तो **किसी पुरुष द्वारा बलात्कार का अपराध माना जाएगा।**
- **अनुपस्थिति में सुनवाई:** अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह तब भी सुनवाई की अनुमति देता है जब आरोपी देश में मौजूद न हो।
  - उदाहरण के लिए, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर अदालत द्वारा अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा।
- **सजा छूट पर प्रतिबंध:** सजा माफी के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए, नया कानून **मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने** को सीमित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, **आजीवन कारावास को सजा** को **सात साल** के भीतर ही माफ किया जा सकता है।
  - वहीं **सात साल की सजा** को केवल **तीन साल तक ही माफ** किया जा सकता है.
- **आतंकवाद की परिभाषा:** विधेयक आतंकवाद की एक कानूनी परिभाषा पेश करता है, जिसमें इसे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने और जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से किए गए कृत्यों के रूप में वर्णित किया गया है।
  - इस कानून में आतंकवादियों की संपत्ति की कुर्की के प्रावधान भी शामिल हैं।
- **सामुदायिक सेवा और एकान्त कारावास**: सामुदायिक सेवा और एकान्त कारावास जैसे सज़ा के नए रूपों को शामिल किया गया है।
  - इसमें अपराध की श्रेणी में **छोटी-मोटी चोरी, मानहानि और आत्महत्या का प्रयास** को भी शामिल किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023:

- **इलेक्ट्रॉनिक्स संचार द्वारा FIR:** यह "इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा" पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की अनुमति देता है।
  - हालाँकि, इसमें शिकायतकर्ता को इसे दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
- **FIR तक पहुंच:** यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रतियां आरोपी और पीड़ित को आरोपी की पेशी या उपस्थिति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।
- **जीरो FIR:** बिल देश के किसी भी हिस्से से जीरो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है। यह एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने और फिर उसे संबंधित स्टेशन में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।
- **प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग:** परीक्षण, अपील, बयान और आरोपी के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित किए जा सकते हैं।
  - **समन, वारंट, दस्तावेज़ और साक्ष्य विवरण** इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं।
  - **तलाशी, जब्ती और अपराध स्थल** के दौरे की **ऑडियो-वीडियोग्राफी** की जाएगी।
  - **गिरफ्तार अभियुक्तों** का विवरण पुलिस स्टेशनों में **डिजिटल रूप से प्रदर्शित** और प्रदर्शित किया जाएगा।
- **संचार उपकरण और सम्मन:** उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार, सम्मन प्रावधान में जोड़ा गया।
  - व्यक्तियों को अदालत या पुलिस के निर्देशानुसार डिजिटल साक्ष्य युक्त दस्तावेज़ या उपकरण प्रस्तुत करने होंगे।
- **गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय: 3 वर्ष से कम दंडनीय अपराध या 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए डिप्टी एसपी** की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं।
  - **3-7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए 14 दिनों** के भीतर प्रारंभिक जांच की आवश्यकता।
- **दया याचिकाएँ:** मृत्युदंड के मामलों में दया याचिकाएँ दायर करने की रूपरेखा।
  - **राज्यपाल को** दया याचिका **30 दिन के भीतर**; खारिज होने पर **60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को** याचिका भेजना।
- **गिरफ्तारी के बिना नमूने:** मजिस्ट्रेट बिना गिरफ्तारी के जांच के लिए हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज या उंगलियों के निशान के नमूने का आदेश दे सकता है।

भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023:

- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** बिल तकनीकी प्रगति को मान्यता देते हुए साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता की अनुमति देता है।

- **द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार:** द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को विभिन्न रूपों में शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जैसे कि यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां, दस्तावेजों के समकक्ष, और इसे देखने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ सामग्री के मौखिक विवरण।

विधेयक को लेकर चिंता:

- **लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान:**
  - भीड़भाड़ वाली जेलें और विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या एक संकट बनी हुई है।
  - जमानत निर्णय में सुधार अपर्याप्त है, डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में जमानत को प्राथमिकता देने में विफल रहा है।
- **संप्रभुता प्रावधान:** अस्पष्ट "संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कार्य" प्रावधान मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और नागरिक स्वतंत्रता पर संभावित उल्लंघन पर चिंता पैदा करता है।
- **फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य:** उनके उपयोग पर जोर देने के बावजूद, विधेयकों में फोरेंसिक साक्ष्य को संभालने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता पर संदेह पैदा होता है।

निष्कर्ष:

- विधेयक में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उससे आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का असली सार शायद पूरी तरह से साकार नहीं हो पाएगा। स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए न केवल विधायी संशोधन की आवश्यकता है, बल्कि अधिक न्यायसंगत और प्रभावी प्रणाली के लक्ष्य के साथ संस्थागत संस्कृतियों और प्रथाओं का व्यापक पुनर्मूल्यांकन भी आवश्यक है।

3. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

3.1 नेबरहुड फर्स्ट नीति

संदर्भ:

विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति के बारे में:

- भारत साझा करता है:
  - o **भूमि सीमाएँ:** अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार।
  - o **समुद्री सीमाएँ:** पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश
- अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत, भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और सहक्रियात्मक संबंध बनाने का प्रयास** करता है।
  - o भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को **वसुधैव कुटुंबकम (दुनिया को एक परिवार मानना)** की अवधारणा की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति की मुख्य विशेषताएं:

- **पड़ोसियों को प्राथमिकता देना:** नीति भारत के निकटतम पड़ोसियों पर विशेष ध्यान देती है। यह उनके रणनीतिक महत्व और साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को महत्व देती है।
- **सक्रिय कूटनीति:** 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने और उनकी चिंताओं एवं प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए सक्रिय और सतत कूटनीतिक प्रयासों पर केंद्रित है।
- **संघर्ष समाधान:** यह नीति संघर्ष समाधान में सहायता करने और पड़ोसी देशों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने, **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- **मानवीय और विकास सहायता:** भारत संकट या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने पड़ोसियों का समर्थन करने के लिए मानवीय और विकास सहायता प्रदान करता है।
  - o **उदाहरण के लिए:** भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी में अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं सहायता की आपूर्ति की घोषणा की।
- **रक्षा सहयोग:** भारत **सूर्य किरण (नेपाल)** और **संप्रीति (बांग्लादेश)** जैसे अभ्यासों के साथ सैन्य सहयोग के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा को गहरा कर रहा है।
- **बहुआयामी दृष्टिकोण:** इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना और एक सुरक्षित एवं स्थिर पड़ोस का निर्माण करना है।

अपने पड़ोसियों के संबंध में भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- **क्षेत्रीय विवाद:** भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। उदाहरण के लिए:
  - o **चीन के साथ सीमा विवाद:** भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर मुद्दे अनसुलझे हैं।
  - o **नेपाल के साथ सीमा विवाद:** भारत और नेपाल के बीच अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर विवाद है, मुख्य रूप से कालापानी क्षेत्र को लेकर।
- **सीमा पार आतंकवाद:** भारत ने पाकिस्तान से सृजित आतंकवादी हमले सहन किए हैं, जिनमें **2008 का मुंबई हमला, 2016 उरी हमला और 2019 पुलवामा** हमला शामिल हैं।

- **अफगानिस्तान में तालिबान शासन:** अफगानिस्तान में तालिबान का पुनरुत्थान भारत के लिए **व्यापक और संभावित रूप से गंभीर सुरक्षा चुनौतियाँ** पैदा करता है।
- **चीन का कारक:** चीन अपनी **बेल्ट एंड रोड पहल** के माध्यम से भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती पेश कर रहा है।
  - उदाहरण के लिए: भारत ने **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)** का लगातार विरोध किया है क्योंकि **यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर** गुजरता है।
- **भारत विरोधी घरेलू राजनीति:** मालदीव, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भारत विरोधी घरेलू राजनीति संभावित रूप से द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती है और भारत के लिए अपने **राजनयिक और क्षेत्रीय हितों के प्रबंधन में चुनौतियां** पैदा कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिए:** मालदीव में **'इंडिया आउट कैंपेन'।**
- **असंगत दृष्टिकोण:** नेबरहुड फर्स्ट नीति में असंगतता भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के संदर्भ में प्रतिकूल रही है।
  - उदाहरण के लिए, 2014 में वर्तमान शासन के दौरान, **भारत ने एक शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोस के सभी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया था**, लेकिन इसमें सार्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

नेबरहुड फर्स्ट नीति की भावना के तहत भारत की पहल:

- **वैक्सीन डिप्लोमेसी:** मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में वैक्सीन की खेप पहुंचानी शुरू हो गई है। वैक्सीन खेप के लिए म्यांमार और सेशेल्स कतार में हैं।
- **ऑपरेशन गंगा:** इसके तहत भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से बांग्लादेश, पाकिस्तान से नागरिकों को निकालता है।

भारत नेबरहुड फ़र्स्ट नीति को क्यों बढ़ावा दे रहा है?

- सबसे पहले, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से भारत को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को विकसित होने में मदद मिलेगी।
- दूसरा, आवश्यक सहायता प्रदान करके, भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और **चीन के मुकाबले आर्थिक और रणनीतिक दोनों गहराई** हासिल कर सकता है।
- तीसरा, भारत के पड़ोसी अपनी भौगोलिक निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, और उनके साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने से **भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा में वृद्धि** होती है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- **वित्तीय सहायता उधार देना:** भारत को अफगानिस्तान में लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए और श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

- **आतंक से निपटना:** सरकार को आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय निकायों को संवेदनशील बनाना चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत आतंक का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है।
- **मानवीय सहायता:** भारत ने "राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव" के बावजूद अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है और सिफारिश की है कि इस सहायता को जारी रखा जाना चाहिए।
- **व्यापार समझौतों पर ध्यान:** सरकार को श्रीलंका के साथ प्रस्तावित **आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) के शीघ्र समापन** के लिए बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए।
- **पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार:** समिति के सदस्यों का मानना है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है।

आगे की राह:

- **राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करना:** उच्च स्तरीय यात्राओं, संवादों और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से विश्वास निर्माण, आपसी चिंताओं को दूर करने और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।
- **सीमा विवादों को संबोधित करना:** क्षेत्र में स्थिरता और सद्भावना को बढ़ावा देने, लंबित सीमा विवादों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
- **मानवीय और विकास सहायता:** संकट के समय में मानवीय सहायता और विकास सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जो अपने पड़ोसियों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
  - o **उदाहरण के लिए:** भारत ने $4 बिलियन की वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान की है, जिससे यह IMF प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वित्तपोषण आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है।
- **क्षेत्रीय मंच और तंत्र:** क्षेत्रीय मुद्दों और चुनौतियों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ) और बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) जैसे क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रूप से शामिल हों।

Q. भारत 'नेबरहुड फ़र्स्ट नीति' को क्यों बढ़ावा दे रहा है? अपने पड़ोसियों से संबंध के सन्दर्भ में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

3.2 भारत-चीन संबंध

संदर्भ:

भारत और चीन हाल ही में **दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक** में शामिल हुए।

बैठक की मुख्य बातें:

चर्चा के विषय	विवरण
चीन संबंधी प्रतिबद्धता	• **स्थिरीकरण:** चीनी विदेश मंत्रालय ने बैठक के दौरान यह बताया कि भारत और चीन नवंबर 2022 में बाली में G-20 बैठक के दौरान भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने पर एक महत्वपूर्ण "आम सहमति" पर पहुंचे थे। • **बहुपक्षीय सहयोग:** चीन ने बहुपक्षवाद का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक बनाने के साथ-साथ भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सहित अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। • **चीन की चिंता:** भारत सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे चीन के प्रति उसके रुख में स्पष्ट विरोधाभास पैदा हो गया है।
भारत द्वारा प्रकट की गई चिंताएं	• **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर चीन की आक्रामकता ने द्विपक्षीय संबंधों की नींव को कमजोर कर दिया है और सीमा पर शांति बहाल करने के महत्व पर जोर दिया है। o 18 दौर की बातचीत के बावजूद, LAC की स्थिति पर अभी भी सीमित स्पष्टता है, खासकर डेमचोक और देपसांग में, जहां चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। • चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान से संबंधित अन्य आतंकवादियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को बार-बार अवरुद्ध किया है।

	• **संघर्ष समाधान:** मुद्दे के समाधान की कुंजी भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर LAC के साथ स्थिति को हल करना और सीमा पर शांति बहाल करना है।
चर्चा के अन्य मुद्दे	• **आतंकवाद:** आतंकवाद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है। o **अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवादी संगठन** अभी भी दण्ड से मुक्ति और परिणामों का सामना किए बिना काम कर रहे हैं। • **गैर-पारंपरिक चुनौतियाँ:** भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा जैसी उभरती चुनौतियों ने तात्कालिकता बढ़ा दी है। • **उर्वरक की कमी:** उर्वरक की कमी संभावित रूप से भविष्य में खाद्य संकट का कारण बन सकती है। • **पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना:** पानी को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने के मामलों में साझा **सीमा पार जल संसाधनों** के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता और निर्बाध जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। • **महत्वपूर्ण खनिज:** स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की सुरक्षित और किफायती आपूर्ति तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि

- **संबंधों की अनुकूलता**
  - o **संबंधों में गर्मजोशी:** दोनों देशों ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की वकालत की है।
    - ✓ दोनों देशों ने "**होमटाउन डिप्लोमेसी**" की शुरुआत की है। इसके तहत क्रमशः **वुहान और चेन्नई में दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन** आयोजित किए हैं।
  - o **वैश्विक सुरक्षा:** दोनों आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार आदि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं।
  - o **जलवायु कार्रवाई:** दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग किया है और दोनों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - o **बहुपक्षीय मंच:** भारत और चीन दोनों ब्रिक्स, SCO, WTO आदि के सदस्य हैं, जो विकास के लिए साझे एजेंडे को दर्शाते हैं।
  - o **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का इतिहास रहा है। **चीन में योग कॉलेज जैसे संस्थान स्थापित** किए गए हैं।
  - o **अर्थव्यवस्थाएं**: द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2022 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, साथ ही भारत चीन से परियोजना निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार बन जाएगा।

संबंधों से जुड़ी चिंताएं:

- o सीमा विवाद: दोनों देशों के बीच 3,500 किलोमीटर की सीमा है, साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी साझा है।
  - ✓ हालाँकि, पिछले **कुछ दशकों में संघर्ष और तनाव** के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें 1962 का भारत-चीन युद्ध और हाल ही में 2021 में सीमा पर हुई झड़पें शामिल हैं जो आज भी जारी हैं।
- o **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी:** दोनों देश अपने वैश्विक प्रभाव का दावा करने का प्रयास कर रहे हैं। एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर सहित कई क्षेत्रों में उनके प्रतिस्पर्धी हित हैं।
- o **जल विवाद:** ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा भारत और चीन के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
  - ✓ चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में कई बांध बना रहा है जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। हालाँकि, इस मामले को संबोधित करने के लिए कोई औपचारिक संधि स्थापित नहीं की गई है।
- o **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स:** यह चीनी सैन्य और व्यवसायिक इकाईयों का एक नेटवर्क है जो **चीनी मुख्य भूमि से हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में पोर्ट सूडान तक फैला** हुआ है। भारत का मानना है कि यह योजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है।
- o **क्वाड:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के संदर्भ में यह समूह, 'बाह्य संतुलन' का एक उत्पाद है, जिसे चीनी सरकार एक खतरे के रूप में देखती है।
- o **दक्षिण चीन सागर:** चीन दक्षिण चीन सागर में विभिन्न द्वीपों और चट्टानों के साथ-साथ संचार के समुद्री मार्गों पर संप्रभुता का दावा करता है और उन्हें अपने क्षेत्रीय जल का हिस्सा मानता है।
- o **व्यापार घाटा:** चीनी आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ है।

आगे की राह:

- **UNSC व्यवस्था के तहत आतंकवादियों पर प्रतिबंध:** इन आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे को संबोधित करने और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकवादियों और उनके प्रतिनिधियों को सूचीबद्ध किया जाए।
- **ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता:** डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान करने के लिए, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत राष्ट्रीय साइबर बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना:** आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का सुभेद्य लोगों की खाद्य सुरक्षा पर असंगत प्रभाव पड़ा है।
  - इस मुद्दे को तत्काल सुलझाने की आवश्यकता है जो एक साझा प्रतिबद्धता और सामान्य जिम्मेदारी है।
- **साइबर हमले:** साइबर हमलों की कोई सीमा नहीं होती और साइबर अपराधियों और आतंकवादियों के बीच संबंध एक उभरती हुई चिंता का विषय है।
  - सामान्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **पड़ोसियों की संप्रभुता का सम्मान करना:** चीन की बेल्ट और रोड पहल जैसी विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट्रों की संप्रभुता को कमजोर नहीं करना चाहिए।

3.3 भारत की सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति)

संदर्भ:

हाल ही में, विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन और सांस्कृतिक कूटनीति पर विदेश मंत्रालय (MEA) को कुछ सिफारशें प्रस्तुत की हैं।

सॉफ्ट पावर के बारे में

- यह बल, दबाव या धन के व्यापक उपयोग की बजाय सांस्कृतिक आकर्षण के माध्यम से विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की किसी देश की क्षमता को संदर्भित करती है।
- Nye के अनुसार, देश की सॉफ्ट पावर तीन संसाधनों पर आधारित होती है:
  1. **संस्कृति:** जहां संस्कृति दूसरों के लिए आकर्षण का आधार हो। उदाहरणार्थ: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आदि
  2. **राजनीतिक मूल्य:** जब ये देश और विदेश में इन मूल्यों पर खरे उतरते हैं। जैसे: डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट आदि
  3. **विदेशी नीतियां**: जब अन्य लोग उन्हें वैध और नैतिक प्राधिकार वाला मानते हैं। उदाहरण: नेबरहुड फर्स्ट नीति, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की पंचशील नीति।

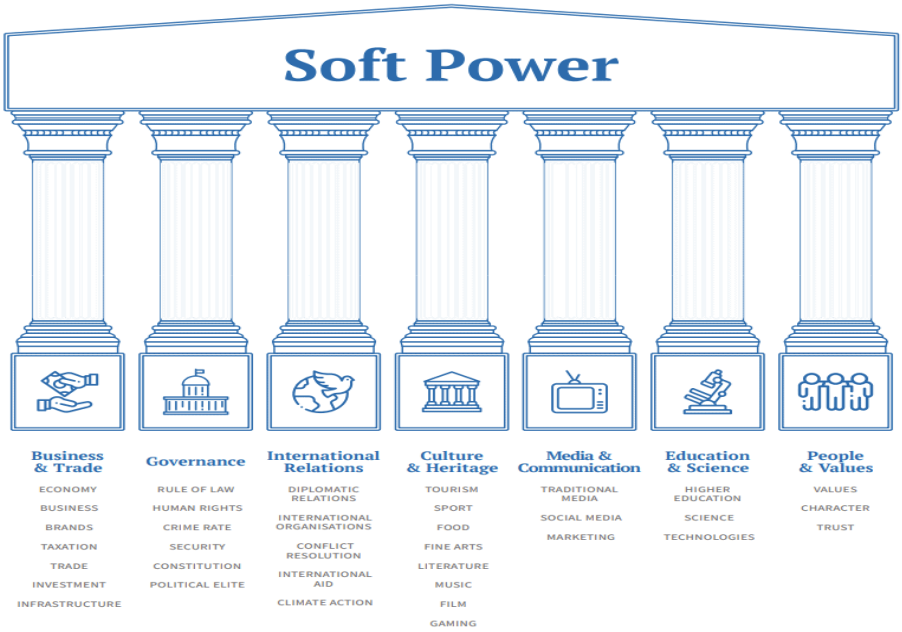

स्रोत: ब्रांड फाइनेंस

भारत और इसकी सॉफ्ट पावर

- भारत को विश्व स्तर पर एक गैर-आक्रामक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका दृष्टिकोण समावेशी है और विश्वदृष्टि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात "दुनिया एक परिवार है "के विचार पर आधारित है।
- 2019 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत इस प्रकार के कई सॉफ्ट पावर संसाधनों से संपन्न है:
  - **प्रवासी भारतीय**: 200 देशों में 31 मिलियन भारतीय लोग रहते हैं। वे भारत और अन्य देशों के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
  - **मीडिया:** दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भारत का है।
  - **व्यंजन:** दुनिया में सबसे लोकप्रिय नृजातीय भोजन का प्रचलन है।
  - **योग:** योग सबसे प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक निर्यातों में से एक बन गया है और दुनिया भर में व्यापक रूप से इसका अभ्यास किया जा रहा है।
    - ✓ संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया।

- **कला और साहित्य:** संगीत (शास्त्रीय, लोक, पॉप, रॉक), कला (पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला), दर्शन (वेदांत, योग सूत्र), रवींद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन (नोबेल पुरस्कार विजेता), विज्ञान (अंतरिक्ष कार्यक्रम, आईटी उद्योग)), खेल (क्रिकेट, हॉकी)।
- **लोकतंत्र:** विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रणाली भारत में प्रचलित है।
- **धर्म:** हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि।

भारत के लिए सॉफ्ट पावर का महत्व:

- **वैश्विक प्रभाव**: सॉफ्ट पावर भारत को दुनिया में, खासकर अपने पड़ोसियों और रणनीतिक साझेदारों के बीच अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद कर सकती है।
  - इससे भारत को दुनिया के कुछ हिस्सों में उसके बारे में मौजूद नकारात्मक धारणाओं और रूढ़िवादिता का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
- **विदेश नीति के लक्ष्यों और हितों को आगे बढ़ाना:** सॉफ्ट पावर क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने, आतंकवाद से लड़ने, व्यापार और निवेश का विस्तार करने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में मदद कर सकती है।
  - अपने सॉफ्ट पावर संसाधनों, जैसे कूटनीति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि का उपयोग करके, भारत अन्य देशों के साथ विश्वास और सद्भावना स्थापित कर सकता है और उन्हें अपनी शर्तों और पहलों का समर्थन करने के लिए राजी कर सकता है।
  - इससे भारत को अन्य देशों की कठोर शक्ति को संतुलित करने में भी मदद मिल सकती है जो उसकी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ या खतरा पैदा कर सकते हैं।
- सॉफ्ट पावर जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, लोकतंत्र, शांति और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा और मानदंडों को आकार देने में मदद कर सकती है।
  - सॉफ्ट पावर भारत को एक जिम्मेदार और रचनात्मक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने में मदद कर सकती है जो बहुलवाद, सहिष्णुता और सहयोग के मूल्यों को कायम रखता है।
- **आर्थिक अवसर**: एक मजबूत सॉफ्ट पावर विदेशी निवेश, पर्यटकों और व्यावसायिक सहयोग को आकर्षित कर सकती है।
  - भारत के सांस्कृतिक निर्यात, जैसे बॉलीवुड फिल्में, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प, राजस्व और रोजगार के अवसर पैदा करके इसके आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- **प्रवासी संबंधों को मजबूत करना:** भारत की सॉफ्ट पावर अपनी विशाल प्रवासी आबादी से जुड़ती है, जिससे उनकी मातृभूमि के प्रति गर्व और आत्मीयता की भावना पैदा होती है।
  - यह बंधन अक्सर उनके द्वारा अपनाए गए देशों में भारत के हितों के लिए सक्रिय समर्थन में तब्दील हो जाता है।
- **रणनीतिक साझेदारी का निर्माण**: सॉफ्ट पावर भारत को साझा मूल्यों और हितों के आधार पर अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने में मदद कर सकती है।
  - ये साझेदारियाँ शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित कर सकती हैं। उदाहरण: प्रशांत द्वीपीय देशों तक भारत की पहुंच, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी**: भारत सरकार अक्सर अपने पारंपरिक राजनयिक प्रयासों को पूरा करने के लिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करती है।
  - उदाहरण के लिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और विदेश मंत्रालय के सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम जैसी पहल विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देती हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)

- यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत करना है।

ICCR के उद्देश्य

- भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत करना।
- अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

भारत के सॉफ्ट पॉवर प्रोजेक्शन में बाधक सीमाएँ:

- **अपर्याप्त वित्तपोषण**: भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति पर चीन, फ्रांस और यूके जैसे अन्य देशों की तुलना में बहुत कम खर्च करता है।
  - ICCR के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त और अनियमित है, जो इसकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- **समन्वय की कमी**: भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति में शामिल विभिन्न संस्थानों, जैसे कि विदेश मंत्रालय, ICCR, विदेश में भारतीय मिशन और अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है।
  - इन संस्थानों के बीच तालमेल और संचार की कमी, जिसके कारण प्रयासों का दोहराव और संसाधनों की बर्बादी होती है।

- **कुशल कार्यबल की कमी**: भारत को योग्य और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ता है जो इसकी सॉफ्ट पावर पहलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कार्यान्वित कर सकते हैं।
- इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन और मान्यता की कमी है, जो उनकी प्रेरणा और प्रदर्शन को प्रभावित करती है।
- **ICCR के अधिदेश पर स्पष्टता का अभाव**: ICCR, जो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के लिए सर्वोच्च निकाय है, के पास कोई स्पष्ट दृष्टि और मिशन वक्तव्य नहीं है जो इसके उद्देश्यों और कार्यों को परिभाषित करता हो।
- **व्यापक सॉफ्ट पावर रणनीति का अभाव**: भारत के राजनयिक और सरकारी एजेंसियां भारत के सांस्कृतिक कूटनीति प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक मैट्रिक्स विकसित करने में सक्षम नहीं हैं।
  - ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अनुसार, समन्वय, संसाधनों और रणनीति की कमी के कारण भारत की सॉफ्ट पावर क्षमता का कम उपयोग किया गया है।

सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति पर स्थायी समिति की सिफारिश:

- **नीतिगत स्पष्टता:** विदेश मंत्रालय को भारत के सॉफ्ट पावर अनुमानों पर एक नीतिगत दस्तावेज़ बनाना चाहिए, जिसमें इसके उपकरणों की रूपरेखा और इसे विदेशों में कैसे पेश किया जाता है, साथ ही भविष्य के लिए एक विज़न स्टेटमेंट भी बनाना चाहिए।
- **ICCR का पुनर्गठन**: ICCR को अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और कुशल बनाने के लिए सुधार किया जाना चाहिए, जिसमें एक स्पष्ट अधिदेश और विजन स्टेटमेंट शामिल हो जो इसके लक्ष्यों और रणनीतियों को दर्शाता हो।
  - केंद्र सरकार को ICCR के बजटीय आवंटन में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत तरीके से संचालित कर सके।
- **समन्वय के लिए निकाय:** लेख इस बात का समर्थन करता है कि एक केंद्रीय निकाय होना चाहिए जो विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, जैसे पर्यटन, शिक्षा, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि की सॉफ्ट पावर पहलों का समन्वय और निगरानी कर सके।
  - इसमें विदेश मंत्रालय, ICCR, संस्कृति मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि होने चाहिए जो नीतियों और कार्यक्रमों के बीच तालमेल और संरेखण सुनिश्चित कर सकें।
- **योग प्रमाणन बोर्ड:** भारत को एक योग प्रमाणन बोर्ड स्थापित करना चाहिए जो दुनिया भर में योग शिक्षकों और संस्थानों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को मानकीकृत और विनियमित कर सके।
  - भारत को इस क्षेत्र में अपनी विविधता और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए अधिक योग महोत्सव और कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- **भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क:** भारत को प्रवासी भारतीयों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से जुड़ने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति, पुरस्कार आदि के माध्यम से।
  - उदाहरण: भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए 2003 से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) मनाया जाता है।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना**: भारत को अपने पर्यटन बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं को विकसित करने में अधिक निवेश करना चाहिए।
  - भारत को विभिन्न क्षेत्रों से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक अभियान और पहल शुरू करनी चाहिए।
- विदेश मंत्रालय को रणनीतिक और योजनाबद्ध तरीके से विदेशों में अधिक आयुष केंद्र खोलने चाहिए।

ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स

- भारत 2022 में 29वें स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर 2023 में 28वें स्थान पर पहुंच गया है।
- सूचकांक दुनिया की शीर्ष स्वतंत्र ब्रांड मूल्यांकन और रणनीति परामर्श कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है।
- यह राष्ट्र ब्रांडों के प्रभाव पर दुनिया का सबसे व्यापक शोध अध्ययन है, जिसमें 121 देशों के 100,000 से अधिक उत्तरदाताओं से मतदान किया गया है।

निष्कर्ष

- भारत की सॉफ्ट पावर न केवल इसकी सांस्कृतिक विरासत (संगीत, नृत्य, कला, आदि) और आर्थिक क्षमता पर आधारित है, बल्कि इसकी दार्शनिक और ज्ञान परंपराओं के समृद्ध इतिहास पर भी आधारित है। इस सॉफ्ट पावर ने परेशानियों से उबरने, आश्वासन और परिवर्तन के लिए तथा शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना सीखने के लिए सदियों से विश्व स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है।

3.4 ब्रिक्स का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने समूह का विस्तार करने और छह नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया।

Global GDP Share	1992	2002	2012	2022
BRICS	16.45%	19.34%	28.28%	31.67%
G7	45.80%	42.34%	32.82%	30.31%

अन्य जानकारी

- **थीम:** "ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी"।
- **जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र-II:** यह वैश्विक संघर्षों को संबोधित करते हुए और विकास के लिए रचनात्मक चर्चा और साझेदारी को बढ़ावा देते हुए समावेशी बहुपक्षवाद, शांतिपूर्ण विकास, सतत विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बल देता है।
- **ब्रिक्स विस्तार:** ब्रिक्स समूह में नए सदस्य के रूप में **अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात** शामिल होंगे।
  - 1 जनवरी, 2024 को छह नए उम्मीदवार औपचारिक रूप से सदस्य बन जाएंगे।
- **उद्देश्य: "ग्लोबल साउथ"** के हितों के समर्थन में ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ाना।

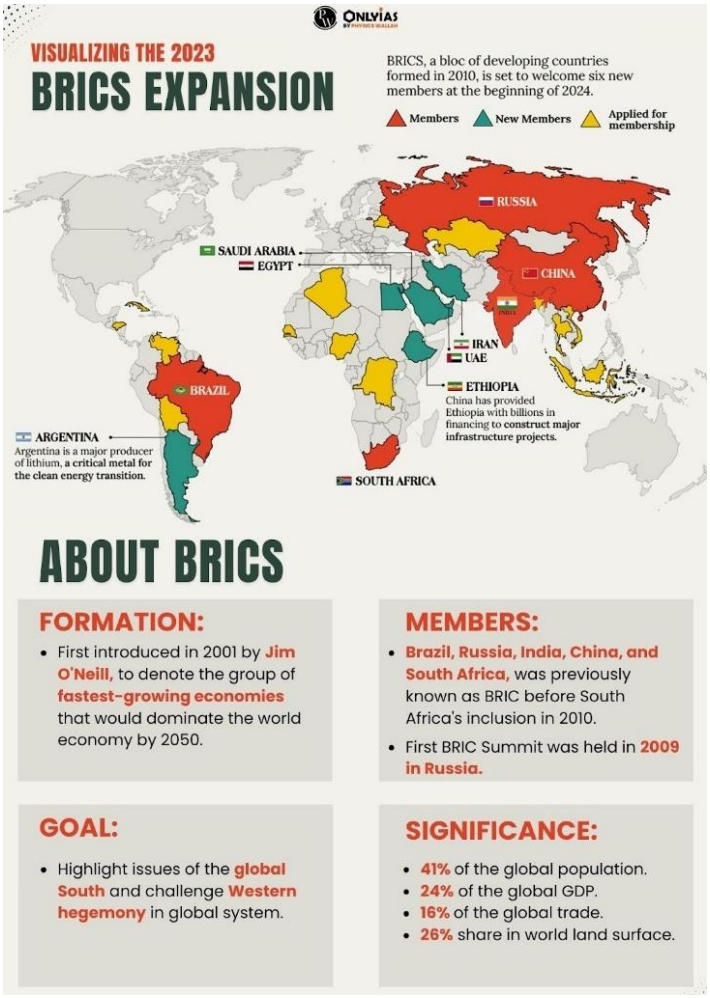

विस्तार की आवश्यकता:

- **बदलती वास्तविकताएँ:** वैश्विक संस्थाएँ अपने सृजन से अपनी क्षमतागत वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं, और जैसे-जैसे क्षमतागत वास्तविकताएँ बदलती हैं, उनकी प्रभावकारिता विवादित हो जाती है।
  - **उदाहरण:** वैश्विक व्यवस्था में वर्तमान घटनाक्रमों ने संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक आदि के आधिपत्य को चुनौती दी है।
- **बहुध्रुवीय विश्व का उदय:** ब्रिक्स ने खुद को पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों से अलग वैश्विक व्यवस्था के "पुनर्संतुलन" के लिए एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है।
- सदस्य देश और विभिन्न बहुपक्षीय समूह, वैश्विक व्यवस्था को एक बहुध्रुवीय विश्व में नया आकार देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ का मत अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में हैं।
  - पश्चिमी शक्तियों ने विकासशील देशों में पारंपरिक मूल्यों और एक बहु-ध्रुवीय विश्व के उद्भव के लिए खतरा पैदा किया है, जहां किसी एक देश या गुट का वर्चस्व नहीं था।
- पश्चिमी आधिपत्य: वर्तमान में, **पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर हावी** हैं।
  - **उदासीनता:** पांच ब्रिक्स राष्ट्र, जिनकी संयुक्त GDP, **G-7 (क्रय शक्ति समता के आधार पर) से अधिक है, के पास वर्तमान में IMF में केवल 15% मतदान शक्ति** है।

विस्तार में भारत की रुचि अर्जेंटीना : अर्जेंटीना के साथ 2019 से भारत की रणनीतिक साझेदारी है।

- **मिस्र:** 1955 में **दोनों देशों ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर** किए। 1956 में स्वेज नहर संकट के दौरान भारत ने मिस्र का समर्थन किया। अंततः 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया, जिसमें दोनों देश संस्थापक सदस्य थे।
  - वे **G-77 समूह** और **"दक्षिण-दक्षिण सहयोग"** पहल में भी सहायक थे।
  - इससे पहले 2023 में भारत और मिस्र ने एक रणनीतिक साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए थे।
- **इथियोपिया:** भारत इथियोपिया को प्रमुख अफ्रीकी देशों में से एक के रूप में देखता है, खासकर अफ्रीकी संघ (AU) के एक सदस्य के रूप में।
  - भारत ने टिग्रे संकट से लेकर **ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेन्स डैम विवाद तक के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में इथियोपिया की स्थिति का भी समर्थन** किया है।
  - भारत G-20 और संयुक्त राष्ट्र में AU के अधिक प्रतिनिधित्व का भी समर्थन कर रहा है।
- **ईरान:** भारत और ईरान के बीच 2003 से रणनीतिक साझेदारी है।

- मध्य एशिया से निकटता और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से लगी सीमाओं के कारण ईरान एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है।
- **सऊदी अरब:** भारत ने 2010 में सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए और 2019 में एक रणनीतिक साझेदारी परिषद बनाई।
- **यूएई:** 2017 में, भारत और यूएई ने अपने संबंधों को **"व्यापक रणनीतिक साझेदारी"** में उन्नत किया।
  - 2021 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक क्वाड बैठक में भाग लिया, जो तब से **'i2u2' समूह के रूप में विकसित** हो गया है।

ब्रिक्स में संभावित चिंताएँ:

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की प्रभावशीलता:** यह ऋण देने में सुस्त रहा है, खासकर संस्थापक सदस्य रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के बाद।
  - NDB ने डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति सदस्यों की संवेदनशीलता को कम करने के साधन के रूप में स्थानीय मुद्राओं में ऋण वितरण करने की बात कही है। लेकिन NDB द्वारा स्वीकृत लगभग 33 बिलियन डॉलर के ऋण में से दो-तिहाई ऋण डॉलर मूल्यवर्ग में थे।
- **भू-राजनीतिक टकराव:**
- **भारत बनाम चीन:** नई दिल्ली पश्चिम के प्रति अधिक मित्रवत है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके सैन्य समझौते हैं, जबकि अपनी हिमालयी सीमा को लेकर बीजिंग के साथ उसका कभी-कभी हिंसक संघर्ष होता है।
  - **सऊदी बनाम ईरान:** सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि अरब जगत के मामलों में ईरान कोई भूमिका निभाए।
  - **ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध** ईरान में विकास परियोजनाओं के लिए NDB से धन प्राप्त करने में एक गंभीर बाधा होंगे।
  - **दक्षिण अफ्रीका** को डर है कि **ब्रिक्स सदस्यता विस्तार से उसका प्रभाव कम हो सकता है,** क्योंकि उसकी **रुकी हुई आर्थिक और सामाजिक प्रगति** के कारण अन्य ब्रिक्स देश अधिक प्रभाव रखते हैं।
- **प्रतिबंध का डर:** ग्लोबल साउथ में यह चिंता बढ़ रही है कि अमेरिका प्रतिबंधों का इस्तेमाल उसी तरह कर सकता है जैसे उसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया है।
- **पश्चिमी विरोधी गुट:** ब्रिक्स का प्रक्षेप पथ इसमें शामिल होने वाले देशों से प्रभावित हो सकता है, ईरान संभावित रूप से चीन और रूस के नेतृत्व का अनुसरण कर सकता है, जबकि सऊदी अरब, अपने संबंधों के मुद्दों के बावजूद, पश्चिम-विरोधी गुट के प्रति कम झुका रख सकता है।
  - **शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य भारत, ब्रिक्स समूह के पश्चिम विरोधी बनने को लेकर सतर्क है।**
- **निर्णय लेने की कमी:** ब्रिक्स सर्वसम्मति से संचालित होता है, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने से प्रत्येक देश के **विशिष्ट हितों, प्राथमिकताओं और संबंधों के कारण इस तक पहुंचना अधिक चुनौतीपूर्ण** हो सकता है।

आगे की राह

- अधिक हितधारकों को शामिल करके और ब्रिक्स मुद्रा के विचार की खोज करके **न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करना**।

विस्तार में सदस्य राष्ट्रों की रुचि:

- **रूस:** पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाशिये पर जा रहा है। विस्तार इसे **अधिक समर्थन और अवसर प्रदान** करेगा।
- **चीन:** यह **एक कठिन आर्थिक माहौल का सामना कर रहा** है क्योंकि पश्चिम इसके खिलाफ हो गया है।
- समूह में प्रमुख ऊर्जा दिग्गजों को शामिल करने से **तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और उससे संबंधित अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने में मदद** मिलेगी।

ब्रिक्स में शामिल होने में नए सदस्यों की रुचि:

- **सऊदी अरब और UAE** ब्रिक्स को वैश्विक व्यवस्था में अधिक प्रमुख भूमिका के लिए एक माध्यम के रूप में देखते हैं।
- **अर्जेंटीना** ब्रिक्स की सदस्यता से अपनी आर्थिक संवृद्धि की अपेक्षा कर रहा है।
- **ईरान प्रतिबंधों से बहिष्कृत अपने अलगाव को कम** करने की कोशिश कर रहा है, और उम्मीद कर रहा है कि यह गुट उनकी अक्षम अर्थव्यवस्थाओं को राहत दे सकता है।
- **मिस्र और इथियोपिया** संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के प्रति इस गुट की प्रतिबद्धता से आकर्षित हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप को और अधिक शक्तिशाली आवाज प्रदान करेगा।
- अन्य देश **विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक** में बदलाव चाहते हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

- यह 15 जुलाई, 2014 को **फोर्टालेज़ा में आयोजित शिखर सम्मेलन** के दौरान **ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक** है। इस बैंक ने 21 जुलाई, 2015 को परिचालन शुरू किया।
- **उद्देश्य:** ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।
  - वैश्विक संवृद्धि और विकास के लिए **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों का पूरक बनाना।**

सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- ब्रिक्स को न केवल **महामारी के बाद सामाजिक आर्थिक सुधार का प्रयास करना** चाहिए बल्कि **लचीली और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला** भी बनानी चाहिए।
- ब्रिक्स को **संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना** चाहिए।
- ब्रिक्स को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार का सर्वसम्मति से समर्थन** करना चाहिए।
- ब्रिक्स को जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए सामूहिक रूप से वकालत करने के लिए एक विश्वसनीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए।
- ब्रिक्स को **सीमा पार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस प्रदर्शित** करना चाहिए।
- **ब्रिक्स को वैश्वीकृत और डिजिटल दुनिया की दिशा में प्रयास करना चाहिए** क्योंकि यह विश्वास और पारदर्शिता को महत्व देगा।
- **सतत विकास लक्ष्यों को समग्र तरीके से पूरा किया जाना** चाहिए।

- यह **डॉलर के प्रभुत्व को कम** कर सकता है, और कई **ब्रिक्स देशों ने पहले ही स्थानीय मुद्राओं में अपना व्यापार शुरू** कर दिया है।
- **सामंजस्य और समन्वय को मजबूत करना:** ब्रिक्स देशों की **राजनीतिक प्रणालियाँ, आर्थिक मॉडल और क्षेत्रीय हित अलग-अलग** हैं।
  - ब्रिक्स देशों को **अपने मतभेदों को दूर करने और प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति तलाशने की जरूरत** है।
  - समूह के भीतर और **अन्य हितधारकों के साथ उनके संचार और परामर्श तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता** है।
- सहयोग के दायरे का विस्तार करना: ब्रिक्स देशों को NDB, **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA)** आदि जैसे प्लेटफार्मों के लिए **अपने निवेश और प्रतिबद्धता को बढ़ाने और व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने** की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- ब्रिक्स का विस्तार **संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक दक्षिण का अधिक प्रतिनिधित्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए भारत के प्रयास को बढ़ावा** देगा।
- ब्रिक्स का **विस्तार बीसवीं सदी में स्थापित अन्य वैश्विक संस्थानों के सुधार के लिए एक उदाहरण** स्थापित कर सकता है।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

3.5 पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)

संदर्भ:

विद्रोही समूह द्वारा समय सीमा का उल्लंघन करने के बाद पश्चिम अफ्रीकी ब्लॉक (ECOWAS) नाइजर के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है।

ECOWAS (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) के बारे में:

- पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय पश्चिम अफ्रीका में स्थित पंद्रह देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- **लक्ष्य:** एक पूर्ण आर्थिक और व्यापारिक संघ का निर्माण करके एक बड़ा व्यापार ब्लॉक बनाकर अपने सदस्य राज्यों के लिए "सामूहिक आत्मनिर्भरता" प्राप्त करना।

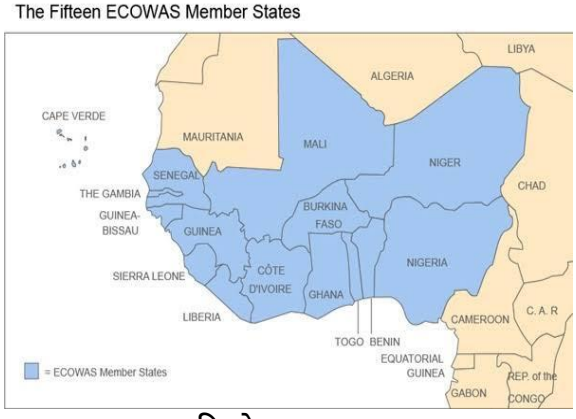

छवि स्रोत: Geography

- **उत्पत्ति**: संघ की स्थापना 28 मई 1975 को, लागोस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ, पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के अपने घोषित मिशन के साथ की गई थी।
- सदस्य: ECOWAS के 15 सदस्य बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो हैं।

3.6 भारत-ग्रीस संबंध

संदर्भ:

- 40 वर्षों के बाद ग्रीस की पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा में, भारत और ग्रीस ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख निर्णय:

- **द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना:**
  - रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, नई और उभरती प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाएगा।
  - दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लक्ष्य और समुद्री कानून पर कन्वेंशन के पालन के लिए एकजुट हैं।
- **2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता:**

- दोनों ने बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया।
- चर्चा में डिजिटल भुगतान, शिपिंग, फार्मा, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के आपसी संबंध शामिल थे।
- दोनों पक्ष जल्द ही एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मजबूत करने पर सहमत हुए।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ:**अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के दौर में दोनों पक्ष विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।
  - **यूक्रेन पर रुख:** दोनों यूक्रेन संकट को हल करने के लिए कूटनीति और बातचीत का समर्थन करते हैं।
  - उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया है और अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का आह्वान किया।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद से मुकाबले और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की।
- वार्ता के बाद कृषि सहयोग पर एक समझौता भी किया गया।

3.7 आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता

संदर्भ

- हाल ही में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) ने दोनों के बीच लागू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की समीक्षा का काम वर्ष 2025 तक पूरा करने के लिए दोनों पक्षों ने प्रयास तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। इसे आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) के रूप में जाना जाता है।
  - मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच उनके बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) के बारे में:

- AITIGA आसियान के दस सदस्य देशों और भारत के बीच एक व्यापार समझौता है।
- आसियान और भारत ने 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 7वें आसियान आर्थिक मंत्री-भारत परामर्श में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता, जो 2010 में लागू हुआ, जिसे कभी-कभी आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है।
- इस रूपरेखा समझौते ने भारत और आसियान के लिए भविष्य के व्यापार समझौतों पर बातचीत का आधार तैयार किया। यह समझौता भौतिक वस्तुओं और उत्पादों के व्यापार को शामिल करता है और सेवाओं के व्यापार पर लागू नहीं होता है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बारे में:

- इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय" है।

3.8 भारत और उत्तरी समुद्री मार्ग

संदर्भ:

मरमंस्क, जिसे अक्सर आर्कटिक क्षेत्र की राजधानी और उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) का शुरुआती बिंदु कहा जाता है, वर्तमान में कार्गो परिवहन में भारतीय भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है।

- 2023 के शुरुआती सात महीनों के दौरान, भारत ने मरमंस्क बंदरगाह से गुजरने वाले आठ मिलियन टन कार्गो में से 35% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित कर लिया।

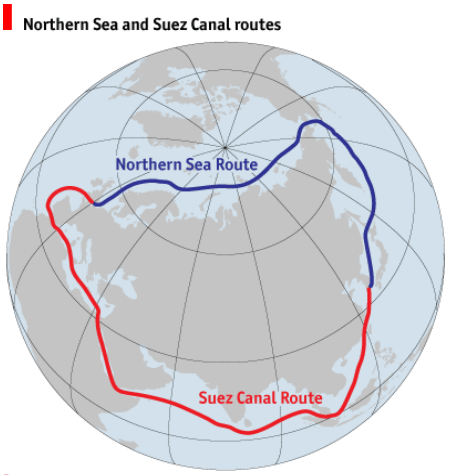

NSR क्या है?

- यह यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच माल परिवहन के लिए सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है, जो आर्कटिक महासागर के चार समुद्रों तक फैला हुआ है।
- 5,600 किमी तक विस्तारित यह मार्ग बैरेंट्स और कारा सागर (कारा जलडमरूमध्य) के बीच की सीमा से शुरू होता है और बेरिंग जलडमरूमध्य (प्रोविडेनिया खाड़ी) में समाप्त होता है।

संक्षिप्त समाचार

अफ्रीकी संघ	• अफ्रीकी संघ ने तख्तापलट के बाद नाइजर को निलंबित कर दिया। • अफ़्रीकी संघ (AU): o AU एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देश (नाइजर सहित) शामिल हैं। o इसे अफ़्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में 2002 में लॉन्च किया गया। o इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। • अफ़्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद (PSC) o संघर्ष की रोकथाम, प्रबंधन और समाधान के लिए AU स्थायी निर्णय लेने वाली संस्था है। o यह एक सामूहिक सुरक्षा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, जिसे अफ्रीकी देशों को संघर्ष और आपदा परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA): भारत और ऑस्ट्रेलिया	• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के राजस्व विभाग और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के गृह विभाग के बीच MRA पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। • **उद्देश्य:** आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की निकासी में निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना। • अधिकृत इकनॉमिक ऑपरेटर्स की पारस्परिक मान्यता विश्व सीमा शुल्क संगठन के सेफ फ्रेमवर्क का एक प्रमुख तत्व है। • अधिकृत इकनॉमिक ऑपरेटर्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई विश्वसनीय व्यापारी कार्यक्रम और भारत में अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम हैं।
आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष (AISTDF)	• आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष (AISTDF) की गवर्निंग काउंसिल की हालिया बैठक में वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों की समृद्धि के लिए भारत की आसियान प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। **आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष (AISTDF) के बारे में:** • इसकी स्थापना 2008 में विदेश मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। • **उद्देश्य**: अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और संबंधित परियोजना विकास गतिविधियों का समर्थन करना। • AISTDF के उद्देश्य o स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा, जैव विविधता, खाद्य प्रसंस्करण, सामग्री विकास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर संयुक्त अनुसंधान सहित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को प्रोत्साहित करना। o क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। o आसियान MS और भारत के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और सुविधाओं को साझा करने का समर्थन करने के लिए "आसियान-भारत सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम" स्थापित करना। • **भारत में पात्र संस्थान:** विश्वविद्यालय, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशालाएं और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान। • **आसियान में पात्र संस्थान:** सभी अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, अन्य अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान जो आसियान के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त करने के पात्र हैं, वे AISTDF के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
डेसी (DESI) पहल	• फिनलैंड अपनी DESI पहल के तहत भारत को क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने और बनाने में मदद करेगा। • DESI का अर्थ है 'डिजिटलीकरण, शिक्षा, स्थिरता और नवाचार' (Digitalisation, Education, Sustainability and Innovation')।
अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन	**संदर्भ:** • हाल ही में अमेज़न सहयोग संधि संगठन (ACTO) की दो दिवसीय बैठक ब्राज़ील के बेलेम में शुरू हुई। **अन्य जानकारी:** • अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन (ACTO) के सदस्य देश अमेज़ॅन वर्षावन की रक्षा के लक्ष्य पर सहमत होने में विफल रहे।

	• कोलंबिया ने प्रस्ताव दिया था कि 2025 तक अमेज़न के 80 प्रतिशत हिस्से को वनों की कटाई और क्षरण से बचाया जाना चाहिए लेकिन उसे सभी सदस्यों से समर्थन नहीं मिला। **अमेज़न सहयोग संधि संगठन के बारे में:** • ACTO एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अमेज़ॅन बेसिन के सतत विकास को बढ़ावा देना है। • **सदस्य देश:** बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेज़ुएला। • ACTO लैटिन अमेरिका में एकमात्र सामाजिक-पर्यावरणीय समूह का एक उदाहरण है। • **2004**: ACTO मनौस घोषणा पत्र के लिए जिम्मेदार था, जो लगभग 2.9 मिलियन वर्ग मील वर्षावन के विकास के समन्वय के लिए बनाई गई एक संधि थी।
प्रशांत द्वीप	• भारत रणनीतिक प्रशांत द्वीप समूह में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग की संभावना तलाश रहा है। • प्रशांत द्वीप समूह प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है। इसमें तीन नृवंशविज्ञान समूह शामिल हैं- **मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया**। **मेलानेशिया:** • मुख्य द्वीप समूहों में **फिजी, न्यू कैलेडोनिया, वानुअतु, सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी** शामिल हैं। • न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांसीसी सरकार के अधीन है, को छोड़कर सभी स्वतंत्र देश हैं। • न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के बीच साझा किया जाता है। **माइक्रोनेशिया:** • **अवस्थिति:** सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में माइक्रोनेशिया का बड़ा क्षेत्र है। **पोलिनेशिया:** • इस क्षेत्र में **उत्तर में हवाई द्वीप और पूर्व में पिटकेर्न द्वीप और ईस्टर द्वीप** शामिल हैं।
भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए पापुआ न्यू गिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	**केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MEITY)** और पापुआ न्यू गिनी ने **इंडिया स्टैक साझा** करने के लिए एक **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए। **इंडिया स्टैक के बारे में:** • इंडिया स्टैक खुले AI और डिजिटल सामानों के एक सेट का सामूहिक नाम है जो सरकारों, व्यवसायों और अन्य संगठनों को बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान अवसंरचना का लाभ उठाने की अनुमति देगा। **निम्नलिखित API को इंडिया स्टैक का मुख्य हिस्सा माना जाता है।** • आधार प्रमाणीकरण • आधार ई-KYC • ई-साइन • डिजिटल लॉकर एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)
ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक	हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। • स्थान: बैठक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। • **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) जोर**: दक्षिण अफ्रीका "UHC 2023 की राह पर संधारणीय स्वास्थ्य-अंतराल को पाटना" विषय के माध्यम से UHC पर जोर देता है। • **टीबी अनुसंधान प्रतिबद्धता:** भारत ब्रिक्स टीबी अनुसंधान नेटवर्क पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तपेदिक (टीबी) क उन्मूलन करना है।

4. अर्थव्यवस्था

4.1 भारत में NPA

संदर्भ:

2014-15 से शुरू होकर पिछले नौ वित्तीय वर्षों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण (बैड लोन्स) माफ किए हैं।

अन्य जानकारी

भारत में ऋण माफ़ी की वर्तमान स्थिति:

- **कुल बट्टे खाते में डाला गया (राइट-ऑफ) ऋण:** ₹14.56 लाख करोड़
  - o श्रेणी (बड़े उद्योग और सेवाएँ) द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण: ₹7,40,968 करोड़
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में वसूली:**

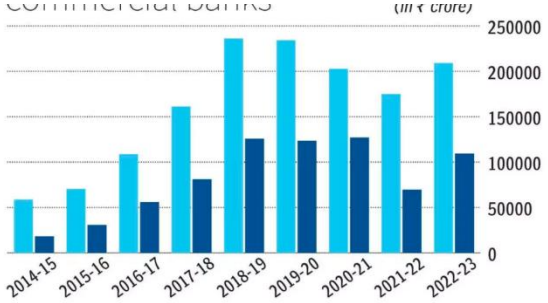

अवधि	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)
अप्रैल 2014 - मार्च 2023	₹2,04,668 करोड़

वित्त वर्ष	बट्टे खाते में डाला गया निवल ऋण (करोड़ में)
FY18	1.18 लाख
FY22	0.91 लाख
FY23	0.84 लाख

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाला गया निवल ऋण:**
- **निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाला गया निवल ऋण:** FY23 में ₹73,803 करोड़ (RBI अनंतिम डेटा)

अशोध्य ऋण और NPA के बारे में:

- **अशोध्य ऋण:** वह ऋण जो एक निश्चित अवधि में 'चुकाया' नहीं गया है।
  - o ऋण चुकाने का मतलब ब्याज और मूलधन का एक छोटा सा हिस्सा वापस करना है, जो बैंक और उधारकर्ता के बीच किए गए समझौते पर निर्भर करता है।
- **गैर निष्पादित परिसंपत्ति (NPA):**
  - o बैंकों द्वारा दिए गए सभी अग्रिमों को "परिसंपत्ति" कहा जाता है, क्योंकि वे ब्याज या किश्तों के माध्यम से बैंक के लिए आय उत्पन्न करते हैं।
  - o हालाँकि, यदि नियत तिथि के बाद भी ब्याज या किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण अशोध्य हो जाता है।
  - o कोई ऋण तब NPA बन जाता है जब मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक बकाया रहता है।
  - o कृषि के लिए, यदि दो फसली मौसमों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - o **NPA का वर्गीकरण:**
    - ✓ **उप-मानक परिसंपत्ति (Substandard Assets):** ऐसी परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि से NPA बनी हुई है।
    - ✓ **संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful Assets):** ऐसी परिसंपत्ति, जो 12 महीने की अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति की श्रेणी में रही है।
    - ✓ **हानि परिसंपत्ति (Loss Assets):** एक परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा हानि के रूप में चिन्हित किया गया है लेकिन अभी तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

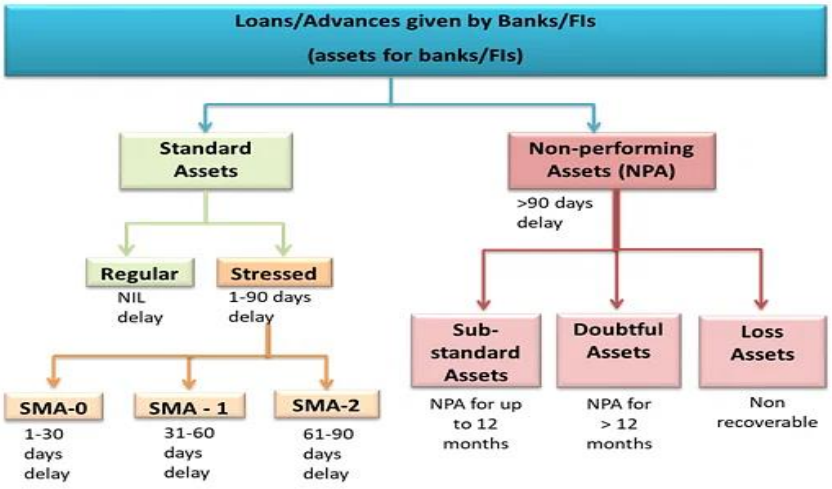

NPA में वृद्धि के पीछे कारक:

- **NPA के आर्थिक कारक:**
  - आशावादी आर्थिक परिदृश्य: मजबूत आर्थिक संवृद्धि की अवधि, 2006-2008 के दौरान कई बैड लोन्स उभरकर सामने आए।
    - ✓ इससे उचित जाँच-परख के बिना ऋण देने के जोखिमपूर्ण निर्णय लिए गए।
  - **वैश्विक आर्थिक मंदी:** 2008 से पहले मजबूत वैश्विक विकास के दौर के बाद वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) उभरा, जिससे व्यापक आर्थिक मंदी आई, जिसका असर भारत पर भी पड़ा।
  - **संरचनात्मक आर्थिक अक्षमताएँ:** परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और नियामक प्रक्रियाएँ अक्षमताएँ पैदा करती हैं जो NPA बढ़ाने में योगदान करती हैं।
  - **MSME में बढ़ा NPA:** MSME का सकल NPA सितंबर 2021 तक 20,000 करोड़ रुपये बढ़कर 1,65,732 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर 2020 में 1,45,673 करोड़ रुपये था।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत NPA:**
    - ✓ गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA/मुद्रा) 8 अप्रैल, 2015 को लॉन्च की गई थी।
    - ✓ सभी बैंकों के लिए मुद्रा योजना के तहत अशोध्य ऋण कुल संवितरण का 3.38 प्रतिशत है।
- **संरचनात्मक कारण:**
  - बैड लोन्स की पहचान में विफलता: विनियमन में निरंतर निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप पुनर्गठन के बजाय ऋणों की एवरग्रीनिंग में वृद्धि हुई, अनर्जक परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान करने में असमर्थता के कारण त्वरित कार्रवाई में देरी हुई है।
  - प्रमोटर्स और बैंकों की ओर से रुचि की कमी: जब परियोजना में देरी से प्रमोटर्स की इक्विटी कम हो गई, तो उनकी रुचि कम हो गई। इससे परियोजना के पुनर्गठन में देरी हुई या बैंकर ने इसमें रुचि नहीं ली, जिसके परिणामस्वरूप "ज़ोंबी" परियोजनाएं सामने आईं।
  - कमजोर कॉर्पोरेट प्रशासन: उचित परिश्रम, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड की खराब गुणवत्ता के परिणामस्वरूप खराब निर्णय प्रक्रिया और अप्रभावी क्रेडिट उपयोग हुआ।
- **अन्य कारण:**
  - **प्रमोटर्स की धोखाधड़ी:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भीतर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि समग्र NPA की तुलना में छोटे हैं। दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई के अभाव के कारण धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार हो सकता है।
  - **पुनर्गठन में हेरफेर:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से पहले, प्रमोटर्स का पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।
    - ✓ प्रमोटर बैंक ऋण को इक्विटी में बदल सकते हैं, इक्विटी-गेन से लाभ उठा सकते हैं जबकि घाटे को बैंकों में स्थानांतरित कर सकते हैं।

NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:

- **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:** यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालती हस्तक्षेप के बिना बकाया वसूलने के लिए संपार्श्विक जब्त करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:** यह दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और लेनदारों का समर्थन करती है।
  - प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IDBI) की स्थापना की गई।
- **बैड बैंक (2017):** कोई बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान से जोखिम भरी और अनर्जक परिसंपत्तियों को अलग करता है। इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के नाम से भी जाना जाता है।
  - पूर्व अंतरिम वित्त मंत्री ने सुनील मेहता के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय ARC का विचार पेश किया।
  - **भारत का पहला बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) है।** यह बैंकों से अशोध्य ऋण खरीदता है, और उन्हें संकटग्रस्त ऋण के खरीदारों को बेचता है।
    - ✓ 500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्येक चरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए इसे PSB द्वारा प्रमुख रूप से नियंत्रित किया जाता है।
  - **भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRC**L) एकARC के रूप में बाजार में दबावग्रस्त संपत्ति का विक्रय करती है।
- **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा (Prompt Corrective Action Framework):**
  - RBI ने संघर्षरत बैंकों में शीघ्र हस्तक्षेप के लिए 2002 में PCA लॉन्च किया।
  - **उद्देश्य:** खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता या लाभप्रदता के नुकसान के कारण कम पूंजीकरण का सामना कर रहे बैंकों की निगरानी और सहायता करना।
  - **2017 की समीक्षा**: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2017 में ढांचे का पुनर्मूल्यांकन किया गया था।
  - **इसके पैरामीटर्स में शामिल हैं:**
    - ✓ पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR)
    - ✓ शुद्ध अनर्जक परिसंपत्तियाँ (NPA)
    - ✓ रिटर्न ऑन असेट्स (ROA)
- 31 मार्च, 2023 को PSB का सकल NPA घटकर ₹4.28 लाख करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2018 को ₹8.96 लाख करोड़ था।

NPA बैंकों को कैसे प्रभावित करता है?

- **वित्तीय प्रदर्शन**: NPA के परिणामस्वरूप ऋण मूलधन और ब्याज एकत्र नहीं होता है, जिससे बैंकों को वित्तीय नुकसान होता है। इससे उनके राजस्व और समग्र लाभप्रदता पर असर पड़ता है।
- **पूंजी आधार:** बैंकों को NPA के लिए अलग धनराशि रखने की जरूरत है, जिससे उनका पूंजी आधार खत्म हो रहा है। यह नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को चुनौती दे सकता है।
- **तरलता का दबाव:** NPA के प्रावधानों के रूप में धनराशि अलग रखने से बैंकों की तरलता प्रभावित होती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता और अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्धता सीमित हो जाती है।
  - तरलता की कमी बैंकों को ऋण देने से रोकती है और इससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है जिससे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मंदी आदि हो सकती है।
- **उच्च ब्याज दर:** अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए, बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ेगा जो फिर से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा।

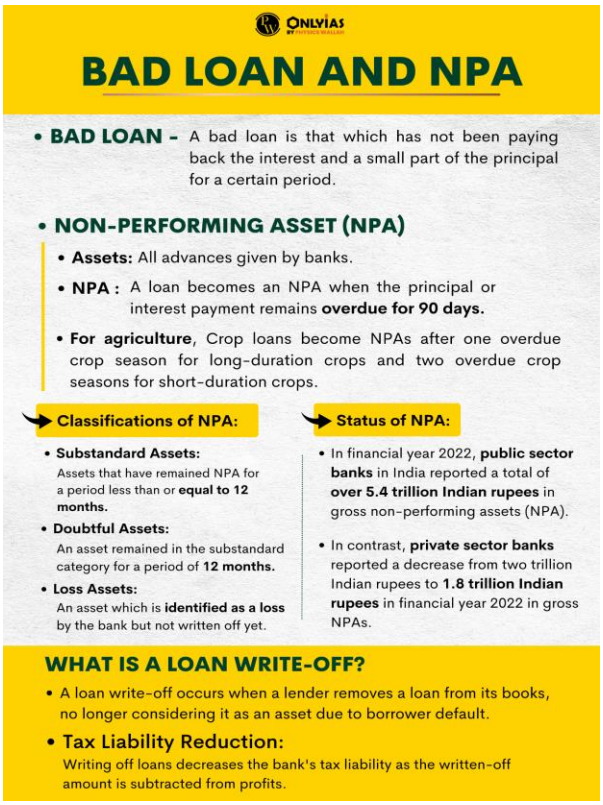

आगे की राह:

- **समयबद्ध समाधान:** समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बैड बैंकों के माध्यम से समाधान के लिए एक सनसेट क्लॉज़ प्रस्तुत किया जाए।
- **परिसंपत्ति का रखरखाव:** समाधान प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्ति की गुणवत्ता के रखरखाव के लिए फंडिंग हेतु बैड बैंक के भीतर एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाए।
- **सुदृढ़ समाधान निगरानी**: समाधान योजनाओं की निगरानी के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) के समान और अधिक पैनल स्थापित किए जाएं।
  - IBA ने प्रमुख ऋणदाताओं की समाधान योजनाओं की निगरानी के लिए छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
- **त्वरित पुनर्पूंजीकरण**: पुनर्पूंजीकरण में तेजी लाने के लिए बैंकों में एक ही किस्त में अतिरिक्त पूंजी जमा कर दी जाए।
- **पारदर्शिता:** बैड लोन्स पर सटीक डेटा बनाए रखने के लिए पारदर्शी NPA पहचान प्रक्रिया को जारी रखा जाए।
- **सिबिल स्कोर**: ऋण पात्रता का आकलन करने, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए सिबिल स्कोर का उपयोग करें।
- **चूककर्ताओं की सूचना का प्रसार**: डिफ़ॉल्टर्स को आगे ऋण प्राप्त करने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से उनके बारे में जानकारी साझा की जाए।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र:** शीघ्र निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

4.2 IMF कोटा की समीक्षा

संदर्भ:

- हाल ही में, रिज़र्व बैंक गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में निर्धारित कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा को "शीघ्र पूरा करने" पर बल दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में:

- इसकी स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी।
- **लक्ष्य:** अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय स्थापित करना।
- यह उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता की भूमिका निभाता है, जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से जूझना पड़ता है।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका।
- भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।

IMF की सदस्यता:

- **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) में सदस्यता के लिए IMF की सदस्यता एक पूर्व-शर्त है।**

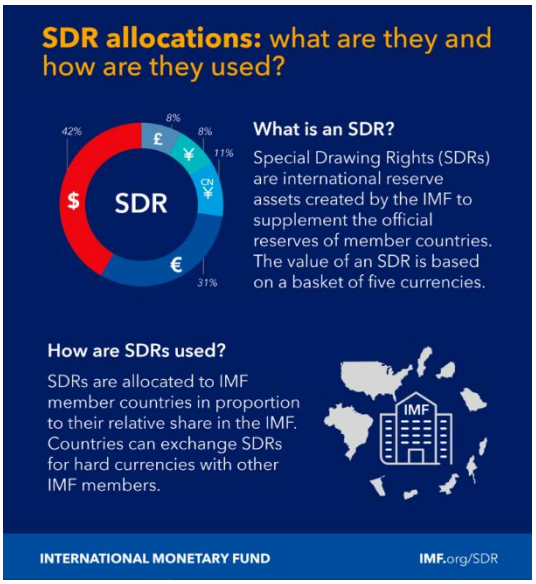

- **कोटा सदस्यता:** इसमें शामिल होने पर, सदस्य देश कोटा सदस्यता राशि का योगदान करते हैं, जो उनके आर्थिक प्रदर्शन और समृद्धि द्वारा निर्धारित होता है।
  - कोटा को IMF के खाते की इकाई, विशेष आहरण अधिकार (SDR) में दर्शाया जाता है।
  - कोटा फॉर्मूला में सकल घरेलू उत्पाद (50%), अर्थव्यवस्था का खुलापन (30%), आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार (5%) शामिल हैं।
- **विशेष आहरण अधिकार (SDR):**
  - SDR, IMF के खाते की इकाई है, कोई मुद्रा नहीं।
  - SDR मूल्य मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रॅन्मिन्बी (2016 में जोड़ा गया)।
  - कोटा SDR में व्यक्त किया जाता है।
- **मतदान शक्ति:** सदस्यों की मतदान शक्ति सीधे उनके कोटे से जुड़ी होती है।

Figure 1 – Board of Governors voting powers and IMF quotas (22 May 2022).

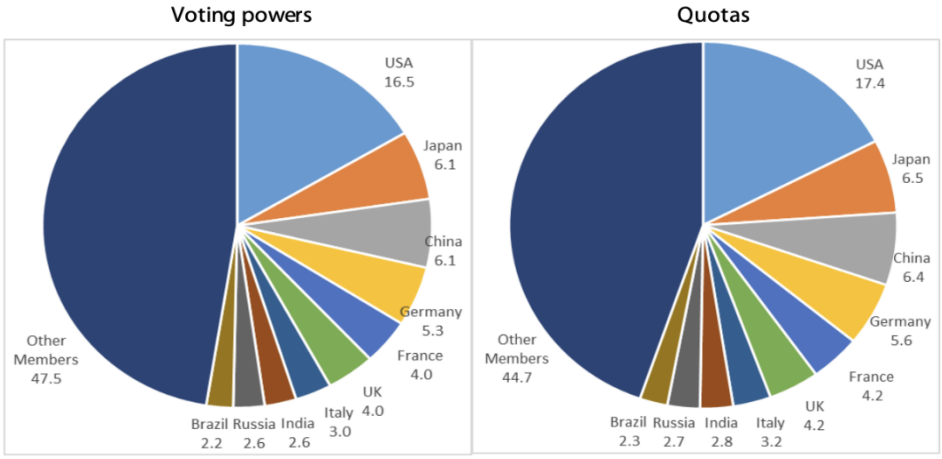

IMF के प्रमुख कार्य:

- **वित्तीय सहायता का प्रावधान: IMF भुगतान संतुलन** की चुनौतियों से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - इसकी सहायता का उद्देश्य मुद्रा स्थिरता बहाल करना, अंतर्राष्ट्रीय भंडार को सुदृढ़ करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- **IMF द्वारा निगरानी**: IMF वैश्विक मौद्रिक प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखता है।
  - यह अपने 190 सदस्य देशों में से प्रत्येक द्वारा अपनाई गई आर्थिक और वित्तीय नीतियों की सावधानीपूर्वक निगरानी करता है।
- **क्षमता विकास पहल**: IMF विभिन्न आर्थिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - इस समर्थन से केंद्रीय बैंकों, वित्त मंत्रालयों और अन्य प्रासंगिक निकायों को लाभ होता है, जिससे आधुनिकीकरण पहल को सुविधाजनक बनाया जाता है।
  - इसके अलावा, ये प्रयास सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के लिए सहायक हो सकते हैं।

IMF कोटा का उपयोग कैसे करता है?

  - **संसाधन संबंधी योगदान**: कोटा यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य IMF को वित्तीय संसाधनों की अधिकतम मात्रा प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- **वोटिंग शक्ति**: IMF निर्णय में कोटा वोटिंग शक्ति का एक प्रमुख निर्धारक है।
- **वित्तपोषण तक पहुंच:** कोटा यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य सामान्य पहुंच के तहत IMF से ऋण की अधिकतम राशि प्राप्त कर सकता है।
- **SDR आवंटन:** कोटा SDR के सामान्य आवंटन में एक सदस्य के हिस्से को निर्धारित करता है।

IMF देशों की कैसे मदद करता है?

- **विशेष आहरण अधिकार**: IMF मूल रूप से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को धन उधार देता है। यह अक्सर विशेष आहरण अधिकार (SDR) के रूप में दिया जाता है।
- **ऋण देने के अन्य तरीके**: IMF कई ऋण कार्यक्रमों जैसे कि विस्तारित ऋण सुविधा, लचीली क्रेडिट लाइन, स्टैंडबाय समझौते आदि के माध्यम से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को ऋण देता है।

किसी देश द्वारा IMF से ऋण की मांग करने के कारण:
- व्यापक आर्थिक जोखिम;
- मुद्रा संकट;
- बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए;
- आवश्यक आयात के लिए और
- उनकी मुद्राओं का विनिमय मूल्य बढ़ाने के लिए

RBI गवर्नर द्वारा प्रकट की गई चिंताएं:

- **तत्काल कोटा समीक्षा:** उन्होंने IMF में कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - उन्होंने सुझाव दिया कि यह पूरा होने से IMF संकटग्रस्त देशों को बेहतर समर्थन देने में सक्षम होगा।
- **वित्तपोषण की शर्तों से जुड़ी चिंताएं:** उन्होंने IMF की फंडिंग शर्तों की आलोचना की, जो अक्सर संबंधित स्थितियों, आवश्यकताओं और बदनामी के कारण तत्काल आवश्यकता वाले देशों को हतोत्साहित करती हैं।

- **बदनामी के कारण वैकल्पिक स्रोत:** उन्होंने कहा कि वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले गरीब देश अक्सर कथित बदनामी या सीमित पहुंच के कारण IMF के अलावा अन्य संस्थाओं से समर्थन मांगते हैं।
- **वित्तपोषण तंत्र की सीमाएं:** गवर्नर ने IMF के फंडिंग तरीकों की सीमाओं की ओर संकेत किया।
  - उन्होंने चर्चा की कि कैसे एहतियाती कार्यक्रम और स्टैंड-बाय व्यवस्थाएं अलग-अलग व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों वाले देशों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं।
    - ✓ **स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA)** भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उन्नत और उभरते बाजार देशों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला IMF ऋण उपकरण रहा है।
    - ✓ IMF के एहतियाती कार्यक्रम जैसे **प्रीकॉशनरी लेंडिंग लाइन** बेहतर मैक्रो-एकोनॉमी वाले देशों के लिए उपलब्ध हैं।

IMF ऋण से जुड़ी शर्तें:

- **राजकोषीय मितव्ययिता:** इसमें बजट घाटे को कम करने के लिए सरकारी खर्च को कम करना, करों में वृद्धि और सब्सिडी में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं।
- **संरचनात्मक सुधार:** इनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजारों को विनियमन, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण और कारोबारी माहौल में सुधार जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **मौद्रिक नीति समायोजन:** इसमें देश के भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रा का अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय**: इसमें सरकारी पारदर्शिता में सुधार, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **ऋण पुनर्गठन:** इसमें देश के ऋण बोझ को कम करने या ऋण को अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए लेनदारों के साथ बातचीत शामिल हो सकती है।

अन्य चिंताएं:

- **वित्तपोषण की मंजूरी में देरी**: IMF फंडिंग गंभीर ऋण संकट का सामना कर रहे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है।
  - इस फंडिंग को प्राप्त करने में देरी से आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है, व्यवसायों पर असर पड़ सकता है और आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - श्रीलंका और घाना जैसे देश, आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं और उनके ऋण संकट के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है, ये विशेष रूप से फंडिंग में देरी के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।
- **शासन संबंधी असंतुलन**: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रतिनिधित्व की कमी को बनाए रखने के लिए यूरोपीय देशों के नेतृत्व वाले IMF और अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व बैंक की इस परिपाटी की आलोचना की जाती है।
  - महामारी के दौरान, 772 मिलियन की आबादी वाले सात देशों के धनी समूह को IMF से 280 बिलियन डॉलर के बराबर राशि प्राप्त हुई, जबकि 1.1 बिलियन की आबादी वाले सबसे कम विकसित देशों को केवल 8 बिलियन डॉलर से अधिक आवंटित किया गया था।
- **हस्तक्षेप वाली शर्तें और संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि IMF ऋणों से जुड़ी शर्तें बहुत अधिक दखल देने वाली हैं और अक्सर उधार लेने वाले देशों की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता से समझौता करती हैं।
  - कड़ी शर्तें, जिन्हें "कंडीशनेलिटी" के रूप में जाना जाता है, उन नीतियों को लागू कर सकती हैं जो ऋणों को विशिष्ट आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनों को लागू करने के लिए उपकरण में बदल देती हैं।
- **स्थानीय संदर्भ के बिना नीति थोपना:** देशों की विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को पूरी तरह से समझे बिना उन पर नीतियां थोपने के लिए IMF की आलोचना की गई है।
- **कोटा सुधार:** प्रत्येक सदस्य देश को वैश्विक स्तर पर उसके आर्थिक आकार के अनुपात में एक कोटा सौंपा जाता है। कोटा मतदान शक्ति और उधार लेने की क्षमता निर्धारित करता है।
  - इस प्रणाली के कारण निर्णय लेने और नियम-निर्धारण प्रक्रियाओं में धनी देशों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व हो गया है।

आगे की राह:

- **गवर्नेंस में सुधार**: IMF को पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व से अलग होकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी नेतृत्व चयन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए।
- **कम प्रतिनिधित्व का समाधान**: ब्रिक्स देशों जैसे आर्थिक रूप से उभरते देशों के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि उनके कोटा और मतदान शक्ति को उनके बढ़ते आर्थिक महत्व के साथ संरेखित किया जा सके।
- **स्थानीय संदर्भ:** नीति निर्माण अधिक समावेशी होना चाहिए। इसमें स्थानीय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए और घरेलू वास्तविकताओं के अनुरूप रणनीति विकसित करने के लिए देश के विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

RBI गवर्नर की सिफारिश:

- **समय पर और गैर-कलंकित उपाय:** उन्होंने वित्तपोषण सहित सुधारात्मक उपायों को समय पर और गैर-कलंकित तरीके से लागू करने के महत्व पर जोर दिया। इसके लिए एक मजबूत IMF की आवश्यकता होगी जो देश के जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो।
- **समर्थन और कोटा आकार के बीच संबंध**: गवर्नर ने बताया कि IMF का समर्थन सदस्य देशों के कोटा आकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए, IMF की कोटा प्रणाली में सुधार से अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की देखरेख में संगठन की वैधता में वृद्धि होगी।
- **कंडीशनेलिटी को कम करना**: उन्होंने सुझाव दिया कि IMF कार्यक्रमों को यथोचित लचीली मैक्रो-एकोनॉमी वाले देशों के लिए कम शर्तों के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है जो भुगतान संतुलन के तनाव से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं।

4.3 वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

संदर्भ:

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने प्याज की अधिक स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उस पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है।

अन्य संबंधित जानकारी:

- हाल के महीनों में दालों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। जून में दालों की कीमत 10.6% से बढ़कर जुलाई में 13.3% हो गई है।
- अगस्त के महीने में देश के कई हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 200-250 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।
    - हाल ही में, महाराष्ट्र के नासिक, नारायणगांव और औरंगाबाद बेल्ट से नई फसल की आवक के साथ टमाटर की कीमतें 50-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई हैं।

कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पहल:

- **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** इसकी स्थापना 2014-15 में चयनित कमोडिटी कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता को अवशोषित करने के लिए की गई थी।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स**: इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-लॉजिस्टिक, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
    - इस ऑपरेशन का उद्देश्य किसानों की सहायता करना और प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में अनियमित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद करना है।
- **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** कृषि मंत्रालय के तहत PSS तभी सक्रिय होती है जब कृषि उपज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ जाती हैं।
    - इसके तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)**: इसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):** e-NAM एक ऑनलाइन मंच है, जो देश भर के कृषि बाजारों को जोड़ता है, जिससे किसानों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिलती है और उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
- **कृषि अवसंरचना कोष:** इसका उद्देश्य पूरे देश में किसानों, कृषि-उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) जैसे किसान समूहों आदि को

कृषि वस्तुओं की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं:

- **बुआई एवं फसल चयन:**
    - **फसल का चुनाव:** किसानों द्वारा फसल का चुनाव मौसम की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता, बाजार की मांग और सरकारी नीतियों जैसे कारकों से प्रभावित होता है।
    - **बीज का चयन:** उपयोग किए गए बीजों की गुणवत्ता और प्रकार, फसल की पैदावार और परिणामस्वरूप, बाजार आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।
- **फसल वृद्धि का मौसम:**
    - **मौसम:** वर्षा, तापमान और चरम मौसमी घटनाएं जैसे कारक फसल के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
    - **कीट और रोग नियंत्रण:** यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो कीटों का प्रकोप और बीमारियाँ फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और पैदावार कम कर सकती हैं।
- **कटाई के बाद का प्रबंधन:**
    - **भंडारण:** फसल को खराब होने से बचाने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित भंडारण सुविधाएं आवश्यक हैं।
    - **परिवहन:** कुशल परिवहन प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि फसलें समय पर बाज़ार तक पहुँचें, नुकसान कम हो और गुणवत्ता यथावत रहे।
- **बाजार की स्थितियां:**
    - **मांग और आपूर्ति:** बाजार की मांग और आपूर्ति में बदलाव कमोडिटी की कीमतें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक मांग और कम आपूर्ति के कारण कीमतें बढ़ती हैं।
    - **बाज़ार तक पहुंच:** बाज़ारों और वितरण चैनलों तक पहुंच कीमतों को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिए।
- **बाज़ार मध्यस्थ:**
    - **बिचौलिए:** आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका किसानों को मिलने वाली कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
- **सरकारी नीतियां:**
    - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** सरकार द्वारा निर्धारित MSP कुछ फसलों के लिए मूल्य स्तर प्रदान कर सकते हैं, जो बाजार की कीमतों को प्रभावित करते हैं।
    - **व्यापार नीतियां:** निर्यात प्रतिबंध, आयात शुल्क और व्यापार समझौते घरेलू बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **वैश्विक कारक:**
    - **अंतर्राष्ट्रीय कीमतें:** मौसम और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे कारकों से प्रभावित वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख फसलों के लिए भारतीय कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं।

फसल के बाद प्रबंधन अवसंरचना का निर्माण करने और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कॉब-वेब परिघटना:

- कृषि के संदर्भ में, यह **एक आर्थिक अवधारणा है**, जो विभिन्न रोपण मौसमों में कृषि वस्तुओं के लिए वैकल्पिक उच्च और निम्न कीमतों के चक्र का वर्णन करती है।
- यह किसानों के रोपण के निर्णयों और बाजार स्थितियों के बीच समय अंतराल के कारण घटित होती है।

कृषि मूल्य निर्धारण में चुनौतियाँ:

- **मांग पक्ष की चुनौतियाँ:**
  - **उपभोक्ता मांग में उतार-चढ़ाव:** कृषि उत्पादों के लिए उपभोक्ता प्राथमिकताएं तेजी से बदल सकती हैं, जिससे मांग में उतार-चढ़ाव हो सकता है। आहार संबंधी आदतों में अचानक बदलाव या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं विशिष्ट फसलों की मांग को प्रभावित कर सकती हैं।
  - **आय लोच:** कृषि उत्पादों की मांग अक्सर आय-संवेदनशील होती है। आर्थिक मंदी के समय में, उपभोक्ता कुछ कृषि उत्पादों पर अपना खर्च कम कर सकते हैं, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं।
  - **वैश्विक बाज़ार प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय कारक, जैसे वैश्विक वस्तु कीमतें और व्यापार नीतियां, मांग को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि उत्पादों का आयात या निर्यात घरेलू बाज़ारों को बाधित कर सकता है।
  - **उपभोक्ता जागरूकता**: खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रमाणन के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता मांग को प्रभावित कर सकती है। विशिष्ट मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों की कीमतें अधिक हो सकती हैं।
- **आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ:**
  - **मौसम और जलवायु परिवर्तन:** मौसम संबंधी चुनौतियाँ, जैसे सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा पैटर्न, फसल की विफलता आपूर्ति में कमी का कारण बन सकते हैं।
  - **कीट और बीमारियों का प्रकोप:** कीटों और बीमारियों का प्रकोप फसलों को नष्ट कर सकता है, उनकी पैदावार कम कर सकता है और कृषि उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
  - **इनपुट लागत:** बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट की कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पादन लागत को प्रभावित कर सकता है, जिससे कृषि वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
  - **बुनियादी ढाँचा और भंडारण**: फसल कटाई के बाद अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और भंडारण सुविधाओं के परिणामस्वरूप फसल कटाई के बाद नुकसान हो सकता है, जिससे कृषि उत्पादों की प्रभावी आपूर्ति कम हो सकती है।
  - **भूमि विखंडन:** कृषि भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विखंडित करने से पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं सीमित हो सकती हैं और समग्र उत्पादन क्षमता कम हो सकती है।
  - **बाज़ार तक पहुँच और बिचौलिये:** बाज़ार तक पहुँचने में चुनौतियाँ और बिचौलियों की भूमिका के परिणामस्वरूप किसानों को उनकी उपज के लिए कम कीमत मिल सकती है।
  - **सरकारी नीतियां:** खरीद, सब्सिडी और व्यापार से संबंधित सरकारी नीतियां आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं। निर्यात को प्रतिबंधित करने या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने वाली नीतियां कृषि उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह:

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**: फसल की पैदावार बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए सटीक कृषि, **IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और रिमोट सेंसिंग का** उपयोग किया जाना चाहिए।
  - किसानों को विचार विमर्श कर निर्णय लेने की क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने के लिए रियल टाइम बाजार डेटा, मौसम अपडेट और सर्वोत्तम प्रथाओं की पेशकश करने वाले मोबाइल ऐप विकसित करें।
- **फसल विविधता**: पारंपरिक फसल MSP पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को उच्च मूल्य वाली, जलवायु-लचीली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **नवोन्मेषी खेती:** विशिष्ट बाजारों तक पहुंच बनाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए जैविक, ऊर्ध्वाधर और हाइड्रोपोनिक कृषि जैसी नवोन्मेषी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** बाजार कनेक्शन को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने और किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और किसान समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सहयोगात्मक पहल:** किसानों के लिए उचित और आकर्षक बाजारों के लिए अनुबंध कृषि, कृषि-लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के विकास और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों जैसी पहलों को लागू किया जाए।
- **FPO के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री:** किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करके, बिचौलियों को समाप्त करके और किसानों की आय में वृद्धि करके प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए।

- **APMC नियमों में सुधार:** कमीशन और शुल्क को कम करने के लिए कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के नियमों में संशोधन किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक लाभ सीधे किसानों को मिले।
  - RBI के अनुसार, किसानों को टमाटर जैसी प्रमुख व्यापारिक फसलों के लिए खुदरा मूल्य का 50% से कम प्राप्त होता है।
  - एक किसान को जो मूल्य मिलता है और एक उपभोक्ता जो भुगतान करता है, उसके बीच के मार्जिन में कई अन्य शुल्क शामिल होते हैं जैसे कि कमीशन, मंडी शुल्क, कृषि उपज बाजार समिति (APMC) सदस्यता शुल्क, आदि।
- **मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार**: कृषि उत्पाद के खराब होने और परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जाए।
- **उपज बढ़ाने और कीट संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पॉली हाउस और ग्रीनहाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती को बढ़ावा दिया जाए।**

पॉली हाउस एक प्रकार का ग्रीनहाउस है, जहां कवरिंग सामग्री के रूप में विशेष प्रकार की पॉलीथीन शीट का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत आंशिक रूप से या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में फसलें उगाई जा सकती हैं।

4.4 परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण

संदर्भ:

- हाल ही में नीति आयोग ने **"टूवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट - टेकिंग स्टॉक ऑफ G20 सेक्टोरल एम्बिशन"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **G20 की जिम्मेदारी:** G20 देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन महत्वपूर्ण है।
  - परिवहन क्षेत्र से भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2020 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक 65 प्रतिशत और 2050 तक 197 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- **प्रतिबद्धता का अभाव**: पेरिस समझौते में प्रकट की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, G20 ने परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण और इसे नया आकार देने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।
- **धीमा नीतिगत प्रभाव:** 1990 के बाद से परिवहन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती हासिल नहीं की गई है, और दुनिया भर में मोटरीकरण के कारण उत्सर्जन बढ़ रहा है।
  - कुल मिलाकर G20 देशों का परिवहन उत्सर्जन 2015-2019 में लगभग 6% बढ़ गया है।
- **भू-राजनीतिक दबाव**: महामारी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण, जलवायु कार्रवाई के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - भू-राजनीति में व्यापक बदलाव का अर्थ है एक ओर चीन, भारत और इंडोनेशिया के बीच, और दूसरी ओर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान के बीच अधिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा का शुरू होना।
- **ईंधन सब्सिडी:** समग्र सब्सिडी स्तर अब भी बाजार को विकृत कर रहा है, जिससे कार्बन-सघन परिवहन के साधनों को अनुचित लाभ मिल रहा है.

भारत का परिवहन क्षेत्र और कार्बन उत्सर्जन:

- **दायरा और कवरेज**: भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। साथ ही विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी भारत का है।
  - 2005 और 2012 के बीच सड़क वाहनों की कुल संख्या प्रति वर्ष औसतन 10% की दर से बढ़ी है और यह लगातार बढ़ रही है। इससे बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ यातायात की भीड़-भाड़ और वायु प्रदूषण बढ़ गया है।
  - 1990 और 2019 के बीच ईंधन दहन से भारत का कुल CO_2 उत्सर्जन 330% बढ़ गया।
- **परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन:** सड़क यातायात, परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। इसके बाद रेल परिवहन का स्थान है।
  - इसी अवधि में परिवहन-क्षेत्र उत्सर्जन में 375% की वृद्धि हुई और यह भारत की विद्युत उत्पादन की उच्च कार्बन तीव्रता के कारण 14% की अस्वाभाविक रूप से कम हिस्सेदारी को दर्शाता है।

- कुल उत्सर्जन के लिए 1.6 टन CO_2 और परिवहन क्षेत्र के लिए 0.2 टन CO_2 के साथ, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन G20 देशों में सबसे कम है।
- भारत के रेल परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन का हिस्सा (लगभग 7%) G20 देशों में सबसे अधिक है।

- **EV पर धीमी प्रगति**: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलाव के लिए वैश्विक दबाव के बावजूद, भारत ने 2030 तक हल्के यात्री वाहन बिक्री में केवल 30% इलेक्ट्रिक वाहन हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।
  - यह संपूर्ण परिवहन क्षेत्र के लिए समग्र उत्सर्जन या ऊर्जा लक्ष्य से कम है।
- **INDC के तहत विशिष्ट लक्ष्य का अभाव**: भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों को बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं, लेकिन यह विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र को लक्षित नहीं करता है।
  - इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अग्रिम सब्सिडी और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के माध्यम से EV के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए $1.25 बिलियन का आवंटन किया गया है।
  - जून 2023 तक भारत में 2.4 मिलियन से अधिक EV पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- **जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार:** भारत ने 2014 के अंत में परिवहन ईंधन के लिए मूल्य नियंत्रण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया।
  - 2014 से 2017 तक, भारत ने तेल और गैस सब्सिडी में 75% की कमी की है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्तपोषण में छह गुना वृद्धि की।
- **हाइड्रोजन पर बल:** भारत ने अगस्त 2021 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया।
  - इसका लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावॉट इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता के साथ संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

भारत का NDC लक्ष्य:

- भारत ने 2005 के स्तर के सापेक्ष 2030 में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की है।
- 2070 तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नेट-ज़ीरो उत्सर्जन आधारित बनाया जाएगा।

परिवहन संबंधी NDC लक्ष्य

- परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी 36% से बढ़ाकर 45% करना
- नई कार और वैन के लिए COP26 ZEV घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2040 तक विक्रय (इसमें 2/3 पहिया वाहन भी शामिल हैं)।

परिवहन संबंधी NDC उपाय

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करना।
- यात्री कार ईंधन-दक्षता मानक लागू करना।
- तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग शिपिंग को बढ़ावा देना।
- मेट्रो लाइनों, शहरी परिवहन और बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन परियोजनाओं का निर्माण करना

राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के लक्ष्य

- 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की 45% हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
- तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा माल ढुलाई के हिस्से को दोगुना करना
- 7,987 किमी हाई-स्पीड रेल (2051 तक चरणों में) नेटवर्क स्थापित करना।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन परिनियोजन लक्ष्य

- 2030 तक यात्री LDV बिक्री में EV की 30% हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
- 25 राज्यों में 2,877 चार्जिंग पॉइंट और 9 एक्सप्रेस-वे एवं 16 राजमार्गों पर 1,576 चार्जिंग पॉइंट स्थापित की जाएंगे।

रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं:

- ऊर्जा संक्रमण में परिवहन को प्राथमिकता देना: G20 राज्यों को जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करके और हरित ईंधन वित्त पोषण में वृद्धि करके परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण का नेतृत्व करना चाहिए।
  - सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए **जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप** को बढ़ावा देना और **पावर-टू-एक्स प्रौद्योगिकियों** का समर्थन करना।
- **पावर-टू-एक्स ईंधन को अपनाना:** वे पारंपरिक जीवाश्म ऊर्जा वाहक के कार्बन-तटस्थ विकल्प प्रदान करते हैं।
  - इन ईंधनों का उत्पादन पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है, ताकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन या सिंथेटिक मीथेन जैसे सिंथेटिक ईंधन में परिवर्तित किया जा सके।
  - वे लंबी दूरी के विमानन और समुद्री शिपिंग जैसे क्षेत्रों की डीकार्बोनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जहां प्रत्यक्ष विद्युतीकरण संभव नहीं हो सकता है।

पावर-टू-एक्स प्रौद्योगिकियां

- इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा या ईंधन के अन्य रूपों में परिवर्तित करती हैं।
- इन प्रौद्योगिकियों में **पावर-टू-हाइड्रोजन (P2H), पावर-टू-गैस (P2G), पावर-टू-लिक्विड (P2L), और पावर-टू-केमिकल्स (P2C)** शामिल हैं।
- परिवहन जैसे क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करने के लिए पावर-टू-एक्स प्रौद्योगिकियां आवश्यक हैं, जहां प्रत्यक्ष विद्युतीकरण संभव नहीं हो सकता है।
- हाइड्रोजन, सिंथेटिक मीथेन, या अन्य कार्बन-तटस्थ ईंधन का उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके, ये प्रौद्योगिकियां पारंपरिक जीवाश्म ऊर्जा वाहक के विकल्प प्रदान करती हैं।

- **हरित वित्त पोषण**: यात्री और माल परिवहन के अधिक ऊर्जा-कुशल साधनों में निवेश बढ़ाने से उपभोक्ता मांग को निम्न-कार्बन परिवहन की ओर स्थानांतरित करने में मदद मिल सकती है।
  - o भारत ने 2030 तक कम से कम 50% माल रेल के माध्यम से ले जाने और 2024 तक अपनी रेल प्रणाली को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है।
- **"एवॉइड, शिफ्ट एंड इम्प्रूव" रणनीति को अपनाना**: यह रणनीति अनावश्यक वाहन यात्राओं से बचने, परिवहन के निम्न कार्बन वाले तरीकों की ओर बढ़ने और मौजूदा परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देती है।
- **संधारणीय गतिशीलता:** संधारणीय गतिशीलता में परिवर्तन से गतिशीलता को सीमित किए बिना ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी।
  - o सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और लागत-प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और वाहनों के विद्युतीकरण दोनों का समर्थन करना।
  - o इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आंतरिक दहन (IC) इंजन की तुलना में लगभग 20% कम CO_2 उत्सर्जन उत्पन्न करके ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
- **एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण:** आईटी, परिवहन और पावर ग्रिड विशेषज्ञता का संयोजन विद्युत और परिवहन क्षेत्रों के बीच एकीकरण को बढ़ा सकता है, जिससे परिवहन और समग्र रूप से ऊर्जा अर्थव्यवस्था में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **कानूनों की भूमिका:** देशों को नए विचारों को बढ़ावा देने, निम्न कार्बन प्रणाली के विस्तार में तेजी लाने और समग्र नीतियों, ऊर्जा और भूमि उपयोग से जुड़े कारगर कानून पारित करने चाहिए।
  - o उदाहरण: सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना GHG उत्सर्जन को कम करने, शहरी गुणवत्ता में सुधार करने और भीड़भाड़ और मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **व्यवहार परिवर्तन:** G20 के 2019 ऊर्जा दक्षता अग्रणी कार्यक्रम (EELP) ने **"व्यवहार परिवर्तन"** के महत्व को मान्यता दी
  - o नीतियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन जैसे पर्यावरण-अनुकूल, कुशल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए।

जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स

- यह G20 सदस्य देशों के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य पावर-टू-एक्स प्रौद्योगिकियों के बाजार को गति प्रदान करना है।
- इन साझेदारियों में महत्वाकांक्षी नीतियां अपनाना, फंडिंग बढ़ाना और निवेशकों के लिए गारंटी प्रदान करना शामिल है।
- लक्ष्य पर्याप्त मात्रा में ग्रीन पावर-टू-एक्स ईंधन का उत्पादन करना है, जो पारंपरिक जीवाश्म ऊर्जा वाहक को कार्बन-तटस्थ विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है।

4.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म-वित्त) क्षेत्र की भूमिका

संदर्भ:

- माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) ने समावेशी वित्त को विकास की मुख्यधारा में लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

अन्य जानकारी:

- **महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना: MFIs ने** एक कुशल व्यवसाय मॉडल तैयार किया है जो महिलाओं की उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करने के लिए प्रचलित सोशल कॉलेटरल का उपयोग करता है।
  - o **माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN)** ने एक टीवी विज्ञापन '**माइक्रोफाइनेंस - हर हौसले के साथ**' लॉन्च किया। यह कम आय वाली आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को अपनी आय क्षमता का एहसास दिलाने में मदद करता है।
  - o **एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड (SCNL)** ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया और उनके बुनाई व्यवसाय का विस्तार करने में मदद की।
- **माइक्रोफाइनेंस आउटरीच:** उन्होंने भारत के लगभग 85 प्रतिशत जिलों में माइक्रोफाइनेंस आउटरीच को सक्षम किया है, जिसमें दो लाख से अधिक फ्रंटलाइन कर्मचारी ऋण और संबंधित सेवाएं वितरित कर रहे हैं।
- **डिजिटल परिवर्तन में भूमिका:** मजबूत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क ने उन्हें 729 जिलों में उपस्थिति प्रदान की है और भौतिक और डिजिटल भारत के बीच एक मजबूत सेतु बनाने में मदद की है।
- **मजबूत विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र:** इस क्षेत्र को मजबूत नियमों वाले एक मजबूत इकोसिस्टम, जनधन आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, अच्छी तरह से काम करने वाले क्रेडिट ब्यूरो और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत बैंकों से सहयोग से समर्थन प्रदान किया जाता है।
- **समावेशिता**: वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए स्थानीय भाषाओं में ऑडियो-विजुअल कंटेंट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) क्या हैं?

- MFI वित्तीय कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों को लघु ऋण प्रदान करती हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। माइक्रोफाइनांस संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों से कम होती हैं। इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं:

- **सूक्ष्म ऋण:** यह व्यक्तियों को बिना कोई जमानत/कॉलेटरल प्रदान किए छोटी राशि उधार लेने की सुविधा देता है। भारत में, 1 लाख रुपये से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है।

- **माइक्रोसेविंग्स (सूक्ष्म बचत):** ये बचत खाते उद्यमियों के लिए बिना किसी न्यूनतम शेष राशि के संचालित करने के लिए उपलब्ध हैं।
- **माइक्रोइंश्योरेंस**: वे तुलनात्मक रूप से कम प्रीमियम पर सूक्ष्म ऋण के उधारकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करते हैं।

MFI का महत्व:

- **वित्तीय समावेशन:** MFI बैंक रहित आबादी और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बीच अंतर को पाटता है। यह वंचित समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
- **महिला सशक्तीकरण**: महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या पुराने व्यवसाय का विस्तार करने के साधन प्रदान करके, माइक्रोफाइनेंस में लैंगिक अंतराल को कम करने और महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत अवसर पैदा करने में योगदान देता है।
- **ग्रामीण आर्थिक विकास:** यह किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें कृषि संसाधनों में निवेश करने में मदद मिलती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और समग्र ग्रामीण विकास होता है।
- **सामाजिक और आर्थिक विकास:** व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, यह रोजगार सृजन, उच्च जीवन स्तर और समानता पूर्ण अवसर पैदा करता है।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और अपने ग्राहकों के लिए प्रशिक्षण की मदद से, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर, माइक्रोफाइनेंस जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को अपने वित्तीय संसाधनों के लाभों को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाता है।

भारत में स्थिति:

- **माइक्रोफाइनेंस ग्राहक**: माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के अनुमान के मुताबिक, उद्योग इसी अवधि के अंत में 66 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो 32 प्रतिशत पहुंच को दर्शाता है।
- **क्षेत्रक की वृद्धि**: वित्त वर्ष 2013 में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उद्योग में स्वस्थ ग्राहक वृद्धि देखी जा रही है, साथ ही सामान्यीकृत ऑन-डिमांड कलेक्शन की दक्षता 98 प्रतिशत से अधिक है।
- **बाजार में पैठ:** ग्राहकों का एक हिस्सा 3 लाख रुपये की वार्षिक घरेलू आय की पारंपरिक माइक्रोफाइनेंस सीमा को पार कर गया है।
  - मजबूत ऐतिहासिक प्रदर्शन और बेहतर व्यावसायिक परिणामों ने इन ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण देने वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया है जिसमें बड़ी ऋण राशि शामिल है।
- **गैर-माइक्रोफाइनेंस ऋण की सीमा:** मौजूदा नियमों के तहत, गैर-माइक्रोफाइनेंस ऋण की सीमा नेट असेट्स के 25% तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों में साथ देना, अवसरों की पहचान करना और उपयुक्त वित्तीय समाधान तैयार करना है।
- **अंतिम मील तक पहुंचना**: लघु ऋण, क्रेडिट, बीमा, बचत खातों तक पहुंच और MSME और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले उद्यमियों या व्यक्तियों को धन हस्तांतरण की प्रणाली धीरे-धीरे समाज के असेवित क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है।
- **डिजिटलीकरण पहल:** स्मार्टफोन के तीव्र प्रसार और लेनदेन के डिजिटल तरीकों ने उधारकर्ताओं की सुविधा को बढ़ाया है।
  - आज, लगभग 100 प्रतिशत ऋण डिजिटल रूप से सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खाते में वितरित किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पुनर्भुगतान भी डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं।
- **MFI मॉडल विकास**: गैर-क्रेडिट प्रस्तावों के संदर्भ में, भुगतान, बचत और सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के क्षेत्र में उल्लेखनीय नवाचार उभर रहे हैं। ये घटनाक्रम पारंपरिक ऋण वितरण विधियों से परे MFI मॉडल के विकास को उजागर करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** MFI परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने, अंडरराइटिंग मॉडल को बेहतर करने और लागत को कम करने, वित्तीय साक्षरता को लगातार बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी को क्रमिक रूप से एकीकृत कर रहे हैं।

भारत में विभिन्न संस्थानों का ऋण पोर्टफोलियो वितरण:

- **जून 2022 तक, बैंकों के पास 38% हिस्सेदारी के साथ बहुमत है। इसके बाद 35% हिस्सेदारी के साथ NBFC-MFI हैं। SFB, NBFC और अन्य संस्थाओं की हिस्सेदारी 27% है।**

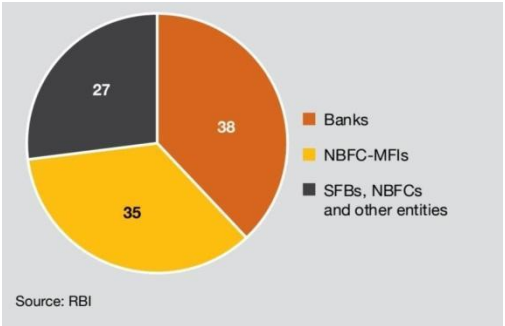

चित्र: **आउट्स्टैन्डिंग पोर्टफोलियो में वित्तीय संस्थानों (FI) की बाजार हिस्सेदारी**

भारत में MFI द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:

- **उच्च ब्याज दरें**: ग्रामीण भारत में कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थान परिचालन लागत को कवर करने के लिए अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरें लागू करते हैं, जो सीमित वित्तीय संसाधनों वाले उधारकर्ताओं पर बोझ डाल सकता है।
- **उपयुक्त ऋण मॉडल को सीमित करना:** ऋण देने के SHG या JLG मॉडल को MFI द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस तरह के अवैज्ञानिक मॉडल विकल्प से कमजोर वर्गों द्वारा अपनी ऋण चुकाने की क्षमता से अधिक उधार लेने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता:** भारत में अधिकांश **NGO-MFI** उच्च ब्याज दरों और कम ऋण शर्तों वाली स्थिर फंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर भरोसा करते हैं। MFI को भी एंकर निवेशकों के समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से बढ़ने में कठिनाई हो रही है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** परिवहन, संचार नेटवर्क और बैंकिंग सुविधाओं तक सीमित पहुंच वित्तीय सेवाओं की कुशल डिलीवरी में बाधा डाल सकती है और सूक्ष्म उद्यमों के विकास में बाधा बन सकती है।
- **विषम वितरण:** क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, 37 प्रतिशत के साथ देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसके बाद दक्षिण में 27 प्रतिशत और पश्चिम में 15 प्रतिशत है और ऋण पोर्टफोलियो का 82 प्रतिशत दस राज्यों में केंद्रित है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ:** पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ, सामाजिक मानदंड और जाति-आधारित पदानुक्रम माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों में आबादी के कुछ वर्गों, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।
- **फंडिंग के लिए निर्भरता:** सूक्ष्म ऋण देने वाली संस्थाएं फंडिंग के लिए बाजार पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाली छोटी-छोटी घटनाओं के दौरान, MFI को वित्तपोषण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **पारंपरिक बैंकिंग में परिवर्तन:** कई माइक्रोफाइनेंस संस्थान छोटे वित्त बैंकों में परिवर्तित हो गए हैं और इस प्रकार, वे कम लागत वाली जमा तक पहुंच के अलावा उच्च ब्याज दरों पर उधार दे सकते हैं।
- **छोटी संस्थाओं के लिए नुकसान:** शीर्ष 10 MFI को बैंक ऋण या इक्विटी प्राप्त करना आसान लगता है। ऋण प्राप्त करते समय छोटी संस्थाओं को आमतौर पर नुकसान होता है।

आगे की राह:

- **कम ब्याज दरें:** अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोकने और उधारकर्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सस्ती और पारदर्शी ब्याज दरों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- **बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना:** ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे को बनाए रखना आवश्यक है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना:** समुदायों को संवेदनशील बनाना, लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना इन बाधाओं को दूर करने और माइक्रोफाइनेंस अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सहायक नियामक वातावरण:** MFI लाइसेंसिंग को सरल बनाना और विकास में बाधा डालने वाले नियमों को हटाना आवश्यक कदम हैं।
- **असेवित क्षेत्रों की सेवा:** आकांक्षी जिलों या पहाड़ी इलाकों जैसे अल्पसेवित क्षेत्रों में कर प्रोत्साहन MFI विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** जिम्मेदारीपूर्ण ऋण-वितरण को बढ़ावा देने के लिए उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाबार्ड के क्षमता-निर्माण प्रयासों जैसी पहलों से सहायता प्राप्त होती है।
- **बैंक भी माइक्रोफाइनांस में प्रवेश कर रहे हैं:** अपनी लागत प्रभावी जमा क्षमताओं का लाभ उठाकर, बैंक सीधे ग्रामीण आबादी तक सूक्ष्म ऋण पहुंचा सकते हैं।

4.6 भारतीय रेलवे को बेहतर वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता है

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विभिन्न हिस्सों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए रेल मंत्रालय के लगभग **32,512 करोड़ के** प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रेलवे पर स्थायी समिति और **CAG की रिपोर्ट** ने रेलवे क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की है।

अन्य जानकारी:

- धनराशि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों को आवंटित की जाएगी।
- हालिया रिपोर्टें भारतीय रेलवे की परिचालन संबंधी कमियों पर प्रकाश डालती हैं।

रेलवे पर स्थायी समिति की रिपोर्ट:

- **पेंशन खर्चों के लिए वित्तीय सहायता:** इसने रेलवे को पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय से आंशिक वित्तीय सहायता लेने की अपनी सिफारिश दोहराई है।
- **बढ़ती पेंशन देनदारियाँ:** रेलवे के लिए पेंशन संबंधी चुनौतियाँ बढ़ते रहने का अनुमान है। अनुमानित पेंशन देनदारियां 2011-12 में लगभग 17,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में लगभग 60,000 करोड़ के अनुमानित भुगतान तक पहुंच गई हैं।
- **दीर्घकालिक स्थिरता:** हालांकि इन वित्तीय जरूरतों को संबोधित करने से रेलवे परिचालन पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बड़ी चिंता दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर बनी हुई है।
- **परिचालन संबंधी कमियाँ:** रेलवे की स्व-निर्मित निधियों में लगातार गिरावट भारतीय रेलवे की समग्र योजना और प्रबंधन में आंतरिक कमियों को इंगित करती है।

चित्र: 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ

2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट:

- **परिचालन अनुपात (OR) में गिरावट:** OR यातायात से प्राप्त आय और कार्यात्मक व्यय के अनुपात की गणना करने का एक उपाय है। यह 2020-21 में 97.45 प्रतिशत के मुकाबले 2021-22 में 107.39 प्रतिशत था, क्योंकि रेलवे निवल अधिशेष सृजित नहीं कर सका।
- **OR वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है:** यदि पेंशन भुगतान पर वास्तविक व्यय के साथ-साथ डेप्रिशियेशन रिजर्व फंड (DRF) पर व्यय को ध्यान में रखा जाता है, तो OR 109.36 प्रतिशत से अधिक होता।
  - o पुरानी संपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए DRF का रखरखाव किया जाता है।
- **अपर्याप्त DRF प्रावधान:** पिछले पांच वर्षों में इसमें लगातार कमी आई है। इसने पुरानी संपत्तियों के प्रतिस्थापन में बाधा उत्पन्न की और साथ ही परिचालन सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।
- **साधारण कार्य व्यय (OWE):** 2020-21 के दौरान, OWE पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत 75.45 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर कुल राजस्व व्यय का 98.27 प्रतिशत हो गया।
  - o **साधारण कार्य व्यय (OWE)** में रेलवे के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और परिचालन पर होने वाला व्यय शामिल है।
- **आंतरिक संसाधनों का अपर्याप्त सृजन:** इसके परिणामस्वरूप **सकल बजटीय सहायता (GBS**) और बजट इतर संसाधनों (EBR) पर अधिक निर्भरता हुई।
  - o 2020-21 के दौरान, रेलवे ने बजट अनुमान में परिकल्पित ₹ 2,25,913 करोड़ के मुकाबले ₹ 1,40,783.55 करोड़ के कुल आंतरिक संसाधन उत्पन्न किए।
  - o EBR की राशि ₹71,065.86 करोड़ थी, जो 2020-21 की तुलना में 42.31% की कमी दर्शाती है।
  - o भारतीय रेलवे 1987 में अपनी स्थापना के बाद से रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) के माध्यम से EBR बढ़ा रहा है।

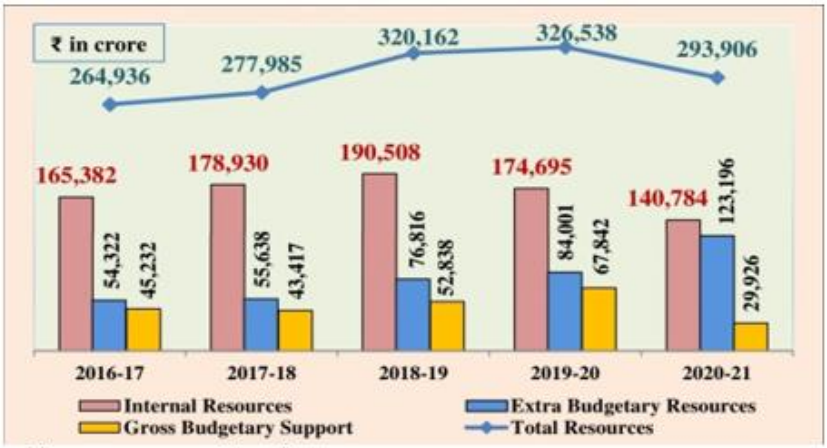

चित्र: पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न संसाधनों की हिस्सेदारी

- IRFC रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'A' सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
- IRFC का प्राथमिक उद्देश्य सबसे प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर बाजार ऋण के माध्यम से भारतीय रेलवे की EBR आवश्यकता के प्रमुख हिस्से को पूरा करना है।

- **क्रॉस-सब्सिडी की चुनौती:** भारतीय रेलवे यात्री सेवाओं और अन्य कोच संबंधी सेवाओं की परिचालन लागत को पूरा करने में असमर्थ था।
  - o माल परिचालन पर उत्पन्न लाभ का उपयोग करके यात्री किरायों पर क्रॉस-सब्सिडी दी जाती है। यह क्रॉस-सब्सिडी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि रेलवे स्लीपर क्लास का किराया बढ़ाने में सक्षम नहीं है।
  - o FY22 में, रेलवे का घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ, लेकिन माल ढुलाई से ₹36,196 करोड़ का पूरा लाभ क्रॉस-सब्सिडी और यात्री एवं अन्य कोच सेवाओं के परिचालन पर नुकसान की भरपाई के लिए उपयोग किया गया था।

भारत में रेलवे क्षेत्र के बारे में:

- भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है।
- भारतीय रेलवे में 7,335 स्टेशनों के साथ कुल ट्रैक लंबाई 126,366 किमी है। 2021-22 के दौरान 2909 किलोमीटर की तुलना में 2022-23 के दौरान 5243 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम किया गया।
- औसत दैनिक ट्रैक बिछाने का कार्य 14.4 किलोमीटर प्रति दिन (अब तक की सर्वाधिक कमीशनिंग) था।
- भारतीय रेलवे भारत में एकल सबसे बड़ा नियोक्ता और दुनिया में आठवां सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो लगभग 1.3 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

भारत में रेलवे क्षेत्र के सामने चुनौतियाँ:

- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** तकनीकी खराबी और सिस्टम ब्रेकडाउन से सिग्नल संबंधी त्रुटियाँ, ट्रैक का गलत स्थान और अन्य गंभीर सुरक्षा जोखिम होते हैं। उदाहरण-बालासोर ट्रेन हादसा।
- **रेलवे बोर्ड का विभागीकरण:** इसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यातायात और वित्त आदि जैसे अलग-अलग प्रभागों में संरचित किया गया है, जिससे यह एक जटिल, अत्यधिक विभागीय इकाई बन जाती है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्षमताओं का कारण बनती है।
- **सामाजिक दायित्वों का बोझ:** इसे राजस्व उत्पन्न करने और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की दोहरी भूमिकाएँ निभाने का काम सौंपा गया है। इसे एक व्यावसायिक इकाई के साथ-साथ सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाध्य माना जाता है।
- **अत्यधिक भीड़भाड़:** ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होती है और जोखिम बढ़ जाता है। यात्री-भार और अपर्याप्त क्षमता, सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान यात्री आवाजाही को संभालने में कठिनाइयां पैदा होती हैं।
- **आधुनिकीकरण का अभाव:** यह अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं को आधुनिक बनाने में विफल रहा है। इसके उपकरण, प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षण वर्षों से बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के कायम हैं।
  - o CAG के 2017 और 2021 के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के विश्लेषण के अनुसार ट्रेन का पटरी से उतरना दुर्घटनाओं का प्राथमिक कारण बना हुआ है। यह कुल रेल दुर्घटनाओं में से 69% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- **भूमि अधिग्रहण:** भूमि अधिग्रहण में देरी से परियोजना में देरी होती है और परियोजना लागत में वृद्धि होती है।
- **नियामक बाधाएँ:** रेलवे प्रणाली के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा सौंपी गई परियोजनाओं में नौकरशाही बाधाओं, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय विचारों के कारण देरी होती है।
- **उच्च माल ढुलाई लागत:** भारत की माल ढुलाई लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14 प्रतिशत है, जबकि अन्य विकसित देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद का 9 से 10 प्रतिशत है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग का अभाव:** वर्तमान में निजी निवेश कुल बुनियादी ढाँचे के निवेश का लगभग 15% ही है।

रेलवे क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए सुधार:

विज़न-2024	• 2024 तक 2024 मीट्रिक टन माल-लदान के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।
100% विद्युतीकरण	• भारतीय रेलवे (IR) मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। • इसका लक्ष्य 2023 तक पूरे नेटवर्क को विद्युतीकृत करना है जिससे 1.55 अरब डॉलर की वार्षिक ऊर्जा बचत होगी। • फरवरी 2023 तक, कुल ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 85% विद्युतीकृत हो चुका है।
कवच प्रणाली	• यह भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
हाई स्पीड रेल	• अगले तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स	• अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय रेल योजना:	• इसका लक्ष्य 2030 तक माल ढुलाई की हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 45% करना है।
मिशन रफ़्तार	• इसका लक्ष्य मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करना और सुपरफास्ट/मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाना है।

आगे की राह:

- **वित्तीय स्थिरता बढ़ाना**: केंद्रीय बजट के माध्यम से निवेश में वृद्धि के बावजूद, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण में अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए रेलवे के लिए उचित वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है।
- **राजस्व सृजन के साधन तलाशना:** यद्यपि परिचालन दक्षता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, सरकार को रेलवे के प्रबंधन के लिए अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- **प्रबंधन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना:** रेलवे की वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी केवल रेलवे की नहीं है। उदाहरण के लिए, रेलवे का यात्री किराए में परिवर्तन और वेतन एवं पेंशन पर सीमित नियंत्रण है।
- **माल ढुलाई बास्केट का विविधीकरण:** माल ढुलाई की आय बढ़ाने के लिए इसे अपनी माल ढुलाई बास्केट में विविधता लाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।
  - वर्तमान में, कोयले के परिवहन से उसकी माल ढुलाई आय का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा आता है।
- **अधिक पुरानी परिसंपत्तियों का नवीनीकरण:** ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए अधिक पुरानी परिसंपत्तियों के नवीकरण और प्रतिस्थापन का एक बड़ा बैकलॉग है, जिसे समय पर बदलने की आवश्यकता है।
- **निजी भागीदारी सुनिश्चित करना:** भारत के बुनियादी ढांचे के माहौल में निवेश को बनाए रखने के लिए, उपयोगकर्ता-भुगतान सिद्धांत की सामाजिक स्वीकृति और प्रवर्तन के साथ-साथ सख्त अनुबंध प्रवर्तन की आवश्यकता होगी।
- **नियामक बाधाओं को सुव्यवस्थित करना:** सरकार को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, समान मुआवजे की गारंटी देने और प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित पुनर्वास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **परिचालन घाटे को न्यूनतम करना:** यात्री परिचालन की गहन समीक्षा के साथ-साथ घाटे को कम करने के लिए आवश्यक उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष निधि (RKSK) का कुशल उपयोग:** CAG रिपोर्ट के अनुसार, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और गैर-सुरक्षा कार्यों के लिए इन निधियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में 25% तक बढ़ गया।
  - RKSK को रेलवे सुरक्षा संपत्तियों के नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- 2017-21 के दौरान 1127 पटरी से उतरने की घटनाओं में से 289 पटरी से उतरने की घटनाएं (26%) ट्रैक नवीनीकरण से जुड़ी थीं और इसका प्रमुख कारण RKSK फंड का उपयोग न करना था।

4.7 पशुपालन: सफलता और बाधाएँ

संदर्भ:

- हाल ही में, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान 7.67% की उच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर लगातार बढ़ रहा है।

अन्य संबंधित जानकारी:

- **बदलते आहार और आय**: वृद्धि का श्रेय पशुधन क्षेत्र के मापदंडों जैसे डेयरी, मवेशी, पोल्ट्री, बकरी पालन/सूअर पालन आदि को दिया जाता है।
  - उच्च आय और बदलते आहार के कारण मांस, दूध और अंडे जैसे पशु उत्पादों की बढ़ती मांग, पशुधन पालन के आकर्षण को बढ़ाती है।
- **आजीविका का विश्वसनीय स्रोत:** फसल की खेती की तुलना में पशुपालन किसानों के लिए आजीविका का अधिक भरोसेमंद स्रोत बनता जा रहा है, जो कि फसल उत्पादन की तुलना में अधिक विकास दर दर्शाता है। यह कृषि क्षेत्र में बदलाव को भी दर्शाता है।
- **जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताएँ**: यह बदलाव जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण है जो फसलों को खतरे में डालती हैं, जिससे पशुपालन एक सुरक्षित विकल्प बन गया है।
- **GVA में योगदान:** सकल मूल्य वर्धित **(GVA)** में पशुधन का योगदान बढ़ गया है, जबकि फसलों का हिस्सा घट गया है।
  - **फसल उप-क्षेत्र**, जिसका 2011-12 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योगदान 62.44 प्रतिशत था, 2021-2022 में लगातार घटकर 55.33 प्रतिशत हो गया।

- **पशुधन क्षेत्र का** GVA 2011-12 में 25.56 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2021-22 में 30.19 प्रतिशत हो गया।

- **जीविका के प्राथमिक साधन:** यह प्रवृत्ति बताती है कि पशुपालन प्राथमिक कृषि फोकस के रूप में फसल खेती की जगह ले सकता है।
  - आज भी, छोटे किसान और भूमिहीन व्यक्ति जीविका के लिए पशुधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, अकेले डेयरी उद्योग ही लाखों डेयरी किसानों को सहायता करता है।
- **महिला सशक्तिकरण में भूमिका:** महिला उत्पादक देश में डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कार्यबल हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है, और महिला सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभाता है।
  - 2015-2016 में डेयरी सहकारी समितियों में पांच मिलियन महिला सदस्य थीं, और 2020-2021 में यह बढ़कर 5.4 मिलियन हो गई, जो कुल सदस्यों का 31 प्रतिशत है।

पशुपालन क्या है?

- पशुपालन, कृषि की वह शाखा है जो उन जानवरों से संबंधित है जिन्हें मांस, फाइबर, दूध या अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। इसमें दिन-प्रतिदिन की देखभाल, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन का पालन-पोषण शामिल है।

भारत में विभिन्न पशुपालन क्षेत्रों का अवलोकन:

दूध	• **वैश्विक स्थिति**: भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। • **प्रति व्यक्ति उपलब्धता:** 2021-22 के दौरान यह 444 ग्राम/दिन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम/दिन अधिक है। • **प्रमुख उत्पादक राज्य:** राजस्थान (15.05%), उत्तर प्रदेश (14.93%), मध्य प्रदेश (8.06%), गुजरात (7.56%) और आंध्र प्रदेश (6.97%)।
मांस	• **विकास दर:** वर्ष 2021-22 के लिए देश में कुल मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन है, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 5.62% है। • **प्रमुख उत्पादक राज्य:** महाराष्ट्र (12.25%), उत्तर प्रदेश (12.14%), पश्चिम बंगाल (11.63%), आंध्र प्रदेश (11.04%), और तेलंगाना (10.82%)। o 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6.82 किलोग्राम प्रति वर्ष है जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 किलोग्राम प्रति वर्ष बढ़ गई है।
अंडे	• **उत्पादन**: 2021-22 में देश में कुल अंडा उत्पादन 129.60 बिलियन है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की बढ़ोत्तरी हुई . • **प्रमुख उत्पादक राज्य**: आंध्र प्रदेश (20.41%), तमिलनाडु (16.08%), तेलंगाना (12.86%), पश्चिम बंगाल (8.84%) और कर्नाटक (6.38%)। • **प्रति व्यक्ति उपलब्धता:** 2021-22 में, अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 प्रति वर्ष रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रति वर्ष की वृद्धि हुई।
ऊन	• **उत्पादन**: 2021-22 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.13 हजार टन है जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% कम है। • **प्रमुख उत्पादक:** राजस्थान (45.91%), जम्मू और कश्मीर (23.19%), गुजरात (6.12%), महाराष्ट्र (4.78%) और हिमाचल प्रदेश (4.33%)।

पशुपालन की चुनौतियाँ:

- **कम उत्पादकता:** भारत में पशुधन उत्पादन प्रणालियाँ ज्यादातर पारंपरिक ज्ञान, फसल अवशेषों और कृषि-उपोत्पादों से प्राप्त कम लागत वाले इनपुट पर आधारित हैं, जिससे उत्पादकता कम होती है।
  - भारतीय मवेशियों की औसत वार्षिक दूध उपज 1172 किलोग्राम है जो वैश्विक औसत का लगभग 50 प्रतिशत ही है।
- **पशु रोग:** टीकाकरण के अपर्याप्त कवरेज के कारण और लगातार विभिन्न पशु रोगों के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है।
  - **हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया (HS), फुट एंड माउथ डिजीज (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR), क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण लगभग 429 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक आर्थिक नुकसान (2016) हुआ है।**
- **फ़ीड/चारे की कमी**: विश्व के केवल 2.29 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ भारत लगभग 10.70 प्रतिशत पशुधन का रखरखाव कर रहा है और इसकी खेती योग्य भूमि का केवल 5 प्रतिशत चारा उत्पादन के अंतर्गत आता है।

- **संस्थागत समर्थन:** पशुपालन उत्पाद के लिए कोई MSP समर्थन नहीं है और उनके पास फसल-आधारित वस्तुओं की तरह विपणन का अभाव है।
  - o कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 12% अपर्याप्त वित्तपोषण है, जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान से काफी कम है।
- **अपर्याप्त प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन**: आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भैंस के मांस की प्रसंस्करण दर लगभग 21 प्रतिशत और मुर्गीपालन के लिए 6 प्रतिशत है।
- **क्षेत्र का अनौपचारीकरण:** भारतीय पशुधन और पशुधन उत्पाद बाजार ज्यादातर अविकसित, अनियमित, अनिश्चित है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसमें अधिकांशतः अनौपचारिक बाजार के बिचौलियों का प्रभुत्व होता है जो उत्पादकों का शोषण करते हैं।
- **लगभग 60 प्रतिशत दूध असंगठित क्षेत्र द्वारा बेचा जाता है।**
- **विस्तार सेवाओं की ओर अपर्याप्त ध्यान**: पोल्ट्री उत्पादों और कुछ हद तक दूध को छोड़कर, पशुधन और पशुधन उत्पादों के बाजार अविकसित, अनियमित हैं और अनौपचारिक बाजार बिचौलियों के प्रभुत्व के कारण पारदर्शिता की कमी है।
- **बीमा:** वर्तमान में, केवल 6% पशु प्रमुखों (पोल्ट्री को छोड़कर) को बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** भारत की जुगाली करने वाले पशुओं की विशाल आबादी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती है। शमन और अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी।
  - o भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 33% के लिए मवेशी जिम्मेदार हैं।

विस्तार सेवाएँ:

- एक कृषि विस्तार सेवा किसानों को कृषि पर तकनीकी सलाह प्रदान करती है,और उन्हें उनके कृषि उत्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक इनपुट और सेवाएँ प्रदान करती है।
- यह किसानों को कृषि अनुसंधान स्टेशनों द्वारा विकसित नए विचार प्रदान करता है।
- कृषि विस्तार कार्यक्रम एक व्यापक क्षेत्र को कवर करते हैं जिसमें उन्नत फसल किस्में, बेहतर पशुधन नियंत्रण, बेहतर जल प्रबंधन और खरपतवार, कीट या पौधों की बीमारियों का नियंत्रण शामिल है।

सरकारी कार्यक्रम:

- **क्रेडिट गारंटी योजना:** AHIDF के तहत योजना गैर-सेवारत और अल्प-सेवा वाले पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों और समाज के वंचित वर्गों को ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता होती है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** यह मिशन दूध उत्पादन और गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण की दिशा में काम करता है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)**: इसे पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें गुणवत्तापूर्ण फ़ीड और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पालकों के संगठन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास कोष**: इसे दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद के लिए लॉन्च किया गया था।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना:** इसका उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाना है।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)**: इसका लक्ष्य 100% मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी को FMD के लिए और 4-8 महीने की उम्र की 100% गोजातीय मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीका लगाकर खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना है।

आगे की राह:

- **जीन बैंकों की स्थापना**: पशुधन की स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे रोग प्रतिरोधी हैं, जलवायु के अनुकूल हैं। जीन बैंकों की स्थापना से अनुसंधान संस्थानों को इन नस्लों का प्रभावी ढंग से अध्ययन और संरक्षण करने में सहायता मिलती है।
- **चारा क्षेत्र में कृषि उद्यमियों का पोषण**: फ़ीड/ चारा उद्यमियों के एक अखिल भारतीय समूह को औपचारिक प्रशिक्षण और कुशल संसाधन प्रदान करके तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वे फ़ीड/चारे में आत्मनिर्भर बन सकें।
  - o प्रमाणित चारा बीज, चारा ब्लॉक और एजोला का उत्पादन, सिलेज और फ़ीड पेलेटिंग, हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन कुछ संभावित क्षेत्र हैं जिन्हें उद्यमशीलता गतिविधियों के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करना:** उत्पादित पशुधन की खपत के लिए ऊन, फाइबर, मांस और दूध जैसे कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कपड़ा उद्योगों के लिए फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने की आवश्यकता है।
- **वन हेल्थ दृष्टिकोण:** यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को मजबूत करने और सुधारने के लिए कई हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, और मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु स्वास्थ्य (जंगली और घरेलू दोनों) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - o वन हेल्थ एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- **वन्यजीव-प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों का संवर्ग**: वे वन्यजीव स्वास्थ्य की निगरानी और वन्यजीव रोगों के इलाज के लिए समर्पित पशुचिकित्सक होंगे।

- **रोग निगरानी:** पशुओं के साथ-साथ जंगली जानवरों के लिए भी बीमारी की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जंगली बीमारियाँ फैलने का कारण न बनें।
- **विस्तार प्रबंधन पर विस्तार कर्मियों की क्षमताओं का विकास करना:** पशुधन विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण विधियों, ऑडियो विजुअल सहायता, डेटा संग्रह उपकरण इत्यादि जैसी प्रक्रिया दक्षताएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- **सतत पशुधन बुनियादी ढाँचा:** राज्य सरकारों की गतिविधियों को विभिन्न टीकाकरण, कौशल विकास और पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचे के निर्माण के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्र विशिष्ट नीति:** क्षेत्र विशिष्ट नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुर्गीपालन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में मुर्गीपालन की ओर और तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **महिला समावेशी नीतियां**: महिला-समावेशी सहकारी समितियां और अन्य उत्पादक संघ या समूह नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं के योगदान के साथ-साथ उनकी सौदेबाजी की शक्ति और इनपुट और बाजारों तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए**, PRADAN द्वारा समर्थित नेशनल स्मॉलहोल्डर पोल्ट्री डेवलपमेंट ट्रस्ट (NSPDT),** ग्रामीण भारत में गरीब महिलाओं को सफल पोल्ट्री उद्यम शुरू करने और चलाने में सक्षम बनाता है।

4.9 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने ऐसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) पर एक साथ काम करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच साझेदारी की अवधारणा पर विचार किया है जिसका उपयोग हर कोई कर सकता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत ने 'वन फ्यूचर एलायंस' की एक अवधारणा शुरू की है, जो एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य सभी देशों और हितधारकों को DPI के भविष्य के साथ तालमेल बिठाने, उसे आकार देने, उसकी योजना बनाने और डिजाइन करने के लिए एक साथ लाना है।
- प्रस्तावित गठबंधन के तहत, भारत साइबर सुरक्षा सिद्धांतों और कानूनों के लिए एक वैश्विक ढांचा बनाने हेतु अन्य देशों के साथ काम करेगा।
- **दुनिया भर में DPI को बढ़ावा देने में भारत के प्रयास हैं:**
  - भारत ने आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा के साथ अपना 'इंडिया स्टैक' साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  - इंडिया स्टैक मोटे तौर पर सामाजिक लाभ पहुंचाने के लिए जनसंख्या स्तर पर लागू किए गए डिजिटल समाधानों को संदर्भित करता है।
- भारत अपनी DPI साझेदारी बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है।
- **UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश:** सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) भारत की मोबाइल-आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके, चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में:

- DPI उन डिजिटल प्लेटफार्मों और प्रणालियों को संदर्भित करता है जो पहचान, भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बनाता है।
- इसे डिजिटल इकोसिस्टम में एक मध्यवर्ती परत के रूप में समझा जा सकता है।
- यह एक भौतिक परत (कनेक्टिविटी, डिवाइस, सर्वर, डेटा सेंटर, राउटर इत्यादि सहित) के ऊपर स्थित है। यह ऐप्स की एक परत (विभिन्न वर्टिकल, ई-कॉमर्स, नकद हस्तांतरण, दूरस्थ शिक्षा, टेलीहेल्थ इत्यादि के लिए सूचना समाधान) का समर्थन करता है। .
- DPI सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, पारदर्शिता, समावेशन और नवाचार में सुधार करके गरीबी में कमी, जलवायु लचीलापन और डिजिटल रूपांतरण जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है।

भारत और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- **भारत, इंडिया स्टैक के माध्यम से, JAM ट्रिनिटी इनिशिएटिव (JAM का अर्थ जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर) के माध्यम से सभी तीन मूलभूत DPI विकसित करने वाला पहला देश बन गया:**
  - जन-धन खाते बहिष्कृत वर्गों यानी कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन आदि तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

- **रीयल-टाइम तेज़ भुगतान:** 2022 में 89.5 बिलियन भुगतान लेनदेन (76.8% सालाना वृद्धि (2021-2022) के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर रीयल-टाइम भुगतान के मामले में पहले स्थान पर है।
- **डिजिटल पहचान (आधार):** अब तक 1.3 अरब से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 15 अरब आधार आधारित e-KYC सत्यापन किया जा चुका है।
- **गोपनीयता से समझौता किए बिना व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने का एक मंच:** BHIM-UPI उपयोगकर्ताओं के बीच पसंदीदा भुगतान पद्धति के रूप में उभरा है।
- UPI ने मई'23 में 9 अरब लेनदेन ($179 अरब मूल्य) से अधिक की प्रोसेसिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
- भारत में कुल खुदरा डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 75% है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का महत्व

- **दक्षता:** DPI स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शासन जैसी सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार कर सकता है।
  - आधार प्रणाली 1.4 अरब से अधिक भारतीयों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करती है, जो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।
- **सशक्तीकरण:** DPI नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सूचना, अवसर और अधिकारों तक पहुंच प्रदान करके डिजिटल समावेशन और सशक्तीकरण को सक्षम कर सकता है।
  - UPI लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए त्वरित और कम लागत वाले डिजिटल लेनदेन की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की सुविधा मिलती है।
- **नवाचार:** DPI डेटा एक्सचेंज, इंटरऑपरेबिलिटी और पुन: उपयोग के लिए एक साझा मंच बनाकर, क्षेत्रों और देशों में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
  - अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच सहमति-आधारित डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे उपभोक्ता की पसंद और सुविधा बेहतर होती है।
- **सतत विकास लक्ष्य:** DPI गरीबी में कमी, जलवायु लचीलापन और डिजिटल परिवर्तन जैसी तत्काल चुनौतियों का समाधान करके सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता कर सकता है।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार कर सके।
  - यह SDG-03 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा अर्थात स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी आयु के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देगा।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास में आने वाली चुनौतियाँ

- **साइबर हमला:** DPI साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील है। यह डेटा और लेनदेन की सुरक्षा से समझौता करता है।
  - जून, 2018 और मार्च, 2022 के बीच, भारत के बैंकों ने हैकर्स और अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन के 248 मामले दर्ज किए, जिनमें से 41 मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से, 205 मामले निजी क्षेत्र के बैंकों से और दो मामले विदेशी बैंकों से थे।
- **नियामक की अनुपस्थिति:** DPI को एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित कर सके, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रख सके और जवाबदेही एवं अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक अभी भी संसद में लंबित है, जिससे डेटा उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के लिए अनिश्चितता और अस्पष्टता पैदा हो रही है।
- **शासन:** DPI को एक मजबूत संस्थागत क्षमता और शासन संरचना की आवश्यकता है जो डिजिटल अवसंरचना की जटिलता का प्रबंधन कर सके, विभिन्न अभिकर्ताओं और एजेंसियों के बीच समन्वय कर सके एवं विवादों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल कर सके।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसे संसाधनों, विशेषज्ञता और समन्वय की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **वित्तपोषण:** DPI को निरंतर निवेश और नवाचार की आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ताओं की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठा सके, मौजूदा बुनियादी ढांचे में अंतराल और चुनौतियों का समाधान कर सके और उभरती प्रौद्योगिकियों और अवसरों का लाभ उठा सके।
  - भारतनेट परियोजना का लक्ष्य भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, लेकिन इसमें देरी, लागत वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

- **डिजिटल असमानता:** भारत में एक डिजिटल डिवाइड है जहां कई लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **बुनियादी ढाँचा:** सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और हार्डवेयर सहित उचित बुनियादी ढाँचे की कमी है।

DPI को अधिक मजबूत और कुशल बनाने के कदम हैं:

- **डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा और आधार एवं बैंकिंग डेटा जैसी** महत्वपूर्ण जानकारी पर साइबर हमलों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए।
  - o साइबर खतरों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, उद्योग की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति की आवश्यकता है।
    - **उचित प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाए** जो उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, सिस्टम की अंतरसंचालनीयता और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित कर सकें और उभरते अवसरों और नवाचारों का लाभ उठा सकें।
    - व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शित की जाए जो यूजर्स के बदलते संदर्भों और मांगों के अनुकूल हो सके, सिस्टम में फीडबैक और चुनौतियों का जवाब दे सके और सीखने और प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सके।
    - परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त की जाए जो सिस्टम के प्रदर्शन और गुणवत्ता को अनुकूलित कर सके, डेटा और सेवाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, और जोखिमों और लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके।
    - ऐसे नवाचार को सक्षम किया जाए जो नए समाधान और उत्पाद बना सके जो उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्य वर्धन करे, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न अभिकर्ताओं और क्षेत्रों के साथ सहयोग करे, और मौजूदा बुनियादी ढांचे और डेटा का पुन: उपयोग करे।
    - एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित किया जाए जो विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित कर सके, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रख सके, जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित कर सके एवं विवादों और शिकायतों का समाधान कर सके।
    - एक मजबूत संस्थागत क्षमता और शासन संरचना बनाएं जो डिजिटल बुनियादी ढांचे की जटिलता का प्रबंधन कर सके, विभिन्न अभिकर्ताओं और एजेंसियों के बीच समन्वय कर सके और उपयोगकर्ताओं और समुदायों के साथ जुड़ सके।
    - निरंतर निवेश और नवाचार को सुरक्षित रखा जाए जो उपयोगकर्ताओं की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठा सके, मौजूदा बुनियादी ढांचे में अंतराल और चुनौतियों का समाधान कर सके और उभरती प्रौद्योगिकियों और अवसरों का लाभ उठा सके।
    - भारत में डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जाए ताकि नागरिकों को डिजिटल सेवाओं और प्लेटफार्मों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि कई लोग उनके लाभों से अनजान हैं या उन तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है।
- डिजिटल साक्षरता के लिए समर्पित **PMGDISHA कार्यक्रम** के तहत भारत में लगभग **20 मिलियन महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर** होने के लिए प्रमाणित किया गया है।

डिजिटल इंडिया मिशन

- यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- **मिशन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है** - प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में **डिजिटल बुनियादी ढांचा**, **गवर्नेंस और मांग आधारित सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण**।
- **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का उद्देश्य** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने के लिए प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है।
- **नेशनल हेल्थ स्टैक:** यह भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा के संग्रह, भंडारण और विनिमय के लिए एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करना है। इसमें हेल्थ आईडी, डिजी-डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और अन्य कई घटक शामिल हैं।
  - o **लक्ष्य**: देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना।
- **डिजीलॉकर**: यह भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक डिजिटल लॉकर सेवा है जो नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य को डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।
  - o यह भौतिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता को समाप्त करता है और उन्हें कभी भी, कहीं भी एक्सेस करने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।

Q. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है और यह भारत में लोगों, धन और सूचना के प्रवाह को कैसे सुविधाजनक बनाता है? भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए DPI के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

4.10 महामारी के बाद भारत में रोजगार परिदृश्य

संदर्भ:

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-अप्रैल **2019 से 2023 तक केवल तीन वर्षों में**, भारत के कार्यबल में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इस अवधि के दौरान स्व-रोज़गार व्यवसायियों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई।

भारत में रोजगार के रुझान:

- **कुल रोजगार:** जनवरी-अप्रैल 2023 तक, भारत में 412.9 मिलियन कार्यरत व्यक्ति थे।
  - जनवरी-अप्रैल 2019 में महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में यह संख्या 8.6 मिलियन बढ़ गई थी।

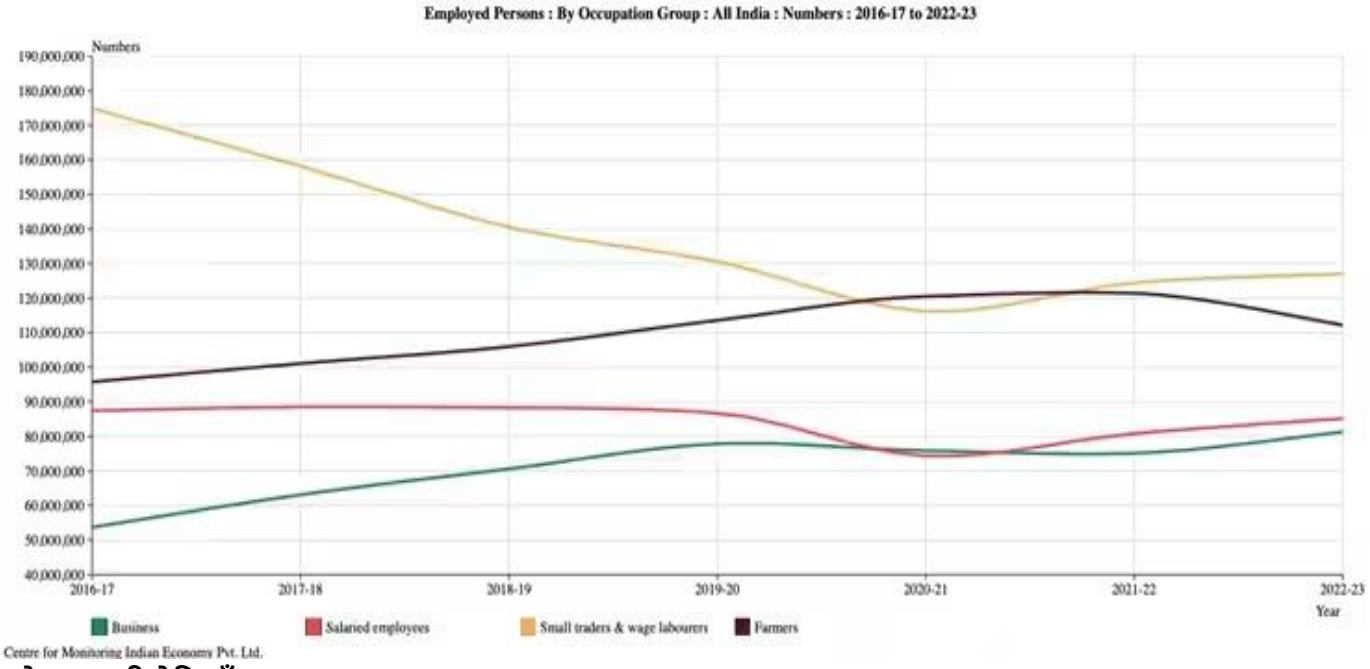

- **रोजगार की श्रेणियाँ:**
  - **किसान:** भारत में सबसे बड़ी रोजगार श्रेणी में किसान शामिल हैं, जो कृषि गतिविधियों में शामिल हैं।
  - **दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी:** दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी में दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं।
  - **वेतनभोगी वर्ग:** तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी वेतनभोगी वर्ग है, जिसमें विभिन्न संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
  - **बिजनेस क्लास या उद्यमी:** चौथी सबसे बड़ी श्रेणी में व्यवसाय और उद्यमिता में लगे व्यक्ति शामिल हैं।
- **रोजगार प्रक्षेपवक्र:**
  - **व्यवसाय:** "व्यवसाय" श्रेणी पूरी तरह से महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच गई है, पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में 8.4 मिलियन की वृद्धि हुई है।
  - **वेतनभोगी वर्ग, दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी:** ये तीन श्रेणियां अभी भी महामारी से पहले के स्तर तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या अभी भी जनवरी-अप्रैल 2019 के दौरान की तुलना में कम है।

भारत में "**व्यवसाय" वर्ग** को **तीन मुख्य उप-श्रेणियों** में विभाजित किया जा सकता है:

- **व्यवसायी:** पूंजी और मानव संसाधनों का उपयोग करके बड़े व्यवसाय चलाने वाले, निश्चित परिसर (कार्यालय, दुकानें, कारखाने) का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति।
- **योग्य स्व-रोज़गार पेशेवर:** वे लोग जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्यम चलाते हैं (जैसे, डॉक्टर, वकील, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट)।
- **स्व-रोज़गार**: सीमित वित्तीय, मानव या व्यावसायिक संसाधनों (जैसे, टैक्सी ड्राइवर, नाई, रियल एस्टेट एजेंट, मॉडल, ज्योतिषी) के साथ अपने स्वयं के व्यवसाय का प्रबंधन करने वाले उद्यमी।

स्व-रोज़गार का उदय:

- स्व-रोज़गार उद्यमियों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी, लगभग 70-80 प्रतिशत थी।

- CMIEके अनुसार, व्यवसायियों की हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई और स्व-रोज़गार उद्यमियों की हिस्सेदारी में समान वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई।

डेटा विश्लेषण पर निष्कर्ष:

- **पारंपरिक व्यवसाय वर्ग में गिरावट:** भारत में संपन्न उद्यमी वर्ग, पूर्ण संख्या में और जनसंख्या के अनुपात में, एक बड़ी गिरावट का अनुभव कर रहा है।
- **स्व-रोज़गार में वृद्धि**: भारत में स्व-रोज़गार बढ़ रहा है, लोग सीमित संसाधनों और पूंजी का उपयोग करके व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।
- **वास्तविक उद्यमिता के बारे में चिंताएँ**: स्व-रोजगार में वृद्धि वास्तविक उद्यमिता के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है, क्योंकि यह वास्तविक उद्यमशीलता उद्यमों के बजाय सीमित रोजगार के अवसरों से प्रेरित हो सकती है।
- **आर्थिक स्थितियाँ:** स्व-रोज़गार में वृद्धि आर्थिक चुनौतियों और संगठित क्षेत्रों में सीमित नौकरी के अवसरों का संकेत दे सकती है, जिससे लोग आजीविका के साधन के रूप में स्व-रोज़गार का विकल्प चुन सकते हैं।

भारत को क्या करना चाहिए?

- **कृषि से बदलाव:** कम उत्पादकता वाले कृषि में लगे एक बड़े हिस्से (45.5%) को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करके मौजूदा श्रम शक्ति का उपयोग करें।
- **श्रम-सघन विनिर्माण:** रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कपड़ा, खिलौने, जूते, ऑटो-पार्ट्स, खेल के सामान और कृषि प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **संभावित क्षेत्र**: आगे रोजगार सृजन के लिए रेस्तरां, होटल, खनन, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और देखभाल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं खोजनी चाहिए।
- **बुनियादी ढाँचा विकास**: व्यापार लागत को कम करने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विनिर्माण क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में तेजी लाना चाहिए।
- **उत्पादकता के लिए कौशल और उन्नयन:**
  - **कौशल विकास कार्यक्रम:** मानव संसाधन कौशल को बढ़ाने के लिए जन शिक्षण संस्थान, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना जैसी पहलों का उपयोग किया जाए।
  - **असंगठित क्षेत्र पर फोकस:** कौशल को बढ़ाकर और उच्च-कुशल इकोसिस्टम का निर्माण करके असंगठित क्षेत्र (जहां 93% रोजगार निहित है) में कम वेतन वाले रोजगार को संबोधित किया जाए।
  - **शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं:** उत्पादक और स्वस्थ श्रम बल सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश किया जाए।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभ:

- **औसत आयु:** भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, जो अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य प्रमुख देशों की तुलना में युवा आबादी को दर्शाता है।
- **कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि:** भारत वर्तमान में कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि के दौर का अनुभव कर रहा है, जो आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।
- **वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में कमी**: भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में गिरावट आ रही है, जिसका अर्थ है कि कामकाजी उम्र की आबादी के सापेक्ष कम बुजुर्ग आश्रित हैं, जिससे संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ रहा है।
- **विश्व की वृद्ध जनसंख्या**: इसके विपरीत, विश्व में वृद्धावस्था की प्रवृत्ति देखी जा रही है, कई देशों में वृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि का अनुभव हो रहा है।
- **प्रजनन दर में भारी कमी:** चीन सहित कई देश रिकॉर्ड कम प्रजनन दर का सामना कर रहे हैं, जिससे श्रम बल घट रहा है और संभावित आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।
- **अधिक आबादी वाले देशों में युवा जनसंख्या**: विश्व स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत सबसे युवा देशों में से एक है।
  - जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए, श्रम बल की भागीदारी, रोजगार क्षमता में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- **स्वास्थ्य सेवा सुधार:**
  - **आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन:** स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक सुधार लागू करके स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित की जाए।
  - **पहुंच और सामर्थ्य:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, दवा की कीमतें किफायती बनाना और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को लागू करना चाहिए।
  - **यूनिवर्सल बीमा**: यूनिवर्सल बीमा कवरेज के माध्यम से वित्तीय चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम किया जाए।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:**
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** ज्ञान को अद्यतन करने और उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाए।
  - **समावेशी शिक्षा**: सभी स्तरों पर समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाए।
  - **स्कूली शिक्षा में सुधार:** कुशल श्रम बल बनाने के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए।

निष्कर्ष:

- यदि सुधारों में तेजी लाई जाए और स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रम वांछित परिणाम दें तो भारत के अगले 30 साल उसकी क्षमता पर आधारित परिणाम देने वाले हैं। श्रम-केंद्रित विनिर्माण और मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को वैश्विक श्रम शक्ति का स्रोत बनाया जा सकता है।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

4.11 T+1 व्यापार निपटान

संदर्भ:

सेबी ने हाल ही में निपटान चक्र को T+2 से कम करके ट्रेड-प्लस-वन (T+1) कर दिया है।

T+1 व्यापार निपटान:

- भारत में 'T+1' के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार-संबंधी निपटान एक दिन के भीतर या वास्तविक लेनदेन के 24 घंटों के भीतर होता है। T+1 चक्र का अंगीकरण इस वर्ष जनवरी में लागू हुआ।
- वर्तमान T+1 निपटान चक्र के तहत, यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियां बेचता है, तो पैसा अगले दिन उसके खाते में जमा हो जाता है।
- भारत की स्थिति: भारत चीन के बाद शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया, जिससे परिचालन दक्षता, तेज़ फंड प्रेषण, शेयर डिलीवरी और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी हुई।

T+0 व्यापार निपटान:

- T+0 निपटान चक्र के तहत, यदि निवेशक शेयर बेचते हैं, तो उन्हें तुरंत उनके खाते में पैसा मिल जाएगा, और खरीदारों को उसी दिन उनके डीमैट खाते में शेयर मिल जाएंगे।

व्यापार निपटान से क्या तात्पर्य है?

- एक व्यापार समझौता तब पूरा माना जाता है जब किसी सूचीबद्ध कंपनी की खरीदी गई प्रतिभूतियाँ खरीदार को सौंप दी जाती हैं, और विक्रेता को राशि मिल जाती है।
- निपटान एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें निपटान तिथि पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है। फिलहाल, व्यापार और निपटान के बीच अंतराल है - निपटान की तिथि ट्रेड की तिथि से अलग है।

ULLAS मोबाइल एप्लिकेशन:

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने हाल ही में ULLAS का मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

ULLAS (समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम को समझना) के बारे में:

- ऐप के माध्यम से, शिक्षार्थी NCERT के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से विविध शिक्षण संसाधनों में संलग्न हो सकते हैं।
- ULLAS ऐप का उपयोग स्वयं-पंजीकरण या सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए किया जा सकता है।
- ULLAS देश के राष्ट्र निर्माण में शामिल होने के लिए कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और नागरिकों के सशक्तीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है, जिन्होंने स्कूल जाने का अवसर खो दिया है।

4.12 अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स)

संदर्भ:

सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है।

अप्रत्याशित कर के बारे में:

- अप्रत्याशित कर एक उच्च कर है जो सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर लगाया जाता है जब उन्हें अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है।
  - उदाहरण के लिए: 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगाया गया था। 1979 में तेल संकट के कारण तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई, जिससे बाद में इस क्षेत्र की कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ हुआ।
- उद्देश्य: व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाने हेतु अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करना।
- भारत में विंडफॉल टैक्स की शुरूआत: घरेलू बाजार में ऊर्जा उत्पादों की कमी को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को गैसोलीन और डीजल के निर्यात पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ा, जिसे विंडफॉल टैक्स के रूप में जाना जाता है।

उत्पाद शुल्क:

- यह वस्तुओं पर उनके उत्पादन, लाइसेंसिंग और बिक्री के लिए लगाया जाने वाला कर का एक रूप है।

4.13 नेशनल वेयरहाउसिंग रिसीट्स

संदर्भ:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के साथ e-NWR (नेशनल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स) आधारित प्रतिबद्ध वित्त पर एक सम्मेलन आयोजित किया।

- नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (NWR): यह किसानों को अपने खेतों के पास गोदामों में सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के लिए अपनी उपज का भंडारण करने और अपने स्टॉक को जमा करने के बदले जारी NWR के तहत बैंकों से गिरवी ऋण लेने में सक्षम बनाता है।
- e-NWR: इलेक्ट्रॉनिक रूप में NWR को इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (e-NWR) के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें परक्राम्यता होती है और इसका उपयोग वस्तुओं की जमा और निकासी के साथ-साथ स्थानांतरण और गिरवी जैसे व्यापारिक लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA):

- वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा WDRA की स्थापना की गई थी।
- उद्देश्य: WDRA का मुख्य उद्देश्य देश में नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (NWR) प्रणाली को लागू करना है।

4.14 जूट बैग पैकेजिंग

संदर्भ:

चीनी मिल मालिकों ने सरकार से 2023-24 सीज़न से चीनी को अनिवार्य 20 प्रतिशत जूटबैग पैकेजिंग से पूरी तरह छूट देने का आग्रह किया है।

छूट क्यों मांगी गई है?

- जूट बैग के उपयोग के कारण लागत में वृद्धि और परिचालन चुनौतियों के कारण छूट की मांग की गई है।
- जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987: इसके तहत, सरकार को कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग पर विचार करना और प्रावधान करना आवश्यक है।
  - यह कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हित में है।
- 2020: प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से विविध जूट बैग में पैक की जाएगी।
- जूट पैकेजिंग आरक्षण मानदंडों में 3.7 लाख श्रमिकों और कई लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

4.15 भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP)

संदर्भ:

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने देश की पहली क्रैश-टेस्टिंग सुरक्षा रेटिंग व्यवस्था, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) को लॉन्च किया।

भारत NCAP के बारे में:

- उद्देश्य: इस प्रोग्राम का उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है
- इस कार्यक्रम के तहत, कार निर्माता स्वेच्छा से अपनी कारों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 197 के अनुसार परीक्षण के लिए पेश कर सकते हैं।
  - AIS भारत के लिए तकनीकी मोटर वाहन मानक हैं।
  - भारत केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMRV) उन शर्तों के लिए आधार प्रदान करते हैं जिनके तहत भारत में ऑटोमोटिव उत्पाद भारतीय बाजार के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
- परीक्षणों में कार के प्रदर्शन के आधार पर, कार को वयस्क ऑक्यूपेंट (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट (COP) के लिए स्टार रेटिंग दी जाएगी।
- संभावित कार खरीदने वाला व्यक्ति विभिन्न वाहनों के बीच सुरक्षा मानकों की तुलना करने के लिए इन स्टार रेटिंग का उल्लेख कर सकते हैं और तदनुसार अपनी खरीद-निर्णय ले सकते हैं।

लाभ

- भारत NCAP कार ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करेगा।

4.16 औद्योगिक गलियारा

संदर्भ:

केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP) के बारे में:

- उद्देश्य: विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश भर में औद्योगिक गलियारों की एक श्रृंखला विकसित करना।
- इन गलियारों का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- केंद्र द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक गलियारे इस प्रकार हैं:

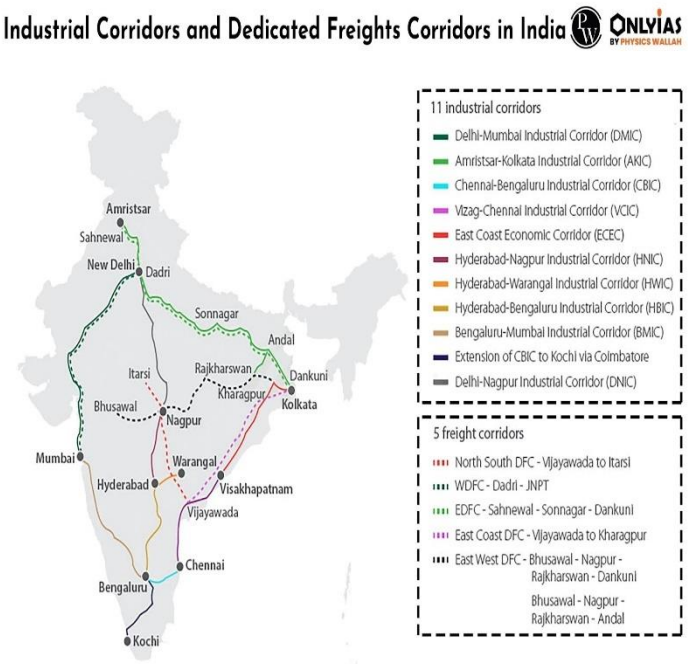

4.17 राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP)

संदर्भ:

हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि उसने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) के तहत छह बायो CNG संयंत्र और 11,143 छोटे बायोगैस संयंत्र शुरू किए हैं।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में:

- उद्देश्य: ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिशेष कृषि अवशेष, कृषि-आधारित औद्योगिक अवशेष, औद्योगिक लकड़ी-अपशिष्ट, वन अवशेष और ऊर्जा वृक्षारोपण-आधारित बायोमास जैसे बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देना।
- बजटीय परिव्यय: 1,715 करोड़ रुपये।
- अवधि: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल होंगी:
  - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/ अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम)- बड़े बायोगैस, बायो CNG और बिजली संयंत्रों की स्थापना में सहायता के लिए।
- बायोमास कार्यक्रम (बिजली उत्पादन और गैर-खोई आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए छर्रों और ब्रिकेट की स्थापना का समर्थन करने के लिए ब्रिकेट और छर्रों के विनिर्माण और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना)।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता के लिए बायोगैस कार्यक्रम।

4.18 यूरिया का फोर्टिफिकेशन

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने आधिकारिक तौर पर 'यूरिया गोल्ड' उर्वरक लॉन्च किया।

यूरिया गोल्ड के बारे में:

- यह मूलतः सल्फर युक्त यूरिया है।
- किसके द्वारा विकसित: राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF)
- संरचना: यूरिया गोल्ड में 37% नाइट्रोजन (N) और 17% सल्फर होता है, जो नियमित यूरिया की 46% नाइट्रोजन संरचना से भिन्न होता है।

उद्देश्य:

- भारतीय मिट्टी में सल्फर (S) की कमी का समाधान करना। सल्फर विशेष रूप से तिलहन और दालों के लिए महत्वपूर्ण है।
- नाइट्रोजन की क्रमिक विमुक्ति के माध्यम से यूरिया की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUI) को बढ़ाना। यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग N की अधिक क्रमिक विमुक्ति सुनिश्चित करती है।
- फोर्टिफिकेशन का दृष्टिकोण
  - प्रस्तावित दृष्टिकोण में बेहतर प्रभावकारिता के लिए उर्वरकों की कोटिंग शामिल है।
  - प्राथमिक पोषक उर्वरकों को द्वितीयक पोषक तत्वों (सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम) और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन, कापर, निकेल) के साथ लेपित किया जाना चाहिए।
- **कोटिंग के लाभ:**
  - लेपित उर्वरक फसलों को अतिरिक्त पोषक तत्व पहुंचाने के लिए प्रभावी "वाहक उत्पाद" के रूप में काम करते हैं।
  - कोटिंग, नियंत्रित विमुक्ति और सहक्रियात्मक प्रभावों के माध्यम से नाइट्रोजन और फ़ॉस्फोरस उपयोग दक्षता को बढ़ाती है।
  - अमोनिया वाष्पीकरण और नाइट्रेट लीचिंग के कारण यूरिया जैसे उर्वरकों में होने वाली हानि कम हो जाती है।

4.19 भारत में कंप्यूटर-लैपटॉप पर प्रतिबंध

संदर्भ:

भारत सरकार ने लैपटॉप, पीसी, टैबलेट आदि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- प्रारंभिक निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब केवल लैपटॉप पर आयात प्रतिबंध को 1 नवंबर, 2023 तक निलंबित कर दिया गया है।

लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में:

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इन आयात प्रतिबंधों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

- DGFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है और विदेशी व्यापार से संबंधित नियमों का प्रबंधन करता है।

इस कदम का उद्देश्य:

- इन प्रतिबंधों का मुख्य लक्ष्य भारत के भीतर लैपटॉप, पीसी, टैबलेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- माना जाता है कि ये उपाय चीन के विरुद्ध किए गए हैं, यह देखते हुए कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का 75% से अधिक आयात चीन से हुआ था।
  - भारत के आधे से अधिक वार्षिक आयात, लगभग 10 बिलियन डॉलर के कंप्यूटिंग उत्पाद चीन से होते हैं।

प्रतिबंधों की विशिष्टताएँ:

- आयात प्रतिबंध हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड 8471 के तहत लागू किए गए हैं।
- HSN कोड वर्गीकरण प्रणालियाँ हैं जिनका उपयोग कराधान उद्देश्यों के लिए उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।
- HSN कोड 8471 विशेष रूप से डेटा प्रोसेसिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों से संबंधित है।

4.20 भारतनेट परियोजना

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

- इस पहल में अपनी निष्पादन रणनीति को बदलना और ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से अंतिम मील तक फाइबर कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

भारतनेट परियोजना के बारे में:

- यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है।
- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया।
  - NOFN की परिकल्पना ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक पहुंचने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से एक इनफार्मेशन सुपरहाइवे के रूप में की गई थी।
- फंड: पूरे प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसे देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए स्थापित किया गया था।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (BBNL)।

भारतनेट परियोजना निष्पादन रणनीति में बदलाव:

- ग्राम स्तरीय उद्यमियों की भागीदारी: ग्राम स्तरीय उद्यमियों (उद्यमिस) के साथ साझेदारी, जो अंतिम मील तक फाइबर कनेक्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- कनेक्टिविटी प्रक्रिया में तेजी लाना: सरकार का लक्ष्य अगले 2.5 वर्षों के भीतर भारत भर के सभी 640,000 गांवों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
  - यह तेजी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और शहरी-ग्रामीण डिजिटल डिवाइड को पाटने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- 50:50 राजस्व-साझाकरण मॉडल: एयरटेल और जियो जैसे निजी दूरसंचार ऑपरेटरों से प्रेरणा लेते हुए, सरकार 50:50 राजस्व-साझाकरण के आधार पर फाइबर कनेक्शन को घरों तक ले जाने के लिए ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को शामिल करेगी।

4.21 WTO की 2023 विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR)

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 2023 के लिए अपने वार्षिक प्रमुख प्रकाशन, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR) जारी की है।

विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR) के मुख्य निष्कर्ष:

- वैश्विक निर्यातक और आयातक:
  - भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है।
- भारत 9वां सबसे बड़ा माल आयातक और 9वां सेवा आयातक था।
  - चीन 2022 में शीर्ष व्यापारिक निर्यातक बना रहा लेकिन विश्व निर्यात हिस्सेदारी 14% कम हो गई।
  - व्यापारिक निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR) 2023 के बारे में:

- यह विश्व व्यापार में नवीनतम घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।
- यह WTO का प्रमुख सांख्यिकीय प्रकाशन है और वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है।

यह भौगोलिक उत्पत्ति, उत्पाद समूहों और क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत माल और सेवा व्यापार पर डेटा प्रदान करता है।

संक्षिप्त समाचार

"मेरा बिल मेरा अधिकार" पहल	• सरकार सभी खरीद पर ग्राहकों द्वारा बिल मांगने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल शुरू करेगी। • लॉन्च: इसे असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में लॉन्च किया जाएगा।
जी.आई. टैग्स (GI Tags)	• चेन्नई में भौगोलिक संकेत (GI) रजिस्ट्री ने भारत के सात उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए। • चार उत्पाद राजस्थान से हैं: बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट', 'उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट', 'बीकानेर काशीदाकारी क्राफ्ट', और 'जोधपुर बंधेज क्राफ्ट'। • जीआई टैग प्राप्त करने वाले अन्य उत्पाद हैं o गोवा: 'गोवा मनकुराड मैंगो', 'गोव का बेबिंका', o उत्तर प्रदेश: जलेसर धातु शिल्प (एक धातु शिल्प)
नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड:	उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री के अनुसार सरकार के नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (NEVF) ने 2017 में लॉन्च होने के बाद से 37 स्टार्टअप में निवेश किया है। **नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (NEVF):** • NEVF, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पहला और एकमात्र समर्पित वेंचर फंड है, स्टार्ट-अप और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। • उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा शुरू की गई वेंचर फंड योजना का उद्देश्य क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों की वृद्धि और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
सेबी का डिस्गार्जमेंट आदेश	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) डार्क फाइबर मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के डिस्गार्जमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। • डिस्गार्जमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सेबी बाजार सहभागियों द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से किए गए अवैध लाभ को वापस लेता है। • जुर्माने के विपरीत, एकत्रित राशि केंद्र सरकार को नहीं जाती है, बल्कि सेबी के निवेशक संरक्षण कोष में जमा की जाती है, जिसका उपयोग भारत में पुनर्स्थापन तंत्र की अनुपस्थिति में निवेशक सुरक्षा-संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
विक्रय हेतु प्रस्ताव (OFS)	• सरकार विक्रय प्रस्ताव (OFS) के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। • OFS के बारे में: o यह 2012 में भारत की सेबी द्वारा शुरू की गई एक शेयर बिक्री पद्धति है। यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों के लिए होल्डिंग्स को कम करने और न्यूनतम शेयरहोल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए है। • **प्रमुख बिंदु:** o पात्रता: किसी कंपनी की शेयर पूंजी का 10% से अधिक रखने वाले प्रवर्तकों या शेयरधारकों के लिए। o आरक्षित श्रेणियाँ: म्यूचुअल फंड और बीमाकर्ताओं के लिए 25% शेयर, एक बोली लगाने वाले के लिए अधिकतम 25%। o खुदरा निवेशक और मार्जिन: खुदरा क्षेत्र के लिए ऑफर आकार का 10%। o लाभ: तेज़, उसी दिन सेटलमेंट, मार्जिन द्वारा समर्थित।

RBI ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए	हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के नए फीचर्स की घोषणा की। ये फीचर्स हैं: • AI के साथ वार्तालाप से भुगतान: उपयोगकर्ता भुगतान शुरू करने और अधिकृत करने के लिए AI-संचालित प्रणाली के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे। o शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगी। • UPI लाइट के लिए बढ़ी लेनदेन सीमा: आरबीआई ने UPI लाइट के लिए लेनदेन की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। o बैंक प्रसंस्करण संसाधनों को अनुकूलित करके त्वरित छोटे मूल्य के लेनदेन की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा UPI लाइट की शुरुआत की गई थी। • NFC के साथ ऑफ़लाइन UPI भुगतान: UPI लाइट के माध्यम से नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन UPI भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। o इस सुविधा के साथ, उपयोगकर्ता NFC-सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीनों पर अपने स्मार्टफोन को टैप करके भुगतान करने में सक्षम होंगे।
पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC)	• यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। • उद्देश्य: उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं को जोड़ना, जिससे छोटे ऋण की तलाश कर रहे लाखों व्यक्तियों के लिए ऋण प्राप्त करना अधिक सुलभ हो जाएगा।
चावल के निर्यात पर प्रतिबंध	• सरकार ने 1,200 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (MT) से कम कीमत वाले बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। • गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर मौजूदा प्रतिबंध (बासमती चावल के रूप में गलत वर्गीकरण करके) के लिए अतिरिक्त रक्षोपाय प्रदान करना। • केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) को केवल 1,200 डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक मूल्य के अनुबंधों के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (RCAC) जारी करने का निर्देश दिया। • **RCAC के बारे में:** o RCAC पंजीकरण APEDA द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष प्रमाणीकरण है। o RCAC प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि निर्यातक APEDA द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
जीवाश्म ईंधन से जुड़ा ऋण जाल	• हाल ही में, ऋण-विरोधी अभियानकर्ता डेट जस्टिस और पार्टनर्स द्वारा एक नई रिपोर्ट 'द डेट-फॉसिल फ्यूल ट्रैप' प्रकाशित की गई थी। **"डेट-फॉसिल फ्यूल ट्रैप" क्या है?** • यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां पर देश, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, भारी ऋण बोझ के दुष्चक्र में फंस गए हैं और राजस्व सृजन के लिए उनकी निर्भरता जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर बढ़ती जा रही है। **ग्लोबल साउथ:** • "ग्लोबल साउथ" शब्द उन देशों के समूह को संदर्भित करता है जिन्हें 'विकासशील', 'कम विकसित' या 'अविकसित' के रूप में वर्णित किया गया है। • यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को संदर्भित करता है।
RBI ने रेपो रेट यथावत रखा	• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मुख्य नीतिगत दर (रेपो रेट) को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

	• मौद्रिक नीति समिति: इसमें RBI और वित्त मंत्रालय द्वारा समान संख्या में छह सदस्य नामित होते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में RBI गवर्नर भी शामिल होते हैं, जो निर्णयों में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। **रेपो रेट के बारे में:** • RBI अपने ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण के बदले ब्याज दर लेता है वह रेपो दर है, यह 'पुनर्खरीद की दर' ('rate of repurchase) का संक्षिप्त रूप है।

डेटा पॉइन्ट

4.22 भारत का सार्वजनिक (सरकारी) ऋण

संदर्भ:

2023 की शुरुआत में, विश्व आर्थिक मंच के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि सार्वजनिक ऋण में वैश्विक वृद्धि एक 'फिस्कल टिकिंग बॉम्ब' की तरह थी।

सार्वजनिक ऋण के बारे में:

- यह सरकार पर बकाया उस धनराशि को संदर्भित करता है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा बाहरी और घरेलू ऋणदाताओं को किया जाना है।
- यह बजट घाटे की पूर्ति करने या विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उधार लिया गया धन है।

सामान्य सरकारी ऋण और जीडीपी का अनुपात

- यह सरकार के सामान्य सकल ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापता है।
- यह सरकारी वित्त की स्थिरता के लिए एक प्रमुख संकेतक है।

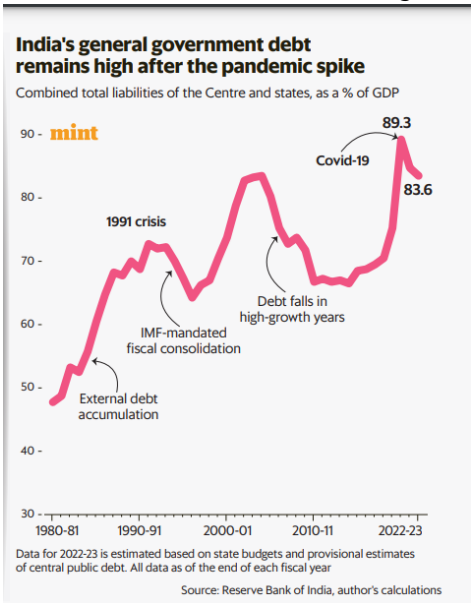

4.23 भारत में विप्रेषण (रेमिटेंस)

संदर्भ:

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) में, भारत में विप्रेषण में 26% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। यह विप्रेषण कुल 112.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। FY22 में विप्रेषण $89.1 बिलियन था।

विप्रेषण (रेमिटेंस) के बारे में:

- विप्रेषण से तात्पर्य उन व्यक्तियों द्वारा अपने मूल देश में धन के हस्तांतरण से है जो दूसरे देश में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं (आमतौर पर प्रवासी के रूप में)।
- धन विप्रेषण विभिन्न औपचारिक चैनलों जैसे बैंकों, मनी ट्रांसफर कंपनियों या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भेजा जा सकता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत के लिए प्रेषण का शीर्ष स्रोत:

- कुल प्रेषण में 23.4% का योगदान देकर संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है।
- यूएई 18% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।
- यूके, सिंगापुर और सऊदी अरब का योगदान क्रमशः 6.8%, 5.7% और 5.1% है।

4.24 लोकनीति-CSDS का नवीनतम सर्वेक्षण

संदर्भ:

लोकनीति-CSDS के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 15 से 34 वर्ष की आयु के तीन में से एक से अधिक (36%) भारतीय बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं।

लोकनीति-CSDS के नवीनतम सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- बेरोजगारी: लगभग 40% उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं (स्नातक और ऊपर) ने बेरोजगारी को सबसे गंभीर चिंता माना है।
  - इसके विपरीत, केवल 27% गैर-साक्षर व्यक्तियों ने बेरोजगारी को अपनी प्राथमिक चिंता बताया। ऐसा संभवतः हर तरह की नौकरियों को करने की उनकी अधिक इच्छा के कारण है।
- भ्रष्टाचार: लगभग 6% उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में पहचाना; 4% ने शिक्षा और उच्च जनसंख्या प्रत्येक के रूप में समस्याओं की पहचान की।
- मूल्य वृद्धि: मूल्य वृद्धि को प्राथमिक चिंता मानने वालों की हिस्सेदारी में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

4.25 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

संदर्भ:

9 अगस्त को जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है।

- वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के रूप में भी जाना जाता है, 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था और इसने नौ साल पूरे कर लिए हैं।
- यह किफायती/ लागत प्रभावी तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/ बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

सूचना	आँकड़े
भारत में जन धन खातों की कुल संख्या	50 करोड़ से अधिक
महिलाओं से संबंधित जन धन खातों का प्रतिशत	56%
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए जन धन खातों का प्रतिशत	67%
जन धन खातों में कुल जमा राशि	2.03 लाख करोड़ से अधिक
जन धन खातों के साथ जारी किए गए रुपे कार्ड की संख्या	लगभग 34 Crore

4.26 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

संदर्भ:

primeinfobase.com के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर भारतीय कंपनियों का खर्च 2021-22 में स्थिर रहा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में:

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियां अपने व्यापार संचालन और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं।

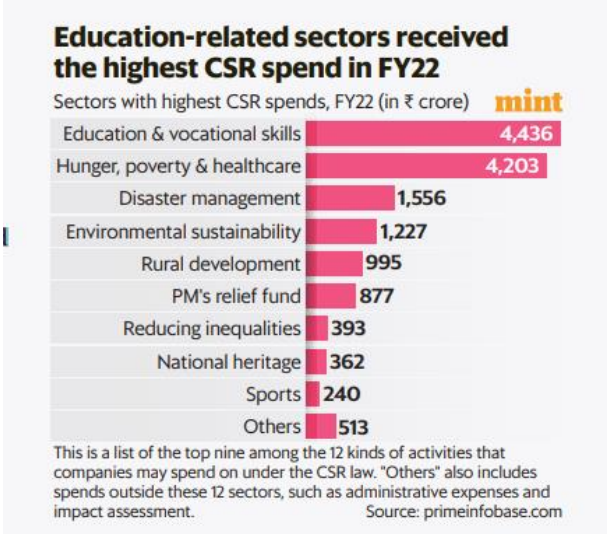

सूचकांक/रिपोर्ट

4.27 राष्ट्रीय कोयला सूचकांक

संदर्भ:

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (नेशनल कोल इंडेक्स) में मई 2022 के 238.3 अंकों की तुलना में मई 2023 में 157.7 अंकों के साथ **33.8% की महत्वपूर्ण गिरावट** दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI) के बारे में:

- NCI एक मूल्य सूचकांक है जो विक्रय के सभी चैनलों से कोयले की कीमतों को शामिल करता है, जैसे- अधिसूचित कीमतें, नीलामी कीमतें और आयात कीमतें।
- **संरचना:** यह पांच उप-सूचकांकों के एक सेट से बना है: तीन गैर कोकिंग कोल के लिए और दो कोकिंग कोल के लिए।
- **आधार वर्ष:** 2017-18
- कोयला मंत्रालय द्वारा जारी

4.28 FAO का संपूर्ण चावल मूल्य सूचकांक (ऑल राइस प्राइस इंडेक्स)

संदर्भ:

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने बताया कि चावल मूल्य सूचकांक जुलाई में पिछले महीने से 2.8 प्रतिशत बढ़ गया, जो लगभग 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

चावल मूल्य सूचकांक के बारे में:

- इसे 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजारों में विकास की निगरानी के उद्देश्य से पेश किया गया था।
- किसके द्वारा जारी: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- मापन: FFPI खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की एक माप है।
- शामिल वस्तुएं: सूचकांक अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी सहित प्रमुख खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट के लिए कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है।
- आधार अवधि: 2014-2016

5. पर्यावरण और भूगोल

5.1अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022

संदर्भ:

हाल ही में जारी 2022 बाघ जनगणना के अद्यतन विश्लेषण के अनुसार, भारत की बाघों की आबादी 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है।

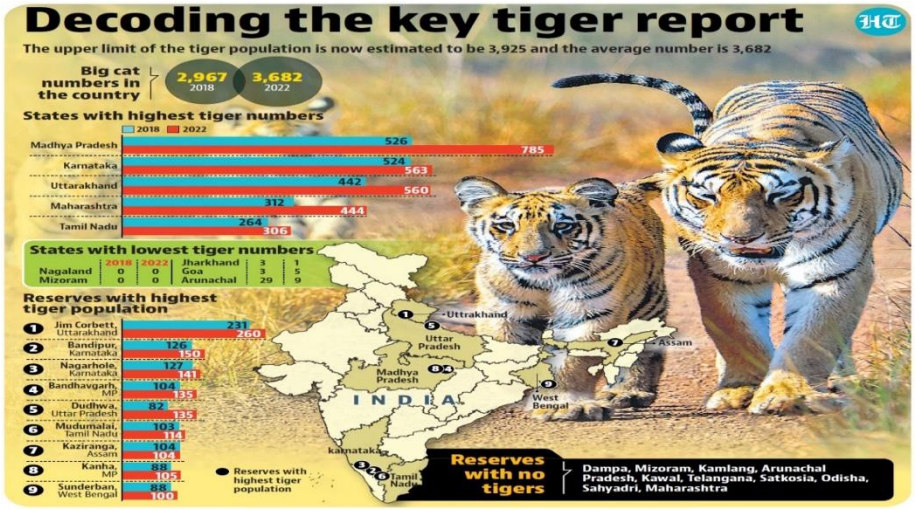

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के बारे में:

- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)।
- **बाघों की आबादी से जुड़े आँकड़े:**
  - दुनिया की लगभग 75 प्रतिशत बाघ आबादी भारत में पाई जाती है।
  - देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या (785) मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560), और महाराष्ट्र (444) हैं।
  - **"टाइगर रिजर्व के भीतर"** बाघों की संख्या कॉर्बेट (260) में सबसे अधिक है। इसके बाद बांदीपुर (150), नागरहोल (141), बांधवगढ़ (135), दुधवा (135), मुदुमलाई (114), कान्हा (105) हैं।
  - **संख्या में वृद्धि:** मध्य भारत,शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश,उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई।
  - **संख्या में कमी:** पश्चिमी घाट में स्थानीयकृत गिरावट देखी गई, जिसके लिए लक्षित निगरानी और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।
    - ✓ मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ने "परेशान करने वाले रुझान" सूचित किए हैं।
  - लगभग 35% बाघ अभयारण्यों में तत्काल सुरक्षा उपायों, आवास बहाली, अनगुलेट (खुर वाले जानवर- हिरण, चीतल, काला हिरण) संवर्धन और बाघों के पुनः प्रवेश की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय बाघ आकलन में प्रयुक्त पद्धति:

- **डबल सैंपलिंग पद्धति:** इसमें सभी बाघ वाले वनों का जमीनी सर्वेक्षण, शिकार की बहुलता का अनुमान लगाना, निवास स्थान की विशेषताओं को समझना, बाघ के अन्य संकेतों का मानचित्रण और कैमरे द्वारा ली गई बाघों की तस्वीरें शामिल हैं।

चुनौतियाँ:

- **अवैध शिकार:** पारंपरिक चीनी दवाओं में इस्तेमाल होने वाले बाघ के अंगों के कारण इसका अवैध शिकार होता है। बाघ की खाल का उपयोग सजावटी और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  - इसके अलावा, अंगों की मांग उनके जीवित रहने में बड़ी बाधा है।
- **पर्यावास की हानि**: कृषि, वन कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण बाघों के आवासों का विखंडन बाघों की आबादी को खतरे में डाल रहा है और बाघ-मानव संघर्ष को जन्म दे रहा है।
- **संसाधनों की कमी**: बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं।
- **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन बाघों के आवास, शिकार की उपलब्धता और बाघ पारिस्थितिकी के अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे लंबी अवधि में बाघों की आबादी को और खतरा हो सकता है।

बाघों के संरक्षण के लाभ:

- **अंब्रेला प्रजाति:** बाघ एक "अंब्रेला प्रजाति" है जो अन्य जंगली जानवरों (सह-शिकारी, शिकार) और जंगल की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करता है, जिससे पूरे क्षेत्र और अधिवास की पारिस्थितिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है।
- **खाद्य श्रृंखला:** यह एक शीर्ष शिकारी है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है और खुर वाले पशुओं की आबादी को नियंत्रण में रखता है, जिससे शाकाहारी जीवों और जिस वनस्पति पर वे निर्भर करते हैं, उसके बीच संतुलन बना रहता है।

- **पर्यटन:** बाघ संरक्षित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इकोटूरिज्म स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करता है और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।
- **कार्बन संचयन:** बाघों के आवास, विशेष रूप से जंगल, कार्बन संचयन और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - इन आवासों को संरक्षित करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने में मदद मिलती है।

आगे की राह:

- **मानव-पशु संघर्ष को कम करना:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव बहुल परिदृश्यों में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) जारी की हैं।
  - ये SOP बाघ संरक्षण पहल के कार्यान्वयन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें निगरानी, सुरक्षा, आवास प्रबंधन शामिल है।
- **आवास संरक्षण और बहाली:** बाघों को रहने और शिकार करने के लिए जंगल के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके अस्तित्व की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
- **अवैध शिकार-रोधी प्रयास:** अवैध शिकार-रोधी प्रयासों में बाघों की आबादी की निगरानी करना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नकेल कसना शामिल है।
  - स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (STPF) इंडिया रिजर्व बटालियन की तर्ज पर गठित एक बल है। इसे शिकार विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टाइगर रिजर्व में तैनात किया गया है।
- **संघर्ष शमन:** जैसे-जैसे मानव आबादी बढ़ती है और बाघों के आवास पर अतिक्रमण होता है, मानव और बाघों के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है।
  - इन संघर्षों को कम करने के प्रयासों में समस्याग्रस्त बाघों को स्थानांतरित करना या उन लोगों को मुआवजा प्रदान करना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बाघों के कारण पशुधन या फसल खो दी है।
- **शिक्षा और जागरूकता:** बाघ संरक्षण के महत्व और बाघों की आबादी के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना संरक्षण प्रयासों के लिए समर्थन तैयार करने की कुंजी है।

महत्वपूर्ण तथ्य:
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

- NTCA एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में की गई थी।
- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- **प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट का विलय:**
  - प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट डिवीजन' नामक एक नए डिवीजन में मिला दिया गया है।
- **विलय का कारण:**
  - **फंडिंग को तर्कसंगत बनाना:** प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट का एकीकरण फंडिंग को तर्कसंगत बनाने के लिए किया गया है।
  - **संरक्षण को मजबूत करने के लिए विलय:** इस विलय से दोनों जानवरों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वे अक्सर देश में समान परिदृश्य साझा करते हैं।

5.2 जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021

संदर्भ:

हाल ही में, हाल ही में, राष्ट्रपति ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है।

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 का महत्व:

- **विदेशी निवेश को बढ़ावा देना:** यह अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैव संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने का प्रयास करता है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देता है।
- **भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना:** इसका उद्देश्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान की तीव्र ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया और जंगली औषधीय पौधों की खेती की सुविधा प्रदान करना है।
- **विधान में अनुरूपता:** अधिनियम में एक विदेशी कंपनी की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 2013 में पहले से दी गई परिभाषा के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां वाणिज्यिक उपयोग और पेटेंट प्राप्त करने के लिए एनबीए के नियामक ढांचे के तहत आती हैं।

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023: के प्रमुख प्रावधान:

प्रावधान	जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023:
• **जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान तक पहुँच के लिए अनुमोदन/ सूचना की आवश्यकता**	**SBB को पूर्व सूचना** • **गतिविधियां:** व्यावसायिक उपयोग के लिए संबंधित ज्ञान तक पहुंच के लिए भी पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी • **छूट:** इनके लिए छूट में शामिल है: o संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान, o औषधीय पौधों और उनके उत्पादों की खेती o आयुष चिकित्सक; जीविका और आजीविका के लिए उपयोग करने हेतु वैद्यों और हकीमों और आयुष चिकित्सकों तक अपवाद को सीमित किया गया है।
• **अपराध एवं दंड**	• विधेयक अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इन अपराधों को एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच जुर्माने मात्र के साथ दंडनीय बनाता है।
• **छूट:**	• संशोधनों के अनुसार, केवल विदेशी नियंत्रित कंपनियों को ही अनुमति की आवश्यकता होगी। इससे संकेत मिलता है कि विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित शेयर्स वाली कंपनियों को भी छूट दी जाएगी।
• **संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान (CTK)**	• संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट दी जाएगी। • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन CTK को "पारंपरिक ज्ञान" के रूप में परिभाषित करता है, जो कुछ व्यवस्थित और संरचित रूप में होता है, जिसमें ज्ञान को कुछ तरीके से व्यवस्थित, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध किया जाता है।
• **पारंपरिक ज्ञान को साझा करना**	• विधेयक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना भारत के जैविक संसाधनों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर किसी भी शोध परिणाम को किसी व्यक्ति के साथ साझा या स्थानांतरित नहीं कर सकता है, चाहे वह मौद्रिक लाभ के लिए हो या अन्यथा। • हालाँकि, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान केवल भारत के भीतर ही साझा किया जा सकता है और इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
• **विदेशी देशों से जैविक संसाधनों की निगरानी**	• पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुसार भारत में उपयोग के लिए विदेशों से प्राप्त जैविक संसाधनों की निगरानी पर जोर देते हुए एक नई धारा 36 (A) जोड़ी गई है।
• **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को मंजूरी**	• विधेयक इकाई की उत्पत्ति के आधार पर अलग-अलग अनुमोदन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है। विदेशी संस्थाओं को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमोदन की आवश्यकता होगी जबकि घरेलू संस्थाओं को NBA के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। • हालाँकि, घरेलू संस्थाओं को IPR के व्यावसायीकरण के समय NBA से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
• **लाभ का वितरण**	• विधेयक लाभ साझाकरण आवश्यकताओं के दायरे से अनुसंधान और जैव-सर्वेक्षण गतिविधियों को हटा देता है। • लाभ का वितरण उपयोगकर्ता और राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थानीय प्रबंधन समिति के बीच सहमत शर्तों पर आधारित होगा।

चिंताएं

- **अस्पष्टता:** संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी एक व्यापक व्याख्या सभी स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को लाभ साझा करने की आवश्यकताओं से छूट दे सकती है।
- **पूर्व सूचित सहमति को हटाना:** स्थानीय और स्वदेशी समुदायों की पूर्व सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए किसी तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। यह नागोया प्रोटोकॉल के तहत ढांचे के विपरीत है।
  - **उदाहरण के लिए:** दिव्य फार्मेसी बनाम भारत संघ (2018) मामले में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देखा था कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत, निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण की अवधारणा स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लाभों पर केंद्रित है।
- **स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भूमिका को हटाना:** विधेयक लाभ साझाकरण प्रावधानों को निर्धारित करने में स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भूमिका को हटा देता है।
- **अपराधों में कोई भेदभाव नहीं:** विधेयक में अपराध के प्रकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
  - **उदाहरण के लिए:** अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमोदन लेने में विफल रहने पर भी दंड समान है।
- **सशक्तीकरण कार्यकारी:** विधेयक निर्णय लेने का अधिकार किसी न्यायाधीश की बजाय एक सरकारी अधिकारी को सौंप देता है। जुर्माने का निर्णय खुली अदालत में बहस के बाद फैसले की बजाय जांच पर आधारित होगा।

नागोया प्रोटोकॉल के बारे में:

- जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी):
- संयुक्त राष्ट्र सीबीडी, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें भारत सहित 196 सदस्य हैं।
- इसके दो पूरक प्रोटोकॉल हैं: पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
- इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की पूर्व सूचित सहमति या अनुमोदन और भागीदारी प्राप्त की जाए।
- भारत ने 2011 में नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।

लाभ साझाकरण के बारे में?

- इसका तात्पर्य आवेदकों को लाभ के दावेदारों और स्थानीय लोगों के साथ मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ साझा करने की आवश्यकता से है।
- लाभ के दावेदार जैव विविधता के संरक्षक, या संबंधित पारंपरिक ज्ञान के निर्माता या धारक हैं।

निष्कर्ष:

- अधिनियम से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और जैव विविधता पैटर्न, खतरों और संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रमों में निवेश के साथ-साथ संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी लोगों सहित स्थानीय समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता है।

Q. भारत सरकार चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019)

5.3 वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023

संदर्भ:

लोकसभा ने हाल ही में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है।

समाचार के बारे में:

- **वन संरक्षण अधिनियम (FCA),1980 में संशोधन:** यह विधेयक यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए),1980 में संशोधन करना चाहता है।
  - अधिनियम के दायरे में वन भूमि को शामिल करने और इससे बाहर करने के मानदंडों को संशोधित करता है।
  - **वन भूमि पर अनुमत वन गतिविधियों की सूची** का विस्तार करता है।

विधेयक की विशेषताएं:

- **शामिल की गई भूमि:**
  - वह भूमि जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया हो।
  - वह भूमि जिसे प्रारंभ में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में इसे वन के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- **बहिष्कृत भूमि:** वह भूमि जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर-वन उपयोग में परिवर्तित की गई थी।
- **रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि की छूट वाली श्रेणियां:**
  - सरकार द्वारा बनाए रखी गई रेलवे लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि।
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किमी के भीतर वन भूमि।

- सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए भूमि।

- **वन भूमि का असाइनमेंट/पट्टा:** अधिनियम के तहत किसी भी इकाई को वन भूमि पट्टे पर देने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, चाहे वह सरकारी स्वामित्व वाली हो या नहीं।

"गैर-वन उद्देश्य" छूट के दायरे को फिर से परिभाषित करना:

- गैर वन भूमि: गैर वन उद्देश्यों में **बागवानी फसलों की खेती या पुनर्वनीकरण के** अलावा **किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करना** शामिल है।
- **गैर वन भूमि से बहिष्करण:** विधेयक में गैर वन भूमि से बहिष्कृत गतिविधियों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है:
  - वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत चिड़ियाघर और सफारी
  - इकोटूरिज्म सुविधाएं
  - वन विकास को बढ़ाने के लिए सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन
  - वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

निर्देश जारी करने की शक्ति:

- विधेयक केंद्र सरकार को केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के तहत या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण या संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- अधिनियम का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कर दिया गया है।

विधेयक का महत्व:

- **वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग को सुविधाजनक बनाना:** अधिनियम की प्रयोज्यता में अस्पष्टताओं को समाप्त करने से, अधिकारियों द्वारा वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में आसानी होगी।
- **खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया:** विधेयक में अधिक वानिकी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। इससे अग्रिम पंक्ति के लिए बुनियादी ढांचे से जंगलों में प्राकृतिक खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **बेहतर उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं:** यह बेहतर उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के लिए वन के बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेगा, और वनों के संरक्षण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करेगा।
- **निजी वनों और कृषि वानिकी परियोजनाओं को प्रोत्साहन:** किसान या निजी वनों के स्वामी, वन मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, वाणिज्यिक या अन्य उपयोगों के लिए अपनी भूमि पर वनों की कटाई कर सकते हैं।
- **स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के स्रोत:** इसमें वनों की सुरक्षा को मुख्यधारा में लाना और चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना के माध्यम से आजीविका के स्रोत प्रदान करके स्थानीय समुदायों को सक्षम बनाने पर बल दिया गया है।

विधेयक से जुड़े मुद्दे:

- कुछ प्रकार की वन भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है जिससे वनों का क्षरण होगा और जैव विविधता की हानि होगी।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट छूट में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बड़े हिस्से शामिल होंगे:
  - **सतत गिरावट:** स्थानांतरित खेती, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक आपदाओं, मानवजनित दबाव और विकासात्मक गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र में कमी आई है और छूट इसे और बढ़ाएगी।
  - **पर्यावास और जैव विविधता का नुकसान:** रेखीय परियोजनाएं जो पर्यावास को खंडित करती हैं, वे अपने स्वयं के फुटप्रिन्ट से अधिक क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर सकती हैं।
- **समस्या की खराब पहचान:** सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी में छूट प्रदान करने में देरी ज्यादातर राज्य की देरी के कारण होती है, हालांकि विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अनुपालन की आवश्यकता को कम करता है।

वन आवरण:

- **वन आवरण:** वन आवरण से तात्पर्य एक हेक्टेयर से अधिक आकार की भूमि से है जिसमें वृक्ष आवरण घनत्व (वृक्ष आवरण से आच्छादित भूमि का प्रतिशत) 10% से अधिक है।

भारत में स्थिति:

- 2001 से 2021 तक भारत के कुल वन क्षेत्र में 38,251 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से खुले वन क्षेत्र के संदर्भ में थी, जहां वृक्ष आवरण घनत्व 10-40% है।
- इसी अवधि में, 40% से अधिक आवरण घनत्व वाले वन आवरण में 10,140 वर्ग किमी की गिरावट आई।

- **सुरक्षा परियोजनाओं को व्यापक छूट:** सुरक्षा परियोजनाएं वन क्षेत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए व्यापक छूट उचित नहीं हो सकती है।

निष्कर्ष:

- विधेयक में प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य वन संरक्षण और विकास पर केंद्रित अधिनियम के सार को फिर से जीवंत करना है। इन प्रस्तावित परिवर्तनों से वन उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा, मौजूदा वन क्षेत्रों से परे वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियामक उपायों को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त, संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना है, जिससे उन्हें वन प्रबंधन और संधारणीयता की उन्नति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया जा सके।

> ***Q.*** हाल ही में पारित वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

5.4 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटना

संदर्भ:

हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण भारी वर्षा और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई सड़कें बाधित हो गई हैं और घर ढह गए हैं।

अन्य जानकारी:

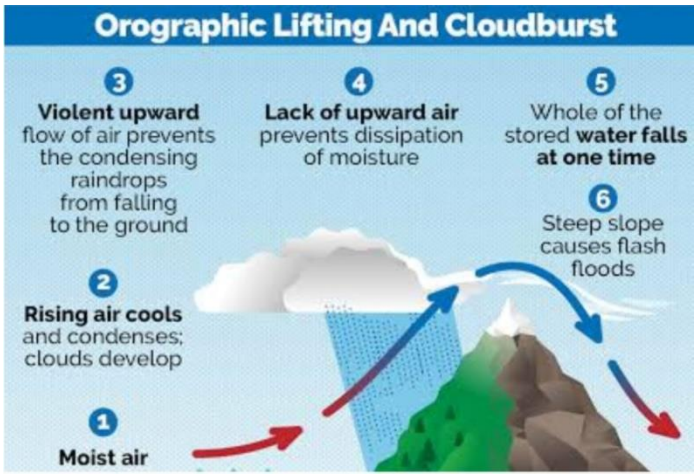

- इस मानसून में राज्य में बादल फटने और भूस्खलन की कुल 170 घटनाएं हुई हैं, जिससे लगभग 9,600 घरों को नुकसान पहुंचा है।
- बादल फटने की घटनाएँ अधिकतर हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत के उत्तरपूर्वी पहाड़ी राज्यों के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में होती हैं।
- बड़े पैमाने पर शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और उच्च तापमान के कारण पिछले 10-15 वर्षों के दौरान बादल फटने की तीव्रता में वृद्धि हुई है।

बादल फटने के पीछे की प्रणाली:

- **दक्षिण-पश्चिमी मानसून की भूमिका**: यह तब होता है जब गर्म मानसूनी पवनें ठंडी पवनों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं जिससे बड़े पैमाने पर बादल बनते हैं। मानसून के दौरान, दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवन अंतर्देशीय क्षेत्र में बहुत अधिक नमी ले जाती हैं।
- **पर्वतीय उत्थान**: जैसे ही ये नम पवनें जमीन पर एकत्रित होती हैं और पहाड़ियों के समक्ष आती हैं, वे ऊंचाई में बढ़ जाती हैं।
- **कपासी वर्षा मेघों (cumulonimbus clouds) का निर्माण**: जैसे-जैसे पवन अधिक ऊंचाई पर पहुँचती है, यह संतृप्त हो जाती है और नमी संघनित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप तीव्रता से कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है।
- **हवा का तेजी से ऊर्ध्वाधर प्रवाह**: पहाड़ी क्षेत्रों में, कभी-कभी संतृप्त मेघ वर्षा में परिवर्तित होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हवा के बहुत गर्म प्रवाह के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण वर्षा नहीं कर पाते हैं। वर्षा की बूंदें नीचे की ओर गिरने के बजाय वायु प्रवाह द्वारा ऊपर की ओर जाती हैं।

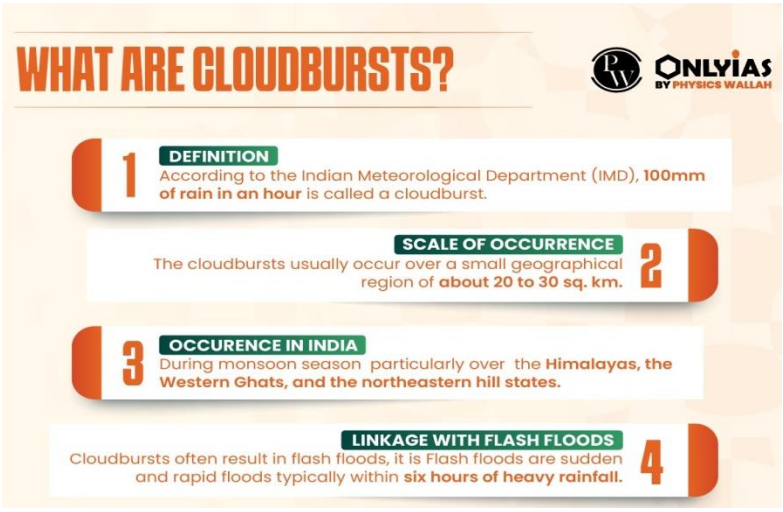

- **भारी वर्षा:** एक सीमा के बाद, बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल यथावत रह नहीं पाता और वे बूंदें एक साथ नीचे गिरती हैं जिसके परिणामस्वरूप ठीक नीचे के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है और बहुत ही कम समय में जल निकायों में बाढ़ आ जाती है।

बादल फटने की चुनौतियाँ:

- **स्थानीयकृत:** उनके अत्यधिक स्थानीयकृत और संक्षिप्त होने के कारण, अधिकांश घटनाएं दर्ज नहीं की जाती हैं, जिससे इन घटनाओं को पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है।

- **पूर्वानुमान:** अधिकांश बादल फटने की घटनाएँ हिमालय के अंदरूनी हिस्सों में होती हैं और इसलिए ऐसी विनाशकारी घटनाओं के स्थान, आयाम और परिमाण की पहले से भविष्यवाणी करना एक चुनौती है।
- **उपग्रहों की अक्षमता:** उपग्रहों में बादल फटने का पता लगाने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनके वर्षा राडार का रिज़ॉल्यूशन प्रत्येक बादल फटने की घटना द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से काफी छोटा होता है।
- **मौसम राडार की लागत:** हालांकि वे समय पर अपडेट दे सकते हैं, लेकिन उनकी लागत काफी अधिक है।
- **मौसम की अनिश्चितताएँ**: नमी के एकत्रित होने और पहाड़ी इलाके, मेघों की सूक्ष्म भौतिकी और विभिन्न वायुमंडलीय स्तरों पर हीटिंग-कूलिंग तंत्र के बीच बातचीत में अनिश्चितताओं के कारण वर्षा का कुशल पूर्वानुमान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** संवेदनशील खड़ी ढलानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मृदा की ऊपरी सतह का प्रवाह होता है और अचानक बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है।
  - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग इलाकों में बादल फटने से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है जिससे रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है, और घर और दीवारें ढह गई हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** इससे बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक क्षति के साथ-साथ आजीविका में भी व्यवधान होता है।
  - हाल ही में बादल फटने से कम से कम 48 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर शिमला-कालका रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान:
- यह भारत के असम राज्य में स्थित है।
- यह अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है, जिनमें सफेद पंखों वाली वुड डक, जल भैंस और गंगा डॉल्फिन जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं।
- 1997 में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में अब तक स्थापित कुल 18 में से नौवां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया।
- ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ और डिब्रू नदी क्रमशः डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):
- NGT की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी।
- यह पर्यावरण से संबंधित किसी भी विधिक अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना सुनिश्चित करता है।
- ट्रिब्यूनल को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर उसे अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करने का आदेश दिया गया है।

आगे की राह:
- **मल्टीपल डॉपलर मौसम रडार:** इसका उपयोग मेघों की निगरानी करने और नाउकास्ट (अगले 3 घंटों के लिए पूर्वानुमान) प्रदान करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है।
  - चेतावनी देने के लिए यह एक त्वरित उपाय हो सकता है, लेकिन रडार एक महंगा उपकरण है, और उन्हें पूरे देश में स्थापित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है।
- **बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्रों का मानचित्रण**: एक दीर्घकालिक उपाय स्वचालित रेन- गेज का उपयोग करके बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना होगा।
- **स्थान को खतरनाक के रूप में नामित करना:** यदि बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्र भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों के साथ सह-स्थित हैं, तो इन स्थानों को खतरनाक के रूप में नामित किया जा सकता है।
  - इन स्थानों पर जोखिम बहुत बड़ा होगा, और लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और आस-पास के क्षेत्रों में विनिर्माण और खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भूस्खलन और बाढ़ के प्रभाव बढ़ सकते हैं।
- **निवारक नीतियां:** जीवन और संपत्ति को चरम घटनाओं से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई और नीतियों की आवश्यकता है जो वैश्विक तापमान परिवर्तन दोगुना होने के साथ बढ़ेंगी।
- **मेघ प्रस्फुटन प्रबंधन तकनीकों को लागू करना:** यह उन तरीकों के संयोजन को लागू करता है जो बादल फटने की घटनाओं से उत्पन्न बाढ़ को कम करने के लिए बाढ़ के जल को अवशोषित, संग्रहीत और स्थानांतरित करते हैं।
  - सीवर पाइप और भूमिगत भंडारण टैंक जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर और पेड़ों एवं वर्षा उद्यानों जैसे हरित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके, मेघ प्रस्फुटन के प्रबंधन के जरिए सीवर सिस्टम पर तनाव को कम करके परिसंपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

5.5 भारत में चीता के पुनर्वास के परिणाम

संदर्भ:

हाल ही में **प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाई गई मादा चीता 'धात्री' मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में मृत** पाई गई।

अन्य जानकारी

- मार्च 2023 से अब तक नौ चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें यहां पैदा हुए चार शावकों में से तीन शावक शामिल हैं।
- वर्तमान में, 15 चीते शेष बचे हैं - सात नर, सात मादा और एक मादा शावक।

प्रोजेक्ट चीता के बारे में

- **प्रोजेक्ट चीता:** भारत सरकार ने चीतों की भारत वापसी के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है।
  - **1952 में भारत में चीतों को विलुप्त** घोषित कर दिया गया था।
  - भारत में चीतों की आबादी को पुनर्स्थापित करने के लिए, भारत सरकार ने बिग कैट की इस प्रजाति को फिर से देश में लाने के महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं।
  - **कार्यान्वयन निकाय:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), जो कि पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- **उद्देश्य:** भारत सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में अफ्रीकी देशों से 50 चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बसाने की उम्मीद है।
  - वर्तमान में, कुल 20 चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पहली बार अंतरमहाद्वीपीय वनों के बीच स्थानांतरण करके यानी अफ्रीका से एशिया में लाया गया था। इन चीतों की निगरानी के लिए इन पर रेडियो कॉलर लगाए गए हैं।

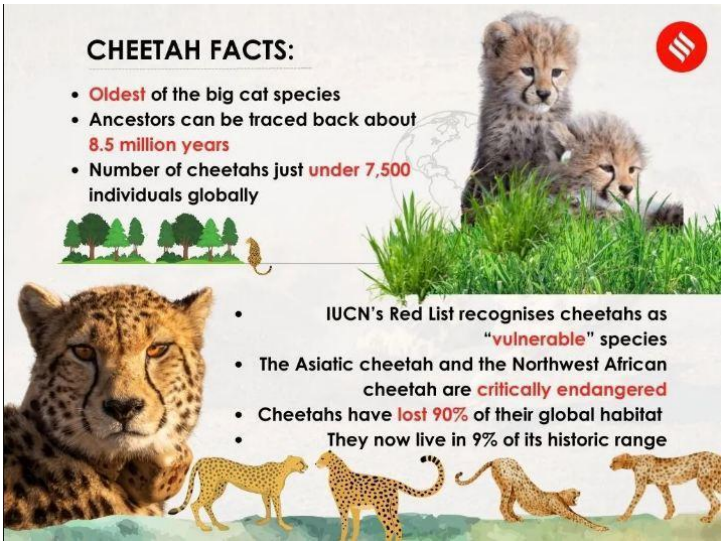

चीतों की उच्च मृत्यु दर के कारण:

- **असामयिक शीतकालीन फर:** चीतों को दक्षिणी गोलार्ध से लाया गया था जहां शीतकालीन संक्रांति जून में होती है।
  - इस दौरान भारत में मानसून चरम पर था और जानवरों ने सर्दियों के अनुसार एक मोटा आवरण उगा लिया।
  - यह अतिरिक्त फर अधिक जल संचयन में मदद करता है और त्वचा को लंबे समय तक सूखने नहीं देता।
  - यह **'वेट मैट' प्रभाव** समय के साथ **त्वचा को कमजोर** कर सकता है और **रोगजनकों के हमले के प्रति संवेदनशील** बना सकता है।
- **कॉलर संक्रमण:** रेडियो कॉलर के कारण कुछ चीतों में त्वचा संक्रमण होने से दो चीतों की **मौतों में सेप्टीसीमिया का संदेह** है।
  - सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया से होने वाली रक्त विषाक्तता है, जो गर्दन के चारों ओर पहने जाने वाले रेडियो कॉलर के परिणामस्वरूप त्वचा के गीले बने रहने के कारण होती है।
  - संरक्षण प्रयासों में सहायता के लिए जानवरों की **गतिविधियों और व्यवहार पर नज़र रखने के लिए पारिस्थितिक अनुसंधान में रेडियो-कॉलरिंग** एक मूल्यवान उपकरण है।
- **कम प्रतिरक्षा, नए रोगजनक:** कॉलर के नीचे घाव को बढ़ाने वाले रोगजनक या तो अफ्रीकी चीतों या भारतीय परिस्थितियों के लिए नए हो सकते हैं।
  - ये जानवर **कुछ स्थानीय रोगजनकों के प्रति संवेदनशील** हो सकते हैं।
  - या उनके द्वारा अपने मूल स्थान से ही कुछ निष्क्रिय रोगज़नक़ों को ले जाने की संभावना है, जो तनाव के कारण जानवरों की प्रतिरक्षा की हानि को देखते हुए कुनो में ही पनपे थे।

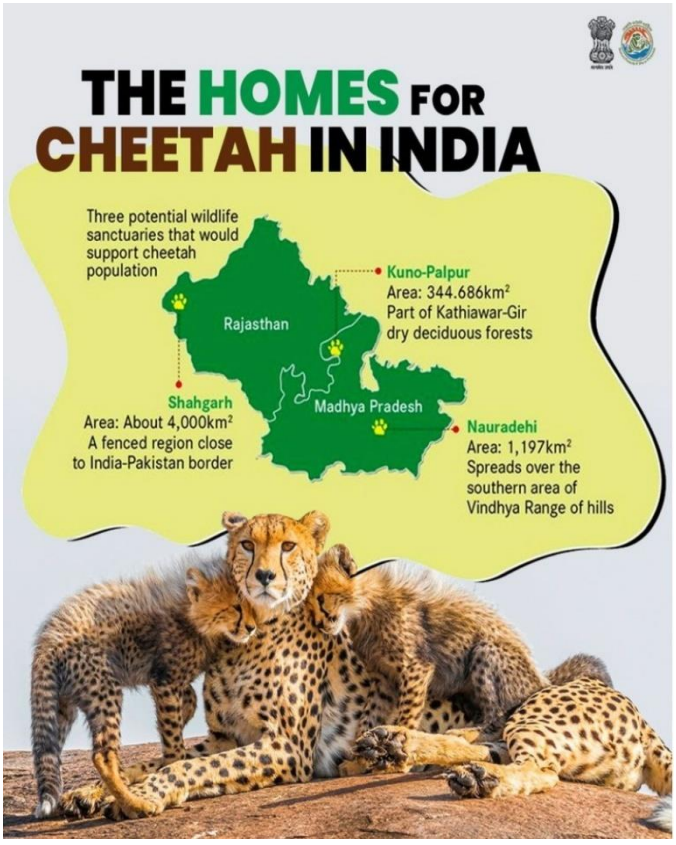

- **क्षेत्रीय सीमा के मुद्दे:** चीतों को बाघों या शेरों की तरह दृढ़ता से अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए नहीं जाना जाता है। हालांकि, नर चीते अपने लिए छोटे-छोटे क्षेत्र निर्धारित करत हैं जो कई मादाओं के क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होते हैं, जिससे उनके बीच आक्रामक व्यवहार देखा जा सकता है।

- **दक्ष नाम का चीता** पार्क के अंदर अन्य चीतों के साथ संघर्ष में मारा गया था, जो जानवरों के बीच एक क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है।

- **भारतीय मौसम की स्थिति के अनुरूप ढलना:** दक्षिणी अफ्रीका में, चीते अक्सर गर्मियों के अंत में या शुरुआती शरद ऋतु में शावकों को जन्म देते हैं और यदि मौसम में शावक नहीं बच पाते हैं, तो प्रतिस्थापन जन्म सर्दियों के अंत में या शुरुआती वसंत में होते हैं।
  - हालाँकि, भारत में, मादा चीते अभी भी एशिया के विपरीत मौसमों के अनुकूल नहीं हो पाए हैं और इसलिए प्रारंभिक वर्षों के दौरान मृत्यु दर अधिक होने की संभावना है।
- **भारतीय पशुचिकित्सकों और निगरानी टीमों की अनुभवहीनता:** यह अपेक्षित था क्योंकि भारत में बहुत कम पशुचिकित्सकों या मॉनिटरिंग स्टाफ ने शायद पहले कभी चीतों की देखरेख की है।

भारत में चीता पुनर्वास से संबंधित अन्य चिंताएँ:

- **कुनो नेशनल पार्क (KNP) की उपयुक्तता:** चीतों को उत्तरी अफ्रीका, साहेल और पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में विकसित होने के लिए जाना जाता है। वे खुले घास के मैदानों, नामीबिया के सवाना, घनी वनस्पतियों और पहाड़ी इलाकों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं।
  - हालाँकि, **KNP काफी हद तक शुष्क, पर्णपाती वन भूमि** है। जबकि अफ्रीका के चीते आमतौर पर उस महाद्वीप के सवाना के लिए **अधिक अनुकूलित** होते हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान इतने सारे चीतों को रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- **खंडित आवास:** भारत की घास भूमियाँ कृषि भूमि, ग्रामीण आवास और सड़कों, विशेष रूप से राजमार्गों द्वारा खंडित हैं, जिससे निवास स्थान का विखंडन होता है।
  - चूंकि पुनः स्थापित चीतों की आबादी पहले से ही छोटी है, खंडित आवास में रहने से स्वस्थ जीन प्रवाह में बाधा आएगी, अंतःप्रजनन में वृद्धि होगी, जिससे **वंशानुगत विकारों और बीमारियों का खतरनाक रूप से उच्च प्रसार** होगा।
- **बीमारी का खतरा:** जब जानवरों को किसी भू-परिदृश्य में लाया जा रहा है, तो उन **जानवरों और वन्यजीव प्रजातियों दोनों में बीमारी फैलने का खतरा** होता है जो पुनर्वास के लिए चुनी गई जगह पर पहले से रहते हैं (इस मामले में कुनो)।
  - **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** के अनुसार, "कोई भी स्थानांतरित जीव सूक्ष्म जीवों या परजीवियों के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रकोप का खतरा होता है।"
- **मानव-पशु संघर्ष:** खुले में छोड़े जाने के बाद से, चीतों को राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से परे विचरण करते देखा गया है।
  - चीता "ओबन" ने कूनो के बफर जोन के बाहरी इलाके में गांव में प्रवेश किया और गांव में एक गाय का शिकार किया था।
- **पारिस्थितिक चिंताएँ:** प्राकृतिक और संभावित शिकार की कमी और मौजूदा शीर्ष शिकारी, भारतीय तेंदुए और विभिन्न मेसोप्रीडेटर्स के साथ संभावित प्रतिस्पर्धा और संघर्ष इनकी आबादी की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक साबित हो सकते हैं।
  - चीते खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं, अधिकांश आवासों में उन्हें फिर से शामिल करने से उनके शिकार अर्थात मध्यम आकार के शाकाहारियों की आबादी तेजी से घट जाएगी, जिससे बाद के आहार, यानी घास भूमि की वनस्पति में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।
  - बदले में, चूंकि शिकार की संख्या जल्दी से संतुलित नहीं होती है, अंततः बाहरी चीते अपने स्वयं के विनाश का कारण बन सकते हैं।
- **भारत में घास भूमियों का नुकसान:** मरुस्थलीकरण, कृषि और निर्माण गतिविधियों के कारण भारत की घास भूमियों का नुकसान हो रहा है।
- **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD)** कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन इंडिया (2019) के अनुसार, 2005-2015 के दशक में भारत ने अपने घास भूमि के क्षेत्र का लगभग 31% (लगभग 56.500 वर्ग किलोमीटर) हिस्सा खो दिया।

पिछला चीता पुनर्वास कार्यक्रम

- **दक्षिण अफ्रीका:** दक्षिण अफ्रीका में चीते के पुनर्वास के पहले 10 प्रयासों में से नौ विफल रहे और जंगली चीता पुनर्वास और प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के इन प्रारंभिक प्रयासों के दौरान 200 से अधिक जंगली चीतों को ले जाया गया।
- चीता विशेषज्ञ विंसेंट वैन डेर मेरवे ने कहा कि चीतों को छोड़े जाने के बाद पहले वर्ष में शुरुआती आबादी के 50 प्रतिशत के नुकसान का अनुमान बिना बाड़ वाले क्षेत्रों में जंगली चीता के पुनर्वास के लिए मानक है।
  - शुरुआती वर्षों में **शावकों की मृत्यु दर अधिक होने की संभावना** है क्योंकि भारत में अधिकांश मादाएं पहली बार शावकों को जन्म देंगी और इन्हें शावकों को पालने में उतना सक्षम नहीं माना जाता है।

आगे की राह

- **चीता का अधिक स्थानांतरण:** चीता परियोजना संचालन समिति के अनुसार, भारत में चीते की आबादी स्थिर होने से पहले कम से कम 50 शुरुआती चीतों की आवश्यकता होगी।
  - दीर्घावधि में आनुवंशिक और जनसांख्यिकीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी और चीतों की भारतीय मेटापॉपुलेशन के बीच आगे अदला-बदली की आवश्यकता होगी।

- पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और उस पर निगरानी और सलाह देने के लिए NTCA द्वारा चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था।

- **खुली घास भूमि के क्षेत्र प्रदान करना:** चीते खुले घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करते हैं, जिनमें प्रजनन करने वाले नर अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं, जो अक्सर प्रत्येक क्षेत्र के लगभग 40-80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा और उसका बचाव करते हैं।
  - यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चीता आबादी को पनपने के लिए खुलि, खंडित घास भूमि उपलब्ध कराई जाए।
- **पुनर्वास के लिए अन्य साइट्स:** विशेषज्ञों ने 2024 के अंत तक कम से कम दो अतिरिक्त पुनर्वास स्थल उपलब्ध कराने की सिफारिश की है, जिनका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो और वहाँ बाड़ लगाई जाए क्योंकि दुनिया भर में बिना बाड़ वाली प्रणालियों में चीता का सफल पुनर्वास नहीं देखा गया है।
  - NTCA ने कहा कि वह मध्य प्रदेश में **गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को विकल्प के तौर पर तैयार** कर रहा है।
- **स्वास्थ्य निगरानी:** भारत को चीता पुनर्वास योजनाओं के हिस्से के रूप में संक्रमण से होने वाले **खतरों के प्रबंधन के लिए संपूर्ण रोग जांच प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल** की आवश्यकता है।
- **अन्य चरण:** चीतों को **सॉफ्ट बेल्ट वाले हल्के कॉलर लगाने की आवश्यकता** है।
  - चीतों द्वारा "विकासवादी समयमान" पर अपनाना शीतकालीन आवरण का एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है।

निष्कर्ष

- एक बार जब चीते भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपना घरेलू क्षेत्र स्थापित कर लेंगे तो परियोजना की सफलता या विफलता का आकलन करने में अभी भी कुछ साल और लगेंगे।
- परियोजना के सफल होने के लिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले धैर्य और समय आवश्यक घटक हैं।

5.6 मैंग्रोव संरक्षण

संदर्भ:

हाल ही में, 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

अन्य जानकारी:

- **दिवस के बारे में**: इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था।
- **उद्देश्य**: "एक अद्वितीय, विशेष और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र" के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देना।
- **महत्व:** मैंग्रोव "संक्रमणकालीन अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों" में पाए जाते हैं। यानी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र SDGs 14 और 15 के दोनों में हैं, क्योंकि वे जल के अन्दर के जीवन और जमीन पर जीवन के बीच एक बफर जोन प्रदान करते हैं।

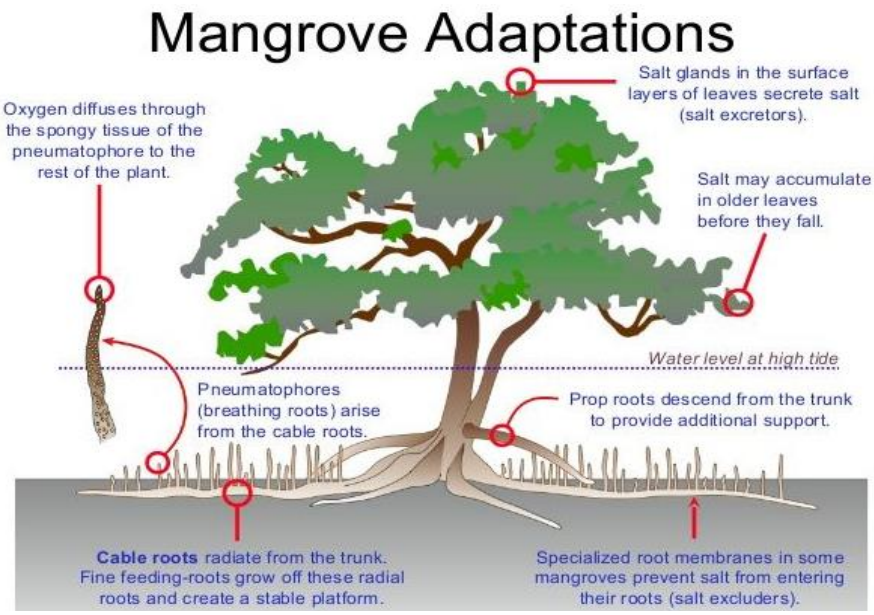

मैंग्रोव के बारे में:

- **स्थान:** मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 25°N और 25°S अक्षांश के बीच पाए जाते हैं।
- मैंग्रोव में तटीय पर्यावरण की विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन होता है।

भारत और मैंग्रोव:

- भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत का घर है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव विविधता में सबसे समृद्ध हैं।
  - **सुंदरबन:** यह विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले मैंग्रोव वनों में से एक है।
  - यह विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है, जिनमें बंगाल टाइगर, फिशिंग कैट, मैंग्रोव सांप, गोलियथ बगुला, खारे पानी के मगरमच्छ और पानी की मॉनिटर छिपकली शामिल हैं।

- भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार, 1987 के बाद से देश का मैंग्रोव वन क्षेत्र 930 वर्ग किमी बढ़ गया है।
- वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी है।
  - 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है।
  - मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य ओडिशा (8 वर्ग किमी) हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) और कर्नाटक (3 वर्ग किमी) हैं।

महत्व:

- **आपदा न्यूनीकरण**: मैंग्रोव कवरेज एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करता है और तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाता है।
  - यह अवसादन की प्रक्रिया को स्थिर करता है और तटीय बाढ़ को कम करता है, इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।
  - एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की मैंग्रोव प्रणालियाँ वार्षिक बाढ़ से लगभग 7.8 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं।
  - उदाहरण के लिए: 2020 में सुपरसाइक्लोन अम्फान के दौरान, सुंदरबन मैंग्रोव ने जैव-ढाल के रूप में कार्य करके और तटबंधों की रक्षा करके लाखों लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
  - समुद्री तूफानों, सुनामी और चक्रवातों से बचाव के जवाब में मैंग्रोव **"बेहतर निर्माण करें"** रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ**: मैंग्रोव व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों और समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं।
  - सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन की मेजबानी करता है और बंगाल टाइगर और गंगा नदी डॉल्फ़िन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान भी है।
- **प्राकृतिक फिल्टर**: मैंग्रोव वन पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और तलछट, प्रदूषकों और अतिरिक्त पोषक तत्वों को रोककर प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं।
  - वे तटीय समुदायों की भलाई और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं।
- **कार्बन पृथक्करण:** मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित कर सकते हैं और इसे पृथक्करण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने बायोमास और तलछट में संग्रहीत कर सकते हैं।
  - विश्व स्तर पर, अनुमान है कि मैंग्रोव 22.86 मीट्रिक गीगाटन CO2 को अलग करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन, भूमि-उपयोग और उद्योग से होने वाले वार्षिक CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा है।
  - इस दबे हुए कार्बन को "ब्लू कार्बन" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मैंग्रोव वनों, समुद्री घास के मैदानों और नमक दलदल जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में पानी के नीचे संग्रहीत होता है।
- **आजीविका:** मैंग्रोव भारत में 900,000 मछुआरे परिवारों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - मैंग्रोव बेहतर सिस्टम उपलब्ध कराकर मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं और स्थानीय आबादी के लिए भोजन और आय प्रदान करते हैं।
  - भारत की लगभग 60% तटीय समुद्री मछली प्रजातियाँ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं।
- **पर्यटन और मनोरंजन**: मैंग्रोव पर्यावरण आधारितपर्यटन, पक्षी-दर्शन, कायाकिंग और अन्य प्रकृति-आधारित गतिविधियों के अवसर प्रदान करते हैं जो स्थानीय समुदायों के सतत आर्थिक विकास का समर्थन कर सकते हैं।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ:

- मैंग्रोव पारितंत्र पर बढ़ता दबाव: मैंग्रोव प्रति वर्ष 1-2% की वैश्विक हानि दर से गायब हो रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों के दौरान यह हानि 35% तक पहुंच गई है।
  - 1996 के बाद से, धरती के मैंग्रोव कवरेज में 11,700 वर्ग किमी की गिरावट आई है - यह क्षेत्र गोवा के आकार का तीन गुना है - जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- **घटती विविधता**:IUCN की लाल सूची के अनुसार, दुनिया में 70 मैंग्रोव प्रजातियों में से 11 (16 प्रतिशत) विलुप्त होने के खतरे में हैं।
  - उनमें से, दो प्रजातियाँ, अर्थात् सोनेरटिया ग्रिफ़िथी (गंभीर रूप से लुप्तप्राय) और हेरिटिएरा फोम्स (लुप्तप्राय) भारत में पाई जाती हैं।
  - 1,533 प्रजातियाँ किसी न किसी तरह से मैंग्रोव से जुड़ी हुई हैं; जिनमें से 15% पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मैंग्रोव से जुड़े लगभग 50% स्तनधारी, 22% मछलियाँ, 16% पौधे, 13% उभयचर और 8% पक्षी और सरीसृप प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- **तेल प्रदूषण**: तेल रिसाव से मैंग्रोव के श्वसनमें बाधा पैदा करते है और विषाक्त को बढ़ाते है।

- गिरा हुआ तेल हवा में सांस लेने वाली मैंग्रोव जड़ों को ढक लेता है, जिससे गैसीय आदान-प्रदान होता है और भूमिगत जड़ों तक ऑक्सीजन का परिवहन बाधित होता है, जिससे पेड़ों की मृत्यु हो जाती है।

- **मीठे पानी में कमी**: नदियों पर बांध बनाने के कारण मैंग्रोव को मीठे पानी के प्रवाह में कमी के परिणामों का सामना करना पड़ता है।
  - ये प्रभाव विशेष रूप से कावेरी जैसे मुहाने पर अधिक हैं जहां वर्षा भी कम होती है।
- **शहरीकरण:** मानव आबादी बढ़ाने के कारण बुनियादी ढांचे और आवास योजनाएं मैंग्रोव को नष्ट कर रही हैं, क्योंकि मैंग्रोव को सूखा दिया जाता है और शहरी परियोजनाओं के लिए जगह बनाने के लिए भूमि को साफ कर दिया जाता है।

आगे की राह

- **संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करना**: दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना और सक्षम करना महत्वपूर्ण है।
  - गुजरात और ओडिशा में, परिणामों से पता चला है कि स्थानीय समुदायों को उनके पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधक के रूप में शामिल करने, प्रोत्साहन बनाने और सरकारी अधिकारियों और बहाली कार्यक्रमों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- **नीति नियोजन**: स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मैंग्रोव वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना चाहिए।
  - मैंग्रोव स्थितियों के लिए मानकीकृत मेट्रिक्स विकसित करना, परिवर्तन के स्थानीय चालकों की पहचान करना और नीति और प्रबंधन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए।

मैंग्रोव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास

- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (मैक): यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इंडोनेशिया के नेतृत्व में एक पहल है, जिसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन भी शामिल हैं।
  - इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में शिक्षित और जागरूकता फैलाना है।
- अब हमारे मैंग्रोव को बचाएं: यह BMZ, WWF औरIUCN का एक संयुक्त प्रयास है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक मैंग्रोव की गिरावट को रोकना है।

- **प्रदूषण उन्मूलन**: मैंग्रोव वन के खतरों को कम करने के उपाय लागू करें, जैसे प्रदूषण को नियंत्रित करना, अवैध कटाई को रोकना और तटीय कटाव को कम करना।
- **वनरोपण**: जंगल का आकार बढ़ाने और उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए नए मैंग्रोव पेड़ों के रोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
  - मैंग्रोव वनों की कटाई की दर को कम करने से जलवायु परिवर्तन से कार्बन लाभ 55-61% तक बढ़ जाएगा।
- **मानवीय गतिविधियों को सीमित करना**: शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों को मैंग्रोव वनों के आसपास सीमित किया जाना चाहिए।
  - जो लोग आजीविका के लिए मैंग्रोव का उपयोग करते हैं उन्हें मत्स्य पालन के प्रति स्थायी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **जागरूकता**: स्थानीय जैव विविधता पर मैंग्रोव परिवर्तन के प्रभाव को समझने और प्रभावी संरक्षण और पुनर्प्राप्ति योजनाओं को विकसित करने के लिए मैंग्रोव क्षरण और हानि से लाभान्वित और प्रभावित होने वाली प्रजातियों के ज्ञान को परिष्कृत करें।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

5.7 एशिया में जलवायु की स्थिति 2022: डब्ल्यूएमओ

संदर्भ:

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एशिया दुनिया में सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। 2022 में एशिया को 81 मौसम, जलवायु और जल संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ा।

'एशिया में जलवायु की स्थिति 2022' रिपोर्ट के बारे में:

- यह राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं (एनएमएचएस), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशेष एजेंसियों का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह वर्ष 2022 के लिए एशिया क्षेत्र में जलवायु की स्थिति, चरम घटनाओं और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। 2022 की यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में तीसरी रिपोर्ट है।

रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष:

- **एशिया में बढ़ता तापमान:** 2022 में एशिया में औसत तापमान 1991-2020 के औसत से लगभग 0.72 डिग्री सेल्सियस अधिक और 1961-1990 के औसत से 1.68 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- **चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि:** तापमान में वृद्धि के कारण पूरे एशिया में सूखा, बाढ़ और हीटवेव सहित अधिक बार और गंभीर चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए,

- यांग्त्ज़ी नदी बेसिन: पिछले छह दशकों में सबसे सूखा प्रवण क्षेत्र जहां लगभग 7.6 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।
- पाकिस्तान: तीन सप्ताह में सामान्य कुल मानसून वर्षा का 60% प्राप्त हुआ, जिससे शहरी, भूस्खलन और हिमनदी झील में बाढ़ आ गई।
- भारत: भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और नदियों में बाढ़ आ गई, जिसके परिणामस्वरूप 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए।

- **कृषि पर गंभीर प्रभाव:** एशिया में कृषि क्षेत्र जलवायु संबंधी आपदाओं से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें 25% से अधिक की क्षति बाढ़, सूखे और उष्णकटिबंधीय तूफान से जुड़ी है।
- **बाढ़ के कारण आर्थिक नुकसान:** पाकिस्तान, चीन और भारत में बाढ़ से संबंधित आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान 2002-2021 की अवधि के औसत से अधिक हो गया।
  - पाकिस्तान को 15 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ, उसके बाद चीन को 5 बिलियन डॉलर से अधिक और भारत को 4.2 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
- **हीटवेव की बारंबारता:** भारत, पाकिस्तान, चीन, हांगकांग और जापान में प्री-मॉनसून सीज़न में असामान्य रूप से गर्म स्थिति का अनुभव हुआ, 2022 में रिकॉर्ड-उच्च तापमान होगा।
- **ग्लेशियरों का पिघलना:** जलवायु परिवर्तन ने उच्च पर्वतीय एशिया क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने को बढ़ा दिया है। 1990 के दशक के मध्य से इस क्षेत्र के चार ग्लेशियरों में बड़े पैमाने पर भारी नुकसान दर्ज किया गया है।

5.8 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।

विधेयक के बारे में:

- विधेयक का उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि तटीय जलीय कृषि और संबंधित गतिविधियों का विनियमन किसी भी अन्य कानून को छोड़कर, पूरी तरह से तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
  - तटीय जलीय कृषि में नियंत्रित परिस्थितियों में झींगा या मछली जैसे समुद्री जीवों का उत्पादन शामिल है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

तटीय जलीय कृषि परिभाषा का विस्तार करना:	• तटीय जलीय कृषि इस अधिनियम के दायरे में तटीय जलीय कृषि की सभी गतिविधियों को कवर करेगी। • 2005 में, तटीय जलकृषि गतिविधि मूलतः झींगा पालन थी। • अब पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूप जैसे केज कल्चर, समुद्री शैवाल पालन, द्वि-वाल्व पालन, समुद्री सजावटी मछली पालन मोती सीप पालन आदि सामने आए हैं जो तटीय क्षेत्रों में और ज्यादातर CRZ के भीतर किए जा सकते हैं।
पर्यावरण अनुकूल जलीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा देना:	• पर्यावरण-अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूपों जैसेकेज कल्चर, समुद्री शैवाल पालन, द्वि-वाल्व पालन, समुद्री सजावटी मछली पालन मोती सीप पालन" को बढ़ावा देता है।
जैवसुरक्षा:	• तटीय जलकृषि इकाई के भीतर हानिकारक जीवों के आने या फैलने के जोखिम को रोकने के लिए नए प्रावधान शामिल हैं जो संक्रामक रोगों का कारण बन सकते हैं।
अपवाद:	• तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नो डेवलपमेंट जोन(NDZ) [हाई टाइड लाइन (HTL) से 200 मीटर] के भीतर हैचरी, ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र (BMC) और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (NBC) जैसी जलीय कृषि इकाइयों की स्थापना के लिए CAA अधिनियम के तहत विशिष्ट छूट दी गई है।.

5.9 हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD)

संदर्भ:

ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने हाल के दिनों में हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) सूचकांक में बदलाव की सूचना दी है।

- IOD सूचकांक +0.34°C से बढ़कर +0.79°C हो गया है, जो धनात्मकIOD सीमा +0.4°C को पार कर गया है।
- अंतिम बार धनात्मक IOD घटना 2019 में हुई थी।

हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) के बारे में:

- IOD श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के ठंडे और गर्म तापमान में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
- IOD को पश्चिमी हिंद महासागर और इंडोनेशिया के दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया गया है।

- IOD ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर बेसिन के आसपास के अन्य देशों की जलवायु को प्रभावित करता है, और इस क्षेत्र में वर्षा परिवर्तनशीलता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

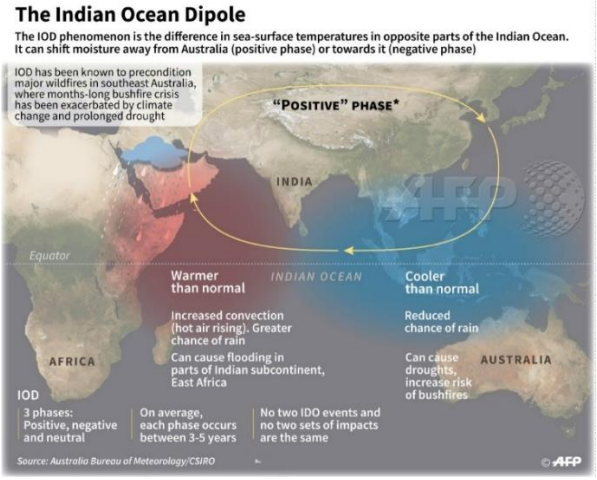

IOD सूचकांक के बारे में:

- IOD सूचकांक को पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र की सतह के औसत तापमान और पूर्वी हिंद महासागर में समुद्र की सतह के औसत तापमान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जब। OD सूचकांक धनात्मक होता है, तो घटना को धनात्मक IOD कहा जाता है और जब यह ऋणात्मक होता है, तो इसे ऋणात्मक IOD कहा जाता है।

5.10 ग्रेट निकोबार परियोजना

संदर्भ:

केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार परियोजना के निष्पादन चरण के दौरान 9.64 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में:

- उत्पत्ति: ग्रेट निकोबार द्वीप को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार 1970 के दशक में पेश किया गया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र को मजबूत करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया था।

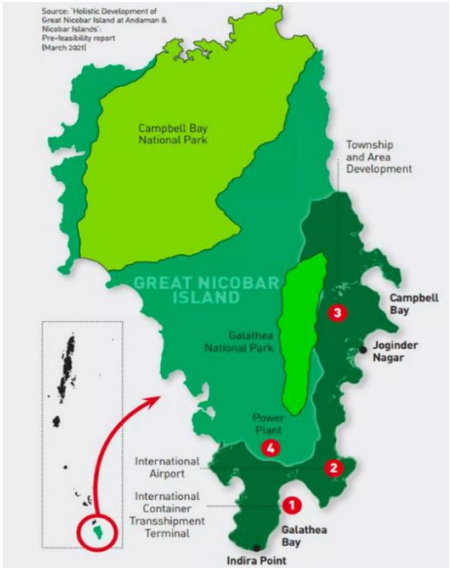

  - हालाँकि, बंगाल की खाड़ी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी दावे ने हाल के वर्षों में इस अनिवार्यता को और अधिक बढ़ा दिया है।
- यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर **72,000 करोड़ रुपये** की विकास परियोजना है।
- **इसके चार घटक हैं:**
  - गैलाथिया खाड़ी में ₹35,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
  - एक दोहरे उपयोग वाला सैन्य-सिविल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
  - एक विद्युत संयंत्र
  - एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम

5.11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप

संदर्भ:

हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

अंडमान निकोबार में भूकंप का कारण:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र भूकंप का हॉटस्पॉट है, जो बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के 'सबडक्शन' के कारण होता है।
- इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बर्मी माइक्रोप्लेट के नीचे दब जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक प्रमुख आईलैंड आर्क-ट्रेंच प्रणाली का निर्माण होता है।
- अंडमान-निकोबार-सुमात्रा सबडक्शन ज़ोन पूर्वोत्तर हिंद महासागर में एक सक्रिय विषम सबडक्शन ज़ोन है।

क्षेत्र में पिछला भूकंप:

- **सुनामी 2004:** ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया में बंडा आचे से ज्यादा दूर नहीं है, जो दिसंबर 2004 में आए भूकंप और सुनामी का केंद्र था, जिससे अभूतपूर्व क्षति हुई थी।

- ग्रेट निकोबार की तटरेखा में लगभग चार मीटर की स्थायी गिरावट देखी गई, जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि इंदिरा पॉइंट का लाइटहाउस अब पानी से घिरा हुआ है।

5.12 भूमध्य सागर में अत्यधिक तापमान

संदर्भ

कई हफ्तों से, भूमध्यसागरीय क्षेत्र भीषण गर्मी से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अल्जीरिया से ग्रीस तक नौ देशों में वनाग्नि फैल गई है।

अन्य संबंधित जानकारी:

- जुलाई के अंत में, भूमध्य सागरीय सतह का तापमान रिकॉर्ड 28.7 डिग्री सेल्सियस (83.66 फारेनहाइट) तक पहुंच गया है। साथ ही सागर के कुछ पूर्वी हिस्सों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया।

भूमध्य सागर के बारे में:

- यह अटलांटिक महासागर का एक समुद्र है जो यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है और लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है।
- भूमध्य सागर पश्चिम में जिब्राल्टर जलडसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से और पूर्व में क्रमशः डार्डनिल्स और बोस्पोरस जलसंधि द्वारा मार्मारा और काला सागर से जुड़ा है।

सीमावर्ती देश:

- यूरोप (पश्चिम से पूर्व तक): स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा का द्वीप राज्य, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की और साइप्रस का द्वीप गणराज्य
- एशिया (उत्तर से दक्षिण तक): तुर्की, सीरिया, लेबनान और इज़राइल।
- अफ्रीका (पूर्व से पश्चिम तक): मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को

5.13 उत्तरी सागर में ड्रिलिंग (खनन)

संदर्भ:

यू.के. तेल और प्राकृतिक गैस के लिए उत्तरी सागर में और अधिक ड्रिलिंग की योजना बना रहा है जिससे उसे अधिक ऊर्जा संपन्न बनने में मदद मिलेगी।

उत्तरी सागर में अन्वेषण:

- महाद्वीपीय मग्न तट पर 1958 का जिनेवा कन्वेंशन, समुद्र तट से सटे महाद्वीपीय मग्न तट पर देशों के अधिकारों को स्थापित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून था।
- इस कन्वेंशन ने उत्तरी सागर में अन्वेषण को सुगम बनाया जिसके बाद 1964 में यू.के. द्वारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ अधिनियम लागू किया गया।

कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ अधिनियम:

- इस कानून ने 1958 के जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के अनुरूप, महाद्वीपीय मग्न तट में अन्वेषण और उपयोग को अधिकृत किया।
- विशेष रूप से, इसने अपने तटीय क्षेत्रों के निकट समुद्र के नीचे तेल और गैस भंडार (कोयले को छोड़कर) पर यू.के. के अधिकार की सीमा को परिभाषित किया।

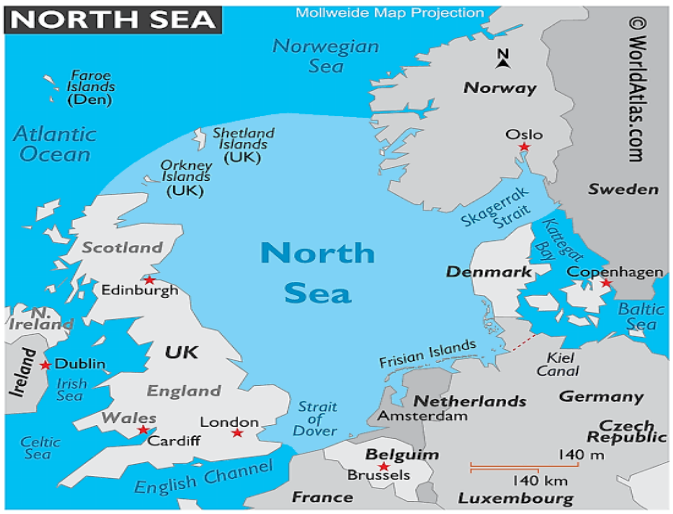

उत्तरी सागर के बारे में:

- **एपिरिक सागर**: यह यूरोपीय महाद्वीपीय मग्न तट पर एक एपिरिक समुद्र है जो दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है।
  - o एपिरिक सागर एक महाद्वीपीय जल निकाय है जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा होता है और या तो पूरी तरह से शुष्क भूमि से घिरा होता है अथवा किसी नदी, जलडमरूमध्य या समुद्र की सीमा द्वारा समुद्र से जुड़ा होता है।

- **अवस्थिति**: यह पश्चिम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, दक्षिण में नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस और पश्चिम में नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्थित है।
- **उत्तरी सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ**: राइन, टेम्स और एल्बे नदियाँ
- **महत्वपूर्ण द्वीप:** शेटलैंड की मुख्यभूमि, मुख्यभूमि द्वीप ओर्कनेय, नॉर्वेजियन स्टोर्ड द्वीप
- **जलवायु:** उत्तरी सागर में समुद्री समशीतोष्ण समुद्री जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें तापमान थोड़ा अधिक होता है। सर्दियाँ लंबी लेकिन ठंडी होती हैं जबकि गर्मियाँ छोटी और हल्की होती हैं।

5.14 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

संदर्भ:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन की घोषणा की है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में:

- यह दिल्ली-NCR क्षेत्र में विशिष्ट सीमा स्तर तक पहुंचने पर वायु की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू किए गए आपातकालीन उपायों का एक सेट है।
- इसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था और 2017 में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था।

GRAP की मुख्य विशेषताएं:

- **वृद्धिशील प्रकृति:** GRAP को वृद्धिशील प्रकृति के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि जैसे ही वायु की गुणवत्ता खराब होती है, क्रमिक चरणों में उपाय शुरू हो जाते हैं।
  - स्टेज 1 (खराब AQI - 201 से 300)
  - स्टेज 2 (बहुत खराब AQI - 301 से 400)
  - स्टेज 3 (गंभीर AQI - 401 से 450)
  - स्टेज 4 (गंभीर + AQI - 450 से अधिक)

5.15 भारत के स्थानिक पक्षी: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

संदर्भ:

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने हाल ही में ZSI की स्थापना की 108वीं वर्षगांठ मनाने के लिए "भारत के 75 स्थानिक पक्षी" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- भारत की समृद्ध पक्षी विविधता: भारत 1,353 पक्षी प्रजातियों का अधिवास है, जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग 12.40% प्रतिनिधित्व करता है।
  - इन 1,353 पक्षी प्रजातियों में से 78 (5%) देश में स्थानिक हैं।
- भारत में स्थानिक पक्षी प्रजातियों के खतरे का आकलन: भारत में 78 स्थानिक पक्षी प्रजातियों में से,
  - 25 को IUCN द्वारा 'थ्रेटेंड' के रूप में;
  - 3 को 'क्रिटिकली एंडेंजर्ड' के रूप में;
  - 5 को 'एंडेंजर्ड' के रूप में;
  - 17 को 'वल्नरेबल' के रूप में;
  - 11 को 'नियर थ्रेटेंड' के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- **वितरण पैटर्न:**
  - पश्चिमी घाट: 28 स्थानिक पक्षी प्रजातियाँ।
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 25 स्थानिक पक्षी प्रजातियाँ।
- **दशकों में नहीं देखी गई पक्षी-प्रजातियाँ**: पिछले कुछ दशकों में तीन प्रजातियाँ दर्ज नहीं की गई हैं:

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में:

- ZSI पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी।
- यह एक राष्ट्रीय जीव सर्वेक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारत के विविध जीवों के बारे में ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके देशभर में 16 क्षेत्रीय स्टेशन हैं।

5.16 जैव विविधता विरासत स्थल (BHS)

संदर्भ:

- हाल ही में, ओडिशा सरकार ने तीन स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस अधिसूचित किया है जिनमें मंदसरू हिल्स, महेंद्रगिरि हिल्स और गंधमर्दन हिल्स शामिल हैं।

जैव विविधता विरासत स्थलों के बारे में:

- 'जैव विविधता विरासत स्थल' निम्नलिखित घटकों में से किसी एक या अधिक से युक्त समृद्ध जैव विविधता वाले विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं:
  - जंगली और साथ ही पालतू प्रजातियों या अंतर-विशिष्ट श्रेणियों से समृद्ध।
  - उच्च स्थानिकवाद (endemism)
  - दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों, प्रमुख प्रजातियों, विकासवादी महत्व की प्रजातियों की उपस्थिति।
  - घरेलू/ विकसित की गई प्रजातियों या उनकी किस्मों के वन्य पूर्वज।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-37 के तहत, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

- **मंदसरू हिल्स:**
  - वे ओडिशा के कंधमाल जिले के पूर्वी भाग में स्थित हैं।
- **महेंद्रगिरि हिल्स:**
  - यह ओडिशा के गजपति जिले के रायगढ़ा ब्लॉक में एक पर्वत है।
- **गंधमर्दन हिल्स:**
  - यह ओडिशा के बलांगीर और बरगढ़ जिले के बीच स्थित एक पहाड़ी है।

5.17 दीपोर बील

संदर्भ:

नष्ट होते दीपोर बील को बचाने के लिए स्थानीय आबादी द्वारा विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं।

दीपोर बील के बारे में:

- यह निचले असम में ब्रह्मपुत्र घाटी की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक है और राज्य का एकमात्र रामसर स्थल (2002 में घोषित) है। इसके अलावा यह निवासी और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- यह सदियों से हाथियों की आवाजाही के लिए एक स्थान रहा है और बील के 4.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है।

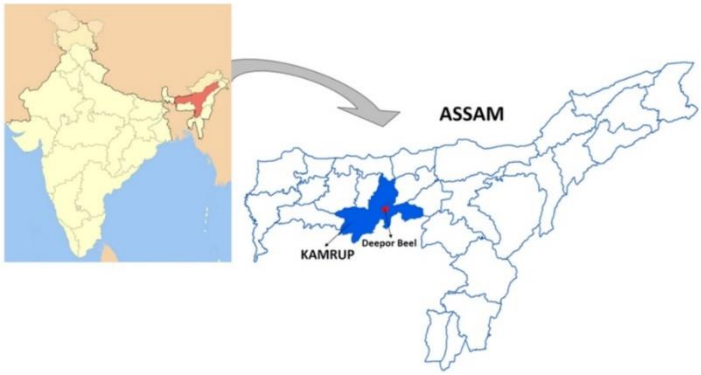

- **खतरा:** कानून द्वारा संरक्षित आर्द्रभूमि होने के बावजूद, यह कई मानवजनित खतरों का सामना करती है, जिसमें आर्द्रभूमि के समानांतर चलने वाले रेलवे ट्रैक और इसकी परिधि में एक अपशिष्ट यार्ड भी शामिल है।

पहल

सिमांग:

- सिमांग छह महिलाओं की एक सामूहिक पहल है जिसके तहत उन्होंने आक्रामक खरपतवार, जलकुंभी को सफलतापूर्वक सुंदर कलाकृतियों और योगा मैट में बदल दिया है।
- जलकुंभी एक सप्ताह के भीतर तेजी से बढ़ सकती है, जिससे यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक समस्या बन सकती है।

कुंभी कागज:

- यह दीपोर बील को पारिस्थितिक रूप से बहाल करने पर केंद्रित है और साथ ही केओटपारा के स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका का निर्माण भी करता है।
- यह पहल जलकुंभी को 100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल, रसायन-मुक्त हस्तनिर्मित कागजों में परिवर्तित करती है।
- कुम्भी कागज़ के प्रयासों से आर्द्रभूमि में मखाना (काँटेदार वाटर लिली) की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका व्यावसायिक मूल्य बहुत अधिक है।

5.18 बागजान तेल रिसाव

संदर्भ:

हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने असम सरकार को बागजान तेल और गैस रिसाव के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे 2020 में असम के तिनसुकिया जिले में करीब 9,000 लोग विस्थापित हुए।

अन्य जानकारी:

- **घटना के बारे में:** बागजान-5 कुआं तिनसुकिया जिले में स्थित विशुद्ध रूप से गैस उत्पादक एक कुआं है, और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से 900 मीटर की हवाई दूरी पर है।
  - इसमें 2006 में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा खनन किया गया था।
  - यह 3,870 मीटर की गहराई से लगभग 80,000 मानक घन मीटर प्रति दिन (SCMD) गैस का उत्पादन करता है।
  - बागजान तेल एवं गैस रिसाव को देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला तेल रिसाव माना जाता है।
- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)** ने रिसाव की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटेकी के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने नवंबर 2020 में पूरे बागजान तेल और गैस क्षेत्र को अवैध मानते हुए पर्यावरणीय कानूनों के कई उल्लंघनों का खुलासा किया।
  - समिति ने कहा कि प्रभावित गांवों को हुए नुकसान की मात्रा के आधार पर बागजान के प्रभावित ग्रामीणों को एकमुश्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

तेल रिसाव के बारे में:

- तेल रिसाव मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण, विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की विमुक्ति है, और यह प्रदूषण का एक रूप है।

समाचार में प्रजातियाँ:

क्लाउडेड लेपर्ड	भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के भीतर क्लाउडेड लेपर्ड के बीच एक अजीब व्यवहार देखा है। • ये तेंदुए हरे-भरे उष्णकटिबंधीय छत्र वाले जंगलों के भीतर एक रहस्यमय लुका-छिपी की गतिविधि में संलग्न दिखाई देते हैं। **क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में:** • क्लाउडेड लेपर्ड को दो प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है: o मुख्य भूमि पर क्लाउडेड लेपर्ड मध्य नेपाल से प्रायद्वीपीय मलेशिया तक वितरित है। ✓ सुरक्षा स्थिति:IUCN लाल सूची के अंतर्गत वल्नरेबल। ✓ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 स्थिति: अनुसूची-I. • सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस डायर्डी) बोर्नियो और सुमात्रा की मूल प्रजाति है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए रिकवरी कार्यक्रम के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। • ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। • **संरक्षण की स्थिति:** o प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) की लाल सूची: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) o वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट 1 o प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS): परिशिष्ट-I o वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I. • **पर्यावास:** यह ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। • ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम: o प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड o नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स
हिमालयी गिद्ध (Himalayan Vultures)	शोधकर्ताओं के अनुसार असम राज्य चिड़ियाघर में भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस) की कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है। **गिद्धों के बारे में:** • गिद्ध मिलनसार प्राणी हैं और इन्हें अक्सर एक सामूहिक इकाई के रूप में देखा जाता है। दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियों में से नौ भारत में पाई जाती हैं। • गिद्ध धीमी गति से प्रजनन करने वाले होते हैं और इसलिए प्रत्येक गिद्ध का जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। • आम तौर पर गिद्ध शवों को क्षत-विक्षत करने के लिए अन्य मांसाहारियों पर निर्भर रहते हैं। • गिद्धों का पेट अत्यधिक अम्लीय होता है। यह उन्हें सड़ते शवों को पचाने और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। **भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियाँ और उनकी संरक्षण स्थिति:** • भारतीय गिद्ध या लंबी चोंच वाला गिद्ध (जिप्स इंडिकस): गंभीर रूप से लुप्तप्राय • भारतीय सफेद पीठ वाला गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस): गंभीर रूप से लुप्तप्राय • लाल सिर वाला गिद्ध (सरकोजिप्सक्लवस): गंभीर रूप से लुप्तप्राय • स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस): गंभीर रूप से लुप्तप्राय • इजिप्शियन गिद्ध (नियोफ्रोनपेरक्नोप्टेरस): लुप्तप्राय • सिनेसिरस गिद्ध (एजिपियसमोनैचस): संकटापन्न • दाढ़ी वाला (बियर्डेड) गिद्ध (जिपेटसबारबेटस): संकटापन्न • हिमालयी गिद्ध (जिप्स हिमालयनसिस): संकटापन्न • ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जिप्स फ़ुलवस): कम चिंताजनक
डॉल्फिन का संरक्षण	नदी डॉल्फ़िन पर किए गए अध्ययनों के अनुसार, गंगा की मुख्यधारा में गंगा नदी डॉल्फ़िन की आबादी स्थिर मानी जाती है, हालाँकि सहायक नदियों में इसकी संख्या में गिरावट आई है।

	गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में: • गंगा नदी की डॉल्फ़िन केवल ताजे जल में ही रह सकती है और वे मूलतः देख नहीं सकती हैं। • वे **अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करके शिकार करती हैं**, जो मछली और अन्य शिकार से परावर्तित होती हैं, जिससे उन्हें अपने मस्तिष्क में एक छवि "देखने" में मदद मिलती है। • **वितरण:** सात राज्य, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। • **पर्यावास:** ऊपरी गंगा नदी (उत्तर प्रदेश में), चंबल नदी (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश), घाघरा और गंडक नदियाँ (बिहार और उत्तर प्रदेश), गंगा नदी, वाराणसी से पटना (उत्तर प्रदेश और बिहार), सोन और कोसी नदियाँ (बिहार), सदिया से ब्रह्मपुत्र (अरुणाचल प्रदेश की तलहटी) धुबरी (बांग्लादेश सीमा पर) तक और कुलसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी, गंगा नदी डॉल्फ़िन के लिए आदर्श आवास बनाती हैं। **सुरक्षा की स्थिति:** • IUCN स्थिति: एंडेंजर्ड • वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

संक्षिप्त समाचार

फुकुशिमा परमाणु संयंत्र उपचारित जल निपटान	जापान ने फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी दूषित पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ने का निर्णय लिया है। **कारण:** • पिछले 12 वर्षों से टैंकों में 1.3 मिलियन टन से अधिक रेडियोन्यूक्लाइड-दूषित जल साइट पर संग्रहीत किया गया है, लेकिन अब जगह कम पड़ रही थी। • **परमाणु आपदा:** एक बड़े भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा दाइची संयंत्र की शीतलन प्रणाली को नष्ट कर दिया, जिससे इसके तीन रिएक्टर पिघल गए और उनका शीतलन जल दूषित हो गया। • **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** ने जुलाई में निष्कर्ष निकाला कि यदि रिलीज़ को डिज़ाइन के अनुसार किया गया तो, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। • **विरोध:** इस कदम का विरोध पड़ोसी देशों के साथ-साथ समुद्री जीवन पर संभावित प्रभावों एवं मछली पकड़ने के उद्योग द्वारा किया गया है।
बायोमास को-फायरिंग	ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास नीति को संशोधित करने के लिए एक संशोधन जारी किया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से **ताप विद्युत संयंत्र (TPP)** में 5% और वित्त वर्ष 2025-26 से 7% बायोमास को-फायरिंग को अनिवार्य किया गया। • **ताप विद्युत संयंत्र** में बायोमास को-फायरिंग विद्युत उत्पन्न करने के लिए ईंधन स्रोत के रूप में कोयले के साथ बायोमास पेलेट्स का उपयोग करने की प्रक्रिया है। • **बायोमास पेलेट्स** एक लोकप्रिय प्रकार का बायोमास ईंधन है, जो आम तौर पर लकड़ी के अपशिष्ट, कृषि बायोमास, घास और वानिकी अवशेषों से बनाया जाता है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान	हाल ही में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 जारी किए गए। इसमें पश्चिमी असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान में उच्च बाघ घनत्व होने का खुलासा किया गया। • **मानस टाइगर रिजर्व के बारे में:** o **भौगोलिक अवस्थिति**: असम में स्थित, मानस राष्ट्रीय उद्यान में से मानस और बेकी नदियां प्रवाहित होती हैं। o **जलवायु:** यह एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का अनुभव करता है, जो अलग-अलग आर्द्र-नम और शुष्क मौसमों की विशेषता से परिपूर्ण है। • **स्थानिक वनस्पति:** o खैर का पेड़ o सिस्सू o सफेद सिरिस • **विशिष्ट जीव:** o पिग्मी हॉग

	o सुनहरा लंगूर o असम रूफ्ड टर्टल • **संरक्षित क्षेत्र की स्थिति:** o विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल o इसमें एक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य शामिल हैं
विश्व शेर दिवस	• शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। • वर्तमान में गुजरात (भारत) का गिर वन ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शेरों की यह प्रजाति अर्थात् एशियाई शेर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। o केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने "**एशियाई सिंह संरक्षण परियोजना**" शुरू की है।
विश्व हाथी दिवस	• विश्व हाथी दिवस हाथियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए समर्पित एक **अंतरराष्ट्रीय जागरूकता अभियान** है। • यह प्रतिवर्ष **12 अगस्त** को मनाया जाता है। • **संरक्षण की स्थिति:** o **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची। o प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) की सूची: ✓ एशियाई और अफ्रीकी सवाना हाथी: **लुप्तप्राय** ✓ अफ्रीकी वन हाथी: **गंभीर रूप से लुप्तप्राय** • **प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन (CMS):** परिशिष्ट।
मोबाइल ऐप 'फ्लडवॉच'	• केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने **उपयोगकर्ता-अनुकूल "फ्लडवॉच" मोबाइल एप्लिकेशन** लॉन्च किया। इसे CWC द्वारा ही विकसित किया गया है। • **उद्देश्य:** बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का प्रसार करना। • **प्रमुख विशेषताएं:** इंटरएक्टिव मानचित्र का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाना। o उपयोगकर्ता CWC बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक) या बाढ़ संबंधी निर्देश (7 दिन तक) की जांच कर सकते हैं। o ऐप विभिन्न स्रोतों से लगभग **रियल टाइम नदी प्रवाह डेटा का उपयोग** करता है।
चरम जल संकट की स्थितियाँ: विश्व संसाधन संस्थान (WRI) की रिपोर्ट	• WRI के अनुसार किसी क्षेत्र में 'जल संकट' तब माना जाता है जब वहाँ पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है या जब पानी की गुणवत्ता सीमाएं विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। • 2050 तक वैश्विक जल मांग 20-25% बढ़ने का अनुमान है। • वैश्विक स्तर पर, लगभग चार अरब लोग साल के कम से कम एक महीने अत्यधिक जल संकट की स्थिति में रहते हैं। 2050 तक यह संख्या 60 प्रतिशत के करीब हो सकती है। • लगभग 25 देश या दुनिया की एक चौथाई आबादी वर्तमान में सालाना उच्च जल तनाव का सामना कर रही है। • सबसे अधिक जल-तनाव वाले क्षेत्र पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका हैं, जहां 83 प्रतिशत आबादी अत्यधिक उच्च जल-तनाव के संपर्क में है।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

6.1 चंद्रयान-3 मिशन

संदर्भ:

हाल ही में, इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के चंद्रयान-3 लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है।

अन्य संबंधित जानकारी:

- चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और साथ ही यह चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने का दूसरा प्रयास है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। साथ ही यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है।

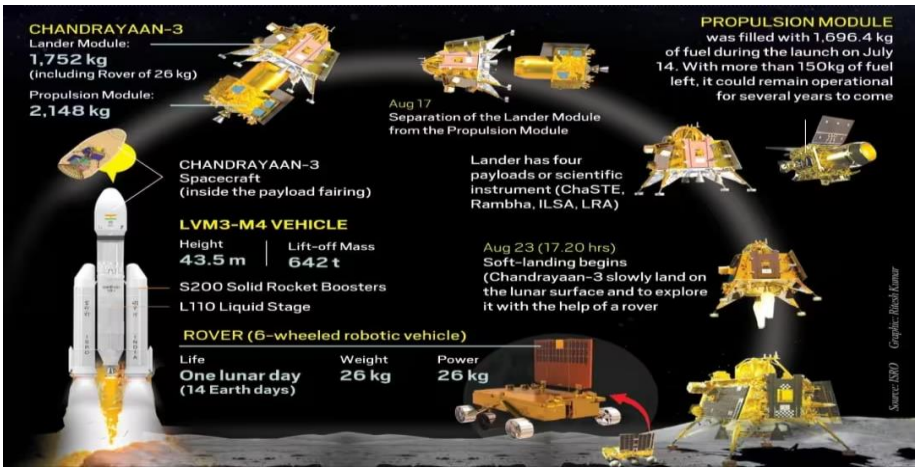

मिशन में शामिल प्रयोग:

- लैंडर में चार प्रयोगों के लिए उपकरण स्थापित किए गए हैं।
  - **रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर (RAMBHA)** चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अध्ययन करेगा और यह पता लगाएगा कि समय के साथ उनमें बदलाव कैसे होता है।
  - **चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE)** ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा।
  - **चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण (ILSA)** लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंपों को मापेगा और चंद्रमा की क्रस्ट एवं मेंटल की संरचना का अध्ययन करेगा।
  - **लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे (LRA)** NASA द्वारा भेजा गया एक निष्क्रिय प्रयोग है जो भविष्य के मिशनों के लिए बहुत सटीक माप हेतु लेज़र्स के लिए एक लक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

डीबूस्टिंग:

यह चंद्रयान-3 के लैंडर "विक्रम" को धीमा करके चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया है। इस कक्षा में चंद्रमा का निकटतम बिंदु (पेरिल्यून) 30 किलोमीटर और सबसे दूरस्थ बिंदु (एपोल्यून) 100 किलोमीटर दूर स्थित है।

- रोवर पर दो वैज्ञानिक प्रयोग हेतु उपकरण स्थापित किए गए हैं।
  - **यह लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS)** चंद्र सतह की रासायनिक और खनिज संरचना का विश्लेषण करेगा।
  - **यह अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS)** चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लौह जैसे तत्वों की खोज करेगा।

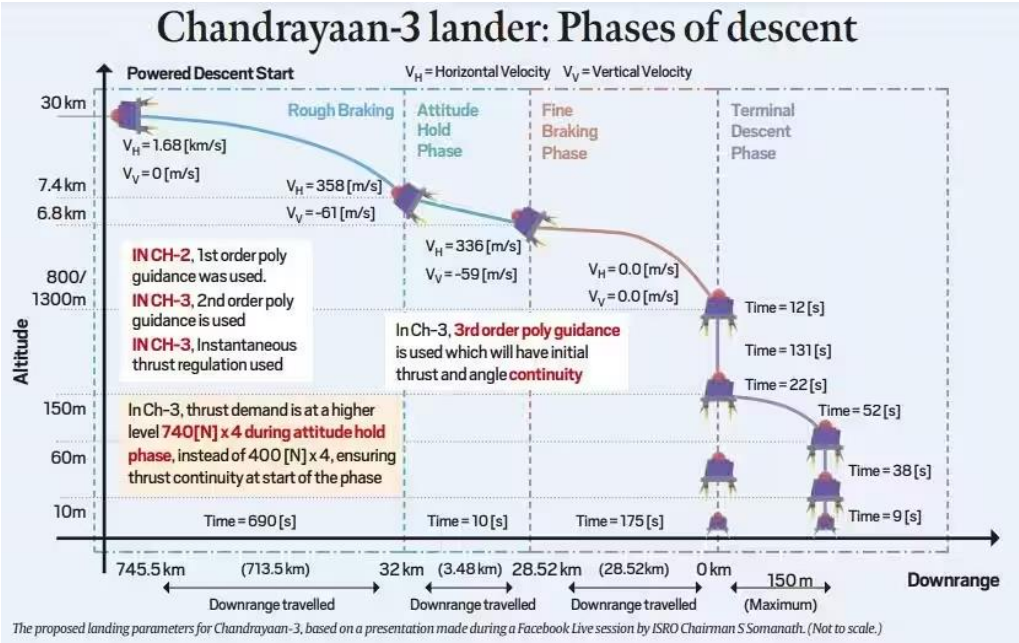

The proposed landing parameters for Chandrayaan-3, based on a presentation made during a Facebook Live session by ISRO Chairman S Somanath. (Not to scale.)

इसरो के अंतरग्रहीय अन्वेषण

- चंद्रयान-1 (2008): यह भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग की।
  - चंद्रयान-1 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर जल की मौजूदगी के संकेतों का पता लगाया।
- मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन, 2013): यह भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। इसका उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था और सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। रूस की रोस्कोस्मोस, यूएसए की नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाली चौथी एजेंसी बन गई।
- चंद्रयान-2 (2019): इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा का अधिक व्यापक रूप से अन्वेषण करना था । इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर शामिल थे। हालाँकि विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास विफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करना जारी रखा।
- चंद्रयान-3 (2023): 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 ने वह काम सफलतापूर्वक पूरा किया जो चंद्रयान-2 नहीं कर सका,अर्थात यह सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा।

चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए?

- **मितव्ययी इंजीनियरिंग:** भारत को "मितव्ययी" अर्थात् कम खर्च वाली इंजीनियरिंग" से आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंतरिक्ष प्रयासों में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। भारत को पर्याप्त बजट और अधिक शक्तिशाली रॉकेटों की आवश्यकता है जो भारी पेलोड को अधिक तेज़ी से ले जा सकें।
  - चीन का चेंज 5 मिशन और रूस का लूना 25 मिशन(लेंडिंग में असफल) एक सप्ताह में चंद्रमा पर पहुंच गए थे।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** भारत ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों की वैश्विक प्रवृत्ति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल करना शुरू कर दिया है।
  - प्रमुख अंतरिक्ष परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, बाजारों को सरकारी फंडिंग के साथ-साथ अंतरिक्ष बजट में भी अधिक योगदान करने की आवश्यकता है।
  - टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (TCE) ने चंद्रयान-3 में ठोस प्रणोदक संयंत्र, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग और मोबाइल लॉन्च पेडस्टल का निर्माण किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना चाहिए। मई 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद, प्रतिबंधों ने सहयोग को सीमित कर दिया, लेकिन भारत अब आर्टेमिस एकॉर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भागीदार है।
  - आर्टेमिस एकॉर्ड ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है। समझौते पर अब तक 26 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।

इसरो के बारे में:

- इसरो की पूर्ववर्ती संस्था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) थी, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी परिकल्पना डॉ. विक्रम साराभाई ने की थी।
- इसरो का गठन 15 अगस्त, 1969 को किया गया था। इसक साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ INCOSPAR को प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
- अंतरिक्ष विभाग (DOS) की स्थापना की गई और 1972 में इसरो को DOS के अंतर्गत लाया गया।
- **इसरो के उपग्रह कार्यक्रम:**
  - आर्यभट्ट (1975): इसरो की यात्रा 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई।
    - ✓ उद्देश्य: एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स आदि से जुड़े प्रयोग करना।
  - भास्कर-1 (1979) और भास्कर-2 (1981): इसने भूमि-आधारित अनुप्रयोगों में क्रांति लाते हुए भारतीय रिमोट सेंसिंग (IRS) उपग्रह प्रणाली की आधारशिला रखी।
  - INSAT-2A (1992): भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT), बहुउद्देशीय भूस्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान एवं खोज और बचाव आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - कल्पना-1 (2002): यह इसरो द्वारा निर्मित विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रहों की श्रृंखला में पहला उपग्रह था।
- **IRNSS-1A (2013):** भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) या NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) भारत की पहली समर्पित नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।

इसरो के प्रक्षेपण यान

- साउंडिंग रॉकेट उपकक्षीय रॉकेट हैं जो प्रयोग-उपकरणों को पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक ले जाते हैं।
- SVL-3 (1980): पहला भारतीय प्रक्षेपण यान रोहिणी-1 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफल रहा। इस तरह भारत अंतरिक्ष-यात्रा वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया।
- संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान{ASLV (1992)}: प्रारंभिक विफलताओं के बाद ASLV ने अपना पहला सफल प्रक्षेपण किया।
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (1994): PSLV ने अपना पहला सफल प्रक्षेपण किया, जिससे 1,000 किलोग्राम तक के बड़े पेलोड लॉन्च करने वाले देशों की लीग में भारत का प्रवेश हुआ।
  - 2008 में PSLV रॉकेट से चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया, जैसा कि 2013 में मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने किया था।
- **जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (2014):** स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ तीसरी पीढ़ी के GSLV (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) की प्रायोगिक उड़ान सफल रही। यह भारत की प्रक्षेपण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
  - LVM-3 ने भारी पेलोड को भूस्थैतिक (जिओ स्टेशनरी) कक्षाओं में लॉन्च करने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए, GSAT-19 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया।
  - इसने चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।

- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता चंद्रमा तक पहुँच गई है, जिसमें अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धी चंद्र-परियोजनाओं पर काम रहे हैं।
  - o भारत को आर्टेमिस मिशन में पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी के लिए अमेरिका के साथ बातचीत पर विचार करना चाहिए और इन भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से निपटना चाहिए।
- **स्पेस गवर्नेंस:** भारत को अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अंतरिक्ष कानूनों की आवश्यकता है।

नोट: चंद्रयान 3 पर अधिक जानकारी के लिए कृपया करेंट अफेयर्स मैगजीन का जुलाई संस्करण देखें।

6.2 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र

संदर्भ:

हाल ही में जारी आर्थर डी. लिटिल (ADL) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संभावित रूप से 2040 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **भारत सरकार का लक्ष्य:** अपने वर्तमान प्रगतिपथ के साथ, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में 9% हिस्सेदारी हासिल कर सकती है। 2040 तक यह 40 बिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंच सकती है।

भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में तीव्र वृद्धि के चार मुख्य कारक:

2. भारत का बढ़ता अंतरिक्ष बजट: चंद्रयान-03, गगनयान आदि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए इसरो के पास पर्याप्त बजट है। बजट 2023-24 में, अंतरिक्ष विभाग को 12,543 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
3. लॉन्च सेवाओं के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में लाभ प्राप्त है।
4. सरकार ऐसे स्टार्ट-अप इकोसिस्टम पर बल दे रही है, जिसमें कई निजी कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही व्यावसायिक उपग्रह, इंटरनेट परिचालन में मदद कर सकते हैं।
5. निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप ने अकेले 2022 में प्रभावशाली 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है।
   - o कुछ घटकों के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं की कमी,
   - o वित्त पोषण की अपर्याप्तता,
   - o एक स्पष्ट और व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता और
   - o विदेशी कंपनियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा।

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उदाहरण हैं:

- स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और एरियनस्पेस: ये प्रक्षेपण और अंतरिक्ष पर्यटन सेवाएं प्रदान करते हैं।
- स्टारलिंक, वनवेब, अमेज़ॅन कुइपर और टेलीसैट: वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए उपग्रहों के मेगा-कॉन्स्टलैशन का विकास करना।
- प्लैनेट लैब्स, डिजिटलग्लोब, ब्लैकस्काई और Icey: भू-अवलोकन और रिमोट सेंसिंग डेटा और सेवाएं प्रदान करते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में:

- वर्तमान में, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी के साथ भारत के अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य 8 बिलियन डॉलर है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दुनिया की छठी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।

भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास का कारण:

- **लागत-प्रभावी प्रक्षेपण:** इसरो अपने कम लागत और विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहनों के लिए जाना जाता है।
  - o इसरो ने 2017 में एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च करने के लिए केवल 15 मिलियन डॉलर का शुल्क लिया, जबकि स्पेसएक्स एक उपग्रह लॉन्च के लिए लगभग 60 मिलियन डॉलर का शुल्क लेता है।
- **क्षमता:** इसरो ने छोटे और नैनो उपग्रहों से लेकर भारी और जटिल उपग्रहों तक विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में अपनी क्षमता और विशेषज्ञता साबित की है।
  - o इसरो ने उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं, जैसे ध्रुवीय, सूर्य-तुल्यकालिक, भूस्थैतिक, आदि में प्रक्षेपण करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- **विश्वसनीयता:** इसरो ने अपनी उच्च सफलता दर और सेवा की गुणवत्ता के लिए विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल की है।
  - o इसरो ने 1999-2022 के बीच विभिन्न विदेशी राज्यों के लिए 300 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनकी सफलता दर 90% से अधिक है।

- **सहयोग:** इसरो प्रशिक्षण, परामर्श, तकनीकी सहायता आदि प्रदान करके अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों में अंतरिक्ष क्षमताओं और अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन करता रहा है।
  - o इसरो अपनी इकाईयों तक मार्गदर्शन, समर्थन,अनुमोदन और पहुंच प्रदान करके भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:

- **उद्देश्य:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और इसे संस्थागत बनाना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्य रूप से उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- निजी क्षेत्र का प्रवेश: निजी कंपनियों को उपग्रह, रॉकेट और प्रक्षेपण यान बनाने और डेटा संग्रह और प्रसार में संलग्न होने की अनुमति दी जाएगी।
  - o यह निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नई अवसंरचना के निर्माण में निवेश करने और अपनी अंतरिक्ष-संबंधी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक छोटे से शुल्क के लिए इसरो की इकाईयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में संस्थानों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में स्पष्टता:

संस्थान/निकाय	जिम्मेदारी
अंतरिक्ष विभाग	• इस पर भारतीय अंतरिक्ष नीति को आगे बढ़ाने का प्रभार होगा। • ये यह भी सुनिश्चित करेगा कि नीति के विभिन्न हितधारकों को "दूसरों के डोमेन में ओवरलैप किए बिना" अपने कार्यों को पूरा करने का अधिकार है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)	• भारत की शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो नई प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)	• यह उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और इसरो के मिशनों के परिचालन संबंधी पहलुओं के प्रबंधन के लिए मांग-संचालित तरीके से काम करेगा। यह अंतरिक्ष संबंधी सभी रणनीतिक पहलों का प्रभारी होगा। • NSIL एक अंतरिक्ष क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम (PSU) है।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और अनुमोदन केंद्र (IN-SPACe)	• IN-SPACe सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त और एकल विंडो नोडल एजेंसी है। • यह इसरो और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, और निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व:

- **नवाचार:** वे नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं को विकसित करके अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक नवाचार और रचनात्मकता लाते हैं जो ग्राहकों की विविध और उभरती जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- **प्रतिस्पर्धा:** वे ग्राहकों को कम लागत और बेहतर गुणवत्ता पर अधिक विकल्प प्रदान करके, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी माहौल बनाते हैं।
- **सहयोग:** वे अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों, जैसे सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि के साथ बेहतर सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **व्यावसायीकरण:** वे राजस्व सृजन और लाभ अर्जन के लिए नए बाजार और अवसर सृजित कर, भारत में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और सेवाओं के व्यावसायीकरण और मुद्रीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को अंतरिक्ष-आधारित समाधान और सेवाएँ प्रदान करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी भागीदारी:

- **स्काईरूट एयरोस्पेस:** यह हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप है, जिसने 11 दिसंबर, 2021 को भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट, विक्रम S (मिशन प्रारंभ) लॉन्च किया।

- **अग्निकुल कॉसमॉस:** यह चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप है, जो अग्निबाण नामक एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है, जो 100 किलोग्राम तक पेलोड को निम्न भू-कक्षा में प्रक्षेपित कर सकता है।
- **Pixxel:** बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले भू-अवलोकन उपग्रहों का एक समूह बना रहा है जो कृषि, वानिकी, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रियल टाइम जानकारी प्रदान कर सकता है।
- **बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस:** बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप जो उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों, जैसे इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स, ग्रीन प्रोपेलेंट, ऑर्बिटल ट्रांसफर यान इत्यादि के लिए नवीन प्रणोदन प्रणाली विकसित कर रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- **नीति निर्देशन का अभाव:** सरकार ने अभी तक ऐसे कानून को अंतिम रूप नहीं दिया है जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत रूपरेखा प्रदान कर सके।
- **संसाधनों की कमी:** निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न संसाधन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फंडिंग, बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी, प्रौद्योगिकी, आदि।
- **प्रतिस्पर्धी दबाव:** निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ता है।
- **सुरक्षा जोखिम:** अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत के राष्ट्रीय हितों और बाहरी अंतरिक्ष में परिसंपत्तियों के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकी की सुरक्षा जैसे कुछ सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है।
- **नीतिगत टकराव:** अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कुछ नीतिगत टकराव या दुविधाएँ पैदा कर सकती है।

आगे की राह:

- **नियामक स्पष्टता:** सरकार को एक व्यापक और सुसंगत अंतरिक्ष नीति और कानून को अंतिम रूप देना चाहिए और अधिनियमित करना चाहिए जो निजी खिलाड़ियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए एक स्पष्ट और अनुकूल ढांचा प्रदान कर सके।
- **प्रोत्साहन:** सरकार को नए या बेहतर समाधान या सेवाएँ विकसित करने वाली निजी कंपनियों को प्रोत्साहन, पुरस्कार, मान्यता या चुनौतियाँ प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए।
  - भारत को उपग्रहों के लिए विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।
- **सुरक्षा उपाय:** सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पन्न किसी भी खतरे या जोखिम को रोकने या कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय और तंत्र लागू करके, बाहरी अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय हितों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - अंतरिक्ष में उभरते विषयों के लिए समर्पित अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए जाएँ, और एक सक्षम कार्यबल बनाने के लिए कौशल विकास गतिविधियों में तेजी लाई जाए।
- **ADL रिपोर्ट भारत के लिए अंतर्निहित अवसर प्राप्त करने के लिए पांच क्षेत्रों की भी सिफारिश करती है:**
  - स्थलीय संचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहित किया जाए।
  - घटकों के निर्माण में शुरू से अंत तक क्षमता के साथ वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के लिए उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं में मौजूदा क्षमता का लाभ उठाना चाहिए।
  - स्पेस माइनिंग, इन-स्पेस विनिर्माण और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग जैसे उच्च व्यावसायिक योग्यता वाले क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए।
  - भविष्य में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष मनोरंजन जैसी उभरती गतिविधियों की खोज करना चाहिए।
  - संधारणीय ईंधन, पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष यान और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित 'ग्रीन-स्पेस' (हरित अंतरिक्ष) में नवाचार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य आशाजनक लग रहा है, कई प्रमुख पहलें और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के निरंतर समर्थन से, भारत अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

6.3 रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance)

संदर्भ

हाल ही में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के विशेषज्ञों ने कहा कि एंटीबायोटिक के विकास में कदम रखने वाली छोटी और मध्यम भारतीय कंपनियां वैश्विक पाइपलाइन को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

एंटीबायोटिक विकास में भारतीय कंपनियों की भूमिका

अन्य जानकारी

- **बढ़ती प्रतिरोधकता:** एंटीबायोटिक प्रतिरोध का बोझ बढ़ रहा है और मौजूदा एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हो रहे हैं।
  - लैंसेट के अनुसार, 2019 में दुनिया भर में 1.27 मिलियन मौतों के लिए एएमआर जिम्मेदार था।
- **अप्रभाविता:** पिछले दशक में विकसित अधिकांश एंटीबायोटिक्स मल्टीड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के इलाज के लिए पर्याप्त नवीन और अपर्याप्त नहीं हैं।
- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव**: नए एंटीबायोटिक दवाओं के लिए वैश्विक एंटीबायोटिक पाइपलाइन कमजोर है।
  - छोटे और मध्यम स्तर के एंटीबायोटिक डेवलपर्स इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें समर्थन की आवश्यकता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में

यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी में समय के साथ परिवर्तन होता है और फिर दवाओं का उन पर कोई असर नहीं होता है, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

- दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है।

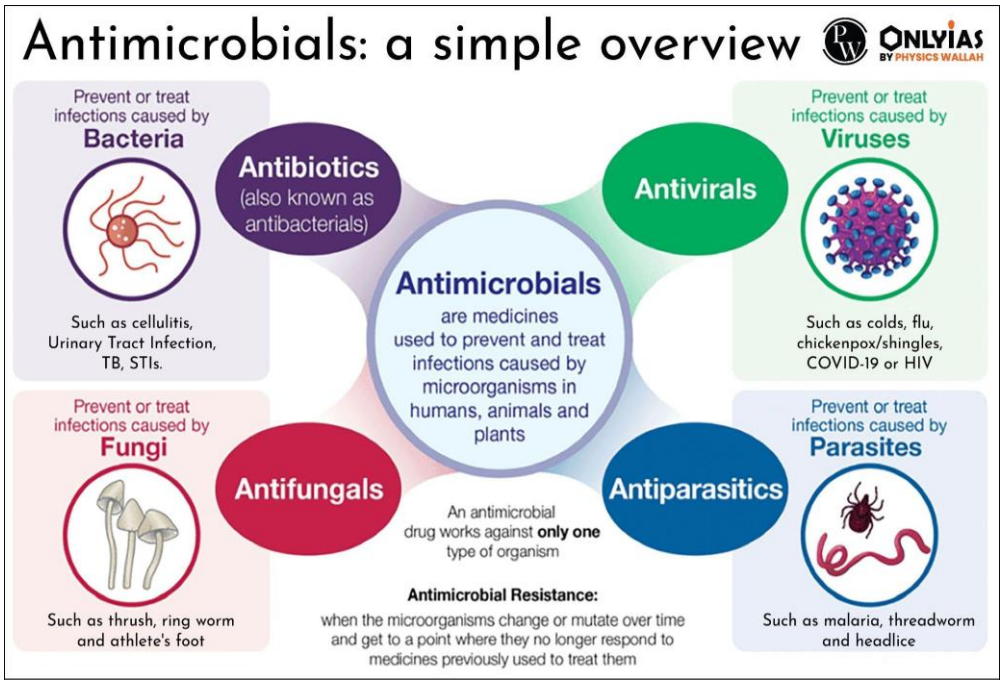

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के कारण:

- **एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग:** लैंसेट के अनुसार, भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, 2000 और 2015 के बीच खपत में 62% की वृद्धि हुई है।
  - एंटीबायोटिक दवाओं के इस दुरुपयोग ने भारत में एएमआर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - दवाओं की काउंटर बिक्री: भारत में एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे उनका अनुचित उपयोग होता है।
- **नए स्ट्रैन का उद्भव:** 2008 और 2019 के बीच भारत में प्राचीन ग्लेशियरों से लेकर गंदे मोबाइल फोन स्क्रीन तक के स्थानों में कुल 378 नई माइक्रोबियल प्रजातियों की खोज की गई।
- **पोल्ट्री और पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग:** भारत में पोल्ट्री और पशु चिकित्सा उद्योग में संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का असंगत रूप से उपयोग किया जाता है।
  - कोलिस्टिन का व्यापक रूप से पशुधन में वृद्धि प्रवर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **अपशिष्ट जल संदूषण:** लैंसेट के अनुसार, अपशिष्ट जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में एंटीबायोटिक अवशेष "एएमआर के विकास के लिए संभावित हॉटस्पॉट" के रूप में काम करते हैं।
  - दवाओं के उत्पादन, उपभोग और निपटान के दौरान, पानी से एंटीबायोटिक अवशेष भूजल में मिल जाने की संभावना है।

एएमआर को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **2017-2021 के लिए एएमआर (एनएपी-एएमआर) पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह छह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती है:

1. एएमआर के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना।

2. निगरानी के माध्यम से ज्ञान और साक्ष्य को मजबूत करना।
3. प्रभावी संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के माध्यम से संक्रमण की घटनाओं को कम करना।
4. स्वास्थ्य, पशुओं और भोजन में रोगाणुरोधी एजेंटों के उपयोग को अनुकूलित करना।
5. एएमआर गतिविधियों, अनुसंधान और नवाचारों के लिए निवेश को बढ़ावा देना।

- **एएमआर पर दिल्ली घोषणा:** एनएपी-एएमआर के लॉन्च पर एक अंतर-मंत्रालयी सहमति पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने एएमआर रोकथाम को समर्थन देने का वादा किया।
- **एएमआरएसएन**: आईसीएमआर ने देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के साक्ष्य उत्पन्न करने और रुझानों और पैटर्न को पकड़ने के लिए निजी और सरकारी दोनों, 30 तृतीयक देखभाल अस्पतालों को शामिल करते हुए एएमआर निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क (एएमआरएसएन) की स्थापना की है।
- **एएमआर पर रेड लाइन जागरूकता अभियान:** यह लोगों से आग्रह करता है कि वे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग न करें।

आगे की राह:

- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** एएमआर के लिए एक संयुक्त बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसे एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - यह बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों, नीतियों, कानून और अनुसंधान को डिजाइन और कार्यान्वित करने में एक साथ काम करने के लिए कई क्षेत्रों और हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **अनुसंधान एवं विकास के लिए 3सी दृष्टिकोण:** समन्वय, सहयोग और संचार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि प्रयासों की पुनरावृत्ति न हो, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए, और हितधारक नए एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में प्रगति और चुनौतियों से अवगत हों।
- **WASH (पानी, स्वच्छता, स्वच्छता) सेवाओं में सुधार करें:** बड़े शहरों में, अपशिष्ट प्रबंधन और उचित WASH मुश्किल हो सकता है, और महानगरीय क्षेत्रों को संक्रामक रोगों के कई प्रकोपों से जोड़ा गया है।
- **अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार:** अधिक सार्वजनिक वित्तपोषण, राष्ट्रीय सरकारों से समन्वित प्रतिक्रिया, एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास में संतुलित सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है।

6.4 अतिचालकता (सुपरकंडक्टिविटी)

संदर्भ:

हाल ही में, वैज्ञानिक समुदाय ने पाया कि एलके-99 पदार्थ कमरे के ताप और दाब पर अतिचालक गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है।

अतिचालकता के बारे में:

- अतिचालकता उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी सामग्री के विद्युत प्रवाह के लिए शून्य, या लगभग-शून्य, प्रतिरोध प्रदान करती है।
  - जबकि प्रतिरोध एक ऐसी विशेषता है, जो विद्युत प्रवाह को प्रतिबंधित करती है, अतिचालकता निर्बाध विद्युत प्रवाह की अनुमति देती है।
  - विद्युत प्रवाह, मूलतः तांबे जैसे सुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है।
  - जबकि इलेक्ट्रॉनों की गति एक विशेष दिशा में होती है, यह यादृच्छिक और बेतरतीब होती है।

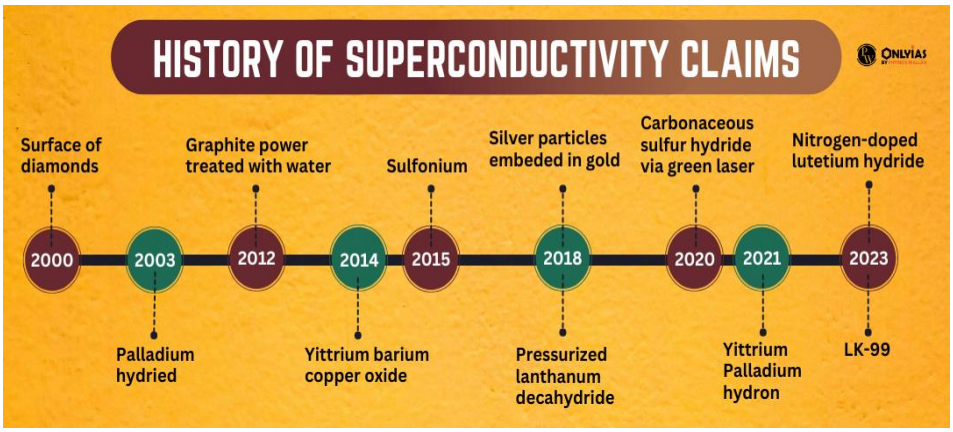

- वे अक्सर एक-दूसरे से और पदार्थ के अन्य कणों से टकराते हैं। इस प्रकार धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
- अभी तक, अतिचालकता केवल बहुत कम तापमान पर ही प्राप्त की जा सकती है, शून्य से 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे, शून्य के बहुत करीब है, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है।
- कुछ मामलों में, पदार्थ थोड़े अधिक तापमान पर भी अतिचालकता प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन बढ़े हुए दबाव की स्थिति में।

अतिचालकता का महत्व:

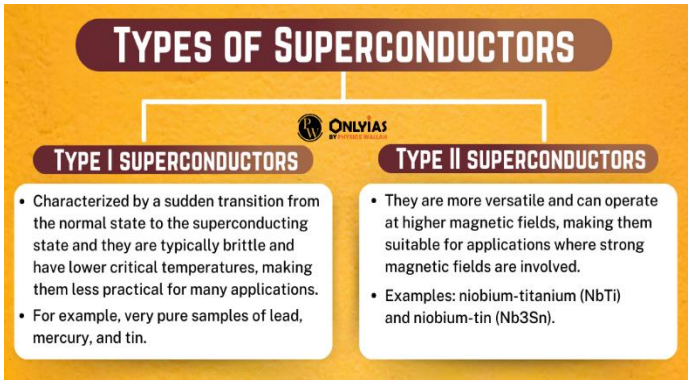

- **शून्य विद्युत प्रतिरोध:** शून्य प्रतिरोध के साथ विद्युत संचालन करता है जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि के बिना कुशल वर्तमान संचरण होता है।
- **उच्च चुंबकीय क्षेत्र:** बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो उन्हें MRI मशीनों और पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है।
- **कुशल ऊर्जा भंडारण:** यह ऊर्जा को बहुत कुशलता से संग्रहित करती है, जो उन्हें बैटरी और पावर ग्रिड जैसे ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनाता है।
- **तेज़ कंप्यूटिंग:** तेज़ और अधिक कुशल कंप्यूटिंग उपकरणों को सक्षम करती है, जो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं।
- **नया नवाचार:** क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स क्वांटम जानकारी को उच्च सुसंगतता और विश्वस्तता के साथ संग्रहीत और प्रोसेस कर सकते हैं।

अतिचालकता के अनुप्रयोग:

- मेडिकल इमेजिंग सिस्टम: सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) मशीनों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट द्वारा उत्पादित मजबूत और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र एमआरआई स्कैन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस (स्क्विड्स): क्वांटम गणना करने के लिए कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों में सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट का उपयोग किया जाता है।
- कण त्वरक: कण किरणों को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कण त्वरक में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है।
- लेविटेटेड वाहन परिवहन: सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट मैग्लेव ट्रेनों को पटरियों के ऊपर उड़ने की अनुमति देते हैं।
  - उदाहरण के लिए, जापान वर्तमान में मैग्लेव ट्रैक के साथ प्रयोग कर रहा है।
- **फ्यूजन रिएक्टर:** परमाणु संलयन के लिए आवश्यक गर्म प्लाज्मा को सीमित और नियंत्रित करने के लिए टोकामक्स जैसे प्रयोगात्मक फ्यूजन रिएक्टरों में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, टोकमक एनर्जी ने परमाणु संयंत्रों में परीक्षण के लिए पहला सुपर मैग्नेट बनाया।
- **संचार प्रणाली:** सुपरकंडक्टिंग फिल्टर और डिटेक्टरों का उपयोग किया जाता है।
- अतिचालकता से जुड़ी चुनौतियाँ
- **क्रायोजेनिक शीतलन:** अतिचालक सामग्रियों को क्रायोजेनिक तापमान तक ठंडा करने के लिए विशेष शीतलन प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिए, सुपरकंडक्टिंग सामग्री को शून्य-प्रतिरोध स्थिति में रखने के लिए तरल हीलियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है।
- तकनीकी विशेषज्ञता: सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों के साथ काम करने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, जो इस क्षेत्र में कम परिचित उद्योगों में उनके अपनाने को सीमित कर सकता है।
- **लागत:** सुपरकंडक्टिंग सामग्री और उनसे जुड़ी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, उत्पादन करना और संचालित करना महंगा हो सकता है।
- **भंगुरता:** कुछ अतिचालक सामग्रियां भंगुर होती हैं और उन्हें व्यावहारिक उपकरणों में बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए, YBCO, BSCCO आदि उच्च तापमान वाले लेकिन आमतौर पर भंगुर यौगिक हैं।
- सामग्री प्रदर्शन परिवर्तनशीलता: सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों का प्रदर्शन भिन्न हो सकता है, जो उपकरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

- अनुसंधान की तीव्र गति के साथ, हम उच्च-तापमान अतिचालकता में गहराई से उतर रहे हैं और इसके कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉन युग्मों के निर्माण के पीछे का रहस्य निश्चित रूप से नोबेल पुरस्कार दिलाएगा। वांछित सामग्रियों के साथ कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स हमें वैज्ञानिक प्रोटोटाइप का व्यावसायीकरण करने और नए रास्ते खोलने की अनुमति देंगे।

6.5 इंडिया AI और मेटा इंडिया समझौता ज्ञापन

संदर्भ:

हाल ही में, 'इंडिया AI' और मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

'इंडिया AI' और मेटा इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन:

- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 'इंडिया AI' और मेटा इंडिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **ओपन-सोर्स AI मॉडल को साझा करना:** मेटा इंडिया अपने ओपन-सोर्स AI मॉडल को भारतीय AI इकोसिस्टम द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा, जिसमें LIAMA, मैसिव मल्टीलिंग्वल स्पीच और नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइन्ड आदि भी शामिल हैं।

इंडिया AI के बारे में:

- इंडिया AI एक नॉलेज पोर्टल, अनुसंधान संगठन और इकोसिस्टम निर्माण की पहल है, जिसे 28 मई 2020 को लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न संस्थाओं को एकजुट करना और उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) का एक संयुक्त उद्यम है।

- **भारतीय भाषाओं में डेटासेट का निर्माण:** इसका उद्देश्य लो-रिसोर्स लैंग्वेज को प्राथमिकता देते हुए अनुवाद और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सक्षम करना है।
- **ज्ञान साझा करना और कौशल विकास:** यह MoU कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों और इसी तरह के प्लेटफार्मों के माध्यम से AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में ज्ञान साझा करने और सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

6.6 जीन-संपादित सरसों

संदर्भ:

हाक ही में, भारतीय भारतीय वैज्ञानिकों ने गैर-GM और ट्रांसजीन-मुक्त होते हुए भी CRISPR/Cas9 जीन संपादन पर आधारित पहली कम तीक्ष्ण गंध वाली सरसों विकसित की है।

जीन-संपादित सरसों के बारे में:

- जीन-संपादित सरसों, सरसों के पौधे की एक किस्म को संदर्भित करती है जिसे जीन संपादन तकनीकों, विशेष रूप से CRISPR/Cas9 प्रणाली का उपयोग करके संशोधित किया गया है।

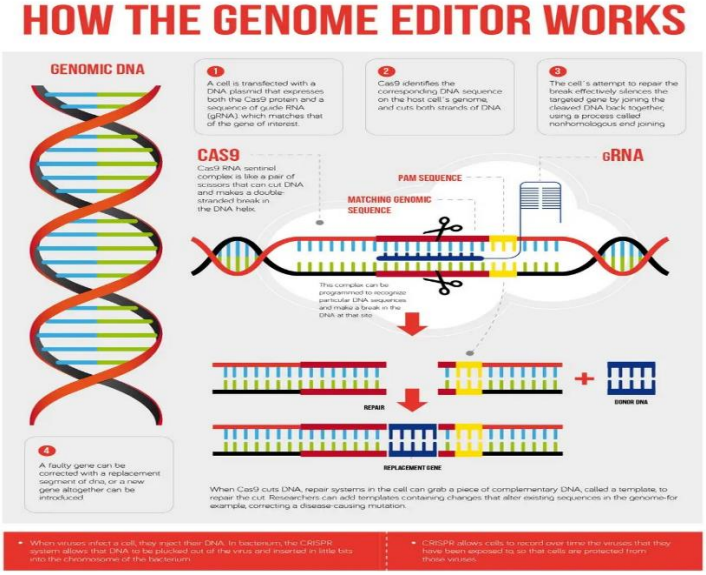

जीन संपादन की प्रक्रिया

- इस प्रक्रिया में, सरसों के पौधे के डीएनए के भीतर विशिष्ट जीन को वांछित गुणों जैसे कम तीक्ष्ण गंध और कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि प्राप्त करने के लिए संशोधित किया जाता है।
- इसमें अन्य प्रजातियों के विदेशी जीनों को शामिल किए बिना मौजूदा DNA में सटीक परिवर्तन किए जाते हैं।
- इस दृष्टिकोण को अक्सर गैर-GMO (आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव) और ट्रांसजीन-मुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें वांछित विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए पौधे की अपनी आनुवंशिक सामग्री को संशोधित करना शामिल है।

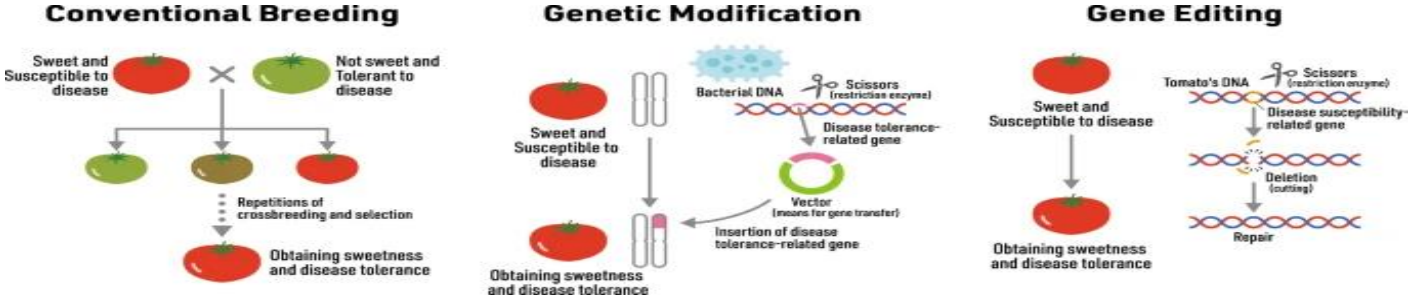

6.7 तम्बाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वैश्विक स्तर पर, धूम्रपान करने वालों की संख्या में 300 मिलियन की कमी आई है। धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% से घटकर 2021 में 17% हो गया है।
- सेकेंड-हैंड स्मोक पर अंकुश लगाने के लिए लगभग 40% देशों में अब इनडोर सार्वजनिक स्थान पूरी तरह से धूम्रपान-मुक्त हैं।
  - o प्रत्येक वर्ष तम्बाकू से होने वाली अनुमानित 8.7 मिलियन मौतों में से 1.3 मिलियन गैर-धूम्रपान करने वालों की होती हैं जो सेकेंड हैंड स्मोक के संपर्क में आते हैं।
- MPOWER (एमपॉवर) उपायों की शुरूआत के बाद से पिछले 15 वर्षों में, दुनिया भर में लगभग 5.6 बिलियन लोग, जो वैश्विक आबादी का 71% हैं, अब इनमें से कम से कम एक उपाय द्वारा संरक्षित हैं।
- मॉरीशस सभी एमपॉवर उपायों को पूरी तरह से लागू करने के मामले में एक उदाहरण के रूप में है।

MPOWER उपाय:

- WHO ने एमपॉवर उपाय प्रस्तुत किए, जो तंबाकू के उपयोग की निगरानी करने, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाने, धूम्रपान छोड़ने में सहायता प्रदान करने, तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, तंबाकू विज्ञापन प्रतिबंध लागू करने और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन का आकलन करते हैं।

सेकेंड हैंड स्मोक:

- सेकेंड हैंड धूम्रपान का जोखिम तब होता है जब लोग धूम्रपान करने वाले लोगों या तंबाकू उत्पादों के दहन से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं।
- सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है; यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी इसका संपर्क गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है और घातक हो सकता है।

6.8 आधार नामांकन उपकरणों में NavIC का एकीकरण

संदर्भ

केंद्र सरकार भारत में सेल फोन निर्माताओं पर अपने उपकरणों को NavIC के अनुकूल बनाने के लिए दबाव डाल रही है।

अन्य जानकारी:

- अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अनुसार नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) को जल्द ही आधार नामांकन उपकरणों में एकीकृत किया जाएगा।
- इसके जरिए अंतरिक्ष ने फील्ड परीक्षणों के सफल संचालन को सुगम बनाया है, और उपकरणों की खरीद संबंधी विनिर्देशों को अंतिम रूप देने में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है।
- वर्तमान में व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने और सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आधार नामांकन किट अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) से जुड़ी हुई हैं।
- उपकरणों को NavIC के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में हार्डवेयर परिवर्तन शामिल होंगे।

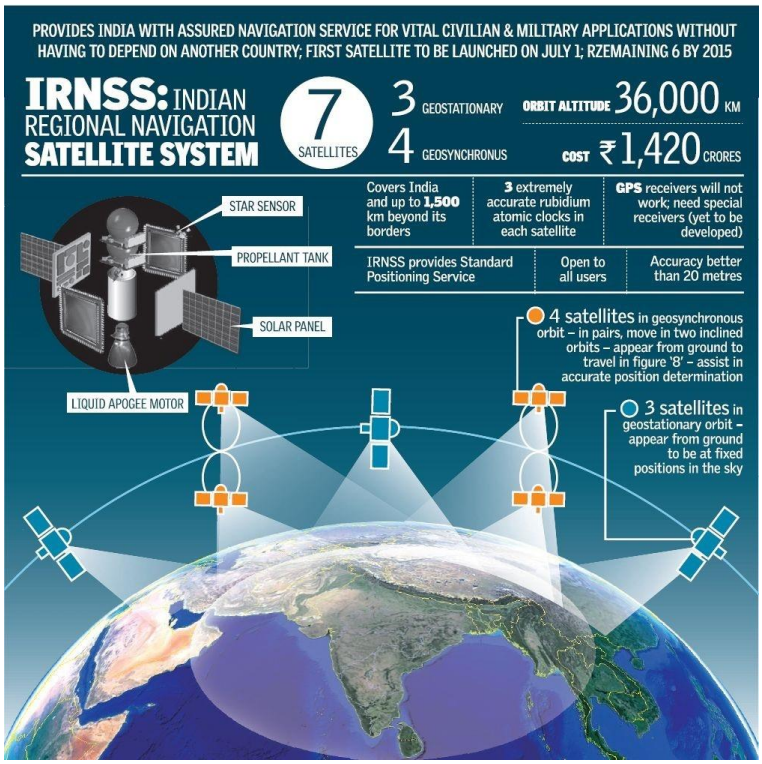

NavIC के बारे में

- इसरो ने देश की पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (NavIC) की स्थापना की है।
- इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
- **NavIC का डिज़ाइन:**
  - o तीन उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। चार उपग्रहों को भूमध्यरेखीय क्रॉसिंग के साथ झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है।
  - o **ग्राउंड नेटवर्क:** इसमें नियंत्रण केंद्र, सटीक समय सुविधा, रेंज और अखंडता निगरानी स्टेशन आदि शामिल हैं।
- **NavIC दो तरह की सेवाएँ प्रदान करता है:** नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए स्टैन्डर्ड पोजिशन सर्विस (SPS) और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए रीस्ट्रिक्टिड सर्विस (RS)।
- NavIC कवरेज क्षेत्र में भारत और भारतीय सीमा से परे 1500 किमी तक का क्षेत्र शामिल है।

- NavIC सिग्नल उपयोगकर्ता को 20 मीटर से बेहतर अवस्थिति की सटीकता और 50ns से बेहतर समय सटीकता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- NavIC का SPS सिग्नल अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल जैसे GPS, ग्लोनास, गैलीलियो और बेइदौ के साथ इंटरऑपरेबल हैं।

6.9 सुअर की किडनी का मानव में प्रत्यारोपण

संदर्भ:

अमेरिकी शल्य चिकित्सकों (surgeons) ने एक ब्रेन-डेड मानव रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित सुअर की किडनी के सफल रूप से कार्य करने की सूचना दी है। यह किडनी एक महीने से अधिक समय तक प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

अन्य जानकारी:

- सुअरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करना आसान होता है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर प्रजनन करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, और उनमें संक्रमण फैलाने की संभावना कम होती है। इनके अंगों का आकार भी मानव-अंगों जैसा ही होता है।
- प्रत्यारोपण में सुअर की किडनी का उपयोग शामिल था, जिसे अल्फा-गैल नामक शर्करा-अणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन को निष्क्रिय करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था।
- अल्फा-गैल (Alpha-gal) एक अणु है जो आम तौर पर मनुष्यों में अनुपस्थित होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति मानव शरीर में गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है।
- यदि लंबे समय तक ऐसे प्रत्यारोपण सफल हो जाते हैं, तो ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन, या विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों के प्रत्यारोपण की यह प्रक्रिया, जीवन के लिए घातक बीमारियों का सामना कर रहे लोगों के लिए अंगों की एक वैकल्पिक और अतिरिक्त आपूर्ति प्रदान करने में मदद कर सकती है।

6.10 कोविड पर ICMR का अध्ययन

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्तियों में से लगभग 6.5% की मृत्यु हो गई।

पोस्ट-कोविड-19 परिणामों पर किये गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन में 31 अस्पतालों में 14,419 मरीजों के डेटा की जांच की गई।
- कोविड-19 के संक्रमण से अस्पताल में भर्ती 6.5% लोगों की एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई।
- संक्रमण से पहले टीके की एक खुराक से एक वर्ष की अवधि में होने वाली मौतों की संख्या में 60% की कमी आई।
- 17.1% प्रतिभागियों ने कोविड-19 के बाद की स्थितियों की सूचना दी, जिनमें थकान, सांस फूलना और संज्ञानात्मक समस्याएं शामिल हैं।
  - कोविड-19 के बाद की स्थिती वाले लोगों की मृत्यु की संभावना लगभग तीन गुना अधिक थी।
- रोगी नामांकन के दौरान आधिकारिक परिभाषाओं की अनुपस्थिति के कारण अध्ययन में कोविड-19 के बाद की स्थितियों की अपनी परिभाषा का इस्तेमाल किया गया।

संक्षिप्त समाचार

ट्रांसलूनर ऑर्बिट	• चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए ट्रांसलूनर कक्षा में चला गया। • ट्रांसलूनर ऑर्बिट इंजेक्शन वह प्रक्रिया है जिसके तहत चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करना बंद करके अब उस पथ का अनुसरण कर रहा होता है जो उसे चंद्रमा की ओर ले जाएगा।
फ़ेडिवर्स	• थ्रेड्स फ़ेडिवर्स में शामिल होने वाला मेटा का पहला ऐप होगा। यह तीसरे पक्ष द्वारा संचालित सर्वरों का एक नेटवर्क है। • फ़ेडिवर्स, फ़ेडरेटेड सोशल नेटवर्किंग सेवाओं का एक समूह है जो ओपन-सोर्स मानकों का उपयोग करके संचालित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है। • अनिवार्य रूप से, फ़ेडिवर्स तीसरे पक्ष द्वारा चलाए जाने वाले सर्वरों का एक नेटवर्क है। • इन सर्वरों को किसी एक इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इनका उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी सदस्य द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं के बीच संचार की सुविधा के लिए किया जा सकता है।

देविका परियोजना	• हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); ने कहा कि उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना, देविका परियोजना अपने समापन के करीब है। • देविका परियोजना के बारे में: o परियोजना लागत: 'नमामि गंगा' की तर्ज पर 190 करोड़ रुपये, o आवंटन का वितरण: केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा क्रमशः 90:10 o किसके द्वारा निर्मित: देविका कायाकल्प परियोजना का निर्माण शहरी पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग (UEED) द्वारा किया जा रहा है। **देविका नदी के बारे में:** **यह जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है जहां यह रावी नदी में मिल जाती है।**
लूना-25	• रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने रूस के वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से लूना-25 लॉन्च किया। • इसके चंद्र लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है, उसी दिन चंद्रयान-3 के भी चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। • रोस्कोस्मोस का कहना है कि चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है और यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक लूनर स्टेशन में भारत की भागीदारी के लिए खुला है।
नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 (NSIC- 2023)	• अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नवर्स एडुटेक के सहयोग से 11 अगस्त, 2023 को देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए NSIC 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। • NSIC 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यबल को बढ़ाने में समझने और योगदान करने के लिए बनाया गया है। • **लक्ष्य:** देश भर के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, एनएसआईसी देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए खुला है।
डीमन पार्टिकल/ दानव कण	• इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक द्रव्यमान रहित कण की खोज की, जिसे "दानव कण" या डीमन पार्टिकल कहा गया। o दानव कण की भविष्यवाणी सबसे पहले सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डेविड पाइंस ने 1956 में की थी, जिनका मानना था कि किसी ठोस से गुज़रने पर इलेक्ट्रॉन अजीब व्यवहार करेंगे। o यह एक पारदर्शी, द्रव्यमान रहित और तटस्थ कण है, जिसमें तापमान की परवाह किए बिना प्रकट होने की क्षमता होती है, जो इसे सुपरकंडक्टर्स के लिए उपयोगी बनाती है। **सुपरकंडक्टर के बारे में:** • सुपरकंडक्टर्स बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का संचालन करते हैं लेकिन उन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है।
नैनोमैकेनिकल टेस्टिंग तकनीक	• एक भारतीय वैज्ञानिक ने नैनोमैकेनिकल टेस्टिंग तकनीक की सटीकता और परिशुद्धता में सुधार करने के लिए एक नवीन विधि विकसित की है। • नैनोमैकेनिकल टेस्टिंग तकनीक नैनोमीटर पैमाने पर सामग्रियों के यांत्रिक गुणों का अध्ययन करने के लिए तकनीकों के सेट को संदर्भित करती है। • यह शोधकर्ताओं को यह जांचने की सुविधा देता है कि सामग्री कैसे व्यवहार करती है और बेहद छोटे आयामों पर यांत्रिक बलों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, जिससे उनके विशिष्ट गुणों और व्यवहारों की जानकारी मिल सके।
भारत का पहला 3D-प्रिंटेड डाकघर	हाल ही में, बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में भारत के पहले 3D-प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया। • **निर्माण:** IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा। • **3D प्रिंटिंग के बारे में:** 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परत दर परत त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट का निर्माण करना शामिल है। • **प्रयुक्त सामग्री:** मोम या प्लास्टिक जैसे पॉलिमर (बहुलक)

	• **उल्लेखनीय उदाहरण:** • **एयरोस्पेस इनोवेशन:** मई में, एयरोस्पेस निर्माता रिलेटिविटी स्पेस ने पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड भागों से निर्मित एक टेस्टिंग रॉकेट लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
वॉयजर मिशन	एक सप्ताह से अधिक समय तक संपर्क टूटने के बाद, नासा ने 1 अगस्त को अपने वॉयजर-2 अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल प्राप्त किया है। **वॉयजर मिशन के बारे में:** • यह नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम है जिसने 1977 में दो अंतरिक्ष यान, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 लॉन्च किए थे। o वॉयजर 1: 5 सितम्बर 1977 o वॉयजर 2: 20 अगस्त 1977 • **उद्देश्य:** बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सहित हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना।

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

7.1 भारत के सीमा विवाद

संदर्भ:

हाल ही में, इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और चीन के बीच 19वें दौर की कोर कमांडर-स्तर की वार्ता आयोजित हुई थी। इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 18 अगस्त को दो मेजर जनरल-स्तरीय वार्ताएं आयोजित की गईं।

अन्य संबंधित जानकारी:

- मौजूदा सीमावर्ती तनावों को हल करने की बारीकियों पर काम करने के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास दौलत बेग ओल्डी (DBO) और चुशूल में सामान्य स्तर की वार्ता आयोजित की गई।
  - o जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तीन साल से अधिक समय से सीमा विवाद चल रहा है।
- भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चुशुल और दौलत बेग ओल्डी (DBO) में सीमा कर्मी बैठक (BPM) बिंदु हैं।
- DBO डेपसांग मैदानों के करीब है जहां चीनी PLA सैनिकों ने 2020 से क्षेत्र में गश्त के लिए जाने से भारतीय सेना को रोके रखा है।
- चुशुल पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के करीब है, जहां 2020 में एक ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने कई ऊंचे बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था।
- दोनों पक्षों ने लद्दाख सेक्टर में बैठक की और LAC पर शेष मुद्दों को निरंतर बातचीत के माध्यम से त्वरित तरीके से हल करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-चीन सीमा विवाद

- **सीमा विवाद:** चीन के साथ भारत का सीमा विवाद सबसे जटिल और पुराना है, जिसमें हिमालय क्षेत्र से लगी 3,488 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) शामिल है।
- यह विवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत और 1962 के भारत-चीन युद्ध से उपजा है।
- दोनों देशों के बीच विशेष रूप से 1967, 1987, 2013, 2017 और 2020-2021 में LAC पर कई झड़पें और गतिरोध हुए हैं।
- जून 2020 में गलवान घाटी में हालिया संघर्ष 1975 के बाद दोनों पक्षों के बीच

पहला घातक टकराव था, जिसमें कम से कम 20 भारतीय और चार चीनी सैनिक मारे गए।
- दोनों देश सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और अपने दावों पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।

भारत सीमा विवाद और चुनौतियों के बारे में
- **अवस्थिति:** भारत दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक स्थान पर अवस्थित है और हिंद महासागर में एक प्रमुख स्थान रखता है।
  - भारत की तटरेखा 7516.6 किमी है और इसके अंतर्गत 1382 छोटे-बड़े अपतटीय द्वीप शामिल हैं।
  - भारत की कुल स्थली सीमा 15,106.7 किमी(गृह मंत्रालय के अनुसार) है, जिसे यह सात पड़ोसी देशों: चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है।
  - नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमा को खुली सीमा माना जाता है।
- **सीमा पर शांति के समक्ष बाधा:** भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हमेशा भारत की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, खासकर जब भारत को अपने उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है।

पड़ोसियों के साथ मौजूदा सीमा विवाद निपटान तंत्र:
- **द्विपक्षीय वार्ता:** भारत सीमा विवादों को सुलझाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ सीधी बातचीत में संलग्न है।
  - उदाहरण के लिए, भारत और चीन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत की है।
- **संयुक्त समितियाँ:** भारत ने सीमा विवादों पर चर्चा और समाधान के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त समितियाँ स्थापित की हैं।
  - उदाहरण के लिए, दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त सीमा कार्य समूह की स्थापना की गई थी।
- **समझौते:** भारत ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत और चीन ने 1993 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** भारत ने सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को सुगम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी की मांग की है।
- उदाहरण के लिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा उठाया है।

- **सीमा प्रबंधन विभाग (BM), गृह मंत्रालय**
- यह सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करता है।
- इसने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़, फ्लड लाइट और सड़कों का निर्माण कार्य किया है।
- देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का विकास, भारत-चीन, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर रणनीतिक सड़कों का निर्माण भी विभाग द्वारा किया गया है।

आगे की राह:
- **गैर-घातक रणनीति:** सीमा की सुरक्षा और सीमावर्ती आबादी के जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। इससे एक मजबूत राज्य प्रशासन आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकेगा और सीमा पार अपराध सिंडिकेट को आर्थिक रूप से कमजोर आबादी का शोषण करने से रोका जा सकेगा।
- **जीवन जीने में आसानी, विश्वसनीय व्यापार और विश्वसनीय यात्री:** बायोमेट्रिक डेटा (चेहरे की पहचान) के उपयोग जैसी तकनीकों को अपनाकर लोगों की सुचारू आवाजाही को संभव करके व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग स्मार्ट सीमाओं पर लोगों की पहचान करने और सुरक्षा जांच करने के लिए किया जाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सेंसर:** AI संचालित डेटा बेस जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित उत्तरदायी खुफिया नेटवर्क, सीमाओं पर लोगों और व्यापार की सुगमता और निगरानीपूर्ण आवाजाही को सक्षम करेगा।
- कमांड सेंटर: व्यवहार के पूर्वानुमान और त्वरित अवरोध के लिए संज्ञानात्मक विश्लेषण और AI/ML का उपयोग किया जाए।
- **ड्रोन और काउंटर ड्रोन:** स्वदेशी ड्रोन की खरीद को बढ़ाया जाए एवं खोज करने और अवरोधन के लिए काउंटर ड्रोन तकनीक विकसित की जाए।
- **तस्करी रोधी सिंडिकेट उपाय:** सीमा पार अपराधियों के अभियोजन और निर्वासन के लिए हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करना चाहिए।
- **तकनीकी प्रशिक्षण:** नए तकनीकी समाधानों को बनाए रखने के लिए मौजूदा कार्यबल के कौशल के उन्नयन की आवश्यकता होगी, जिसे अंतरिम स्थिति में ठेकेदारों के उपयोग से पूरा किया जाएगा और भर्ती की समीक्षा भी की जाएगी।
- **रणनीतिक संचार रणनीति:** प्रभावी संचार प्राप्त करने के लिए सीमा प्रबंधन पर बलों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- **बजट बनाना:** स्मार्ट सीमा प्रबंधन समाधानों को आधुनिक बनाने और अपनाने के लिए पूंजी परिव्यय को तीन से चार गुना बढ़ाया जाए।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

7.2 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

संदर्भ:

FATF गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) को आतंकवादी वित्तपोषण के दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से अपनी वर्तमान सिफारिशों को संशोधित करने पर विचार कर रहा है।

अन्य जानकारी:

- अपने अक्टूबर 2023 के पूर्ण सत्र में, FATF गैर-लाभकारी संस्थाओं पर FATF मानकों की अनुशंसा क्रमांक 8 और इसके व्याख्यात्मक नोट को संशोधित करने के प्रस्तावों पर विचार करेगा, और इस मुद्दे पर एक अद्यतन सर्वोत्तम अभ्यास पत्र भी अपनाएगा।
- **FATF अनुशंसा 8:** इसके लिए आवश्यक है कि गैर-लाभकारी संगठनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों की समीक्षा की जाए ताकि इन संगठनों का आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए दुरुपयोग न किया जा सके।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में:

- FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी।
- **भागीदारी:** इसकी बैठकों में वैश्विक नेटवर्क में शामिल 206 देश और विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसे पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं।
- **सचिवालय:** पेरिस, फ्रांस.
- **सदस्य:**
  - FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं, जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं: यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद।
  - भारत 2006 में FATF में पर्यवेक्षक बन गया। 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34वें देश के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
  - भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) का भी सदस्य है।
  - **प्रमुख पर्यवेक्षक:**
    - ✓ इंडोनेशिया
    - ✓ एशियाई विकास बैंक (ADB)
    - ✓ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
    - ✓ इंटरपोल
    - ✓ विश्व बैंक
    - ✓ विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

संक्षिप्त समाचार

असम राइफल्स	**संदर्भ:** मणिपुर में मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के बीच "बफर जोन" की देखरेख के लिए जिम्मेदार असम राइफल्स को मैतेई आबादी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। **असम राइफल्स के बारे में:** • **अधिदेश:** असम राइफल्स (AR) एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। • **नोडल मंत्रालय:** गृह मंत्रालय, **परिचालन नियंत्रण:** भारतीय सेना, **कार्य:** भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करना
माया ऑपरेटिंग सिस्टम	• रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम-माया से बदलने का फैसला किया है। • यह स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन-सोर्स उबंटू पर आधारित है। • यह देश भर में रक्षा के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मैलवेयर हमलों के बीच किया जा रहा है।
स्वाति माउंटेन	• हाल ही में, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वेपन लोकेटिंग रडार (WLR-M) के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया, जिसे "स्वाति माउंटेन" कहा जाता है। • किसके द्वारा विकसित: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) • स्वाति रडार दो संस्करणों में आता है: स्वाति प्लेन्स (WLR) और स्वाति माउंटेन (WLR-M) • स्वाति प्लेन्स संस्करण मुख्य रूप से शत्रु तोपखाने, मोर्टार और रॉकेट का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • स्वाति माउंटेन संस्करण एक अधिक कॉम्पैक्ट और मोबाइल संस्करण है जिसे विशेष रूप से पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Y-3024 (विंध्यगिरि) का प्रक्षेपण	• वेपन लोकेटिंग रडार (WLR) यह आधुनिक सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है, जो शत्रुतापूर्ण तोपखाने, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों का स्वायत्त रूप से पता लगाने और ट्रैक करने के लिए उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करता है।
NDMA ने सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का परीक्षण शुरू किया	• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सी-डॉट द्वारा विकसित आपातकालीन सेल प्रसारण तकनीक का परीक्षण शुरू कर दिया है जो प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को सचेत करेगी। • यह तकनीक वर्तमान में केवल एक विदेशी विक्रेता के पास उपलब्ध है और इसलिए सी-डॉट इसे इन-हाउस विकसित कर रहा है। • परीक्षण अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। **मालाबार अभ्यास** • हाल ही में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण आयोजित किया। • **मालाबार युद्धाभ्यास:** o इसकी शुरुआत 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई थी। o इस अभ्यास का दायरा और साझेदारी विकसित हुई है और अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

8. समाज और सामाजिक न्याय

8.1 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खुलासा किया कि देश के कुल 766 जिलों में से केवल 508 जिलों ने स्वयं को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- **उन्मूलन:** केंद्र सरकार ने **भारत को मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से मुक्त घोषित करने के लिए अगस्त, 2023 की समय सीमा** निर्धारित की है।
- **एक तिहाई जिलों द्वारा घोषणा किया जाना बाकी:** देश में लगभग 246 जिलों ने अभी तक खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित नहीं किया है।
  - o मध्य प्रदेश में, 52 में से 35 जिलों ने रिपोर्ट जमा नहीं की है, जबकि महाराष्ट्र में 36 में से 21 जिलों ने अभी तक खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित नहीं किया है।
  - o **राज्य, जहां 100% जिले मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं:** बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु आदि
- **राज्य आयोग का अभाव:** 14 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में **राज्य सफाई कर्मचारी आयोग नहीं** है।
  - o मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत, देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राज्य निगरानी समितियों और जिला सतर्कता समितियों के गठन की आवश्यकता है।

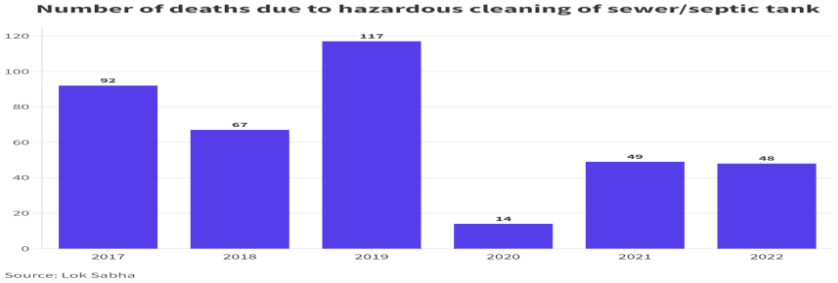

- **मृत्यु दर:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार, **पिछले पांच वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की मौत** हो गई है।
- **उत्तर प्रदेश शीर्ष पर:** उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 20,884 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक और राजस्थान का स्थान है।

हाथ से मैला ढोने वालों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के बारे में:

- **मैनुअल स्कैवेंजर:** एक व्यक्ति जिसे रेलवे ट्रैक, अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गड्ढे से मानव मल की सफाई, निपटान आदि के लिए नियुक्त किया गया है, उसे मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग का तात्पर्य मानव मल को किसी भी तरीके से हाथों से/ गैर-यांत्रिक तरीके से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या प्रबंधन की प्रथा से है।

भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में चुनौतियाँ:

- **जल-उपलब्धता वाले शौचालयों की कमी:** शहरों में सबसे आम शौचालय शुष्क शौचालय हैं, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
  - हमारे देश में अधिकांश शौचालय, लगभग 60 प्रतिशत, सीवर लाइनों से जुड़े नहीं हैं। उनके सेप्टिक टैंकों को मैन्युअल सफाई की आवश्यकता होती है।
- **जातिगत पूर्वाग्रह:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा को विशिष्ट जातियों और समुदायों से जोड़ा गया है, जिससे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सामाजिक कलंक की भावना और पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।
  - 2018 तक के सर्वेक्षणों में पहचाने गए 90% से अधिक मैनुअल स्कैवेंजर्स अनुसूचित जाति समुदायों से थे।
- **कानूनों की विफलता:** हालाँकि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून और नियम बनाए गए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनका कार्यान्वयन खराब रहा है।
  - **वॉटरएड इंडिया** की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाथ से मैला ढोने की प्रथा कई सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धि को कमजोर करती है, जैसे स्वच्छ पानी और स्वच्छता (लक्ष्य 6), सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (लक्ष्य 8), और असमानताओं में कमी (लक्ष्य 10)।
- **उदासीन रवैया:** कई स्वतंत्र अध्ययनों ने यह स्वीकार करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा पर चर्चा की है कि यह प्रथा उनकी देखरेख में जारी है।
- लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कहा कि 'हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं है।' हालाँकि, मंत्रालय के अनुसार 2022 में, लगभग 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर थे और उनमें से 330 की 2017 और 2021 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु हो गई थी।
- **अप्रभावी पुनर्वास रणनीतियाँ:** लोगों को आय के अन्य स्रोत ढूँढने में कठिनाई हुई है क्योंकि कई पुनर्वास योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू नहीं की गई हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

"मशीनीकृत स्वच्छ इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई" (NAMASTE) योजना"

- इसे 2022 में **केंद्रीय क्षेत्र योजना** के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है।
- इसका उद्देश्य **असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना** है।
- **उद्देश्य:** सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की मौतों को रोकना और खतरनाक सफाई की आवश्यकता को कम करने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफाई कार्यों के मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लागू की जाने वाली योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:
  - **पहचान:** नमस्ते में सीवर/ सेप्टिक टैंक वर्कर्स (SSW) की पहचान करने की परिकल्पना की गई है।
  - SSW को व्यावसायिक प्रशिक्षण और PPE किट का वितरण।
  - स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (SRU) को सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता।
  - आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत चिन्हित SSW और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ का विस्तार।
  - **आजीविका सहायता:** कार्य योजना स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए स्वच्छता कर्मचारियों को धन सहायता और सब्सिडी (पूंजी+ब्याज) प्रदान करके मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK):

- NCSK की स्थापना NCSK अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1993 में की गई थी।
- यह एक **गैर-वैधानिक निकाय** है, जिसका कार्यकाल समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- **NCSK के कार्य**
  - यह **सरकार को सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रमों पर सलाह** देता है, मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है और विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है।
  - NCSK मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, केंद्र और राज्य सरकारों को इसे लागू करने के बारे में सलाह देता है, और उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करता है।

आगे की राह:

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** हाथ से मैला ढोने की आवश्यकता को कम करने और स्वच्छता कर्मियों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक सीवेज प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए।

- **बैंडिकूट रोबोट की तैनाती:** यह दुनिया का पहला रोबोटिक स्कैवेंजर है, जिसे स्टार्टअप जेनरोबोटिक्स द्वारा मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान पहल के रूप में विकसित किया गया है।

- **कौशल विकास:** हाथ से मैला ढोने वालों को अपने इस काम को छोड़ने के लिए **सरकार की ओर से शिक्षा, कौशल-विकास और रोजगार के अन्य अवसरों की आवश्यकता** है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव:** सरकार को हाथ से मैला ढोने वालों से जुड़े कलंक से निपटने का प्रयास करना चाहिए और इस बात पर प्रभाव डालना चाहिए कि समाज इन श्रमिकों को कैसे देखता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 2021 में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए केंद्र को निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
  - **"खतरनाक सफाई" पर एक नया अधिनियम** लाना और उन स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जो लोगों को हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में नियुक्त करते हैं।
  - "मैनुअल स्कैवेंजिंग" के अर्थ का विस्तार करके "खतरनाक सफाई" की अन्य श्रेणियों को शामिल किया जाए, या इसके लिए एक नया कानूनी ढांचा बनाया जाए।
  - **मैला ढोने वाली महिलाओं और बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्पीड़न और उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह** को रोकने के लिए कानून में एक दंडात्मक धारा जोड़ी जा सकती है।
  - हाथ से मैला ढोने वालों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया को मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है जो उन्हें तुरंत आय अर्जन शुरू करने और समय-समय पर जांच करने की अनुमति देता है कि वे और उनके परिवार कैसा कर रहे हैं;
  - **मुआवज़ा:** हाथ से मैला ढोने वालों को मुआवज़ा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एकमुश्त नकद सहायता को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (NCRB) अपनी रिपोर्ट में डेटा और सीवर से होने वाली मौतों पर नज़र रखेगा।
  - **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक राज्य के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, एक निश्चित राष्ट्रीयकृत बैंक को नामित कर सकता है, जिससे हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रित नई व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की राशि का ऋण ले सकते हैं।
  - **प्रशिक्षण:** हाथ से मैला ढोने वालों को स्वच्छता क्षेत्र में काम शुरू करने में मदद के लिए **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

8.2 विकलांग व्यक्तियों (PWD)/ दिव्यांगजनों की जनसंख्या का गलत अनुमान

संदर्भ:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति के अनुसार, केंद्र सरकार देश में विकलांग व्यक्तियों (PWD) की वर्तमान आबादी का सटीक अनुमान लगाने में विफल रही है।

PwDs (दिव्यांगजन) के बारे में

- **दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016** में "बेंचमार्क/मानक विकलांगता वाले व्यक्ति" को "न्यूनतम 40% निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN-CRPD) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार **"विकलांग व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं , जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र की अक्षमताओं से पीड़ित हैं**। ये अक्षमताएं दूसरों की तुलना में समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती हैं।
- भारत सरकार के अनुसार, PwD पर **डेटा बड़े पैमाने पर दशकीय जनगणना और विकलांगता पर सैंपल आधारित सर्वेक्षणों** से लिया गया है।
  - 2011 की जनगणना का अनुमान है कि भारत में विकलांग लोगों की संख्या 2.68 करोड़ (या जनसंख्या का 2.2%) के करीब है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से अधिक है।

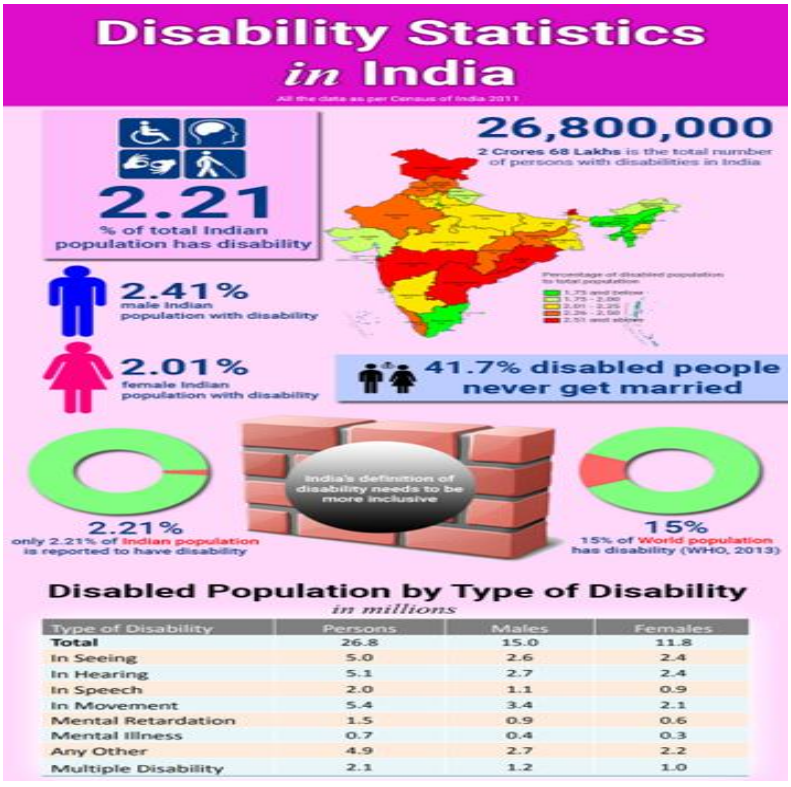

Type of Disability	Persons	Males	Females
Total	26.8	15.0	11.8
In Seeing	5.0	2.6	2.4
In Hearing	5.1	2.7	2.4
In Speech	2.0	1.1	0.9
In Movement	5.4	3.4	2.1
Mental Retardation	1.5	0.9	0.6
Mental Illness	0.7	0.4	0.3
Any Other	4.9	2.7	2.2
Multiple Disability	2.1	1.2	1.0

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, **भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अक्षमता** के साथ रहती है।
- भारत में ग्रामीण पुरुषों में विकलांगता का प्रसार सबसे अधिक था।

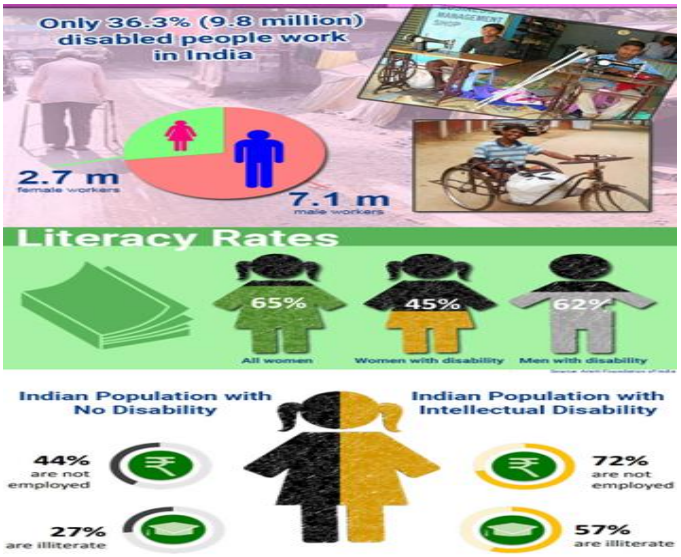

भारत में PwD के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** भारत में कई सार्वजनिक भवन, स्थान और परिवहन प्रणालियों का डिज़ाइन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें **रैंप, लिफ्ट और सुलभ शौचालयों की कमी** शामिल है।
- **पहुंच संबंधी दिशा-निर्देशों का खराब कार्यान्वयन:** हालांकि इमारतों और स्थानों को पहुंच योग्य बनाने के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अक्सर ठीक से लागू नहीं किया जाता है।
- **सहायक तकनीक का अभाव:** भारत में श्रवण यंत्र और गतिशीलता में सहायक तकनीकों तक पहुंच सीमित है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए दैनिक कार्य करना मुश्किल हो जाता है।
- **सूचना और संचार तक सीमित पहुंच:** दृष्टि और श्रवण बाधित व्यक्तियों को अक्सर ब्रेल साइनेज, सांकेतिक भाषा व्याख्या और ऑडियो विवरण की कमी के कारण सूचना प्राप्त करने और संचार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **व्यवहार संबंधी बाधाएँ:** समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता के कारण उन्हें अक्सर **भेदभाव और कलंक का सामना** करना पड़ता है। इससे समाज में उनके अवसर और भागीदारी सीमित हो सकती है।

दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें:

- **भारतीय संविधान:** भारतीय संविधान के तहत भारत में दिव्यांगजनों को **जीवनयापन की बेहतर स्थिति प्रदान करना भारत सरकार का दायित्व** है।
- **अनुच्छेद 21:** किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016:** यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित दिव्यांगता कानून है, जिसे भारत ने 2007 में अनुमोदित किया था।
- **उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता (ADIP) योजना:** इसे गैर सरकारी संगठनों, इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और ALIMCO/ एलिम्को (एक PSU) जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
  - **उद्देश्य:** जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरण खरीदने में सहायता करना जो **विकलांगता के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर** उनके **शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा** दे सकते हैं।

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं:

- **कवरेज का विस्तार:** इसमें विकलांगताओं के प्रकार को सात से बढ़कर अब 21 कर दिया गया है, और केंद्र सरकार को इसमें अतिरिक्त प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ने का अधिकार है।
- **आरक्षण:** बेंचमार्क/मानक विकलांगता वाले लोगों और महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकताओं वाले लोगों को **उच्च शिक्षा, सरकारी पदों, भूमि आवंटन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों आदि में आरक्षण सहित लाभों तक पहुंच** प्राप्त है।
- **समावेशी शिक्षा:** जो स्कूल सरकार द्वारा प्रायोजित और मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें **विकलांग छात्रों को समावेशी शिक्षा** प्रदान करनी चाहिए।
  - कानून के अनुसार, **6 से 18 वर्ष की आयु के बीच आधारभूत विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार** है।
- केंद्र और राज्य स्तर पर **शीर्ष नीति-निर्माण निकाय के रूप में कार्य करने के लिए विकलांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड** स्थापित किए जाने हैं।
- **जुर्माना:** यह विकलांग लोगों के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी निर्धारित करता है।
- **विशेष अदालतें:** दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का समाधान करने के लिए, प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

- **विशिष्ट दिव्यांगता आई.डी. (UDID):** यह **दिव्यांग** व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह **"पारदर्शिता, दक्षता और सरकारी लाभ देने में आसानी को प्रोत्साहित करेगा"** और लाभार्थियों की "भौतिक और वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित" करेगा।
- **सुगम्य भारत अभियान:** इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना है।
- आगामी जनगणना में, विकलांगता को **दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016** के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

- विकलांगता मामलों का विभाग दिव्यांगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले लोगों की जानकारी होगी।

आगे की राह

- नियमित स्कूलों में **विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना** और उन्हें पर्याप्त सहायता, संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे उन्हें अपनी क्षमता और कौशल विकसित करने और उन्हें समाज में एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए भौ**तिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार, प्रौद्योगिकी और सेवाओं की पहुंच बढ़ाना** और उनकी भागीदारी और समावेशन को अवरुद्ध करने वाली किसी भी बाधा को दूर करना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्व-रोजगार और औपचारिक रोजगार के अवसरों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना और श्रम बाजार में उनके लिए **गैर-भेदभाव और समान वेतन** सुनिश्चित करना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए **सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वास्थ्य सेवाएँ, बीमा योजनाएँ, पुनर्वास कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी उपाय** प्रदान करना और उनकी सामर्थ्य एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, जरूरतों, क्षमताओं और योगदान के बारे में जनता, मीडिया, सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच **जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना** और विकलांगता से जुड़ी नकारात्मक रूढ़ियों और कलंक को समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए।
- सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकलांग व्यक्तियों और उनके संगठनों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना और उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में उनका मत सुनिश्चित करना चाहिए।
- विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना, और विकलांगता समावेशन पर सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के प्रसार और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए।
- राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना, उनके द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग करना, विशेषज्ञों से परामर्श करना और सांख्यिकी मंत्रालय के सर्वेक्षणकर्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए।
- मौजूदा कानूनों और नीतियों को लागू करना जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं, जैसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांग जन के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2022।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के **अधिकारों को पहचानना और उनका सम्मान करना** और समाज में उनकी **पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा** देना है।
- यह विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं तक समान पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है।
- यह एक समावेशी और बाधा-मुक्त वातावरण बनाने पर केंद्रित है जो विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक तकनीकों और अन्य नवीन समाधानों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।
- यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क (BMF)

- यह कार्रवाई के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा है जो 2003-2012 के दशक में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज स्थापित करने के लिए **एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सरकारों और हितधारकों के लिए नीतिगत सिफारिशें** प्रदान करता है।
  - यह नए दशक में कार्रवाई के लिए सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है:
  - विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता संगठन और संबंधित परिवार और अभिभावक संघ;
  - विकलांग महिलाएँ;
  - शीघ्र पता लगाना, शीघ्र हस्तक्षेप करना और शिक्षा; स्व-रोजगार सहित प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना;
  - निर्मित वातावरण और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच;
  - सहायक तकनीकों सहित सूचना और संचार तक पहुंच;
  - **क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी आजीविका कार्यक्रमों** के माध्यम से गरीबी उन्मूलन।

इंचियोन रणनीति

- इसे 2012 में **दिव्यांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक, 2013-2022** के लिए नई कार्ययोजना तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह **एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए 10 दिव्यांगता-विशिष्ट विकास लक्ष्यों** का पहला सेट प्रदान करता है।
  1. कन्वेंशन के साथ राष्ट्रीय कानूनों का सामंजस्य स्थापित करना।
  2. विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन सुनिश्चित करना।
  3. उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतरक्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना।

8.3 सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की स्थिति

संदर्भ:

हाल ही में मणिपुर में दो समुदायों के बीच हुए **नृजातीय संघर्ष में बहुसंख्यक मैतेई लोगों द्वारा कुकी-ज़ोमी महिलाओं के खिलाफ की गई भयावह यौन हिंसा** ने देश को एक बार फिर संघर्ष के दौरान महिलाओं की शारीरिक असुरक्षा के गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है।

भारत में सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इतिहास

- महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक दंगों, संघर्षों और युद्धों के दौरान पीड़ितों के रूप में कई अनपेक्षित परिणामों और हिंसा को सहन किया है।
  - ये घटनाएं विभिन्न समाजों में मौजूद पितृसत्तात्मक मानदंडों की गहरी पैठ का प्रतिबिंब हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर महिलाएं असंगत रूप से प्रभावित होती हैं।

महिलाओं पर संघर्ष का प्रभाव

- **लिंग आधारित हिंसा:** युद्ध और लिंग आधारित हिंसा निर्विवाद रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघर्ष के समय महिलाओं और बच्चों को शारीरिक, मौखिक, यौन और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
  - लिंग-आधारित हिंसा का उपयोग युद्ध में नियंत्रण स्थापित करने, परिवारों को कमजोर करने, नृजातीय हत्याएं और नरसंहार करने एवं प्रतिरोध को हतोत्साहित करने और समुदायों को अस्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
  - 2019 आर्म्ड कान्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट (Acled) रिपोर्ट के अनुसार, 2018 और 2019 दोनों में, भारत उन शीर्ष देशों में से एक था जहां **महिलाएं संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के प्रति अत्यधिक असुरक्षित** हैं।
  - अफगानिस्तान में, **62% महिलाओं ने लिंग आधारित हिंसा के सभी तीन रूपों का अनुभव किया है: मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और यौन शोषण।**

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के पिछले उदाहरण:

- **भारत का विभाजन (1947):** दोनों पक्षों की महिलाएं यौन हिंसा, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुईं।
  - अनुमान के अनुसार इस विभाजन के दौरान हज़ारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, या उनकी नृशंस हत्या कर दी गई।
- **बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971):** संघर्ष के दौरान, कई महिलाओं को सुनियोजित यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जिसमें बलात्कार, अपहरण और जबरन वेश्यावृत्ति शामिल थी।
  - ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तानी सेना के सैनिकों द्वारा सैकड़ों-हजारों महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और क्रूरता बरती गई।
- **रोहिंग्या संकट (2017-वर्तमान):** म्यांमार में रोहिंग्या संकट के परिणामस्वरूप रोहिंग्या मुसलमानों का बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों में पलायन हुआ।
  - महिलाओं के ख़िलाफ़ म्यांमार की सेना के अभियान के तहत उन्हें सामूहिक बलात्कार सहित भयानक यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा।
- हिंसा के इन कृत्यों ने पीड़ितों को भावनात्मक और शारीरिक क्षति पहुंचाई है और यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का विषय बना हुआ है।

- **सामाजिक अराजकता:** संघर्ष के दौरान महिलाओं और लड़कियों को वस्तु समझा जाता है, क्योंकि उन्हें अक्सर युद्ध के हथियार के रूप में देखा जाता है, जिनका उपयोग हिंसा के अपराधियों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है।
  - बढ़ती अस्थिरता, गरीबी और कानून के कमजोर होते शासन के कारण संघर्ष के समय **घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की दरें आम तौर पर** बढ़ जाती हैं।
- **विस्थापन:** युद्ध के समय में, महिलाएं अक्सर अपने परिवार और खुद को नुकसान के रास्ते से बाहर निकालने की पूरी ज़िम्मेदारी और जोखिम उठाती हैं।
  - UNHCR के अनुसार, ग्रह के 80 मिलियन विस्थापित लोगों में से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।
- **बाल विवाह में वृद्धि:** क्योंकि युद्ध अर्थव्यवस्थाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और कृषि उत्पादन को बाधित करता है, इससे अक्सर व्यापक गरीबी और भूखमरी पैदा होती है।
  - नतीजतन, बाल विवाह की दर बढ़ जाती है क्योंकि परिवार अतिरिक्त आय के लिए संघर्ष करते हैं या पालन-पोषण के लिए एक सदस्य कम हो जाता है।
- **जीवनरक्षक स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच:** चूंकि हिंसा और युद्ध से सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विनाश होता है, इसलिए अस्पतालों और क्लीनिकों को अक्सर ध्वस्त कर दिया जाता है और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित हो सकती है।
  - कुछ संघर्षों में, 90% तक हताहत नागरिक होते हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ और बच्चे होते हैं।
- **लिंग भेदभाव:** सशस्त्र संघर्ष महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाता है।
  - इससे महिलाओं और लड़कियों को भोजन का असमान वितरण हो सकता है, जिससे कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

- **लड़कियों की शिक्षा:** संघर्ष और संकट में, लड़कियाँ अक्सर सबसे पहले स्कूल से निकाली जाती हैं और सबसे बाद में वापस लौटती हैं।
  - ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के अनुसार, संघर्ष का सामना करने वाली लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने की संभावना लड़कों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है, और युद्धविराम के बाद उनके वापस लौटने की संभावना कम होती है।
- **भागीदारी का अभाव:** संघर्ष से असमान रूप से प्रभावित होने के बावजूद, महिलाओं को **अक्सर शांति वार्ता और संघर्ष की रोकथाम या पुनर्निर्माण में भागीदारी** से वंचित किया जाता है।
  - यूएन विमन के अनुसार, 2020 में महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित शांति प्रक्रियाओं में केवल 23% प्रतिनिधिमंडलों का प्रतिनिधित्व किया।
- **विभेदक प्रभाव:** किसी संघर्ष की प्रकृति महिलाओं पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है।
  - मध्य पूर्व में मौजूदा युद्धों का महिलाओं पर उतना प्रभाव नहीं है जितना म्यांमार में रोहिंग्या संकट का।
- **आर्थिक शोषण:** संघर्ष के बाद, महिलाएं अक्सर श्रम बाजारों में संलग्न हो जाती हैं जिनमें कम वेतन वाली, कम-कुशल नौकरियां, अनौपचारिक क्षेत्र में स्व-रोजगार और पारिवारिक श्रम शामिल होता है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है।
  - **महिलाएं दुनिया का 66% काम करती हैं, 50% भोजन का उत्पादन करती हैं, लेकिन आय का 10% कमाती हैं और 1% संपत्ति की मालिक हैं।**
- **संस्थागत उत्पीड़न:** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो दशकों से उग्रवाद और सशस्त्र संघर्ष का साक्षी रहा है, महिलाएँ मानवाधिकारों के उल्लंघन, पारिवारिक समर्थन की हानि, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक से प्रभावित हुई हैं।
  - अक्टूबर 2013 में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1989 में भारतीय शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू होने के बाद से बलात्कार के 5000 से अधिक मामले दर्ज किए जाने की बात स्वीकार की।

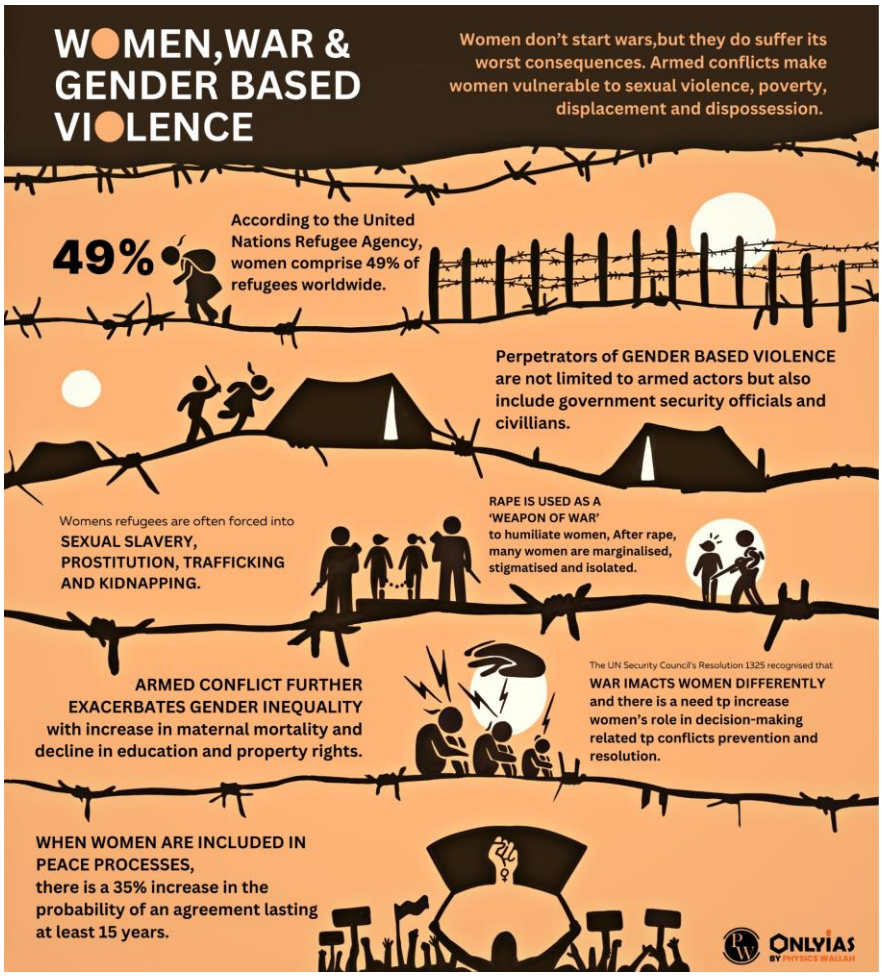

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) जैसे कानून, जो भारतीय सेना को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कानून से छूट देते हैं, भारत में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के खिलाफ एक बड़ी बाधा साबित हुए हैं।

सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- **जिनेवा कन्वेंशन (1949):** अनुच्छेद 27 के अनुसार "महिलाओं को उनके सम्मान पर किसी भी हमले के खिलाफ विशेष रूप से बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, या किसी भी प्रकार के अभद्र हमले के विरुद्ध संरक्षित किया जाएगा।"
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1325:** यह प्रस्ताव संघर्षों की रोकथाम और समाधान, शांति वार्ता, शांति-निर्माण, शांति स्थापना, मानवीय प्रतिक्रिया और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है।
- **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW):** यह कन्वेंशन अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि:** यह क़ानून यौन हिंसा को युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में मान्यता देता है।
- **रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRC):** ICRC यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि सशस्त्र संघर्षों के दौरान महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा और लिंग आधारित हिंसा के अन्य रूपों से बचाया जाए।

आगे की राह

- स्तर पर संघर्ष समाधान और शांति निर्माण प्रयासों के साथ-साथ संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और विकास संबंधी निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।

- शरणार्थी महिलाओं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाली अन्य विस्थापित महिलाओं और आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं को **सुरक्षा, सहायता और प्रशिक्षण** प्रदान किया जाए।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आजीविका के अवसरों का समर्थन करना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो **विधवा, विस्थापित या घर की मुखिया** हैं।
- महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए **स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पानी, स्वच्छता, भोजन और आश्रय तक उनकी पहुंच में सुधार** करना चाहिए।
- सशस्त्र संघर्ष के कारण **आघात, तनाव या दुःख से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को मनोसामाजिक सहायता और परामर्श प्रदान** करना चाहिए।
- महिलाओं के कानूनी अधिकारों और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो भेदभाव, हिंसा या शोषण का सामना करते हैं।
- महिलाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करना, और उनकी आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहिए।
- **महिलाओं और लड़कियों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव के बारे में जागरूकता** बढ़ाना चाहिए।

8.4 जल जीवन मिशन

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की तकनीकी सहायता से IIM-बैंगलोर द्वारा संचालित एक हालिया शोध परियोजना ने **जल जीवन मिशन (JJM)** की रोजगार सृजन संभावनाओं की व्यापक जांच की है।

समाचार से संबंधित और अधिक जानकारी:

- JJM मिशन से **2.82 करोड़** व्यक्ति-वर्ष **रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान** है, जिसमें इस मिशन के निर्माण चरण के दौरान 59.93 लाख व्यक्ति-वर्ष का प्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।
- पाइप, वाल्व, पंप इत्यादि जैसी सामग्रियों के उत्पादन में लगी जनशक्ति के माध्यम से अतिरिक्त **2.22 करोड़ व्यक्ति-वर्ष का अप्रत्यक्ष रोजगार** उत्पन्न हुआ।
- सृजित **प्रत्यक्ष रोजगार का लगभग 40% यानी,** 23.8 लाख व्यक्ति-वर्ष, इंजीनियरों, प्रबंधकों, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और केमिस्ट आदि की भागीदारी के कारण होने का अनुमान है।

जल जीवन मिशन के बारे में:

- जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति दिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय।
- **बजट:** मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा क्रमशः 2.08 लाख करोड़ और 1.52 लाख करोड़ रुपये है।

जल जीवन मिशन की आवश्यकता:

- **पानी की बढ़ती मांग:** भारत दुनिया के शीर्ष 10 जल-समृद्ध देशों में से एक है, जिसकी दुनिया के लगभग 4% जल संसाधनों तक पहुंच है।
  - भारत की **तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण** और बढ़ते जीवन स्तर के परिणामस्वरूप पूरे देश में पानी की माँग बढ़ गई है।

- **महिलाओं पर बोझ कम करना:** सुविधाजनक जलापूर्ति का अभाव महिलाओं और लड़कियों पर बोझ डालती है, जिनका काफी समय पानी इकट्ठा करने में खर्च होता है।
  - जल जीवन मिशन का लक्ष्य महिलाओं को इस समस्या से राहत दिलाना और कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
- **जल-जनित रोगों से मुकाबला:** जल-जनित रोगों से निपटने के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **WASH को SDGs से जोड़ना:** सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH) अति आवश्यक है।
  - जल जीवन मिशन के प्रयास 2030 तक सुरक्षित और किफायती पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के वैश्विक लक्ष्य के अनुरूप हैं।
- **नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) 2018:** इसके अनुसार, आने वाले वर्षों में 21 भारतीय शहरों को **डे जीरो** का सामना करना पड़ सकता है।
  - **डे जीरो** उस दिन को संदर्भित करता है जब किसी स्थान के पास पीने का पानी नहीं होने की संभावना होती है। इस सन्दर्भ में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
- **बच्चों के पोषण पर प्रभाव:** सुरक्षित पानी की कमी बच्चों में कुपोषण को बढ़ावा देती है, जिससे बौनापन और कमजोरी होती है।
  - जल जीवन मिशन के तहत की जाने वाली स्वच्छ जल आपूर्ति का मकसद सीधे तौर पर बाल पोषण और स्वास्थ्य परिणामों के सुधार में योगदान देना है।

JJM की मुख्य विशेषताएं:

- **बॉटम-अप दृष्टिकोण:** JJM को एक विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - **उदाहरण के लिए:** गाँव में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए 5.24 लाख से अधिक पानी समितियाँ/ ग्राम जल और स्वच्छता समितियाँ (VWSC) का गठन किया गया है।
- इसमें 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से **सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने** की परिकल्पना की गई है।
- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध करना
  - गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी इलाकों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) गांवों आदि में FHTC की व्यवस्था को प्राथमिकता देना।
  - नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना।

फंडिंग पैटर्न:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केन्द्र का हिस्सा- % में	राज्य का हिस्सा- % में
हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य	90	10
अन्य राज्य	50	50
विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश	90	10
बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश	100	-

- JJM के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रः

टीयर	मिशन	भूमिका
राष्ट्रिय स्तर	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)	निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में, **NJJM राज्यों को नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता** और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

राज्य स्तर	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)	SWSM **राज्य स्तर पर** समन्वय, अभिसरण और **नीति मार्गदर्शन के लिए** जिम्मेदार होगा।
जिला स्तर	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)	उपायुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, **DWSM ग्राम कार्य योजना की तैयारी सुनिश्चित करेगा;** जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देना; गाँव में जल आपूर्ति योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
ग्राम पंचायत स्तर	पानी समिति/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)/उपयोगकर्ता समूह	समिति का नेतृत्व सरपंच/उप-सरपंच/ग्राम पंचायत सदस्य/पारंपरिक ग्राम प्रधान/वरिष्ठ ग्राम नेता करेंगे।

2024 तक हर घर जल लक्ष्य को पाने में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ:

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** इसके परिणामस्वरूप "स्टील और सीमेंट की बड़ी कमी हो गई, जो धातु पाइपों के निर्माण और कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है"।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** स्वीकार्य गुणवत्ता वाले टैंक, टंकी और पानी के कनेक्शन बनाने के लिए कुशल जनशक्ति की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा है।
- **जाति आधारित भेदभाव:** नेशनल दलित वॉच द्वारा "सूखा, दलित और आदिवासी" शीर्षक से एक शोध अध्ययन किया गया। 2022 में किये गए इस शोध अध्ययन में मराठवाड़ा के उस्मानाबाद और कल्लम ब्लॉक के 10 गांवों के 2,207 दलितों और आदिवासियों का सर्वेक्षण किया गया।
  - अध्ययन में पाया गया कि 72% के पास पीने और स्वच्छता के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, जबकि 56% SCs और 48% STs ने पीने के पानी के लिए अस्पृश्यता का अनुभव किया है।
- **पानी की खराब गुणवत्ता:** स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि नल कनेक्शन होने के बावजूद, कई गाँव के परिवार अपने स्थानीय भूजल संसाधनों पर लौट आते हैं क्योंकि आपूर्ति किए गए नल के पानी की गुणवत्ता बेहतर नहीं है।
- **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी:** कई ग्रामीण क्षेत्रों में उचित बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी का अभाव है, जिससे जल आपूर्ति के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता:** आधुनिक जल आपूर्ति प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है, और स्थानीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs):** जल आपूर्ति प्रणालियों के कुशल कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए PPPs के अवसरों का पता लगाएं।
- **वित्तीय स्थिरता:** एक स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित करें जो जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त पोषण, सामुदायिक योगदान, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य राजस्व स्रोतों को जोड़ता है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय शासन संस्थानों को मजबूत करना, सिस्टम को प्रभावी ढंग से योजना बनाने, लागू करने और प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक परीक्षा न्यूज

8.5 स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE)

संदर्भ:

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए **स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE)** जारी की।

अन्य संबंधित जानकारी:

- स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 डिजाइन के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा** है।
- NCF का मसौदा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त **के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार** किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF, राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
- NEP एक ऐसी नीति है जिसे अपनाने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं, जबकि NCF इस बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करता है कि **कक्षाओं में स्कूली शिक्षा कैसे संचालित की जानी चाहिए**।

- **सभी चार चरणों** - मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम रूपरेखा जारी की गई।
- **प्रयोज्यता:** 2024-25 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले ग्रेड 9 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए।

8.6 सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0

संदर्भ:

हाल ही में, टीकाकरण अभियान **सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0**, तमिलनाडु के कोयंबटूर में शुरू हुआ।

अन्य जानकारी:

- **सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0:** यह टीके की खुराक से पूरी तरह वंचित रह गए 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक खुराक पहुंचाने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके **खसरा और रूबेला का उन्मूलन** करना है कि **5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे ने खसरा और रूबेला युक्त वैक्सीन (AMRCV) की दो-खुराक** ले ली है।
- आंकड़ों के अनुसार, पांच लाख से अधिक बच्चों को अभी तक उनकी **प्रारंभिक पेंटावैलेंट-1 खुराक नहीं मिली है, ज**बकि सात लाख से अधिक बच्चों को खसरा-रूबेला (AMR) वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है।
- 2022 में, **खसरा-रूबेला (AMR) के प्रकोप** के दौरान देश में दर्ज किया गया हर **चौथा मामला** उत्तर प्रदेश से था।

मिशन इंद्रधनुष (MI) के बारे में:

- मिशन इंद्रधनुष (MI) **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)** के तहत एक विशेष कैच-अप अभियान है।
- भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) 12 जानलेवा रोगों के खिलाफ निःशुल्क टीके प्रदान करता है:
  - हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-B (HIB), खसरा, रूबेला, जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) और रोटावायरस डायरिया के कारण तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, निमोनिया और मेनिनजाइटिस।
- यह कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में **नियमित टीकाकरण से छूटे हुए या छोड़े गए सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए आयोजित** किया जाता है।
- **नोडल मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0

- **कवरेज**: इसमें 0-5 वर्ष की आयु के उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं टीके उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिन्हें एक भी टीका नहीं लग पाया है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके **खसरा और रूबेला का उन्मूलन** करना है कि **5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे ने खसरा और रूबेला युक्त वैक्सीन (AMRCV) की दो-खुराक** ले ली है।।

8.7 पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में, पारंपरिक चिकित्सा पर **विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ गांधीनगर, गुजरात** में किया गया था।

पारंपरिक चिकित्सा क्या है?

- पारंपरिक चिकित्सा **उपचार पद्धतियों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को संदर्भित करती** है जो विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
  - उदाहरण के लिए: **आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा।**
- इसमें स्वास्थ्य और कल्याण प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो पारंपरिक **मान्यताओं, अनुभवों और सांस्कृतिक विरासत** में निहित हैं।

WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM)

- यह **गुजरात के जामनगर में स्थित पारंपरिक चिकित्सा का एक ज्ञान केंद्र है।**
- वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अनुकूलित करने के लिए साक्ष्य और शिक्षण, डेटा और विश्लेषण, स्थिरता और समानता, एवं नवाचार और प्रौद्योगिकी पर इसका रणनीतिक फोकस है।

8.8 डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक पहल (GIDH)

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से भारत 19 अगस्त को गांधीनगर, गुजरात में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल शुरू करेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक पहल (GIDH) के बारे में:

- **उद्देश्य:** अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल का उद्देश्य डेटा अभिसरण, स्वास्थ्य प्लेटफार्मों का इंटरफ़ेस और दुनिया भर में डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक पहल (GIDH) का महत्व:**
  - इसमें एक **अभिसरण दृष्टिकोण** की परिकल्पना की गई है जो कई बाधाओं को पार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा और चल रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रयासों को एक छत के नीचे सुलभ बनाया जा सकता है।
  - इसमें एक **निवेश ट्रैकर, एक आस्क ट्रैकर (यह समझने के लिए कि किसे किस प्रकार के उत्पादों और सेवाओं**

की आवश्यकता है) और मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों की एक लाइब्रेरी शामिल होगी।
  - यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य अभिसरण में सहायता करेगा और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करेगा। **इस पहल को वैश्विक साझेदारों से भी धन प्राप्त हुआ है।**

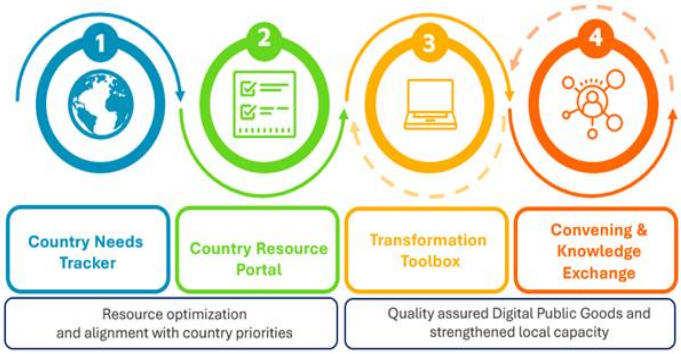

8.9 पोषक तत्वों की कमी

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के **अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्र में** 2011 से 2021 तक **खुदरा बिक्री मूल्य में 13.37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर** देखी गई।

अन्य संबंधित जानकारी:

- इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के एक नए अध्ययन से पता चला है कि **ग्रामीण इलाकों में लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे** हैं।
- **ग्रामीण भारत में चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चलन क्यों शुरु हो गया है?**
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की सीमित पहुंच** इस आहार परिवर्तन को बढ़ा देती है।
  - **वन क्षेत्रों में कमी से जंगली फलों और वन खाद्य पदार्थों तक पहुंच कम** हो गई है, जिससे आहार विविधता और भी सीमित हो गई है।
  - **शहरी प्रवास के परिणामस्वरूप आहार में परिवर्तन** होता है, क्योंकि व्यक्ति पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के प्रचार के संपर्क में आते हैं, जो खाने की अस्वास्थ्यकर आदतों में योगदान देता है।
  - **शर्करा युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण खपत बढ़ जाती है,** जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्र के बारे में:

- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को **लंबी शेल्फ लाइफ वाले खाद्य पदार्थों के रूप में परिभाषित** किया गया है। इसमें आमतौर पर **प्रिजर्वेटिव, इमल्सीफायर, स्वीटनर्स और आर्टिफ़िशियल कलर्स और फ्लेवर** सहित पांच या अधिक तत्व होते हैं।
- ये खाद्य पदार्थ **गैर-संचारी रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक** हैं, विशेष रूप से युवा लोगों में, जैसे **मोटापा।**
- **लोकप्रिय खाद्य-श्रेणी:** भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की पाँच लोकप्रिय श्रेणियाँ चॉकलेट और शुगर कन्फेक्शनरी, नमकीन स्नैक्स, बेवरेज, रेडीमेड और कनविनिएन्ट फूड और ब्रेकफ़ास्ट सीरल्स हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **मोटापे से जुड़ी चिंताएँ:** अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य के उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंताएँ और **भारत में मोटापे की महामारी को रोकने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप** की माँग बढ़ रही है, जैसा कि कुछ पश्चिमी देश अनुभव कर रहे हैं।
  - **2017 से मार्च 2020 के बीच अमेरिका में मोटापे का प्रसार 41.9% था।**
- **स्वास्थ्य जोखिम:** अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को **गैर-संचारी रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक** के रूप में पहचाना जाता है, विशेष रूप से युवा लोगों में, जैसा कि कई शोधकर्ताओं द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- **पेय पदार्थ के रुझान:** 2021 में खुदरा मात्रा में, बाजार में कॉन्सन्ट्रेट/स्क्वैश(फल-रस पेय) की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत रही। इसके बाद शीतल पेय/कंसन्ट्रेट की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत और जूस की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत रही।
- **स्वीट बिस्किट्स और उनकी मार्केटिंग:** 2021 में चॉकलेट और शुगर कन्फेक्शनरी श्रेणी में स्वीट बिस्किट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। वे अपनी वहनीयता, भंडारण में आसानी और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण लोकप्रिय हैं।
- **नमकीन स्नैक्स और स्वास्थ्य जोखिम:** 2011 से 2021 तक **नमकीन स्नैक्स की खुदरा बिक्री में 16.78% की वृद्धि** हुई।
  - इन स्नैक्स में अक्सर नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे उपभोक्ता उच्च रक्तचाप और हृदय और गुर्दे की बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

मोटापा (Obesity) क्या है?

- अधिक वजन और मोटापे को **असामान्य या अत्यधिक वसा संचय** के रूप में परिभाषित किया गया है जो **स्वास्थ्य के लिए खतरा** पैदा करता है।
- बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को वजन(किलोग्राम में) को ऊंचाई(मीटर में) के वर्ग से विभाजित करके मापा जाता है।
- WHO के दिशा-निर्देश सामान्य स्थिति में BMI रेंज को 18.5 से 24.9, अधिक वजन में 25 या अधिक और **मोटापे में 30 या अधिक के रूप में परिभाषित** करते हैं।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** यह मधुमेह, हृदय रोग और घातक बीमारियों जैसी स्थितियों से जुड़ा हुआ है।

एकीकृत राष्ट्रीय पोषण नीति की ओर: अल्प पोषण और अति पोषण को संबोधित करना

- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि **मौजूदा नीतियों को मजबूत करने और एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण नीति की ओर बढ़ने की जरूरत है** जो अल्प और अधिक पोषण की दोहरी समस्याओं को कवर करेगा ।

भारत में कुपोषण:

- **कुपोषण** एक ऐसी स्थिति है जो किसी **व्यक्ति के शरीर को उचित वृद्धि, विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और वास्तव में उनके आहार के माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप** होती है।

कुपोषण के अनेक आयाम:

- **अल्पपोषण:** यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को अपने **शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवश्यक पोषक तत्व, कैलोरी या प्रोटीन नहीं मिलता है**। इसमें स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम ऊंचाई), वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन), अल्प वजन (उम्र के अनुसार कम वजन) शामिल हैं।
- **अतिपोषण:** यह तब होता है जब **कोई व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों या कैलोरी का सेवन करता है**, जिससे **अक्सर मोटापा और मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं** होती हैं।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: कुपोषण** में आवश्यक विटामिन और खनिजों, जैसे **विटामिन ए, आयरन, आयोडीन और जिंक की कमी** भी शामिल हो सकती है।

भारत में बाल कुपोषण:

- **लंबे समय से जारी बाल कुपोषण चुनौती:** 1992-1993 में पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) से पता चला कि चार साल से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे कम वजन वाले और ठिगने थे, छह में से एक अत्यधिक दुबले (वेस्टेड) था।
- **वैश्विक कुपोषण रैंकिंग:** वैश्विक भुखमरी सूचकांक (2022) में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
- भारत में बच्चों की वेस्टिंग की दर (ऊंचाई के मुकाबले कम वज़न) 19.3% है, जो 2014 (15.1%) और यहां तक कि 2000 (17.15%) में दर्ज स्तरों से भी बदतर है। यह दुनिया के किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है।

हालिया NFHS डेटा:

- 22 राज्यों के NFHS (2019-2021) के पांचवें दौर के आंकड़ों के अनुसार, केवल नौ राज्यों में स्टंटिंग की संख्या, दस राज्यों में वेस्टिंग और छह राज्यों में अल्प वजन वाले बच्चों में गिरावट दर्ज की गई।

- **एनीमिया से संबंधित डेटा:** NFHS-5 सर्वेक्षण बताता है कि 57% से अधिक महिलाएं (15-49 वर्ष) और 67% से अधिक बच्चे (6-59 महीने) एनीमिया से पीड़ित हैं।

कुपोषण के कारण:

- **पौष्टिक भोजन तक अपर्याप्त पहुंच:** आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ऐसे आहार तक पहुंच नहीं है जो उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता हो।
  - **भारत एनीमिया के उच्च प्रसार का सामना** कर रहा है। एनीमिया के लिए मुख्यतः आयरन की कमी और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अपर्याप्त आहार सेवन जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत विविधता का अभाव:** PDS में मोटे अनाज, दालें आदि जैसे **अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव** है।
  - भारत में प्रोटीन की खपत **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** द्वारा सुझाए गए **प्रति दिन 48 ग्राम के अनुशंसित दैनिक सेवन** से काफी कम है।
  - एक औसत भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की अनुशंसित आहार **0.8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन** है।
- **मृदा सूक्ष्म पोषक तत्व मानव स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं:** रिपोर्ट के अनुसार, मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों और लोगों के पोषण संबंधी परिणामों के बीच एक मजबूत संबंध है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी पोषण की कमी का कारण बनती है।
  - देश में **35 प्रतिशत से अधिक मिट्टी में जिंक की कमी और लगभग 11 प्रतिशत में आयरन की कमी होने का अनुमान** है।
- **ग्रामीण बेरोजगारी और आय के अवसरों की कमी:** उच्च बेरोजगारी दर, आय असुरक्षा को बढ़ाती है और पर्याप्त पोषण तक पहुंच को सीमित करती है।
  - 2017-18 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो **1972-73 के बाद से सबसे अधिक** है।
- **बजट आवंटन:** केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए कुल आवंटन में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई; लेकिन 2020-21 की तुलना में **बाल पोषण के लिए आवंटन में 18.5 प्रतिशत की गिरावट** आई है।
- **कार्यान्वयन में कमियाँ:** ICDS के 2020 के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट से पता चला कि **आवंटित 1,042 करोड़ रुपये में से केवल 908 करोड़ रुपये वास्तव में राज्य सरकारों को वितरित** किए गए थे।
  - मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक **पोषण अभियान के तहत जारी किए गए लगभग 4,300 करोड़ रुपये में से लगभग 1,570 करोड़ ही खर्च** किए गए थे।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के

माध्यम से भोजन तक पहुंच का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** इसमें गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये का हस्तांतरण किया जाता है।
- **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS):** यह भारत में एक प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रारंभिक बाल्यकाल के विकास, मातृ स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित है।

आगे की राह:

- **बुनियादी ढांचे में निवेश**: एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कवरेज में सुधार के लिए तत्काल निवेश की आवश्यकता है।
  - ये केंद्र पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जिला-स्तरीय हस्तक्षेप:** भौगोलिक रूप से अलग-थलग आदिवासी आबादी जैसी अनूठी चुनौतियों वाले जिलों में लक्षित हस्तक्षेप लागू करना चाहिए।
  - ICDS सेवाओं को अधिक कुशलता से प्रदान करने के लिए ओडिशा के अंगुल जिले में स्थापित शिकायत निवारण शिविरों को समान क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता:** जागरूकता पैदा करना और समुदायों को शामिल करना कुपोषण को संबोधित करने के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- **अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना:** विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।
  - बांग्लादेश द्वारा नियोजित सफल बहु-क्षेत्रीय समन्वय रणनीति भारत के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
  - **बांग्लादेश की राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना 2016-2025** बाल कुपोषण से निपटने के लिए **स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन और पशुधन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन को शामिल** करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय समन्वय रणनीति पर आधारित है।
- **मृदा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संबोधित करना:** कृषि प्रथाओं और पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेष रूप से जस्ता और लौह की उपलब्धता में सुधार के उपायों को लागू करना चाहिए।
- **WHO और ICRIER द्वारा की गई सिफारिशें:**
  - रिपोर्ट भारत के लिए पोषण सुरक्षा हासिल करने और **2030 तक संयुक्त राष्ट्र- सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिफारिशें** करती है।
  - **उच्च वसा चीनी नमक (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों की परिभाषा:** रिपोर्ट बताती है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को HFSS खाद्य पदार्थों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से परिभाषित करना चाहिए।

HFSS खाद्य परिभाषाओं से जुड़ी कर (Tax) संरचना: इसमें एक पोषक तत्व-आधारित कर मॉडल लागू करना शामिल है जो **वसा, चीनी और नमक के अनुशंसित स्तर से अधिक उत्पादन पर उच्च कर लगाता है** और इसके विपरीत स्वास्थ्यवर्धक और सुधार किए गए विकल्पों पर कम कर लगाता है

8.10 पहाड़ी और पद्दारी समुदाय: प्रस्तावित ST दर्जा

संदर्भ:

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची में **"गड्डा ब्राह्मण", "कोली", "पद्दारी जनजाति" और "पहाड़ी नृजातीय समूह"** को शामिल करने का प्रस्ताव करता है।

पहाड़ी नृजातीय समूह:

- **पहाड़ी हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं**, और इसमें कश्मीरी मूल के लोग शामिल हैं जो राजौरी और पुंछ जिलों में बस गए।
- **पहाड़ियों में ऊंची जाति के हिंदू भी हैं**; वे लोग भी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए थे।

पद्दारी जनजाति:

- वे **पहाड़ी किश्तवाड़ जिले के सुदूर पद्दार इलाके** में रहते हैं।
- 2011 की जनगणना में पद्दारी की आबादी 21,548 दर्ज की गई, जिसमें 83.6% हिंदू, 9.5% बौद्ध और 6.8% मुस्लिम शामिल थे।

8.11 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति" रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने **ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की पहली स्थिति** रिपोर्ट लॉन्च की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (DIU)** द्वारा 20 राज्यों के 6,229 ग्रामीण परिवारों को शामिल करते हुए एक अखिल-भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इसमें ग्रामीण समुदायों के 6 से 16 साल के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **लैंगिक समानता:** ग्रामीण समुदायों के माता-पिता का मानना है कि बच्चे का लिंग, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं में बाधा नहीं बननी चाहिए।
  - लड़कियों के कुल 78 प्रतिशत माता-पिता और लड़कों के 82 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा देना चाहते थे।
- **माता-पिता की भागीदारी:** लगभग 84 प्रतिशत माता-पिता नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठकों (PTM) में भाग लेते

हैं, जो उनके बच्चों की शिक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करता है।

- **माता-पिता की भूमिका:** जब पढ़ाई की बात आती है तो अधिकांश बच्चे (62.5 प्रतिशत) अपनी माताओं की देखरेख में होते हैं, जबकि 49 प्रतिशत की देखरेख उनके पिता करते हैं।
  - 38 प्रतिशत से अधिक माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए निजी ट्यूटर्स का विकल्प चुनते हैं।
  - लगभग 26 प्रतिशत बच्चे निजी ट्यूटर की देखरेख में पढ़ते हैं।
- **ड्रॉप आउट:** कुल ड्रॉप-आउट बच्चों में से, लगभग एक-चौथाई लड़कों ने पढ़ाई में रुचि की कमी के कारण प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी शिक्षा बंद कर दी।
  - **परिवार की आय में योगदान करने की आवश्यकता के कारण लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर 35 प्रतिशत से अधिक है।**
  - प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद लड़कों और लड़कियों दोनों की एक बड़ी संख्या स्कूल छोड़ देती है (लड़कों के लिए 75 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 65 प्रतिशत)।
- **स्मार्टफोन तक पहुंच में वृद्धि:** ग्रामीण भारत में लगभग आधे, 49.3 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है।
  - इनमें से **76.7 प्रतिशत छात्र मुख्य रूप से अपने फोन का उपयोग मनोरंजन उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना और फिल्में देखना**।
  - केवल 34 प्रतिशत स्मार्टफोन-सुलभ छात्र अध्ययन-संबंधित मैटर डाउनलोड करने के लिए अपने फोन का उपयोग करते हैं, जबकि 18 प्रतिशत ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं।
- **घर पर सीखने का माहौल:** 40 प्रतिशत माता-पिता के पास स्कूल की किताबों के अलावा घर पर उम्र के अनुरूप पढ़ने की सामग्री उपलब्ध है।
  - केवल 40 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिक बातचीत करते हैं, जबकि 32 प्रतिशत सप्ताह में कुछ दिन ऐसी चर्चा करते हैं।

8.12 प्रधान मंत्री PVTG विकास मिशन

संदर्भ:

सरकार ने बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा की।

प्रधान मंत्री PVTG विकास मिशन के बारे में:

- **उद्देश्य:** सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना।
- **निधि आवंटन:** मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना से 15,000 करोड़ रुपये की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।
- **नोडल मंत्रालय: जनजातीय मामलों का मंत्रालय**

PVTG कौन हैं?

- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** या PVTG **अनुसूचित जनजाति का एक वर्ग है** जिसे **नियमित अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है।**
- **बुनियादी विशेषताएं: ज्यादातर समरूप**, आबादी बहुत कम, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग-थलग, एक सरल सामाजिक व्यवस्था, लिखित भाषा का अभाव, अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन की धीमी दर आदि।

8.13 कफ सिरप पर WHO का अलर्ट

संदर्भ:

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इराक में बेचे जाने वाले भारत निर्मित सामान्य कोल्ड सिरप के एक बैच पर अलर्ट** जारी किया।

अन्य जानकारी

- WHO के अनुसार, सिरप में डायथिलीन और एथिलीन ग्लाइकॉल नामक प्रदूषकों की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक थी।
- अपने मेडिकल उत्पाद संबंधी अलर्ट में, **WHO ने कहा कि सिरप के बैच में 0.25 प्रतिशत डायथिलीन ग्लाइकॉल और 2.1 प्रतिशत एथिलीन ग्लाइकॉल था, जबकि इन दोनों के लिए स्वीकार्य सुरक्षा सीमा 0.10 प्रतिशत तक है।**
- **डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के खतरनाक प्रभाव:** इनका सेवन करने पर ये इंसानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं।
  - सिरप के दूषित बैच के उपयोग से, विशेषकर बच्चों में, गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है।
  - **विषाक्त प्रभावों में पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिरदर्द, परिवर्तित मानसिक स्थिति और तीव्र गुर्दे की चोट** शामिल हो सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है।
  - WHO के अनुसार, अब तक भारतीय निर्माताओं से जुड़े पांच "दूषित" सिरप जांच के दायरे में आ चुके हैं।
- **पिछले उदाहरण:** पहले, भारत निर्मित कफ सिरप के कारण उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी, जिससे सरकार को कफ सिरप के लिए निर्यात नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया गया है।
  - **अब दूसरे देशों में सप्लाई करने से पहले परीक्षण करना अनिवार्य है।**

- **सख्त विनियमन की आवश्यकता:** भारत से फार्मास्युटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 3.25 प्रतिशत बढ़कर 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, और चालू वित्त वर्ष में लगभग 6.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)	• ICSSR देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए "भारतीयकृत अनुसंधान पद्धति उपकरण" विकसित करने की योजना बना रहा है। • **ICSSR की स्थापना 1969** में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। • नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
लैंगिक समावेशन निधि (GIF)	• NEP ने महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए "जेंडर इंक्लूजन फंड" (GIF) की शुरुआत की है। • यह फंड राज्यों को स्वच्छता, साइकिल और नकद हस्तांतरण जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को लागू करने में मदद करेगा। • यह लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए शिक्षा में विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी समुदाय-आधारित उपाय को भी सक्षम करेगा। • GIF का लक्ष्य लड़के-लड़कियों सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है।
विश्व जल सप्ताह 2023: स्टॉकहोम इंटरनेशनल जल संस्थान	• फोकस: 20-24 अगस्त 2023 को मनाया गया विश्व जल सप्ताह अभूतपूर्व चुनौतियों के समय में नवाचार पर केंद्रित है। • थीम: परिवर्तन के बीज: जल-आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान। • उद्देश्य: पता लगाएं कि जलवायु संकट, वैश्विक तापन, जैव विविधता हानि, गरीबी और कई अन्य जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए पानी कैसे एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।
भारत पहल द्वारा उपचार	• सरकार दुनिया भर में नर्सों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और तैनात करने के लिए "हील बाय इंडिया" पहल पर काम कर रही है। • उद्देश्य: कुशल श्रमिकों का एक समूह बनाना और भारत को दुनिया की देखभाल राजधानी बनाना। • कौशल विकास मंत्रालय: यह विदेश में भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करेगा। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। • आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) रजिस्ट्री स्वास्थ्य कर्मियों पर डेटा प्रदान करेगी।

9. कला एवं संस्कृति

9.1 केरल में महापाषाण स्थल

संदर्भ:

हाल ही में तिरुनावया के पास कुट्टीपुरम गांव के नागापरम्बा में केरल पुरातत्व विभाग द्वारा की गई पुरातात्विक बचाव खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मेगालिथिक हैट स्टोन पाए गए थे।

तिरुनवाया

- प्राचीन ममंकम की भूमि, तिरुनवाया तिरुर के दक्षिण में है।
- भरतपुझा नदी के तट पर स्थित; यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है।
- ममंकम, 12 वर्षों में एक बार आयोजित की जाने वाली शासकों की एक भव्य सभा थी।

हैट स्टोन्स के बारे में:

- हैट स्टोन, जिन्हें मलयालम में थोप्पिक्कल्लु कहा जाता है, अर्धगोलाकार लेटराइट पत्थर हैं जिनका उपयोग महापाषाण काल के दौरान दफन कलशों पर ढक्कन के रूप में किया जाता था।

बचाव उत्खनन क्या है?

- बचाव उत्खनन को बचाव पुरातत्व या आपातकालीन पुरातत्व के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार की पुरातात्विक खुदाई को संदर्भित करता है जो ऐसी स्थिति के प्रतिक्रिया में आयोजित की जाती है जहां पुरातात्विक अवशेषों को निर्माण, विकास या अन्य गतिविधियों से खतरा होता है।

मेगालिथ/ महापाषाण

- मेगालिथ का निर्माण या तो दफन स्थलों या स्मारक (गैर-सेपुलचरल) स्मारकों के रूप में किया गया था।

स्मारकीय गैर-सेपुलक्रल (Commemorative non-sepulchral) स्मारक:

- स्मारक गैर-सेपुलक्रल स्मारक ऐसे **स्मारक, संरचनाएं या प्रतिष्ठान** हैं जो व्यक्तियों, घटनाओं या इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को दफनाने से जुड़े बिना **सम्मान और याद रखने** के लिए बनाए जाते हैं।
- ये स्मारक अतीत की स्मृति में एक ठोस और स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में काम करते हैं और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इसके महत्व से अवगत कराते हैं।
- **उत्पत्ति:** चूंकि महापाषाण समाज पूर्व साक्षर(preliterate) थे, इसलिए महापाषाण लोगों की नस्लीय या नृजातीय उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है।
- **महत्व:** मेगालिथ आम लोगों के लिए नहीं बनाए गए थे। वे एक शासक वर्ग या अभिजात वर्ग के उद्भव का संकेत देते हैं जिसने अधिशेष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया।
- **समय-अवधि:** भारत में, पुरातत्ववेत्ता अधिकांश मेगालिथ को लौह युग (1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व) का मानते हैं, हालांकि कुछ स्थल लौह युग से पहले के हैं, जो 2000 ईसा पूर्व तक विस्तारित हैं।
- **भौगोलिक प्रसार:** मेगालिथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, जो महाराष्ट्र (मुख्य रूप से विदर्भ), कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में केंद्रित हैं।
- आज भी, मध्य भारत के गोंड और मेघालय के खासी जैसी कुछ जनजातियों के बीच एक जीवित महापाषाण संस्कृति कायम है।
- मेगालिथिक संरचना के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं: स्टोन सर्कल, डोलमेन, सिस्ट, मोनोलिथ और कैपस्टोन शैली।

9.2 नटराज मूर्ति

संदर्भ:

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले **G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल के सामने 28 फीट की नटराज प्रतिमा स्थापित की जाएगी।**

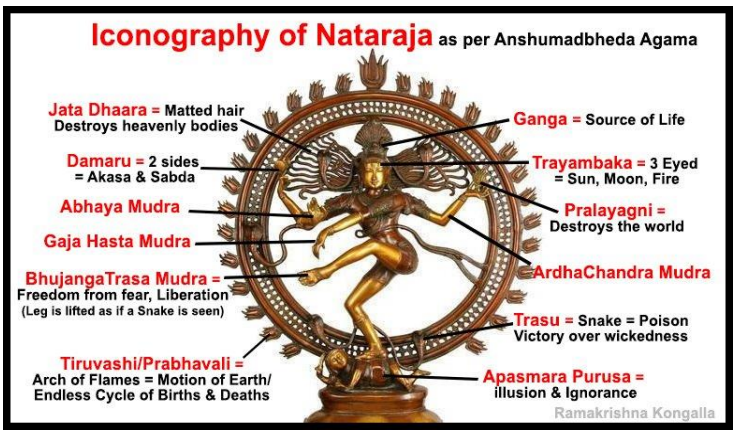

लगभग 28 फीट की नटराज मूर्ति:

- **अष्टधातु:** मूर्ति का वजन 19 टन है और यह आठ धातुओं से बनी है। सोना, चाँदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता।
- **ऊंचाई:** प्रतिमा की ऊंचाई 22 फीट है और आसन छह फीट का है। इससे पूरी संरचना 28 फीट ऊंची हो जाती है।
- **मॉडल:** इस मूर्ति को बनाने में चोल काल के चिदम्बरम, कोनेरीराजपुरम और अन्य नटराजों के मॉडल का अनुसरण किया गया।

- **ढलाई:** मूर्तिकार **लुप्त-मोम ढलाई विधि का अनुसरण** करते हैं। यह एक टाइम-टेस्टेड विधि है, जिसका **उपयोग चोल काल से किया जाता रहा है**।

लुप्त मोम तकनीक:
- मूर्तिकार सबसे पहले एक मोम का मॉडल बनाते हैं और उसे मिट्टी में लपेट देते हैं।
- सूखने के बाद, पिघले हुए मोम को निकालने के लिए पूरी संरचना को गर्म किया जाता है।
- पिघले मोम द्वारा छोड़ी गई जगह पिघले हुए कांस्य से भर दी जाती है।
- इसे ठंडा करने के बाद, सांचे को तोड़ दिया जाता है और मूर्ति को उसका पूर्ण आकार देने के लिए तराशा जाता है।

संक्षिप्त समाचार

नवरोज़	• भारतीय राष्ट्रपति ने पारसी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। • भारत में पारसी समुदाय शेष विश्व के लगभग 200 दिन बाद नवरोज़ मनाता है क्योंकि यह शहंशाही कैलेंडर का अनुकरण करता है। • भारत के लिए नवरोज़ जुलाई या अगस्त में पड़ता है और इस साल 2023 में पारसी नव वर्ष 16 अगस्त को मनाया गया है।

10. नीतिशास्त्र (ETHICS)

10.1 नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित दिशा-निर्देश

संदर्भ:

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम या NMC-RMP विनियम 2023 के अनुसार, **डॉक्टर अब अनियंत्रित और हिंसक रोगियों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं।**

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के बारे में:

- इसे चिकित्सा क्षेत्र में **विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने** के लिए पेश किया गया था। इसमें चिकित्सा शिक्षा की **गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नैतिक और पारदर्शी प्रथाओं को सुनिश्चित करना** शामिल है।

प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

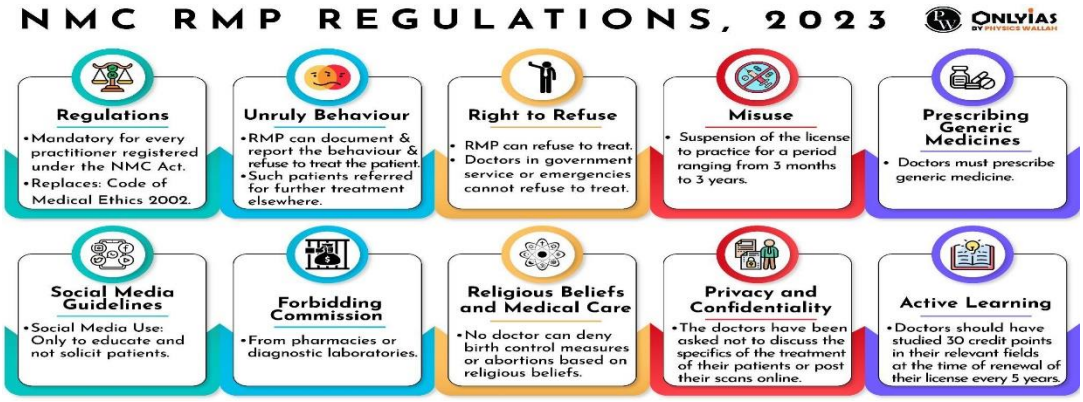

- **नैतिक और व्यावसायिक आचरण:** अधिनियम चिकित्सकों के बीच नैतिक और पेशेवर आचरण बनाए रखने पर जोर देता है और इसमें इन मानकों से किसी भी विचलन को संबोधित करने के प्रावधान शामिल हैं।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता:** अधिनियम सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की अवधारणा का परिचय देता है, जिन्हें डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति है।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का गठन:** NMC एक नियामक संस्था है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करती है।
- चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना।
- चिकित्सा शिक्षा में सुधार।

उपचार से इंकार करना एक जटिल मुद्दा है जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल हैं। जैसे- **डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, मरीज़ और उनके परिवार, स्वास्थ्य सेवा संस्थान, चिकित्सा संघ और नियामक निकाय, कानूनी प्राधिकरण, नैतिक समितियाँ, जनमत और मीडिया, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय, आदि।**

विनियमन के पक्ष में तर्क:

अनियंत्रित व्यवहार

- **न्याय:** यदि किसी अनियंत्रित रोगी का व्यवहार उनकी अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा, या अन्य रोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो **इन जोखिमों को कम करने के साधन के रूप में उपचार से इनकार करना उचित** हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में परामर्श के दौरान एक 21 वर्षीय मरीज ने एक डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया।
- **गरिमा और सत्यनिष्ठा:** अनियंत्रित व्यवहार कभी-कभी नैतिक सीमाओं को पार कर सकता है, जिससे **स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार** हो सकता है। डॉक्टरों को ऐसे माहौल में काम करने का अधिकार है जो उनकी **गरिमा और पेशेवर शुचिता** का सम्मान करता हो।
  - उदाहरण के लिए, फ़रीदाबाद के एक **अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 40 वर्षीय डॉक्टर पर एक मरीज़ के परिचारकों ने हमला कर दिया,** क्योंकि डॉक्टर दूसरे मरीज़ को देख रहा था।
- **निवारण उपाय के तौर पर:** अनियंत्रित व्यवहार को **अनियंत्रित रहने देने से विघटनकारी या गैर-अनुपालन व्यवहार का एक चक्र** शुरू हो सकता है, जो **रोगी के समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव** डाल सकता है। उपचार से इनकार करके, डॉक्टर यह बता सकता है कि **चिकित्सीय संबंध को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार के कुछ मानकों की अपेक्षा की जाती है।**
- **किसी भी पेशे में स्वतंत्रता का अधिकार:** ये नियम डॉक्टरों को यह चुनने का अधिकार देते हैं कि वे किसे सेवा देंगे। यह जीवन के लिए **खतरा पैदा करने वाली आपात स्थिति में लागू नहीं होगा।**

वित्तीय बाधाएं

- **स्वायत्तता और सहमति:** मरीजों को संभावित लागत सहित उनके उपचार विकल्पों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना डॉक्टरों का नैतिक दायित्व है।
  - यदि कोई मरीज इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो डॉक्टर यह तर्क दे सकता है कि **पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता के बिना उपचार जारी रखने से मरीज की स्वायत्तता और सूचित सहमति कमजोर** हो सकती है।
  - चरम मामलों में, **मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा इलाज की मांग करते हुए डॉक्टरों या अस्पताल के कर्मचारियों को बंधक बनाने के लिए** जाना जाता है।
- **व्यावसायिक सीमाएँ:** इस परिप्रेक्ष्य के कुछ समर्थकों का तर्क है कि **चिकित्सा देखभाल और विशेषज्ञता प्रदान करना डॉक्टरों का पेशेवर कर्तव्य** है, लेकिन वे मरीजों की वित्तीय कठिनाइयों जैसे व्यापक सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- **नैतिक सीमाएँ:** डॉक्टरों की न केवल अपने मरीजों के प्रति बल्कि स्वयं, अपने परिवार और स्वास्थ्य देखभाल समुदाय के प्रति भी नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं।
  - उदाहरण के लिए, **संभावित धमकियों और हिंसा का प्रभाव लंबे समय तक रहता है** जो **व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में गिरावट के रूप में प्रकट होता है।**
- **वस्तुनिष्ठता:** ऐसे निर्णय लेना जो **भावनाओं, धारणाओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कारण होने वाली व्यक्तिपरकता से मुक्त हों,** दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, एक **हताश रोगी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल** नैतिक हो सकती है, लेकिन कई रोगियों को इसे प्रदान करना एक प्रदाता के लिए संभव नहीं हो सकता है।
- **निस्वार्थ कर्तव्य:** चिकित्सक अक्सर अपने **आराम, व्यक्तिगत समय और स्थान से ऊपर अपने मरीजों की भलाई को प्राथमिकता** देते हैं। हालाँकि, **यह कार्य कभी-कभी कृतघ्न प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।**
  - उदाहरण के लिए, कोविड-19 के दौरान उनके **निस्वार्थ समर्पण के बावजूद, चिकित्सा पेशेवरों को पूरे देश में नियमित हमलों और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।**

विनियमन के विरुद्ध तर्क

- **समर्पण और देखभाल का कर्तव्य:** समर्पण स्वयं को किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित करने की गहरी प्रतिबद्धता की भावना है। इसमें जरूरतमंद लोगों को उनकी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना देखभाल प्रदान करने का कर्तव्य शामिल है।
  - भारत में, स्वास्थ्य पर किया जाने वाला **आउट ऑफ पॉकेट** व्यय, कुल स्वास्थ्य व्यय का आधे से अधिक है, जो कई परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। यह जरूरतमंद लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा की सख्त जरूरत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, डॉ. रामानंद सिंह बिहार में पिछले 35 वर्षों से सिर्फ 50 रुपये में अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहां तक कि उन मामलों में जहां मरीज इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, वह उनकी फीस भी माफ कर देते हैं।

- **न्याय और समानता:** न्याय के सिद्धांत के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से वितरित की जाए। केवल भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर किसी मरीज को इलाज से इनकार करना **अन्यायपूर्ण, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में असमानताओं को बढ़ाने वाला माना जा सकता** है।
- **हिप्पोक्रेटिक शपथ:** चिकित्सक अपने मरीजों के सर्वोत्तम हित में काम करने और नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रतिज्ञा करते हैं।
  - चिकित्सक सभी रोगियों का उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से इलाज करने और **बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार देखभाल प्रदान करने का वादा** करते हैं।
- **अपवित्र सांठगांठ:** कई डॉक्टर जेनेरिक दवाओं के बजाय अपने ब्रांड की विशिष्ट दवाएं लिखने के लिए दवा निर्माताओं के साथ सांठगांठ करते हैं, जिससे मरीजों के इलाज की लागत में काफी वृद्धि होती है।
  - उदाहरण के लिए, **दवा निर्माताओं द्वारा डॉक्टरों को यात्रा व्यय, उपहार आदि देना एक आम बात है।**
  - **उपकार:** इसका अर्थ है दयालुता या उदारता और यह सिद्धांत इस तरह से कार्य करने के नैतिक दायित्व को संदर्भित करता है **जिससे दूसरों को लाभ हो**। उपकार का सिद्धांत यह डॉक्टरों को अपने **मरीजों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है।**
- **करुणा:** यह **किसी की पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा** है जो **एक चिकित्सक का मूल सिद्धांत** है। कुछ आधारों पर व्यक्तियों को इलाज से इंकार करने से **कई चिकित्सकों के बीच अंतरात्मा के संकट की संभावना** पैदा हो सकती है।
- **विश्वास और विश्वसनीयता की हानि:** चिकित्सा पेशा सार्वजनिक विश्वास पर निर्भर करता है, और जरूरतमंद लोगों को इलाज से इनकार करने से यह विश्वास खत्म हो सकता है और **चिकित्सा समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान** हो सकता है।
- **जिम्मेदारी:** कुछ लोगों का तर्क है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के पास सामर्थ्य और पहुंच सहित उन पर स्वास्थ्य देखभाल में प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करने की व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी है। उपचार से इंकार करने को इस जिम्मेदारी से विमुख होने के रूप में देखा जा सकता है।
- **जीवन के अधिकार को कमज़ोर करना:** पंजीकृत चिकित्सकों को इलाज से इनकार करने के लिए विधिक चेतावनी देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के विरुद्ध है।
  - इसके अलावा, **कानून में "अपमानजनक" की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से एक व्यक्तिपरक व्याख्या** है जो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय पर निर्भर हो सकती है।
- व्यक्तिपरक व्याख्या से **नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बहिष्कार** हो सकता है।

हिप्पोक्रेटिक शपथ

- यह एक **ऐतिहासिक नैतिक संहिता** है जिसे पारंपरिक रूप से चिकित्सा पेशेवरों द्वारा अपने पेशे में कुछ नैतिक और व्यावसायिक मानकों को बनाए रखने के लिए अपनाया जाता है।
- इसका नाम **प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स** के नाम पर रखा गया है, जिन्हें अक्सर "**चिकित्सा का जनक**" कहा जाता है।
- शपथ के सटीक शब्द भिन्न हो सकते हैं लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत सुसंगत और समान रहते हैं।

क्या किया जाए?

- **अनुनय:** रोगियों को व्यवहार के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावित करना और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना।
  - उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान, लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमलों को रोकने के लिए **कॉलर ट्यून का उपयोग करके ध्वनि संदेश प्रसारित** किए गए थे।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक कौशल से लैस और प्रशिक्षित करना ताकि वे अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकें और **स्थिति को बढ़ने से रोकने का प्रयास कर सकें और दी गई समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रदान** कर सकें।
- **पारदर्शी दृष्टिकोण:** उपचार से इनकार करने से पहले वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जाए। इसमें **अनियंत्रित व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों या संघर्ष समाधान विशेषज्ञों** को शामिल किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **सैन डिएगो (यूएसए) में डॉक्टर मरीजों को कम लागत वाले पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करते हैं** जो सभी को देखभाल, सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं।

संरक्षण की दिशा में पहल:

- **महामारी रोग अधिनियम 2020:** इसमें महामारी संबंधी बीमारियों से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रावधान शामिल है और ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार किया गया है।
- **स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान का निषेध) विधेयक, 2019:** मसौदा विधेयक का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और नैदानिक प्रतिष्ठानों को हिंसा के कृत्यों और संपत्ति को नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास:** यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विस ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपाय लागू किए हैं, जिनमें अस्पतालों में सुरक्षा उपाय और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

- **नैतिक सिद्धांत के साथ संतुलन:** रोगी की स्वायत्तता, देखभाल के कर्तव्य, रोगी की सुरक्षा और भलाई सहित स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के सिद्धांतों पर विचार किया जाए। इस पर भी विचार करें कि उपचार से इंकार करना इन सिद्धांतों के साथ कैसे मेल खाता है और निर्णय से क्या संभावित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, **डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** एक नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता चैरिटी संस्था है जो संघर्ष क्षेत्रों में उन सभी लोगों को मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है जिन्हें **चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, भले ही संघर्ष में उनकी भूमिका कुछ भी हो**।
- **सहनशीलता:** उन **कार्यों और प्रथाओं को स्वीकार करना** जिन्हें गलत माना जा सकता है लेकिन फिर भी **कुछ हद तक सहनीय है ताकि उन्हें प्रतिबंधित या अधिक दंडित न किया जाए।**
  - उदाहरण के लिए, **अनियंत्रित व्यवहार के मामलों की एक बड़ी संख्या ऐसी स्थितियों में उत्पन्न होती है जिन्हें "सामान्य" नहीं माना जा सकता है** और यहां तक कि **सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला भी ऐसा व्यवहार कर सकता है जो आघात या तीव्रता के कारण समाज में स्वीकार्य नहीं है।**
- **सहमति:** रोगी को निर्णय के बारे में स्पष्ट रूप से बताना, और इसके पीछे के कारणों को समझाना चाहिए। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी अपने स्वास्थ्य और डॉक्टर-रोगी संबंध पर उनके व्यवहार के संभावित परिणामों को समझता है।
- **देखभाल की निरंतरता:** यदि संभव हो, तो **देखभाल के वैकल्पिक स्रोतों के लिए सिफारिशें प्रदान करें, चाहे आपके स्वास्थ्य संस्थान में हों या कहीं और हों**। सुनिश्चित करें कि **रोगी की चल रही स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समाधान** किया गया है।

निष्कर्ष

- हमें **उपचार करने वालों की रक्षा** करनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में नैतिक निर्णय शायद ही इतने निश्चित और स्पष्ट होते हैं। मरीजों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और व्यापक समुदाय के कल्याण को बनाए रखने के लिए **संवेदनशीलता, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता** के साथ प्रत्येक स्थिति से निपटना महत्वपूर्ण है। **सहकर्मियों, पर्यवेक्षकों और नैतिक समितियों** के साथ परामर्श **इन कठिन निर्णय लेने में मूल्यवान मार्गदर्शन** प्रदान कर सकता है।

11. खबरों में व्यक्तित्व

कैल्यामपुडी राधाकृष्ण राव	• हाल ही में, प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद् सी.आर. राव का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। • **उपलब्धि** • डॉ. राव ने **क्रैमर-राव असमानता** और **राव-ब्लैकवेलाइज़ेशन** जैसी कई मौलिक सांख्यिकीय अवधारणाओं का विकास किया। • वह भारत में **राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली,** सांख्यिकीय शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए कई सरकारी समितियों के सदस्य थे।
येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन	• **वैगनर समूह के प्रमुख** येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन की एक **निजी जेट दुर्घटना में मृत्यु** हो गई। • **वैगनर समूह** o वैगनर ने 2022 में एक **"निजी सैन्य कंपनी" के रूप में पंजीकरण** कराया, हालाँकि रूस में भाड़े की सेनाएँ अवैध हैं । o समूह ने जून 2023 में रूस के सैन्य नेताओं के खिलाफ असफल विद्रोह किया और उसके बाद बेलारूस चला गया।
महर्षि दयानंद सरस्वती	**सरकार ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे।** **महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में:** • वह समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। • जन्म: 12 फरवरी 1824 टंकारा, गुजरात में। • साहित्यिक रचनाएं: "सत्यार्थ प्रकाश" (सत्य का प्रकाश)

	• दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV), भारत में शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क है, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्थापित किया गया था। पहला DAV स्कूल 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके हेडमास्टर महात्मा हंसराज थे।
सुब्रमण्यम भारती	हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में **राष्ट्रवादी तमिल कवि-पत्रकार सुब्रमण्यम भारती** के चित्र का अनावरण किया। • उन्होंने **परिसर में दरबार हॉल का नाम भी बदलकर 'भारतियार मंडपम'** कर दिया। **सुब्रमण्यम भारती के बारे में:** • वह एक **बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी, एक प्रसिद्ध कवि, एक उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और एक समर्पित समाज सुधारक** थे। • **जन्म:** 11 दिसंबर, 1882, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टायपुरम गांव में। • **महत्वपूर्ण कृतियाँ:** कनन पांतु, पांचाली सपथम, कुयिल पांतु, पुडिया रुसिया और ज्ञानरथम।
नवाब वाजिद अली शाह	30 जुलाई, 2023 को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की 201वीं जयंती है। **वाजिद अली शाह के बारे में:** • मिर्जा वाजिद अली शाह (जुलाई 1822 - 1 सितंबर 1887) अवध के ग्यारहवें और आखिरी नवाब थे, जो 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक 9 वर्षों तक इस पद पर रहे। • 11 फरवरी 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्य पर कब्ज़ा कर लिया और नवाब को कोलकाता के उपनगर मेटियाब्रुज़ में गार्डन रीच में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन, पेंशन पर बिताया। **संगीत में योगदान:** • वह न केवल संगीत, नृत्य, नाटक और कविता के संरक्षक थे बल्कि एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी थे। • कहा जाता है कि उन्होंने कई नए रागों की रचना की और उनके नाम जोगी, जूही, शाह-पसंद आदि रखे। • हल्के शास्त्रीय रूप, **ठुमरी की रचना वाजिद अली शाह ने की थी**। **नृत्य में योगदान:** • उन्होंने मनोरंजन गतिविधि के लिए मुगलों के पतन के बाद दरबारी नृत्य के रूप में शास्त्रीय भारतीय नृत्य के एक प्रमुख रूप कथक को पेश किया। **हिंदुस्तानी थिएटर में योगदान:** • नवाब ने जोगिया जश्न की शुरुआत की, जो एक शानदार कार्यक्रम था। इसमें रहस (नृत्य-नाटक), कविता, गीतात्मक रचनाएँ और कथक का प्रदर्शन शामिल थे, जो हिंदुस्तानी थिएटर के विकास का मार्ग प्रशस्त करते थे। **साहित्य में योगदान:** • प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा ग़ालिब को वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था। • वाजिद अली शाह स्वयं काफी योग्य कवि थे। फ़ारसी और उर्दू पर उनका समान अधिकार था और उन्होंने दोनों भाषाओं में कई किताबें लिखीं। उनकी उल्लेखनीय कृति **सवत-उल-क़लूब** है।

12. खबरों में स्थान

नाइजर में तख्तापलट

- नाइजर सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है और 'तख्तापलट' की घोषणा कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार का तख्तापलट हो गया है।

नाइजर के बारे में:

- नाइजर, आधिकारिक तौर पर नाइजर गणराज्य (राजधानी नियामी) पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है।
- यह एक एकात्मक राज्य है जिसकी सीमा उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पश्चिम में बेनिन और बुर्किना फासो, पश्चिम में माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया से लगती है।

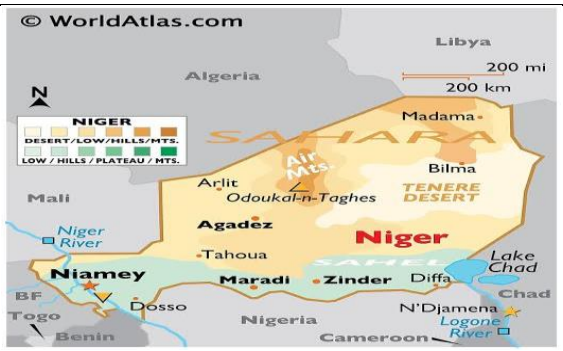

कोकोस द्वीप

हाल ही में, भारतीय सैन्य विमानों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक पहुंच और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस (कीलिंग) द्वीपों का दौरा किया।

कोकोस द्वीप समूह के बारे में:

- कोकोस द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लगभग 3,000 किमी उत्तर-पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र है।
- इसमें 27 छोटे द्वीपों से बने दो कोरल एटोल शामिल हैं।

पनामा नहर

सन्दर्भ

वाणिज्यिक जहाजों को पनामा नहर के माध्यम से यात्रा करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि मध्य अमेरिकी देश में लंबे सूखे के कारण इस नहर में पानी की उपलब्धता कम हो गई है।

पनामा नहर के बारे में:

- पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित जलमार्ग है।
- स्थान और भूगोल: मध्य अमेरिका में स्थित, यह नहर पनामा के इस्तमुस तक फैली हुई है।
  - o इस्थमस भूमि का एक संकीर्ण टुकड़ा है, जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है और दो जल निकायों को अलग करता है।

सुलिना चैनल

रूस के हालिया ड्रोन हमलों में डेन्यूब नदी के किनारे यूक्रेन के बंदरगाहों और अनाज भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया।

- काला सागर अनाज समझौते से रूस के बाहर निकलने के बाद डेन्यूब डेल्टा यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- 'नया' व्यापार मार्ग सुलिना चैनल है - जो डेन्यूब की 63 किमी लंबी सहायक नदी है।
- यह नदी पर प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ता है, जो पूरी तरह से नाटो सदस्य रोमानिया की सीमाओं के भीतर स्थित है।

डेन्यूब नदी के बारे में:

- यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और माल ढुलाई के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है।
- रोमानिया के टलसीया के पास, नदी अपने डेल्टा में विस्तारित होना शुरू कर देती है जिसके तीन प्रमुख चैनल हैं - चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज।

इक्वेडोर

- विलाविसेंशियो की क्विटो में एक रैली एक दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- **अवस्थिति:** इक्वाडोर उत्तर-पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
  - इक्वाडोर की सीमाएँ उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती हैं।
- गैलापागोस द्वीप समूह, जिसे आर्चिपिएलागो डी कोलोन के नाम से जाना जाता है, इक्वाडोर का एक हिस्सा है और प्रशांत महासागर में स्थित है।
- चूँकि इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए अधिकांश भाग में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है।

नोवोरोसिस्क बंदरगाह

- हाल ही में यूक्रेन ने नोवोरोस्सिएस्क बंदरगाह पर समुद्री ड्रोन से हमला किया था।
- नोवोरोसिस्क वाणिज्यिक बंदरगाह मात्रा के हिसाब से रूस के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और यूरोप में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।
- यह दुनिया भर के देशों में रूसी अनाज, तेल और अन्य उत्पादों के निर्यात में एक प्रमुख नोड के रूप में कार्य करता है।

13. खबरों में योजनाएँ

उड़ान योजना	सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) उड़ान के तहत निर्मित सोलह हवाई अड्डे अप्रयुक्त पड़े हैं। इस योजना में 74 हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे थे। **उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के बारे में:** • उड़ान भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाईअड्डा विकास कार्यक्रम है और अल्प सेवित हवाई मार्गों के उन्नयन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) का हिस्सा है। इसका लक्ष्य हवाई यात्रा को किफायती बनाना और भारत में आर्थिक विकास में सुधार करना है। • **नोडल मंत्रालय:** उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) का एक प्रमुख घटक है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जून 2016 को जारी किया गया था।
सौभाग्य योजना	केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने देश में सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन और कवरेज की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। **सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) योजना के बारे में:** • इसे देश के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अक्टूबर, 2017 में लॉन्च किया गया था। • यह दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति का समवर्ती कार्यक्रम है। **मुख्य विशेषताएं:** • आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए मुफ्त मीटर कनेक्शन और गरीबों के अलावा अन्य परिवारों के लिए कनेक्शन जारी होने के बाद 500 रुपये (10 मासिक किस्तों में बिजली बिल में समायोजित) का शुल्क। • ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए गांवों/ गांवों के समूह में शिविर स्थापित करना • लाभार्थियों की पहचान और आवश्यक दस्तावेज सहित इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग • रियल टाइम निगरानी और प्रगति को अद्यतन करने के वेब आधारित प्रणाली का उपयोग। • कार्यान्वयन के तरीके में राज्यों को लचीलापन।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा आयोजित एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) में प्रतिभागियों ने मुख्य रूप से लिंग-संबंधी कारकों और पारंपरिक विकल्पों की आसान पहुंच के कारण रिफिल प्राप्त करना जारी नहीं रखने का फैसला किया है। **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में:** • नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय • उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना। • चरण 1: यह योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लक्ष्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करना था। • चरण 2: वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के तहत, PMUY योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। • वर्तमान स्थिति: 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी पंजीकृत हैं। **योजना के तहत लक्षित लाभार्थी:** • निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित वयस्क महिलाएं विस्तारित योजना के तहत पात्र लाभार्थी हैं। o अनुसूचित जाति परिवार o ST-परिवार o अति पिछड़ा वर्ग o अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

	○ चाय बागान और पूर्ववर्ती-चाय बागान जनजातियाँ ○ वनवासी ○ द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग • इस योजना के तहत LPG कनेक्शन जारी करना BPL परिवार की महिलाओं के नाम पर होगा। • **नागरिकों को लाभ:** ○ **नकद सहायता:** भारत सरकार द्वारा PMUY कनेक्शन के लिए 1600 रुपये (14.2 किलोग्राम सिलेंडर के कनेक्शन के लिए और प्रति 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 1150 रुपये) प्रदान किया जाता है। ○ **LPG रिफिल:** सभी PMUY लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा उनके जमा मुक्त कनेक्शन के साथ-साथ पहली LPG रिफिल और स्टोव दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। ○ **सब्सिडी:** वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है।
अमृत भारत स्टेशन	• अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों को बदलने और पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। • इसमें रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग हॉल में सुधार जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है।
पीएम-ईबस सेवा	**पीएम-ईबस सेवा** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना "पीएम-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है। **पीएम-ईबस सेवा के बारे में:** • **अनुमानित लागत:** रु. 57,613 करोड़। • **केंद्र सरकार का योगदान:** रु. 20,000 करोड़ • **परिचालन सहायता:** इस योजना का लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में बस संचालन के लिए सहायता प्रदान करना है। • **शहर कवरेज:** 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर। • **कवर न किए गए शहरों को प्राथमिकता:** उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वर्तमान में संगठित बस सेवाओं का अभाव है। • **रोजगार सृजन:** 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ।
पी.एम.विश्वकर्मा	हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 'पीएम विश्वकर्मा' को मंजूरी दी। पीएम विश्वकर्मा के बारे में: • यह योजना कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी। • **वित्तीय परिव्यय:** 13,000 करोड़ रुपये • **अवधि:** पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28) • **उद्देश्य:** अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित प्रथा को मजबूत और पोषित करना। • **योजना की मुख्य विशेषताएं:** ○ पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड: कारीगरों और शिल्पकारों को उनके कौशल और योगदान को स्वीकार करते हुए, पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और एक आईडी कार्ड के माध्यम से औपचारिक मान्यता प्राप्त होगी। ○ **ऋण सहायता:** ✓ **पहली किश्त:1** लाख रु. तक की क्रेडिट सहायता।

	✓ **दूसरी किश्त:** 2 लाख रु.ता की क्रेडिट सहायता। o **रियायती ब्याज:** 5% o पीएम विश्वकर्मा के तहत सबसे पहले अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाना है।
पीएम-उषा योजना	केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन हैं जिन्होंने अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। **समाचार पर और अधिक:** • यह समझौता ज्ञापन राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, जिसे प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के रूप में जाना जाता है, के तहत अगले तीन वर्षों में लगभग ₹13,000 करोड़ की धनराशि तक पहुंचने की आवश्यकता है। • पीएम-उषा के बारे में: • यह राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • **उद्देश्य:** पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता में सुधार करना। o उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करने पर ध्यान देना। o **फंड आवंटन:** 2023-24 से 2025-26 के लिए ₹12,926.10 करोड़।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने अपनी अन्य पहलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) से धन का उपयोग किया है। **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** • **कार्यक्रम के बारे में:** NSAP एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है. साथ ही यह प्राथमिक आय अर्जक की मृत्यु पर भी परिवार को सहायता प्रदान करता है। • **नोडल मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय • **फंडिंग पैटर्न:** केंद्र प्रायोजित योजना
प्रधानमंत्री जीवन योजना	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी-वन योजना के बारे में जानकारी दी है। प्रधान मंत्री जी-वन (जैव इंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के बारे में: • इसे मार्च 2019 में अधिसूचित किया गया था। • **उद्देश्य:** लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • **वित्तीय परिव्यय:** 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये। • **वित्तीय सहायता:** वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 150 करोड़ रुपये और प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये। • **नोडल मंत्रालय:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

TEST YOUR SELF

राजव्यवस्था एवं शासन

1. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
2. यह सुनिश्चित करता है कि रोजगार मांगे जाने के 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा 'बेरोजगारी भत्ता' दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्डों के चुनाव कराने और पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करता है।
2. विधेयक बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की स्थापना करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कर्नाटक की ब्रह्मगिरि श्रेणी से निकलती है।
2. कावेरी जल पर तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद है।
3. संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अंतर-राज्यीय नदी जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर विवादों को हल करने का अधिकार देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. भारतीय संदर्भ में 'राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही **नहीं** है/हैं?

1. किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।
2. किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर 1 - (c), 2- (d), 3- (b), 4- (b)

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

1. निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह 'अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन (एसीटीओ)' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है?

(a) बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया
(b) इक्वाडोर, गुयाना, जमैका
(c) पेरू, सूरीनाम, बारबाडोस
(d) वेनेजुएला, चिली, कोलंबिया

2. G-20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. G20 समूह की स्थापना मूल रूप से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।
2. ट्रोइका जी20 के अंतर्गत शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछले और आने वाले अध्यक्ष शामिल होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. ब्रिक्स के नाम से जाने जाने वाले देशों के समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में येकाटेरिंगबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था।
2. सऊदी अरब, इथियोपिया और अर्जेंटीना अगस्त, 2023 से प्रभावी रूप से ब्रिक्स का हिस्सा बन गए हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. 'दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान)' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आसियान का आदर्श वाक्य है "एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय"।

2. आसियान की अध्यक्षता आसियान सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर द्विवार्षिक रूप से बदलती रहती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित में से कौन सा/से 'संयुक्त राष्ट्र अंतरसरकारी वार्ता' ढांचे' का हिस्सा है/हैं?

1. अफ्रीकी संघ
2. जी4 ग्रुप
3. सर्वसम्मति समूह के लिए एकजुट होना
4. अरब लीग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर 1 - (a), 2 - (c), 3 - (b), 4 - (a), 5 - (d)

अर्थव्यवस्था

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. टी+0 निपटान चक्र के तहत, यदि निवेशक शेयर बेचते हैं, तो उन्हें तुरंत उनके खाते में पैसा मिल जाएगा।
2. मौजूदा टी+1 निपटान चक्र के तहत, यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियां बेचता है, तो पैसा अगले दिन उसके खाते में जमा होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. जूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकार के अनिवार्य मानदंड खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए पूर्ण आरक्षण और जूट बैग में चीनी की पैकेजिंग के लिए 50% आरक्षण प्रदान करते हैं।
2. बांग्लादेश विश्व में जूट का अग्रणी उत्पादक है।
3. पश्चिम बंगाल भारत में जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है।
4. राष्ट्रीय जूट बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

3. 'भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत एनसीएपी प्रकृति में स्वैच्छिक है।
2. यह उन यात्री वाहनों पर लागू होता है जिनमें ड्राइवर की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं और वाहन का कुल वजन 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है।
3. इसके तहत केवल किसी खास वेरिएंट के बेस मॉडल का ही परीक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

4. 'विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (डब्ल्यूटीएसआर) 2023' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है।
2. चीन 2022 में शीर्ष माल निर्यातक बना रहा लेकिन विश्व निर्यात हिस्सेदारी 14% कम हो गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. 'नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (एनईवीएफ)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनईवीएफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी एक वेंचर कैपिटल फंड के रूप में पंजीकृत है।
2. इसे 100 करोड़ रुपये के लक्ष्य कोष के साथ एक क्लोज एंडेड फंड के रूप में स्थापित किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 - (d), 2 - (b), 3 - (c), 4 - (d), 5 - (c)

पर्यावरण एवं भूगोल

1. 'अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. देश में सबसे अधिक बाघ कर्नाटक में हैं।
2. मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-37 के तहत, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को बीएचएस के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
2. 2007 में, बेंगलुरु, कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव को भारत के पहले बीएचएस के रूप में नामित किया गया था।
3. उच्च स्थानिकता जैव विविधता विरासत स्थलों की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. 'वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह देश की सीमाओं के 100 किमी के भीतर की भूमि को वन संरक्षण कानूनों के दायरे से छूट देता है।
2. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की किसी भी रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

राष्ट्रीय उद्यान		**राज्य**
1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान	-	मध्य प्रदेश
2. बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान	-	तमिलनाडु
3. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क	-	जम्मू एवं कश्मीर

उपरोक्त युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित में से कौन सा देश 'मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (एमएसी)' का हिस्सा है/हैं?

1. भारत 2. श्रीलंका
3. ऑस्ट्रेलिया 4. जापान
5. स्पेन

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1, 2, 3, 4 और 5
(c) केवल 4 और 5 (d) केवल 1, 2, 4 और 5

उत्तर: 1 - (a), 2 - (c), 3 - (c), 4 - (b), 5 - (b)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और साथ ही चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने का दूसरा प्रयास है।
2. चंद्रयान-2 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया क्योंकि इसके लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग नहीं कर सके।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'जीन-संपादित सरसों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जीन संपादित सरसों कम तीखी होती है क्योंकि सामान्य सरसों के बीजों में ग्लूकोसाइनोलेट्स का उच्च स्तर होता है।
2. इसे CRISPR/Cas9 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

चंद्र मिशन		**संबद्ध देश**
1. चांग'ए-5	-	चीन
2. चंद्रयान 3	-	भारत
3. बेरशीट	-	स्पेन
4. लूना-25	-	रूस

ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक जोड़ी (b) केवल दो जोड़े
(c) केवल तीन जोड़े (d) सभी चार जोड़े

4. 'क्षय रोग' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: बेडाक्विलिन एक दवा है जिसका उपयोग दवा प्रतिरोधी तपेदिक (डीआर-टीबी) के उपचार में किया जाता है।

कथन-II: दुनिया की एक-तिहाई आबादी गुप्त टीबी से पीड़ित है, यह बीमारी का एक प्रकार है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर सक्रिय हो सकता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है
(d) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

उत्तर : 1 - (d), 2 - (c), 3 - (c), 4 - (d)

समाज और सामाजिक न्याय

1. 'जल जीवन मिशन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
2. केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, तथा अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 'इंद्रधनुष 5.0 वैक्सीन अभियान' के अंतर्गत शामिल है/हैं?

1. डिप्थीरिया 2. काली खांसी
3. धनुस्तंभ 4. पोलियो
5. कोविड-19

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2,3 और 4
(b) 1, 2, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) केवल 3 और 5

उत्तर : 1 - (c), 2 - (a)

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

INDIA'S MOST LOVED

Educational Channel
And Platform

4.8* Rating

10M+ Downloads

20M+ Subscribers

8000 hrs Video Content/Week

A UPSC Aspirant & Looking for Job ?

CAREER DEVELOPMENT PROGRAM

Job Interview

Training (with Salary)

Role Allocation

• as a •

Faculty / Mentor / Content Writer / Marketing
Youtube Ideation / Sales / Business Operations

APPLY TILL
18th SEPTEMBER

PW OnlyIAS CDP

PW APP

PWONLY IAS WEB

www.pw.live
www.pwonlyias.com

Talk to our Counselor give a
Missed Call on:
+91-9920613613